द्वादश माला, खंड 7, अंक 17

मंगलवार, 22 दिसम्बर, 1998
1 पौष, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 7 में अंक 11 से 18 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 17, मंगलवार, 22 दिसम्बर, 1998/1 पौष, 1920 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख....	1–2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 321	5–10
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 322 से 340	10–50
अतारांकित प्रश्न संख्या 3633 से 3862	51–362
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2	362–364
सभा पटल पर रखे गए पत्र....	364–384, 462
लोक लेखा समिति	
तीसरा प्रतिवेदन - *प्रस्तुत* और विवरण–*सभा पटल पर रखे गए*	384–385
विशेषाधिकार समिति	
पहला प्रतिवेदन–*प्रस्तुत*	386
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
पहला प्रतिवेदन–*प्रस्तुत*	386
याचिका समिति	
पहला प्रतिवेदन–*प्रस्तुत* और	386
कार्यवाही सारांश - *सभा पटल पर रखे गए*	387
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
साठवां, इकसठवां, बासठवां प्रतिवेदन - *सभा पटल पर रखे गये*	387
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	389–401, 404–411, 413–421

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
देश में आंतरिक सुरक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति विशेषकर पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में हाल की हत्याएं	
श्री राजेश पायलट	389, 391–400, 415–416
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	389–391, 404, 406–411, 415
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	402–403
(एक) असम में बम विस्फोट	
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	402–403, 404–411
(दो) रूसी परिसंघ की सरकार के चेयरमैन द्वारा भारत की सरकारी यात्रा पर जारी भारत-रूस प्रेस वक्तव्य	
श्री जसवंत सिंह	427–431
राज्य सभा से सन्देश और राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक - *सभा पटल पर रखे गए*	411–413
विधेयक - *पुर:स्थापित*	
(एक) निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक	421
(दो) कम्पनी (संशोधन) विधेयक	423
(तीन) मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक	
कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण - *सभा पटल पर रखा गया*.....	425
नियम 377 के अधीन मामले.....	431
(एक) भाखड़ा बांध और औहर तथा मातला और मांडवां के बीच झीलों पर पांच उपरिपुलों के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश चन्देल	431
(दो) राजकोट में गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
डा. वल्लभ भाई कथीरिया	432
(तीन) उत्तर प्रदेश में कानपुर हवाई अड्डे पर और अधिक सुविधाएं प्रदान किए जाने तथा उसे वायुसेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता	
श्री जगतवीर सिंह द्रोण	432
(चार) चंडीगढ़ की विद्युत संबंधी समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री सत्य पाल जैन	433

विषय		कालम
(पांच)	असम में तेजपुर में आकाशवाणी केन्द्र चालू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री माधव राजवंशी	434
(छह)	केरल में शोरानूर-कोची रेल लाइन के विद्युतीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एस. अजय कुमार	435
(सात)	पिछड़ा वर्ग सूची में कतिपय जातियों को शामिल करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रदीप कुमार यादव	435
(आठ)	नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के औरंगाबाद में नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना को पूरा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुशील कुमार सिंह	436
(नौ)	आन्ध्र प्रदेश में पेद्दापल्ली और मंतानी के बीच रेल समपार पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	डा. सुगुण कुमारी चलामेला	436
(दस)	मेत्तूर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं पुन: बहाल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री के.पी. मोहन	436
(ग्यारह)	भारत के संविधान का कश्मीरी भाषा में अनुवाद कराने के लिए आवश्यक निधियां स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. सैफुद्दीन सोज	437
(बारह)	पुणे रेलवे जोन में बेहतर सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण	438
सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक....		438
विचार करने के लिए प्रस्ताव		438
	श्री यशवंत सिन्हा.	438–441
	श्री मोतीलाल वोरा	440–441
खंड 2 और 1		441–442
पारित करने के लिए प्रस्ताव		442
आयकर (दूसरा संशोधन) विधेयक ..		442–447
विचार करने के लिए प्रस्ताव		442
	श्री यशवन्त सिन्हा	442–444

विषय		कालम
	श्री माधवराव पाटील	444–445
	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	445
	श्री बी.एम. मेनसिंकाई	445–446
खंड 2 से 8 और 1		446
पारित करने के लिए प्रस्ताव		447
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक - *पुर:स्थापित*		448
	श्री लाल कृष्ण आडवाणी	454–456, 460–461
	श्री मनोरंजन भक्त	448–449
	प्रो. अजित कुमार मेहता	449
	श्री आरिफ मोहम्मद खां	449–452
	प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	456–457
	कुमारी ममता बनर्जी	457
	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	457–458
	कुमारी मायावती	459–460
नियम 193 के अधीन चर्चा		
संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता		463–543, 477–544
	श्री रूप चन्द पाल	463–474
	श्री वैको	477–484
	श्री इन्द्र कुमार गुजराल	484–496
	श्री ई. अहमद	496–500
	श्री शिवराज वी. पाटील	500–507
	श्री सी. गोपाल	507–512
	श्री वी.वी. राघवन	512–515
	श्रीमती कृष्णा बोस	515–519
	श्री हन्नान मोल्लाह	519–522
	श्री शांता कुमार	522–525

विषय	कालम
श्री पूर्णो ए. संगमा	525–533
श्री प्रमथेस मुखर्जी	533–536
श्री आर.एस. गवई	536–537
प्रो. सैफुद्दीन सोज	537–540
श्री खारबेल स्वाईं	540–543
मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा उपचार तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम के प्रारूप का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	474–475
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	474–475
श्री मोहन सिंह	475
श्री पी. शिव शंकर	476
सभा के कार्य के बारे में घोषणा	542
दिल्ली विकास प्राधिकरण (अनुशासनिक शक्तियों का विधिमान्यकरण) विधेयक	544
विचार करने के लिए प्रस्ताव	544
श्री राम जेठमलानी	544–545
खंड 2, 3 और 1	546
पारित करने के लिए प्रस्ताव	546
कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 1998 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और कम्पनी (संशोधन) विधेयक	547
विचार करने के लिए प्रस्ताव	547–561
श्री राम नारायण मीणा	548–549
डा. एम. तम्बीदुरई	549–551, 555–556
श्री रूपचन्द पाल	551–554, 557–558, 560
श्री प्रमथेस मुखर्जी	554
श्री मुकुल वासनिक	554
खंड 2 से 18	561

लोक सभा

मंगलवार, 22 दिसम्बर, 1998/1 पौष, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मुझे सभा को हमारे भूतपूर्व सहयोगी, श्री हरिनाथ मिश्र के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री हरिनाथ मिश्र सातवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने 1980-84 के दौरान बिहार के दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इसके पूर्व, श्री मिश्र 1946 से 1977 के दौरान बिहार विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1952 से 1957 और 1962 से 1967 के दौरान बिहार राज्य के केबिनेट मंत्री के रूप में उल्लेखनीय सेवा की। उन्होंने 1972 से 1977 के दौरान बिहार विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

श्री मिश्र 1983-84 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री थे और 1984 के दौरान वह सिंचाई और योजना मंत्री थे।

श्री मिश्र ने स्वतंत्रता संग्राम तथा 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्हें कारावास झेलना पड़ा।

श्री मिश्र एक योग्य सांसद थे और वे समाज के दुर्बल वर्गों की समस्याओं के प्रति सभा का ध्यान आकृष्ट करने में कभी पीछे नहीं रहे। उनका इस सभा में और 1980-83 के बीच विशेषाधिकार समिति के सभापति के रूप में अमूल्य योगदान रहा।

श्री हरिनाथ मिश्र का 81 वर्ष की आयु में 17 दिसम्बर, 1998 को पटना में निधन हो गया। हम अपने इस मित्र के दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को सांत्वना व्यक्त करने में यह सभा मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात्, सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष जी, हमने एक नोटिस दिया है, काम रोको प्रस्ताव दिया है। आज की लिस्ट ऑफ बिजनेस में 25 नम्बर पर बिहार के बंटवारे के बारे में विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदय, भारत ने एशियाई खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। लोक सभा की ओर से बधाई। कृपया आप यह अध्यक्षपीठ की ओर से कहें।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : कल हो गया है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कल अपने बयान में कहा है, जो टी.वी. पर हम लोगों ने सुना है और अखबारों से मालूम हुआ है कि सिर्फ उन राज्यों को बंटवारे के लिये लिया जायेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इसे प्रश्नकाल के बाद ले सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, यह बहुत सीरियस मामला है, यह आज ही तय होना है, इसलिए इसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, हम क्वश्चन ऑवर के बाद सुनेंगे। अभी नहीं। हम इस मामले को प्रश्नकाल के बाद ले सकते हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : जब बिहार असेम्बली ने मना कर दिया कि बिहार का बंटवारा नहीं होगा, बिहार एक रहना चाहता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण कार्य है। कृपया इस बात को समझें।

[हिन्दी]

अली **अशरफ फातमी** : बार-बार ये बयान दे उन्हीं राज्यों का बंटवारा होगा, जिसके बारे में प्रपोजल किसी असेम्बली ने भेजा है। ...*(व्यवधान)* यह प्रपोजल असेम्बली से नहीं आया। इन्होंने भिजवाया, लेकिन वहां की असेम्बली ने रिजैक्ट करने का काम किया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे प्रश्नकाल में व्यवधान पैदा न करने की अपील कर रहा हूं। मैं प्रश्न काल के बाद आपकी बात सुनूंगा, अभी नहीं। कृपया समझने की कोशिश करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : उसके बाद भी ये आज विधेयक लाना चाह रहे हैं, आज की लिस्ट ऑफ बिजनेस में है, यह बिहार की तकदीर का मामला है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह इस सभा में किसी मामले को उठाने का तरीका नहीं है। यह उचित तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्नकाल के बाद आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम अभी कोई विधेयक को नहीं ले रहे हैं। मैं प्रश्नकाल के बाद आपको बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया समझने की कोशिश करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, अपने-अपने स्थानों पर बैठिए। यह अच्छी बात नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नकाल है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह अच्छा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थानों पर बैठने का अनुरोध कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कृपया आप बैठ जाइए।

मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि कृपया वे यह समझने की कोशिश करें कि मैं उनकी बात प्रश्न काल के बाद ही सुन सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, सभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचाना उचित नहीं है। कृपया समझने का प्रयास कीजिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अभी हम विधेयकों पर चर्चा नहीं कर रहे है। हम केवल प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या इस सभा में मामले उठाने का यह उचित तरीका हैं? अब प्रश्न संख्या 321 श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.08 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पोलियो प्रतिरक्षण टीका

***321. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में कोई इकाई पोलियो प्रतिरक्षण टीकों का निर्माण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त टीके का आयात कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने रूस से इस टीके का आयात करना बंद कर दिया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) चालू वर्ष के दौरान इस टीके की आपूर्ति करने के लिए किस-किस विदेशी कंपनी को अनुमति दी गई है; और

(ज) भारत में पोलियो के टीके का उत्पादन करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) भारत में चार टीका (वैक्सीन) विनिर्माण करने वाली इकाइयों ने मोनोवेलेन्ट आयातित मुख सेव्य पोलियो वैक्सीन (ओरल पोलियो वैक्सीन) के बल्क को सम्मिश्रित करके मुख सेव्य पोलियो वैक्सीन (आई.पी.) का विनिर्माण करने हेतु अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त किया है। ये इकाइयां मैसर्स हाफकिन बायो फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, मुम्बई, मैसर्स रैडिक्यूरा फार्मा, नई दिल्ली, मैसर्स बायोम्ड, गाजियाबाद और मैसर्स भारत इम्युनोलाजिकल्स एंड बायोलाजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलन्दशहर हैं। देश में बीज अवस्था (सीड स्टेज) से मुख सेव्य वैक्सीन का विनिर्माण नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) भारत सरकार किसी भी देश से मुख सेव्य पोलियो वैक्सीन का आयात नहीं कर रही है। तथापि, अनेक दाता अभिकरण पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए वस्तुगत सहायता के रूप में मुख सेव्य वैक्सीन प्रदान कर रहे हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मुख सेव्य वैक्सीन का बेरोक आयात किया जा सकता है।

(ज) जहां तक सम्मिश्रण करने और बोतलों में भरने की क्षमता का संबंध है, देश आत्मनिर्भर है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर अधूरा, अस्पष्ट और परस्पर विरोधी भी है।

मेरे प्रश्न के भाग (ग) में मैने विशिष्ट प्रश्न उठाया है क्या सरकार उक्त टीके अर्थात् पोलियो टीके का आयात कर रही है और भाग (ङ) में पूछा है क्या भारत सरकार ने रूस से इस टीके का आयात बन्द कर दिया है *...(व्यवधान)* यह क्या है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, बहुत हो गया। आप सभा में अनावश्यक रूप से व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर है : भारत सरकार किसी भी देश के मुख सेव्य पोलियो वैक्सीन का आयात नहीं कर रही है। मेरे प्रश्न का भाग (ङ) है क्या सरकार ने रूस से इस टीके का आयात बन्द कर दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अपील कर रहा हूं कि कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या इस सभा में मामला उठाने का यह उचित तरीका है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं बाद में। कृपया समझने का प्रयास कीजिए अथवा मुझे आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पीठाध्यक्ष की मेज के पास मत आइए। कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

इस समय श्री मोहम्मद अशरफ अली फातमी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस चले जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम विधेयकों पर नहीं बल्कि प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम विधेयकों को नहीं ले रहे हैं। आज हमारे पास ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जैसे कई अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए। यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए। हम अभी विधेयकों पर विचार नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आप व्यर्थ में सभा में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए। आप सभा में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए। बहुत हो गया। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी हम केवल प्रश्न काल को ले रहे है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे को प्रश्न काल के पश्चात् उठा सकते हैं अभी नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए। यह ठीक नहीं है। बहुत-हो गया। मैं आपसे अपने स्थान पर जाने की अपील कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, यह ठीक नहीं है। कृपया अपने स्थान पर जाइए। इसे प्रश्न काल के पश्चात् लिया जा सकता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपने स्थान पर जाने के लिए अपील कर रहा हूं। इस विषय को अभी नहीं लिया जा सकता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे एक बार फिर अपील कर रहा हूं कि अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अध्यक्षपीठ की बात नहीं मान रहे हैं। एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत हो गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, अपने दल के सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने के लिए कहिए। यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा ने पृथक वनांचल विधेयक को अस्वीकृत कर दिया था। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* यह बिहार की करोड़ों जनता के हित के खिलाफ विधेयक है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने देखा है कि आप हमेशा सभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचाते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सदन में इस प्रकार शोर करना इनका रोज का काम हो गया है। वह ऐसा करके सदन की कार्रवाई में बाधा डालते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, अपने दल के सदस्यों से अपने स्थान पर बैठने के लिए कहिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस.पी. यादव, श्री फातमी मैं आपको अपने स्थान पर बैठने की अपील करता हूं। यह ठीक नहीं है। क्या आप अध्यक्षपीठ की बात नहीं सुनेंगे? श्री फातमी कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार फिर आपको अपना स्थान ग्रहण करने की अपील कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.19 बजे

इस समय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

अध्यक्ष महोदय : मैं पुनः आपसे अपने स्थान पर जाने की अपील कर रहा हूं

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सभा अपराह्न 12.15 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.20 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 12.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

***322. श्री राम टहल चौधरी :**
श्री जयसिंह जी चौहान :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विशेषकर असम, बिहार, केरल और कर्नाटक में खाद्यान्नों के परिरक्षण के लिए भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भंडारण निगम के गोदामों की वर्तमान संख्या पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार राज्य भांडागार निगम की ओर से अधिक गोदामों का निर्माण करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों में नए गोदाम/कार्यालय खोलने/उनका विस्तार करने का है; और

तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उर्वरक **मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) :** (क) जी, हां।

(ख) 30.9.1998 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भंडारण निगम और अन्य एजेंसियों से किराए पर लिए गए गोदामों सहित भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध गोदामों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) बिहार भंडारण निगम से और अधिक गोदामों का निर्माण करने के संबंध में केन्द्रीय भंडारण निगम अथवा भारतीय खाद्य निगम को कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भंडारण निगम आवश्यकतानुसार देश के विभिन्न भागों में गोदामों का निर्माण करता है। केन्द्रीय सरकार भी 2000 टन तक की क्षमता के छोटे गोदामों का निर्माण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता 50% सब्सिडी और 50% ऋण के रूप में होती है।

(च) और (छ) भारतीय खाद्य निगम का प्रस्ताव है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान 4.55 लाख टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण किया जाए। भारतीय खाद्य निगम का किसी भी राज्य में फिलहाल कोई नया कार्यालय खोलने के संबंध में प्रस्ताव नहीं है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय भंडारण निगम का प्रस्ताव है कि 8.20 लाख टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण किया जाए और जहां कहीं अपेक्षित हो कार्यालय स्थान का भी निर्माण किया जाए।

विवरण

30.9.1998 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध गोदामों (अपने और किराये के/ढके और कैप) की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	भा. खा. नि. (ढकी)	ढकी हुई निम्न से किराये पर राज्य सरकार	के.भं.नि.	रा.भं.नि.	जोड़ निजी पार्टी	कुल किराए की (4 से 7)	कुल ढकी (3 से 8)	कैप(खुली) अपनी	किराए की		सकल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	असम	18	2	-	3	18	23	41	-	-	-	41
2.	अरूणाचल प्रदेश	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
	शिलांग क्षेत्र											
3.	मेघालय	2	-	-	3	-	3	5	-	-	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	मणिपुर	2	1	–	–	–	1	3	–	–	–	3
5.	मिजोरम	4	1	–	–	1	2	6	–	–	–	6
6.	नागालैंड	4	–	1	–	1	2	6	–	–	–	6
7.	त्रिपुरा	2	3	1	–	1	5	7	–	–	–	7
	उत्तर-पूर्व जोन का जोड़	36	7	2	6	21	36	72	–	–	–	72
8.	बिहार	19	4	5	7	18	34	53	–	–	–	53
9.	उड़ीसा	22	1	5	18	1	25	47	–	–	–	47
10.	पश्चिम बंगाल जे.एम. (पी.ओ.) कल.	26	9	5	2	10	26	52	–	–	–	52
11.	सिक्किम	1	2	–	–	1	3	4	–	–	–	4
	पूर्वी जोन का जोड़	68	16	15	27	30	88	156	–	–	–	156
12.	दिल्ली	7	–	1	–	–	1	8	2	–	2	10
13.	हरियाणा	37	2	4	19	22	47	84	23	1	24	108
14.	हिमाचल प्रदेश	4	9	2	–	2	13	17	–	–	–	17
15.	जम्मू और कश्मीर	11	3	–	–	–	3	14	1	–	1	15
16.	पंजाब + चंडीगढ़	112	38	14	68	82	202	314	83	71	154	468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	राजस्थान	35	–	6	24	10	40	75	14	9	23	98
18.	उत्तर प्रदेश	54	52	27	72	28	179	233	34	36	70	303
	उत्तरी जोन का जोड़	360	104	54	183	144	485	745	157	117	274	1019
19.	आन्ध्र प्रदेश	35	–	32	35	10	77	112	11	1	12	124
[illegible]	[illegible]	20	–	1	2	1	4	24	–	–	–	24
21.	कर्नाटक	15	–	7	30	4	41	56	10	–	10	66
22.	तमिलनाडु	16	–	6	7	–	13	29	7	–	7	36
23.	पांडिचेरी	3	–	–	–	1	1	4	–	–	–	4
	दक्षिण जोन का जोड़	89	–	46	74	16	136	225	28	1	29	254
24.	गुजरात जे.एम.(पी.ओ.) कांडला	14	2	8	–	5	15	29	10	1	11	40
25.	महाराष्ट्र + गोवा	18	2	6	9	5	22	40	2	–	2	42
26.	मध्य प्रदेश	41	17•	13	60	15	105	146	10	2	12	158
	पश्चिम जोन का जोड़	73	21	27	69	25	142	215	22	3	25	240
	सकल जोड़ (अखिल भारत)	526	148	144	359	236	887	1413	207	121	328	1741

सारांश

	ढकी हुई	कैप	जोड़
भा.खा.नि. की अपनी	526	207	733
निम्न से किराए पर ली गई:			
राज्य सरकार	148	–	148
के.भं.नि.	144	–	144
रा.भं.नि.	359	–	359
निजी पार्टियां (ए.आर.डी.सी.+ (सामान्य)	236	121	357
जोड़	1413	328	1741

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

*323. **श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद)** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मेडिकल और व्यावसायिक संस्थानों सहित शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) यह मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

विकलांग व्यक्ति

*324. **प्रो. पी.जे. कुरियन :**
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई नया कल्याण कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 60% विकलांगता वाले विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन देने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1981 में केवल तीन विकलांगताओं (अर्थात् दृष्टि संप्रेषण एवं लोकोमोटर) को शामिल करते हुए किए गए प्रतिदर्श सर्वेक्षण का यह अनुमान था कि विकलांग व्यक्तियों की संख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग 1.8% है। इसी संगठन द्वारा 1991 में किए गए नमूना सर्वेक्षण में, जिसमें चार प्रकार की विकलांगताएं (अर्थात् दृष्टि, श्रवण, वाणी और लोकोमोटर) शामिल थीं, 1.9% जनसंख्या के विकलांग होने का अनुमान लगाया। इन दोनों सर्वेक्षणों में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति शामिल नहीं थे।

(ख) और (ग) विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भरता पूर्वक तथा यथासंभव उस समुदाय के भीतर रहने में समर्थ बनाने एवं अधिकार प्रदान करने, जिससे वे संबंधित हैं, के उद्देश्य से ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात एवं मानसिक मन्दता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण राष्ट्रीय न्यास की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत पारिवारिक संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए संगठनों को सहायता प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत ब्लाक/पंचायत स्तर पर समर्थन संरचना सहित 128 जिला पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है, इसे पूर्ण योजना आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता है।

(घ) ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ङ) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

चिकित्सा सुविधाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय

शान्तिलाल भूरिया :
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में चिकित्सा सुविधाओं पर किया जाने वाला प्रति व्यक्ति व्यय अन्य एशियाई देशों की तुलना में काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि नियत की गई थी;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ङ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा एड्स प्रभावित व्यक्तियों पर किए जाने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति करने/अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) कुछ एशियाई देशों में वर्ष 1990 के लिए प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी व्यय संलग्न विवरण-। में दिया गया है।

(ख) संविधान के अंतर्गत जन स्वास्थ्य राज्य की जिम्मेदारी है परन्तु गम्भीर कमियों को पूरा करने में उन्हें समर्थ बनाने हेतु एड्स, कुष्ठ रोग, क्षयरोग, मलेरिया, दृष्टिहीनता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्रजनक शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उन्हें बाह्य सहायता जुटाई गई है।

इसके अलावा छह राज्यों में ग्रामीण अस्पतालों का दर्जा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक सहायता का लाभ उठाया गया है जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी में और सुधार आएगा।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान मुख्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए निर्धारित निधियां और आठवीं योजना के दौरान की गई उपलब्धियां क्रमश: संलग्न विवरण-।। और ।।। में दी गई हैं।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एक चालू किया जा रहा कार्यक्रम है और निधियां कार्ययोजना के अनुसार प्रदान की जा रही हैं। सरकार ने एड्स रोगियों के अवसरवादी संक्रमणों के उपचार के लिए राज्यों द्वारा किए गए खर्च की उन्हें प्रतिपूर्ति करने का एक अगला निर्णय भी लिया है।

विवरण-I

चुनिंदा एशियन देशों में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर व्यय

क्र.सं.	देश	अमरीकी डालर में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर व्यय (1990)
1	2	3
1.	चीन	11
2.	जापान	1538
3.	मलेशिया	71
4.	फिलीपींस	15
5.	रिपब्लिक आफ कोरिया	365

1	2	3
6.	सिंगापोर	215
7.	वियतनाम	3
8.	पाकिस्तान	12
9.	बंगलादेश	7
10.	भूटान	10
11.	नेपाल	7
12.	इंडिया	21
13.	इंडोनेशिया	12
14.	थाइलैंड	72
15.	श्रीलंका	18

स्रोत : वर्ल्ड हैल्थ रिपोर्ट, 1995 - ''ब्रिजिंग दि गैप्स''

विवरण-II

1995-96 से 1997-98 के दौरान देश में मुख्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए निर्धारित निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (केन्द्रीय सहायता)	12864.11	14397.72	14251.43
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	6453.56	6532.78	7859.77
3.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	5882.00	5948.00	5500.00
4.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आबंटन)	4600.00	5207.00	8000.00
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	8000.00	14100.00	10000.00
6.	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम (सहायता अनुदान)	122770.54	121284.16	121157.60

विवरण-III

देश में आठवीं योजना के दौरान प्रमुख स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अधीन हुई उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	योजना का नाम	उपलब्धियां
1	2	3
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	मलेरिया की घटना आठवीं योजनावधि सहित एक दशक से अधिक अवधि से नियंत्रित कर वर्ष में 2 से 3 मिलियन रोगियों के बीच कर दी गई है। देश के सभी भागों में मलेरिया के रोगियों का पता लगाने और उनके उपचार की सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध हैं। आठवीं योजनावधि के दौरान पश्चिम बंगाल और बिहार के काला आजार की स्थानिकमारी वाले जिलों को काला आजार नियंत्रण योजना के अधीन कवर कर लिया गया है और फाइलेरिया स्थानिकमारी वाले शहरी क्षेत्रों को 206 नियंत्रण एककों, 27 सर्वेक्षण एककों और 199 फाइलेरिया क्लिनिकों के जरिए राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन कवर कर लिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मलेरिया नियंत्रण हेतु 100 प्रतिशत सहायता देने के एक कार्यक्रम को दिसम्बर, 1994 में अनुमोदित कर दिया गया था। इस कार्यक्रम में पंचायतों और समुदाय को शामिल करने के लिए नई पहल शुरू की गई तथा आवश्यक शोधक उपाय लागू करने हेतु आपरेशन अनुसंधान और स्वतंत्र तकनीकी अध्ययनों के माध्यम से इस कार्यक्रम के अधीन कार्यनीतियो की प्रभावकारिता को आंकने के लिए भी पहल की गई।
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम	अब तक देश के सभी जिलों को मुफ्त बहु औषध थिरेपी सेवाओं के अधीन कवर किया गया है। कुल 10.8 मिलियन रोगियों को बहु औषध थिरेपी द्वारा रोग मुक्त किया गया है। कुष्ठ रोग की व्यापकता दर 1981 में प्रति 10,000 जनसंख्या पर 57 से कम हो कर मार्च, 1998 तक प्रति 10,000 जनसंख्या पर 53 हो गई है।
3.	राष्ट्रीय क्षम रोग नियंत्रण कार्यक्रम	आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 69,91,861 नए क्षय रोगियों का पता लगाया गया और उनका उपचार शुरू किया गया।

4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम,	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
	किए गए मोतियाबिन्द आपरेशन (लाख में)	16.00	19.13	21.65	24.70	27.20

5.	परिवार कल्याण कार्यक्रम	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
	(i) प्रतिरक्षण कवरेज					
	डी.पी.टी.	21996861	23093503	23404982	22555482	23222363
	पोलियो	22115171	23209135	23578383	22776336	23516496

1	2	3				
	बी.सी.जी.	23460896	24091829	24704227	24133917	24924467
	खसरा	20863860	21947283	21602060	20542489	21114788
	टी.टी. (गर्भवती महिलाएं)	21449559	22747066	23071570	22123908	22946180
	(ii) परिवार नियोजन कवरेज					
	बंध्यीकरण	4286306	4497450	4579514	4422319	3870226
	आई.यू.डी.	4739858	6016714	6701995	6857882	5680671
	प्रचलित गर्भनिरोधकों के उपयोगकर्ता	15004452	17282877	17706986	17297429	17214327
	मुख सेव्य गोलियों के उपयोगकर्ता	3001318	4302177	4873311	5090850	5250179

6. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

इलैक्ट्रानिक और मुद्रण प्रचार माध्यमों (प्रिंट मीडिया) के जरिए गहन जागरूकता अभियानों से अधिक जोखिम वाले समूहों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की आम जनसंख्या में (35-40 प्रतिशत) और शहरी क्षेत्रों की आम जनसंख्या में (60-65 प्रतिशत) रोग के बारे में जागरूकता पैदा हुई है।

18 राज्यों में स्कूल और कालेज शिक्षा के जरिए जागरूकता कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू किए गए हैं।

जनसंख्या को निरापद रक्त सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और स्वैच्छिक क्षेत्र में 815 रक्त बैंकों को चरणबद्ध ढंग से आधुनिकीकृत किया गया है और देशभर में 40 रक्त घटक पृथक्करण सुविधाएं शुरू की गई हैं। देश भर में एच.आई.वी., सिफिलस, मलेरिया और हैपेटाइटिस बी. के लिए अनिवार्य रक्त जांच शुरू की गई है। पिछले 2-3 वर्षों में रक्ताधान के जरिए होने वाले संक्रमण में सराहनीय कमी आई है।

यौन संचारित रोगों जिनका एच.आई.वी./एड्स के साथ सीधा सह-संबंध है, के नियंत्रण के लिए जिला अस्पतालों में 504 यौन संचारित रोग क्लिनिकों का आधुनिकीकरण शुरू किया गया है।

डाक्टरों का प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है और मुख्य प्रशिक्षक (की ट्रेनर्स) नैदानिक उपचार और एड्स रोगी का निदान करने में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान संघ ने अब तक नाको के सहयोग से 20,000 से अधिक सामान्य चिकित्सा व्यवसायियों को प्रशिक्षित किया है।

निधियों का निवेश

*326. **श्री जी.एम. बनातवाला : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए निधियों के निवेश संबंधी कोई पद्धति निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पद्धति को हाल ही में अप्रैल, 1998 से उदार बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पद्धति में क्या परिवर्तन किए गए हैं न्या कारण हैं;

(ङ) क्या उक्त उदारीकरण से पहले किए गए निवेश विशेष रूप से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बंगलौर, कर्नाटक के मामले में इस पद्धति का उल्लंघन किए जाने की कोई घटनाएं हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कितनी घटनाएं हैं, उनमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है और उनमें किस तरह इस पद्धति का उल्लंघन किया गया है; और

(छ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (छ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा एकत्र किए गए कर्मचारी भविष्य निधि के ऐसे अंशदान का समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्वरूप के अनुसार निवेश किया जाना अपेक्षित है जिसका तत्काल भुगतान किया जाना जरूरी नहीं है। गैर-सरकारी क्षेत्र की अवस्थापना परियोजनाओं की प्रतिभूतियों में भविष्य निधि के निवेश को बढ़ाने के लिए कुछ लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से, निवेश के स्वरूप में 1 अप्रैल, 1998 से मामूली संशोधन किया गया है। संशोधित स्वरूप के अन्तर्गत निवेश किए जाने वाले अतिरिक्त धन का 40% केन्द्रीय राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अवस्थापना विकास वित्त कम्पनी लि. सहित बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में 40% निवेश किया जाना है। शेष 20% न्यासी बोर्ड के विवेक पर या तो सरकारी प्रतिभूतियों अथवा बैंकों/पी.एफ.आई. बांडों/आई.डी.एफ.सी. में निवेश करने के लिए छोड़ दिया गया है। न्यासी बोर्ड को, उनके विवेक पर उपलब्ध 20% में से 10% तक की भविष्य निधि राशि को कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से निवेश ग्रेड रेटिंग रखने वाले निजी क्षेत्र के बांडों/प्रतिभूतियों में निवेश करने का विवेकाधिकार प्रदान किया गया है। सरकार द्वारा निर्धारित स्वरूप के आधार पर विभिन्न एजेंसियों के साथ निवेश करने के लिए पोर्टफोलियों प्रबन्धक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक का दायित्व है। निधि का संचालन करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार निर्धारित निवेश के स्वरूप का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और इस प्रकार इस मामले में कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी गई है।

पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम

*327. **श्री ई. अहमद : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ वर्ष पूर्व बनाए गए 15-सूत्रीय कार्यक्रम को क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य मुद्दों को क्रियान्वित किया गया है और किन मुद्दों को क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार क्रियान्वित नहीं किए गए मुद्दों को क्रियान्वित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) मई, 1983 में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए तैयार किया गया प्रधान मंत्री का 15-सूत्री कार्यक्रम, एक सतत कार्यक्रम है तथा भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

इस कार्यक्रम में निहित सूत्र अल्पसंख्यकों के चहुंमुखी विकास के लिए दिशा-निर्देशों के स्वरूप के हैं।

[हिन्दी]

दवाइयों की कीमतें

*328. **डा. सुशील इन्दौरा :**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में अनेक दवाइयों की कीमतों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी दवाओं के नाम क्या हैं तथा किन-किन देशों से इनका आयात किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि एन.पी.पी.ए. ने 71 दवाइयों की कीमतों का निर्धारण किया है जिनमें से 39 दवाइयों की कीमतों में 50.6 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है;

(घ) यदि हां, तो जनता पर ऊंची कीमतों के आर्थिक भार को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ङ) यह सच नहीं है कि देश में उपलब्ध अनेक दवाओं की कीमतें गत तीन वर्षों के दौरान बढ़ी हैं। कीमतों में परिवर्तन के लिए कोई ढांचा नहीं है। जबकि कुछ दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं। कुछ अन्यों की कीमतें कम भी हुई हैं और कुछेक की कीमतें अपरिवर्तित रही हैं।

अभी कुल मिलाकर देश सूत्रयोगों की जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर है। लगभग 98 प्रतिशत सूत्रयोगों का उत्पादन देश में ही होता है तथापि कुछेक दवाइयां जो आयात की जाती हैं, भी डी.पी.सी.ओ., 1995 के अन्तर्गत मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। इन दवाओं का ''औषध नीति 1986 में संशोधन'' में दिए गए मानदंडों के आधार पर मूल्य नियंत्रण में शामिल करने के लिए पता लगाया गया है। मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत आयातित दवाइयों के कुछ उदाहरण हैं - इन्सुलिन इन्जेक्शन (जर्मनी, डेनमार्क और यू.एस.ए. में मूल उत्पादन); लिंकोमाइसीन पर आधारित सूत्रयोग (बेल्जियम में मूल उत्पादन) आदि।

अगस्त, 1997 में एन.पी.ए. की स्थापना के बाद 665 सूत्रयोग पैकों की कीमतें निर्धारित/संशोधित की गई हैं। 302 पैकों के मामलों में कीमतें कम की गई हैं। 269 पैकों के मामलों में कीमतें बढ़ाई गई थीं और 24 सूत्रयोग पैकों की कीमतें अपरिवर्तित रहीं। संगत अधिसूचनाओं की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। 665 सूत्रयोग पैकों में से सितम्बर, 1998 में 71 सूत्रयोग पैकों की कीमतें एन.पी.पी.ए. द्वारा पुनः निर्धारित की गई। इनमें से 71 सूत्रयोग पैकों में से 39 पैकों के संबंध में वृद्धि हुई थी जो 0.04 प्रतिशत से 50.06 प्रतिशत तक थी। तथापि 24 पैकों के मामलों में मूल्यों में हुई कमी 0.7 प्रतिशत से 81.67 प्रतिशत के बीच थी। शेष 8 पैकों के मामलों में या तो कोई परिवर्तन नहीं हुए थे या पहली बार कीमतें निर्धारित की गई थीं।

लोगों को उचित और नियंत्रित कीमतों पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए डी.पी.सी.ओ., 1995 में एक तंत्र का प्रावधान है। ''औषध नीति, 1986 में संशोधन'' के माध्यम में पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जाती है, जिसके अन्तर्गत कुछेक मदों को छोड़कर औषधों और दवाइयों के उत्पादन को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

[अनुवाद]

भारत-पाक सीमा को सील करना

***329. श्री नादेन्दला भास्कर राव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर में पाकिस्तान से लगी सीमा को सील करने का विचार है, जैसा कि पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी सीमा पर किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) ऐसी कोई रिपोर्टें नहीं हैं जिनसे यह पता चलता हो कि पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा सील कर दी हो। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, सिंध में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए, सिंध की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को सील करने के निदेश दिए थे।

2. जम्मू व कश्मीर में पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा के बहुत बड़े भाग में ऊबड़-खाबड़ स्वरूप तथा नदियों, नालों और दरियाओं इत्यादि के कारण बाड़ नहीं लगाई जा सकती। तथापि, जम्मू अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के बारे में सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

3. इसके अलावा, सरकार ने घुसपैठ और उग्रवाद से निपटने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, आतंकवादियों और विध्वंसकारी तत्वों के खिलाफ राज्य और केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा सुसमन्वित और निरन्तर कार्रवाई करना, गश्त गहन करना तथा सीमा और अन्य सुभेद्य क्षेत्रों की चैंकिंग करना, पुलिस और सुरक्षा बलों के तकनीकी उपकरणों का उन्नयन

करना, सीमा पर रहने वाले लोगों के साथ बेहतर सम्पर्क करना, इत्यादि शामिल हैं।

असंगठित श्रमिकों की स्थिति में सुधार

*330. **श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या :**
श्री के.पी. मुनूसामी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए कोई उपाय सुझाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और पड़ा है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) कामगारों के अधिकारों के संरक्षण और उनके कल्याण के लिए अधिनियमित किए गए अनेक श्रम कानून असंगठित कामगारों पर भी लागू होते हैं। इनमें से कुछ कानून हैं:- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 आदि। लौह-अयस्क, मैगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और अभ्रक खानों, सिनेमा उद्योग तथा बीड़ी उद्योग में नियोजित कामगारों को संबंधित कल्याण निधियों के अंतर्गत चलाए गए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के दायरे में भी लाया जाता है। राज्य सरकारों ने भी हथकरघा बुनकरों, रिक्शा चलाने वालों आदि जैसे विशिष्ट कार्यकलापों में लगे कामगारों की बड़ी संख्या को शामिल करके बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रारम्भ की हैं। इन असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्रों में कामगारों के नियोजन की गुणवत्ता तथा कार्य परिस्थितियों में सुधार किया जाता रहा है और सरकार के लिए यह चिन्ता का एक मुख्य विषय रहा है।

सरकार अनेक-गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन योजनाओं को भी कार्यान्वित कर रही है जैसे कि एकीकृत विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.), रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.), इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) आदि, ये कार्यक्रम असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्रों में कामगारों सहित ग्रामीण निर्धनों को विशेष रूप से लाभान्वित करने के लिए बनाए गए हैं।

जहां तक नए सिरे से नीतिगत पहलों का संबंध है, केन्द्रीय सरकार ने निर्माण उद्योग, जो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा कार्यकलाप है, में लगे कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 अधिनियमित किया है। सरकार का यह भी प्रयास रहा है कि असंगठित क्षेत्र में अधिक से अधिक कामगारों के लिये कल्याणकारी उपायों का प्रावधान किया जाए और उन्हें विधायी संरक्षण प्रदान किया जाए।

[हिन्दी]

निर्धनता और दहेज के कारण हुई मौतें

*331. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
श्री सुशील कुमार मोदी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आज तक निर्धनता तथा विवाह के पश्चात् दहेज की मांग के कारण हत्या तथा आत्महत्या की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ऐसी कितनी घटनाएं हुई जिसमें पति तथा उसके परिवार के सदस्य और मित्र सम्मिलित थे;

(ख) इनमें से कितने मामलों में मृत्युदंड, आजीवन कारावास, दस वर्ष के कारावास या 7 वर्ष से अधिक या इससे अधिक अवधि के कारावास की सजा दी गई है; और

(ग) सामाजिक बुराईयों की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) दहेज विवादों और गरीबी के कारण जिन महिलाओं ने आत्महत्या की उनकी संख्या तथा वर्ष 1995 से 1998 तक की अवधि के दौरान दहेज संबंधी मौतों के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। जिन व्यक्तियों के कारण दहेज संबंधी मौतें हुई उनके रिश्ते-वार तथा न्यायालय द्वारा उन दोषी व्यक्तियों को सुनाई गई सजा की मात्रा संबंधी अलग-अलग ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 1995, 1996 और 1997 के दौरान दहेज संबंधी मामलों में दोषसिद्ध मामलों की संख्या क्रमशः 574,797 और 1003 रही।

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं। महिलाओं के प्रति अपराधों समेत अपराधों को दर्ज करना, उसकी जांच करना, पता लगाना तथा उसकी रोकथाम करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार, समय-समय पर, महिलाओं के प्रति अपराधों के संबंध में निवारात्मक और दण्डात्मक उपाय करने के संबंध में राज्य सरकारों को लिखती आ रही है। केन्द्र सरकार द्वारा सुझाए गए उपायों में, अन्य के साथ-साथ, शामिल है - दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्त करना, महिला पुलिस थानों की स्थापना करना, महिला पुलिस अधिकारियों की व्यापक स्तर पर भर्ती करना, थानों में महिला पुलिस प्रकोष्ठ बनाना, पुलिस कार्मिकों को जैन्डर सैन्सीटाईजेशन प्रशिक्षण देना, इत्यादि। केन्द्र सरकार मौजूदा कानूनों का उनकी मूल भावना के अनुसार पालन सुनिश्चित करने, दहेज विरोधी तथा अन्य संबंधित मामलों संबंधी नियमों/अनुदेशों के बारे में आम जनता में जागृति लाने की आवश्यकता के बारे में राज्य सरकारों को सलाह भी देती रही है। इसके अलावा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने की दृष्टि से केन्द्र सरकार विधायनों में अशोधन और संशोधन भी कर रही है। केन्द्र सरकार अब बलात्कारियों को मृत्यु दण्ड देने के प्रश्न पर राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रही है।

विवरण

1995, 1996, 1997 और 1998 के दौरान दहेज विवादों और गरीबी के कारण की गई आत्महत्याओं तथा दहेज के कारण हुई मौतों से संबंधित मामले

क्र.सं.	राज्य	1995		दहेज के कारण	1996		दहेज के कारण	1997		दहेज के कारण	1998		दहेज के कारण
		आत्महत्या			आत्महत्या			आत्महत्या			आत्महत्या		
		दहेज विवाद	गरीबी के कारण	हुई मौत	दहेज विवाद	गरीबी के कारण	हुई मौत	दहेज विवाद	गरीबी के कारण	हुई मौत	दहेज विवाद	गरीबी के कारण	हुई मौत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	315	436	362	162	561	411	271	877	551	उ.न.	उ.न.	411
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	1	उ.न.	उ.न.	1
3.	असम	9	41	44	12	28	28	9	71	16	उ.न.	उ.न.	14
4.	बिहार	30	6	383	50	5	478	उ.न.	उ.न.	495	उ.न.	उ.न.	0
5.	गोवा	3	2	2	3	7	1	3	1	3	उ.न.	उ.न.	1
6.	गुजरात	58	122	61	69	117	105	73	116	81	उ.न.	उ.न.	66
7.	हरियाणा	39	48	218	22	22	223	42	25	212	उ.न.	उ.न.	219
8.	हिमाचल प्रदेश	16	1	6	2	2	6	3	3	6	उ.न.	उ.न.	9
9.	जम्मू व कश्मीर	8	0	5	12	0	0	19	0	0	उ.न.	उ.न.	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	कर्नाटक	133	541	202	33	482	182	102	530	237	उ.न.	उ.न.	187
11.	केरल	10	13	21	14	392	25	37	14	21	उ.न.	उ.न.	16
12.	मध्य प्रदेश	321	120	417	421	106	577	467	143	469	उ.न.	उ.न.	351
13.	महाराष्ट्र	546	263	471	509	428	443	377	380	384	उ.न.	उ.न.	323
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	उ.न.	उ.न.	0
15.	मेघालय	1	0	0	0	0	1	0	0	0	उ.न.	उ.न.	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	उ.न.	उ.न.	0
17.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	3	0	उ.न.	उ.न.	0
18.	उड़ीसा	144	18	196	96	24	178	76	17	124	उ.न.	उ.न.	149
19.	पंजाब	13	24	130	35	37	180	48	17	175	उ.न.	उ.न.	164
20.	राजस्थान	84	38	369	98	73	349	78	47	404	उ.न.	उ.न.	367
21.	सिक्किम	0	5	0	0	0	0	0	1	0	उ.न.	उ.न.	0
22.	तमिलनाडु	140	453	94	125	637	112	91	740	104	उ.न.	उ.न.	107
23.	त्रिपुरा	7	0	7	19	5	19	0	19	8	उ.न.	उ.न.	9
24.	उत्तर प्रदेश	367	99	1850	372	66	1983	475	111	1811	उ.न.	उ.न.	1368
25.	पश्चिम बंगाल	91	101	89	80	49	77	254	39	263	उ.न.	उ.न.	172
	कुल (राज्य)	2335	2331	4927	2134	3041	5378	2425	3154	5365	उ.न.	उ.न.	3934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	संघ शासित क्षेत्र												
26.	अ. और नि. द्वीप समूह	0	1	0	0	0	0	0	0	2	उ.न.	उ.न.	0
27.	चण्डीगढ़	0	0	1	3	0	2	4	0	3	उ.न.	उ.न.	4
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	1	2	0	0	1	2	0	उ.न.	उ.न.	0
29.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	उ.न.	उ.न.	0
30.	दिल्ली	53	30	160	41	53	132	34	55	164	उ.न.	उ.न.	106
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	उ.न.	उ.न.	0
32.	पांडिचेरी	0	0	3	0	5	1	0	3	2	उ.न.	उ.न.	1
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	53	31	165	46	58	135	39	60	171	उ.न.	उ.न.	111
	कुल (समस्त भारत)	2388	2362	5092	2180	3099	5513	2464	3214	5536	उ.न.	उ.न.	4045

उ.न. - का अर्थ है - उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

गर्भ निरोधक गोलियां

***332. श्री अजय कुमार एस. सरनायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अधिकांश महिलाओं को गर्भ निरोधक तरीकों के बारे में जानकारी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार ने महिलाओं में गर्भनिरोधक तरीकों के इस्तेमाल के बारे में जागरूकता लाने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी, नहीं। जैसाकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1992-93 से पता लगाया गया है, 96 प्रतिशत नव-विवाहित महिलाओं को गर्भ निरोधन की कम से कम एक विधि की जानकारी है। 95 प्रतिशत महिलाएं बंध्यीकरण के बारे में और 58 से 66 प्रतिशत महिलाएं अस्थायी विधियों के बारे में जानकारी रखती हैं।

(ग) स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा परामर्श दिए जाने के अतिरिक्त इलैक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों, मुद्रण प्रचार माध्यमों (प्रिंट मिडिया), गैर सरकारी संगठनों और जिला साक्षरता समितियों के जरिए एक वृहत् सूचना, शिक्षा और संचार प्रयास किया जा रहा है। गीत और नाटक प्रभाग तथा क्षेत्रीय प्रचार एककों जैसी सूचना और प्रसारण

मंत्रालय की एजेंसियों का सूचना, शिक्षा एवं संचार के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल का अंतरराष्ट्रीय मूल्य

***333. श्री अरविन्द कांबले :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छः माह के दौरान प्रत्येक माह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य कितना-कितना था;

(ख) कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि हो जाने के [illegible] उत्पाद के घरेलू मूल्यों पर और तेल पूल घाटे [illegible]

(ग) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में राज सहायता प्राप्त मूल्य के बजाय बाजार मूल्य की नीति अपनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाझापडी के. राममूर्ति) : (क) पिछले 6 महीनों के लिए प्लैट्स द्वारा प्रकाशित किए अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में मार्कड क्रूड तेलों के औसत मूल्य निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े डालर/बी.बी.एल. में)

	ब्रेन्ट	दुबई	ओमान
जून, 1998	12.054	11.763	11.932
जुलाई, 1998	12.044	12.135	12.024
अगस्त, 1998	11.955	12.249	12.089
सितम्बर, 1998	13.390	13.095	12.669
अक्तूबर, 1998	12.641	12.749	12.214
नवम्बर, 1998	10.963	11.748	11.277

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान पूल खाते पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि इस अवधि के दौरान अधिकांशतः मूल्यों में गिरावट आई है।

(ग) और (घ) सरकार ने पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य व्यवस्था को चरणों में समाप्त करने का निर्णय लिया था। इसके परिणामस्वरूप तेल कंपनियों को एम.एस., एस.के.ओ., एल.पी.जी., एच.एस.डी. और ए.टी.एफ. के अलावा सभी पेट्रोलियम उत्पादों के लिए 1.4.1998 से बाजार परिस्थितियों के आधार पर मूल्य निर्धारित करने की अनुमति दे दी गई है। एच.एस.डी. का मूल्य आयात समता आधार पर निर्धारित किया जाता है।

[अनुवाद]

विदेशी आतंकवादी

***334. श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997 तथा चालू वर्ष में जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाये गये विदेशी नागरिकों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने पाकिस्तानी नागरिक हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में कितने आतंकवादी मारे गए तथा कितने आतंकवादी गिरफ्तार किये गए; और

(घ) इन गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) जबकि, जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त विदेशी राष्ट्रिकों की सही-सही संख्या और राष्ट्रीयता बता पाना संभव नहीं, 1997 के दौरान 37 भाड़े के विदेशी सैनिक गिरफ्तार किए गए और 197 मारे गए। चालू वर्ष में 15 नवम्बर, 1998 तक, 15 भाड़े के विदेशी सैनिक गिरफ्तार किए गए और 289 मारे गए।

खाद्य अपमिश्रण

***335. श्री संदीपान थोरात :**
श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण के मामलों में वृद्धि होने से सरकार और लोगों में भारी चिन्ता व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुरक्षोपायों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं में अधिक जागरूकता लाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो उन्हें जागरूक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस समस्या से निपटने के लिए कोई प्रभावी नियमनकारी तंत्र स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में वर्तमान प्रणाली का मूल्यांकन करने अथवा उसकी पुनरीक्षा करने के लिए कोई विशेष पैनल/कृतिक बल गठित करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम 1954 के वर्तमान उपबन्ध में संशोधन करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों, अर्थात् 1993 से 1997 के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण की समग्र सीमा 8 से 11 प्रतिशत के बीच पाई गई है। हाल ही में दिल्ली में मिलावटी सरसों के तेल के उपयोग के कारण हुई त्रासदी एक असामान्य घटना है जिसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों और सहायक गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के कड़े कार्यान्वयन से नियंत्रित किया गया है।

(ख) और (ग) उपभोक्ताओं को जागरूक करना खाद्य अपमिश्रण निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक सतत कार्य है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 3 के उपबन्धों के अंतर्गत सरकार ने अधिनियम के संचालन एवं कार्यान्वयन में केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सलाह देने हेतु खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति नामक सांविधिक समिति में उपभोक्ता हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए 5 सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। अधिनियम के अंतर्गत क्रेता अथवा मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने लेने, उनका विश्लेषण करवाने और नमूना मिलावटी पाए जाने पर अभियोजन आरम्भ करने की व्यवस्था भी की गई है। खाद्य अपमिश्रण निवारण कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों आदि में उपभोक्ता जागरूकता पर नि:शुल्क साहित्य वितरित किया जाता है। उपभोक्ता संघों में वितरण के लिए खाद्य पदार्थों में सामान्य अपमिश्रकों का मौके पर परीक्षण करने के लिए एक किट तैयार किया गया है।

(घ) से (छ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन का दायित्व मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों पर है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास खाद्य गुणवत्ता और निरापदता सुनिश्चित करने के लिए अपना कार्यान्वयन तंत्र है जो राज्य खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों के समग्र नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यान्वयन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सरकार खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने हेतु प्रयोगशाला उपस्करों, भवनों और नगद अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है और खाद्य अपमिश्रण निवारण कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर विश्लेषकों/केमिस्टों, खाद्य निरीक्षकों, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को नियमित रूप से अभिमुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

(ज) और (झ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के उपबंधों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है जिससे उन्हें अधिक प्रभावी और बदलती जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सके। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उद्योग और उपभोक्ता संगठनों सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों पर विभिन्न पणधारियों की चिन्ताओं और अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाती है।

व्यावसायियों से धन ऐंठना

***336. श्री नरेश पुगलिया :**
डा. रवि मल्लू :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में व्यावसायियों से धन ऐंठने की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस के ध्यान में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने मुम्बई के उद्दापन निरोधक प्रकोष्ठ के सफल कार्यकरण का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का ऐसे मामलों से निपटने के लिए दिल्ली में भी इसी प्रकार के उद्दापन निरोधक प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इससे किस हद तक धन ऐंठने के मामलों को रोका जा सकेगा।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान (15 दिसम्बर, 1998 तक) दिल्ली पुलिस द्वारा लिए किए गए अपहरण के मामलों की संख्या 23 पिछले वर्ष के दौरान दर्ज इस प्रकार के मामलों की संख्या 17 थी। चालू वर्ष के दौरान इन मामलों में अपहृत 23 व्यक्तियों में से, 17 पीड़ित व्यक्तियों को छुड़ाया गया और इन मामलों में संलिप्त 50 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस ने चालू वर्ष (15 दिसम्बर, 1998 तक) के दौरान, 20 मामले दर्ज किए हैं जिनमें पीड़ितों को तथाकथित धमकियां दी गयी थी कि यदि वे मांगी गयी राशि का भुगतान नहीं करेंगे तो उन्हें गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

(ग) जी हां, श्रीमान्। मुम्बई पुलिस द्वारा गठित उद्दापन निरोधक प्रकोष्ठों के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक वरिष्ठ अधिकारी को तैनात किया है।

(घ) और (ङ) दिल्ली पुलिस ने धन ऐंठने के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपराध शाखा के अन्तर्गत एक उद्दापन निरोधक प्रकोष्ठ स्थापित किया है। इससे, विशेष रूप से धन ऐंठने के उन मामलों की जांच-पड़ताल करने में मदद मिलने की सम्भावना है जिनमें पीड़ित व्यक्ति अपराधियों के विरुद्ध औपचारिक शिकायत दर्ज करने में हिचकते हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल

***337. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :**
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यवार कितने अस्पताल काम कर रहे हैं;

(ख) देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का ग्रामीण अस्पतालों के रूप में उन्नयन करने संबंधी मुख्य मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन अस्पतालों की संख्या पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की संख्या बढ़ाने और वहां रहने वाले लोगों को और अधिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य योजना निधियों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खोले जाते हैं और उनका विकास किया जाता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा 30,000 आबादी को और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा 1,20,000 आबादी को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में मानदण्डों को उदारता से लागू किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार सूची सभा पटल पर रखे गए संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां। यदि बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों और चिकित्सीय उपभोज्य वस्तुओं से पूरी तरह सज्जित हों, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्दिष्ट लोगों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए काफी हद तक पर्याप्त हैं।

(घ) और (ङ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो के और विस्तार पर संबंधित राज्य सरकारों को विचार करना होता है।

विवरण

देश में 31.12.1997 को कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	प्राथमिक स्वा. केन्द्र	सामुदायिक स्वा. केन्द्र
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1335	207
2.	अरूणाचल प्रदेश	47	9
3.	असम	619	105
4.	बिहार	2209	148
5.	गोवा	18	5
6.	गुजरात	960	186
7.	हरियाणा	398	64
8.	हिमाचल प्रदेश	315	55
9.	जम्मू व कश्मीर	337	45
10.	कर्नाटक	1601	242
11.	केरल	956	80
12.	मध्य प्रदेश	1814	196
13.	महाराष्ट्र	1695	304
14.	मणिपुर	72	16
15.	मेघालय	82	13
16.	मिजोरम	38	6
17.	नागालैंड	33	5
18.	उड़ीसा	1352	157
19.	पंजाब	484	105
20.	राजस्थान	1636	261
21.	सिक्किम	24	2
22.	तमिलनाडु	1436	72
23.	त्रिपुरा	56	11
24.	उत्तर प्रदेश	3808	310
25.	पश्चिम बंगाल	1556	89
26.	अंडमान निकोबार	17	4
27.	चंडीगढ़	–	1
28.	दादर नगर हवेली	6	–
29.	दमन एवं दीव	3	1
30.	दिल्ली	8	–
31.	लक्षद्वीप	4	3
32.	पांडिचेरी	43	4
	अखिल भारतीय	22962	2708

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

समन्वय समिति का गठन

*338. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सलवादी समस्या का मुकाबला करने के लिए किसी समन्वय समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) इस समस्या से प्रभावित-क्षेत्र कौन-कौन से हैं; और

(घ) आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए कौन सी रणनीतियों पर विचार किया जा रहा है?

श्री **लाल कृष्ण आडवाणी**) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) समन्वयन केन्द्र के विचारार्थ-विषय निम्न प्रकार से हैं:-

(1) चार प्रभावित राज्यों, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में वामपंथी उग्रवादी ग्रुपों की गतिविधियों की स्थिति की समीक्षा करना,

(2) प्रत्येक राज्य के संबंध में कार्रवाई योजना की प्रगति का प्रबोधन करना, और

(3) समस्या को हल करने के लिए, विकास और समस्या के सुरक्षा पहलुओं दोनों पर सिफारिशें करना।

समन्वयन केन्द्र के अध्यक्ष केन्द्रीय गृह सचिव हैं, और चार प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महा-निदेशक इसके सदस्य हैं।

(ग) इन राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से मुख्यतया प्रभावित जिले निम्न प्रकार हैं:

आन्ध्र प्रदेश : वारंगल, करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, खम्माम, मेडक और नालगौंड़ा।

मध्य प्रदेश : बस्तर, बालाघाट और राजनन्दगांव।

महाराष्ट्र : गढचिरोली, चन्द्रपुर और भान्द्रा।

उड़ीसा : मल्कानगिरी, गंजम, कोरापुट, गजपति और रायगढ़।

(घ) इस खतरे का मुकाबला करने के लिए राज्यों की मदद करने के लिए केन्द्र सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं। इनमें सम्मिलित हैं:- सूचना का आदान-प्रदान करने, आसूचना बांटने, रणनीति तैयार करने और समन्वित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों और केन्द्र सरकार की विभिन्न आसूचना और जांच एजेंसियों के साथ समन्वय बैठकें करना। कुछेक विशेष परिस्थितियों में प्रभावित राज्यों को, पुलिस के आधुनिकीकरण और हथियारों की आपूर्ति के लिए किए गए आबंटनों के अलावा वित्तीय सहायता भी दी गयी है। आतंकवादी-विरोधी अभियानों में पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। केन्द्र सरकार ने, संबंधित राज्यों के साथ परामर्श करके इस संबंध में एक कार्य-योजना तैयार की है जिसमें सम्मिलित है:-

(1) पुलिस स्टेशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, विशेषरूप से नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित पुलिस स्टेशनों की,

(2) एक संयुक्त संचार प्रणाली स्थापित करना,

(3) प्रत्येक राज्य में नियंत्रण कक्ष स्थापित करना,

(4) संयुक्त रूप से गश्त लगाना,

(5) राज्यों के बीच क्षेत्र प्रभुत्व, कार्यक्रम चलाना,

(6) संबंधित राज्यों में प्रभावित क्षेत्रों में आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना,

(7) उग्रवादी-विरोधी अभियानों में पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

उपर्युक्त कार्रवाई योजना को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। राज्यों द्वारा की गयी कार्रवाई की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

कम लागत की प्रौद्योगिकी

*339. **श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का विनिर्माण करने के लिए कम लागत की कोई प्रौद्योगिकी उपलब्ध है;

(ख) इसके विनिर्माण के लिए इस समय उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है;

(ग) नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने में क्या कठिनाईयां हैं; और

(घ) इस बारे में क्या उपाय किये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों में से "यूरिया" का अधिकतम उपयोग किया जाता है जिसका उत्पादन देश में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादन का लगभग 85% है। अमोनिया (जो यूरिया के निर्माण के लिये एक मध्यवर्ती है) और यूरिया के निर्माण के लिए विश्व में उपलब्ध मुख्य प्रौद्योगिकियां निम्नलिखित हैं:-

I. अमोनिया

1. हाल्दोर टोपसो, डेनमार्क
2. केल्लोग, यू.एस.ए.
3. यू.एस.डी.ई.जी.एम.बी.एच, जर्मनी
4. रुट्स एण्ड ब्राउन रुट्स, यू.एस.ए.

II. यूरिया

1. स्नैम प्रोगेटी, इटली
2. स्टैमीकार्बन, दी नीदरलैण्ड
3. टोयो इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, जापान

जहां तक लागत का संबंध है उपर्युक्त प्रौद्योगिकियां लगभग बराबर हैं। भारत में, अधिकांश अमोनिया-यूरिया क्षमताएं अमोनिया के लिये हाल्दर टोपसो और केल्लोग प्रौद्योगिकियों तथा यूरिया के लिए स्नेम प्रोगेटी और स्टामीकार्बन प्रौद्योगिकियों पर आधारित हैं।

(ग) और (घ) उर्वरक कम्पनियां नये अमोनिया-यूरिया संयंत्रों की स्थापना करने के साथ-साथ मौजूदा संयंत्रों का पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। यद्यपि, मौजूदा संयंत्र पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण के लिये नवीनतम प्रौद्योगिकीय प्रगति का लाभ उठा रहे हैं क्योंकि पहले से प्रयोग की जा रही प्रौद्योगिकी तथा निहित लागत के कारण आने वाली बाधाओं की वजह से नवीनतम प्रौद्योगिकी को पूर्ण रूपेण अपनाना सम्भव नहीं है। उर्वरक इकाईयों को सीमा शुल्क छूट की सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुएं

***340. श्री सुनील खां : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कौन-कौन सी आवश्यक वस्तुएं बेची जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार चौदह आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत रियायती मूल्यों पर बेचना चाहती है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) केन्द्रीय सरकार कुछ आवश्यक वस्तुएं अर्थात् चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी का तेल खरीदती है तथा इन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त मूल्यों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रत्येक आवश्यक जिन्स को शामिल करने के लिए जिन्स की प्रकृति के अनुरूप इन जिन्सों की बड़े पैमाने पर वसूली, भंडारण और ढुलाई के अनुरूप संस्थागत अवसंरचनात्मक तथा वित्तीय व्यवस्थाओं को करना अपेक्षित होता है। योजना आयोग द्वारा नवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी प्रचालन समिति का विचार था कि फिलहाल भारत सरकार के स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने हेतु इसमें और वस्तुओं को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, कई राज्यों ने स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरित की जाने वाली मदों जैसे कपड़ा, अभ्यास पुस्तिकाओं, दालों, नमक, चाय आदि को शामिल कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित की जाने वाली जिन्सों की संख्या में वृद्धि की है।

[हिन्दी]

अधिष्ठापन प्रभार

3633. श्री पुन्नू लाल मोहले :
श्री प्रदीप कुमार यादव :
श्री बैजनाथ रावत :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड के रसोई गैस वितरक डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन सोसायटी अथवा प्रशासन के नाम पर गत तीन वर्षों से उपभोक्ताओं/आवेदकों से अधिष्ठापन प्रभार के रूप वसूली करते आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा तेल निगम अथवा मंत्रालय के नियमों के अंतर्गत निर्धारित है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं से कितनी धनराशि एकत्र की गई है और भारतीय तेल निगम द्वारा वितरकों से प्रतिवर्ष राज्यवार कितनी धनराशि प्राप्त की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) आई.ओ.सी. के समक्ष ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें इण्डेन वितरक पिछले तीन वर्षों से डिस्ट्रीब्यूटर संघ के नाम से उपभोक्ताओं/आवेदकों से 10 रुपये स्थापना प्रभार वसूल कर रहे हों। सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार टर्मिनेशन वाऊचरों का पुष्टिकरण मंगाने के लिए प्रशासनिक प्रभार (रु. 10 प्रति टर्मिनेशन वाऊचर) और नए कनेक्शनों के लिए स्थापना प्रभार (नए कनेक्शन के लिए रु. 10) ग्राहकों से डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा वसूलीय है।

(घ) आई.ओ.सी. एल.पी.जी. उपभोक्ताओं से स्थापना प्रभारों के तौर पर कोई प्रभार नहीं उगाह रही है। तथापि स्थापना प्रभारों के तौर पर 14.7.1997 से 31.10.1998 तक की अवधि के लिए आई.ओ.सी. के डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा वसूली गई धनराशि 1.70 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

सुपर बाजार और एन.सी.सी.एफ. में बिक्री और लाभ

3634. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार और एन.सी.सी.एफ. की तुलना में केन्द्रीय भंडार में बिक्री और लाभ का क्या ब्यौरा है;

(ख) केन्द्रीय भंडार में आपूर्तिकर्ताओं के चयन के लिए सुपर बाजार एवं एन.सी.सी.एफ. की तुलना में क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या सुपर बाजार और एन.सी.सी.एफ. से अप्रचलित, खराब और घटिया किस्म की वस्तुएं सरकारी विभागों को अधिक दर पर बेची जाती हैं और यदि हां, तो यह केन्द्रीय भण्डार से कितना अधिक है;

(घ) क्या सार्वजनिक धनराशि को ध्यान में रखते हुए सुपर बाजार, एन.सी.सी.एफ. और केन्द्रीय भंडार को घटिया किस्म की वस्तुओं की बिक्री सरकारी विभागों को न किए जाने संबंधी निर्देश देने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) क्या कई वस्तुओं को बाजार से खरीद कर ऊंची दर पर उनकी आपूर्ति एन.सी.सी.एफ. को करते हैं; और

(च) यदि नहीं, तो एन.सी.सी.एफ. आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सरकारी विभागों से आपूर्ति किए गए वस्तुओं का ब्यौरा क्या है, ऐसी वस्तुओं के नाम क्या हैं, इनका लागत मूल्य कितना है और ये सरकारी विभागों को कितने मूल्य पर बेचे गए?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और केन्द्रीय भंडार की बिक्री और लाभ को दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ख) से (घ) सुपर बाजार, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और केंद्रीय भंडार स्वायत्तशासी सहकारी संगठन है जिनमें

व्यापारिक और अन्य प्रशासनिक मामलों से संबंधित निर्णय लेने के लिए अपने निदेशक मंडल हैं। भारत सरकार इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। जहां तक आपूर्तिकर्ताओं के चयन के संबंध में सुपर बाजार और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंडों का संबंध है, इस बारे में निम्नवत सूचित किया गया है:

(1) सुपर बाजार : क्रय समिति द्वारा क्रय प्रस्तावों को अनुमोदित किए जाने के बाद माल बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

(2) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ : ब्रांड युक्त मदों के संबंध में अधिमानत: प्रतिष्ठित, अनुभवी और सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाले विनिर्माताओं से प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर खरीद की जाती है। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के संबंध में, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ अपने यहां सूचीबद्ध लघु उद्योग एकक के रूप में पंजीकृत विनिर्माताओं से इन मदों की खरीद करता है।

सुपर बाजार और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वे सरकारी विभागों/संगठनों को प्रतिस्पर्धी दरों पर गुणवत्ता वाली वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था करते हैं। वस्तुओं की दरों और गुणवत्ता के संबंध में उन्हें कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि ऐसे तीन संगठन हैं जिनसे सरकारी विभाग अपनी खरीद कर सकते हैं, अत: सरकारी विभागों/संगठनों के पास दरों, गुणवत्ता आदि की तुलना करके अपनी खरीद करने के लिए विकल्प मौजूद है।

(ङ) से (च) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने यह सूचित किया है कि वे ब्रांड वाली मदों की खरीद केवल विनिर्माताओं/वितरकों/प्राधिकृत विक्रेताओं से ही करते हैं। तथापि, कुछ मामलों में जहां विनिर्माताओं/वितरकों/विक्रेताओं से किसी विशेष मद की आपूर्ति की कोई व्यवस्था न हो, उस मद की खरीद उत्पादन के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से की जाती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ विभिन्न सरकारी विभागों को बड़ी संख्या में मदों की आपूर्ति करता है, अत: मांगी गई सूचना काफी विस्तीर्ण होगी। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि इसे संकलित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और केंद्रीय भंडार की बिक्री और उनके लाभ को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

(लाख रु. में)

	बिक्री			सकल लाभ			निवल लाभ/हानि		
वर्ष	सुपर बाजार	रा.उप.सह.स.	केंद्रीय भंडार	सुपर बाजार	रा.उप.सहस.	केंद्रीय भंडार	सुपर बाजार	रा.उप.सहसं.	केंद्रीय भंडार
1995-96	13654,73	24295,95	13888,18	1157,94	896,56	537,68	(+)27,61	(+)23.76	(+)216,18
1996-97	13847,85	20729,17	18659,83	1157,58	904,30	714,81	(-)67,65	(-)85,66	(+)305,12
1997-98	12846,75	25577,18	20589,06	1050,63	1345,00	925,99	(-)303,82	(+)59,82	(+)407,41

नोट : राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और केंद्रीय भंडार के लेखाओं की 1997-98 तक की लेखा परीक्षा की गई है। सुपर बाजार, दिल्ली के संबंध में इनकी 1996-97 तक की लेखा परीक्षा की गई है।

प्रतिरोधी योजना

3635. श्री पी. शंकरन :
श्री रूपचन्द मुर्मू :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रशासन में पुलिस/सैन्य राज शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मंत्रालय के अन्तर्गत कुछ कार्यालयों में कोई प्रतिरोधी योजना शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

क्या इस मामले पर इनमें से कुछ कार्यालयों में असंतोष और

(ङ) यदि हां, तो इस असंतोष के क्या परिणाम निकले और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में कुछ सिविलियन संवर्गों को कोम्बेटाइज करने से संबंधित एक आदेश सरकार द्वारा 1989 में जारी किया गया था और उसे ही कार्यान्वित किया गया था।

(घ) और (ङ) पदोन्नति अवसरों आदि के संबंध में सिविलियन और कोम्बेटाइज्ड लिपिक वर्गीय स्टाफ के कुछ मुकदमें हैं।

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों द्वारा खराब यूनानी द्रवाओं की सप्लाई

3636. श्री अमर राय प्रधान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 दिसम्बर, 1998 के "हिन्दुस्तान" में "डिस्पेंसरीज की दवाइयों में फफूंदी या तिलचट्टे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 1998 के दौरान अब तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के यूनानी औषधालयों से संदूषित दवाओं की सप्लाई के बारे में सरकार को प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी यूनानी दवाओं के प्रयोग पर रोक के संबंध में कोई अनुदेश जारी किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी यूनानी दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने संबंधी निर्णय में देर के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सी.जी.एच.एस. के यूनानी औषधालयों द्वारा अभी भी रोगियों को ऐसी दवाइयां सप्लाई की जाती हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना यूनानी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपु, सरोजिनी नगर द्वारा प्राप्त 3 शिकायतें निम्नलिखित दवाइयों के खिलाफ थी:-

(1) सिरप ब्रोंसीन (200 मिलि)

(2) सिरप अम्बनीरा (200 मिलि)

(3) जोशांदा पैकेट

(ग) और (घ) जी, हां। अनुदेश जारी किए गए थे जिसकी एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है क्योंकि यूनानी पद्धति में कोई भेषज संहिता नहीं है और औषधों की ज्ञानेंद्रिय सुग्राह्य तरीके से ही जांच की जाती है। इसलिए औषधों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता बल्कि उन्हें बदला जाता है और ऐसा किया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

सं.ओ.-20/98-सी.जी.एच.एस./यू.एम.एस.डी./567-575
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
यूनानी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो
सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-23

दिनांक 07.12.98

अनुदेशों का परिपत्र

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को दिल्ली में चल रहे यूनानी औषधालयों/एककों से जारी की गई यूनानी औषधों में पाई गई फफूंद आदि की शिकायतें बार-बार होती रही हैं।

इस अत्यधिक चिंता के मामले की बार-बार समीक्षा की गई और इस प्रयोजन के लिए गठित की गई इन्क्वारियों को इसका समाधान ढूंढ़ने के लिए सभी तरह से ध्यान में रखा गया है। यह भी पता चलता है कि देश में यूनानी फार्मास्युटिकल उद्योग अब तक विकासशील अवस्था में है। इसलिए यूनानी औषधों को उत्तम और शिकायत रहित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यूनानी, दिल्ली में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों और परा-चिकित्सीय कर्मचारियों को निम्नलिखित अनुदेश देने का सुझाव दिया जाता है:-

1. औषधालयों/एककों को आपूर्ति की जाने वाली औषधों की उत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, यूनानी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो में तैनात यूनानी फार्मासिस्ट को अधिक सतर्क रहना चाहिए और औषधों की कोई भी आपूर्ति करने से पूर्व अनिवार्यत: यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये अच्छी हालत में हों और फफूंत रहित हों। यदि यूनानी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो में स्टाक की बार-बार जांच के दौरान फफूंद आदि पाई जाती है तो उसकी सूचना इस मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई करने हेतु यूनानी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो के प्रभारी को दी जानी चाहिए।

2. औषधालय/यूनिटों (औषधालय काउंटर पर) के यूनानी फार्मेसिस्टों को औषधें देने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये औषधें पूर्णतया फफूंदी मुक्त हैं। यदि किसी भी औषध में कोई शिकायत है तो उसे इस मामले में आगे आवश्यक कार्यवाही करने के लिए औषधालय/यूनिट के प्रभारी को सूचित किया जाना चाहिए।

3. औषधालय/यूनिट के प्रभारी को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए और ऐसी औषधें जिनके विरुद्ध फफूंदी आदि की शिकायत है, का वितरण रोक दिया जाना चाहिए और ये औषधें आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए यूनानी चिकित्सा भंडार डिपो को वापिस की जानी चाहिएं।

4. यूनानी चिकित्सा भंडार डिपो प्रभारी को ऐसी सभी औषधें औषधालय/यूनिट के वापिसी वाउचर पर प्राप्त करनी चाहिए और उच्च अधिकारियों की व्यवस्था और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

5. औषधालय/यूनिट के नियतिम इंडेंट यूनानी चिकित्सा भंडार डिपो में उपलब्ध स्टाक के अनुसार होने चाहिए जो प्रतिमाह एक सूचना बुलेटिन द्वारा सूचित किए जाने चाहिए क्योंकि औषधालय/यूनिट या यूनानी चिकित्सा भंडार डिपो के भंडारों में औषधों के लंबे भंडारण के कारण ऐसी और अन्य ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं।

सभी संबंधित चिकित्सा अधिकारियों, प्रभारियों और फार्मेसिस्टों से इन अनुदेशों के सख्त अनुपालन का अनुरोध किया जाता है और ऐसा न करने पर लापरवाही बरतने वाले व्यक्ति का उत्तरदायित्व/जिम्मेवारी निश्चित की जाएगी।

यह संबंधित अधिकारी के पूर्व-अनुमोदन से जारी किया गया है।

हस्ता०/-

(डा. एम. शमूम)
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
प्रभारी यूनानी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो

सेवा में

के.स.स्वा.यो. औषधालयों/यूनिटों-सरोजिनी नगर, दरियागंज, नारायणा विहार और साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली के सभी प्रभारियों को इस अनुरोध के साथ कि यह नोटिस सारे संबंधित स्टाफ के ध्यान में ला दिया जाए। सूचना के लिए प्रति निम्नलिखित को:-

1. निदेशक, के.स.स्वा.यो., निर्माण भवन, नई दिल्ली के निजी सचिव।

2. अपर निदेशक (मुख्यालय), के.स.स्वा.यो., नई दिल्ली के निजी सहायक।

3. अपर निदेशक (केन्द्रीय जोन), के.स.स्वा.यो., नई दिल्ली के निजी सहायक।

4. अपर निदेशक (चिकित्सा भंडार डिपो), के.स.स्वा.यो., डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के निजी सहायक।

5. भावी-संदर्भ के लिए कार्यालय फाइल।

हस्ता०/-

...नीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ सी.बी.आई. की जांच

3637. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक को हाल ही में चिकित्सा उपकरण आपूर्तिकर्ता से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.बी.आई. ने पहले भी कोई जांच की है और उसने अस्पताल के चिकित्सा और सर्जिकल स्टोर में घटिया स्तर के चिकित्सा उपकरण और दवाइयां बरामद की हैं;

(घ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति सहित सी.बी.आई. द्वारा की गई जांच के क्या निष्कर्ष हैं;

(ङ) क्या अधिकांश सरकारी अस्पताल चिकित्सा, सर्जिकल स्टोर तथा अन्य मदों की संदिग्ध खरीद में संलग्न हैं;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के चिकित्सा अधीक्षक को एक आपूर्तिकर्ता से अवैध परितोषण मांगने और प्राप्त करने के तथाकथित आरोपों पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया और बाद में उन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियम, 1965 के नियम 10(2) के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया। तत्पश्चात् इस मामले में साक्ष्यों को बिगाड़ने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा 29.7.98 को कनिष्ठ भंडार अधिकारी (अस्पताल) को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसे भी निलंबित कर दिया गया क्योंकि वह 48 घंटे से ज्यादा पुलिस हिरासत में रहा था। (क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को इस तरह का मामला बनाने की अधिकारिता थी। (ख) क्या ब्यूरो को इन अधिकारियों पर मुकदमा चलाने और इस मामले में निर्धारित प्रक्रिया जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अपनाना है, की स्वीकृति हेतु अनुरोध करना, ब्यूरो के क्षेत्राधिकार में आते हैं, से संबंधित मुद्दों की जांच की जा रही है।

(ग) से (छ) इस आरोप के साथ कि सामग्रियां घटिया किस्म की थी और संगत विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल से पट्टियों और गॉज के नमूने कब्जे में लेने के पश्चात् केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दो मामले दर्ज किए थे। इस मामले की इस समय जांच की जा रही है और कब्जे में ली गई पट्टियों की गुणवत्ता सहित मामलों का ब्यौरा साक्ष्य का हिस्सा है जिसे उचित समय पर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाना है।

उपर्युक्त दो मामलों के अलावा जी.बी. पंत अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ तीन और मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो में दर्ज किए गए थे।

भारतीय तेल निगम द्वारा श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का कार्यान्वयन

3638. श्री मोइनुल हसन अहमद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम ठेका मजदूर प्रणाली समाप्त करने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 1976 में जारी की गई अधिसूचना के आदेश कार्यान्वित नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम ठेका मजदूरों को समान वेतन, बोनस और अन्य सुविधाएं जैसे कानूनी लाभ दे रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो भारतीय तेल निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर अपने टर्मिनल डिपो और संयंत्रों में उक्त अधिसूचना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रपति भवन में तैनात पुलिस कर्मी

3639. श्री मोतीलाल वोरा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 सितम्बर, 1998 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में प्रकाशित समाचार ''राष्ट्रपति भवन में तैनात पुलिस भी पाक साफ नहीं'' की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु तैनात पुलिसकर्मियों के चरित्र एवं रिकार्ड का सत्यापन किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके लिए दोषी पाये गये अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा धोखाधड़ी, हत्या, भ्रष्टाचार तथा चोरी जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच-पड़ताल के मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाये गये है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रपति भवन में पुलिस कार्मिकों की तैनाती, सुरक्षा में अधिकारियों की उपयुक्तता का आकलन करने के बाद की गई थी। यह पाया गया था कि 14 व्यक्तियों, जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित थे, को राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में तैनात किया गया था। इन सभी 14 व्यक्तियों को राष्ट्रपति भवन के बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला लंबित हो, राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा पर तैनात न किया जाए।

(घ) पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालयों में लंबित मामलों में निर्णय न्यायालयों द्वारा लिया जाना है। उन मामलों जिनमें विभागीय कार्रवाई करना अपेक्षित है, को शीघ्रता से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस उपायुक्तों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

इंडस्ट्रियल टॉक्सियोलोजी रिसर्च सेंटर

3640. श्री सुरेश चन्देल : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडस्ट्रियल टॉक्सियोलोजी रिसर्च सेंटर, लखनऊ ने सरसों के तेल में अपमिश्रण का पता लगाने हेतु रसायन युक्त पेपर स्ट्रिप विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस रसायन युक्त पेपर स्ट्रिप को संबंधित विभाग को देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) जी, हां। इंडस्ट्रियल टॉक्सियोलोजी रिसर्च सेंटर द्वारा रसायन से कोट किया पेपर स्ट्रिप टेस्ट विकसित किया गया है जिसे ''सी.डी. स्ट्रिप'' नाम दिया गया है। इस टेस्ट से सरसों के तेल में यदि कृत्रिम तौर पर ''बटर यैलो'' नामक सिन्थेटिक कलर मिलाया गया हो तो उसका पता चल जाता है। इस परीक्षण/टेस्ट की प्रौद्योगिकी को व्यापारिक विनिर्माण/उत्पादन के लिए मै. निलोफे, लखनऊ को अंतरित किया गया है।

नियमों और मैनुअलों का प्रकाशन

3641. श्री तेजवीर सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय और अधीनस्थ विभागों में कितने कोडों, मैनुअलों, नियमों और विनियमों का मंत्रालय ने संशोधन तथा प्रकाशन किया है;

(ख) इनमें से कितने केवल अंग्रेजी में और कितने द्विभाषीय रूप में हैं;

(ग) किस भाषा में अद्यतन अंक प्रकाशित किया गया, और

(घ) इन दस्तावेजों को कब तक द्विभाषीय रूप में प्रकाशित करा लिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) इस मंत्रालय ने 13 नियम तथा 2 नियंत्रण आदेश प्रकाशित किए हैं। दो नियम, अर्थात् पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियम, 1959 तथा पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) नियम 1962 के अतिरिक्त सभी नियम द्विभाषी हैं। ये दो नियम केवल अंग्रेजी में प्रकाशित हैं इन नियमों की समीक्षा तथा अद्यतन करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि तत्पश्चात् इन्हें द्विभाषी प्रकाशित किया जा सके।

[अनुवाद]

खालिस्तानी उग्रवादियों की गिरफ्तारी

3642. श्री मोहन रावले : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ मास पूर्व सीमावर्ती पुलिस ने दो खालिस्तानी उग्रवादियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 30 किलोग्राम आर.डी.एक्स. बरामद किया था;

(ख) यदि हां, तो अलग खालिस्तान की मांग के समर्थन में देश के अन्दर और बाहर कितने विद्रोही संगठन कार्य कर रहे हैं; और

(ग) उनकी गतिविधियां रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जुलाई, 1998 में, पंजाब के बटाला जिले में दो खुंखार आतंकवादियों समेत तीन आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे तथा उनसे 25 कि.ग्रा. आर.डी.एक्स. सहित शस्त्र और गोला-बारूद बरामद किया गया था।

(ख) आधे दर्जन ऐसे आतंकवादी संगठन जिनके चोटी के नेता अधिकांशत: पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों में रह रहे हैं, पंजाब राज्य में आतंकवाद को पुन: जीवित करने के लिए सक्रियता से प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान की आई.एस.आई. पाकिस्तान में रह रहे पंजाब के चोटी के आतंकवादियों पर उत्तर भारत में आतंकवादी घटनाएं करने के लिए जबरदस्त दबाव डाल रहे हैं।

(ग) आतंकवाद को पुन: जीवित करने का प्रयास करने वाले के शरारतपूर्ण इरादों का पता लगाने और उन्हें विफल करने के लिए अनेक उपाय शुरू किए गए हैं। इन उपायों में शामिल हैं - बाकी बचे आतंकवादियों, उनके समर्थकों और उन्हें आश्रय देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, (2) पंजाब के अग्रवादियों को सीमा के पार से अभियान चलाने में मदद करने वाले सक्रिय तस्करों और संदेशवाहकों की पहचान करना तथा उनके खिलाफ कार्रवाई करना, (3) उग्रवादियों के इरादों के बारे में सूचना का संबंधित राज्यों/एजेंसियों के साथ शीघ्रता से आदान-प्रदान करना, (4) पंजाब के उग्रवादियों की मदद करने वाले विभिन्न आपराधिक गुटों के खिलाफ समन्वित अभियान चलाना, (5) आसूचना एकत्र करने के चैनलों को सक्रिय करना, (6) महत्वपूर्ण लक्ष्यों की पहचान करना तथा उन्हें आवश्यकतानुसार सुरक्षा उपलब्ध करवाना, (7) छिपाये हुए हथियारों और भगोड़े आतंकवादियों की शिनाख्त करने के लिए विशेष अभियान चलाना, इत्यादि।

खाद्य तेल के आयात हेतु लाइसेंस

3643. श्री टी. गोविन्दन : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेल के आयात शुल्क में कटौती करने के बाद खाद्य तेलों के आयात हेतु लाइसेंस जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दौरे की सूचना

3644. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचित संसद सदस्यों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केबिनेट मंत्रियों के दौरे जहां बैठक होनी है, की पूर्व सूचना दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस आदेश का पालन न करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति कौन हैं; और

(घ) आदेशों का उचित रूप से अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के माननीय राष्ट्रपति के दौरा कार्यक्रम की एक प्रति उन क्षेत्रों के संसद सदस्यों को भेजता है, जहां का दौरा राष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा हो। उप-राष्ट्रपति द्वारा किये जाने वाले दौरों के मामले में यह परम्परा है कि दौरे का कार्यक्रम उस राज्य के राज्य सभा सदस्यों को सूचित किया जाता है, जिस राज्य का दौरा किया जा रहा है। इस संबंध में सूचना लोक सभा के संबंधित उन सदस्यों को भी दी जाती है, जिनके निर्वाचन क्षेत्र का उप-राष्ट्रपति दौरा करने वाले हों। प्रधान मंत्री का कार्यालय उन राज्य सरकारों को सूचित करता है जहां का दौरा प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है और राज्य सरकारें, बदले में, दौरे से संबंधित सभी व्यक्तियों को सूचित करती है। इस आशय के निर्देश हैं कि जहां तक संभव हो, मंत्री उस क्षेत्र के संसद सदस्य को अपने दौरा कार्यक्रम के बारे में पूर्व सूचना देंगे जिस क्षेत्र का वे दौरा करना चाहते हों ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस बारे में संसद सदस्य को कोई शिकायत न हो।

विदेशों में रोजगार

3645. श्री रविप्रकाश वर्मा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेषरूप से संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में कुल कितनी कम्पनियों को लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) क्या ये कम्पनियां सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य कर रही हैं;

(ग) क्या सरकार को अनियमितताओं और कानून का उल्लंघन के लिए कुछ कम्पनियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक के खिलाफ प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की संख्या निम्नानुसार थी:-

1995	1996	1997	योग
225	108	212	445
(32)	(14)	(24)	(70)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े दिल्ली/नई दिल्ली में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की संख्या बताते हैं।

(ख) से (ङ) भारतीय मिशनों अथवा प्रभावित कर्मकारों द्वारा, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के एक अथवा दूसरे प्रावधान तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए भर्ती एजेंसियों के विरुद्ध छिट-पुट शिकायतें सरकार के ध्यान में लायी जाती हैं। अधिकांश शिकायतें अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सेवा प्रभारों से अधिक राशि वसूल करने तथा कामगारों की भर्ती से पूर्व स्थानीय एजेन्ट द्वारा उनके लिए प्रस्ताव किए गए वेतन की तुलना में विदेशी नियोजकों द्वारा कम वेतन की अदायगी करने से संबंधित होती हैं। कुछ शिकायतें अच्छी कामकाजी और रहन-सहन की दशाओं के उपलब्ध न होने, उत्पीड़न आदि से भी संबंधित होती हैं। स्थानीय एजेन्टों को निदेश देकर कर्मकारों की शिकायतों को निपटाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है। भारतीय मिशनों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे विदेशी प्रायोजकों/सरकार की सहायता से कर्मकारों की समस्याओं को निपटा दें। यदि स्थानीय एजेन्ट, कर्मकारों की समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं तो उनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलम्बित/निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, 40 पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलम्बित किए गए और एक पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया गया। एक मामले में एजेन्ट की बैंक गारंटी जब्त कर ली गयी तथा उसकी धनराशि कर्मकारों के बीच बांट दी गयी। कार्य दिवस वाले प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को आम सुनवाई भी की जाती है जिसमें शिकायत करने वालों और संबंधित भर्ती एजेन्टों दोनों को ही बुलाया जाता है। अधिकांश मामलों में, प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतों को ऐसी सुनवाइयों के माध्यम से निपटा दिया जाता है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में कमजोर वर्गों का उत्थान

3646. श्री डी.एस. अहिरे : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं योजना के दौरान कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है:

(ख) प्रत्येक राज्य विशेषरूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक में उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने लोगों को लाभ पहुंचा;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन राज्यों को योजनावार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(घ) क्या इन योजनाओं की नौवीं योजनावधि के दौरान जारी रखने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो नौवीं योजना के अंतर्गत इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और इन राज्यों को चालू वर्ष के दौरान कितनी राशि जारी की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) नौवीं योजना में इन योजनाओं को जारी रखने का प्रस्ताव है। चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक निर्मुक्त धनराशि को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

आठवीं योजना के दौरान कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए चलाई गई योजनाओं के ब्यौरे, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों के पक्ष में निर्मुक्त धनराशि, लाभार्थियों की संख्या आदि

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभार्थियों की संख्या		आठवीं योजना के दौरान निर्मुक्त धनराशि (रुपए लाख में)		वर्ष 1998-99 में निर्मुक्त धनराशि (31.11.98 तक) (रुपए लाख में)	
		महाराष्ट्र	कर्नाटक	महाराष्ट्र	कर्नाटक	महाराष्ट्र	कर्नाटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अत्यंत कम साक्षरता वाले पाकेटों में अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-
2.	आदिवासी महिलाओं में साक्षरता में सुधार के लिए कम महिला साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर	150	-	12.92	-	9.33	-
3.	आदिवासियों के लिए ग्रामीण अन्न बैंक	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास योजना	निर्धारित किए जाने योग्य नहीं'		2.00	9.00	–	–
5.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	850	5392	582.95	981.10	–	–
6.	आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग योजना	386	160	11.72	4.44	–	4.17

तोड़फोड़ विरोधी कार्यों का प्रशिक्षण

3647. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के हैदराबाद नगर में पाकिस्तानी आई.एस.आई. एजेन्ट तथा उसके स्थानीय सहयोगी के पास से आर.डी.एक्स. जब्त किए जाने के बाद तोड़फोड़ विरोधी कार्यों का विशेष प्रशिक्षण लेने हेतु केन्द्र सरकार के पास विशेष संदेश भेजा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आई.एस.आई. गतिविधियों द्वारा दी गई चुनौती से निपटने में राज्य सरकार को सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किन अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) गृह मंत्रालय ने, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण की योजना के तहत आन्ध्र प्रदेश सरकार को निम्नलिखित धनराशि रिलीज की है:-

वर्ष	रिलीज की गयी राशि (रु. लाखों में)
1996-97	709.560
1997-98	1209.560
1998-99	104.780

सरकार, आई.एस.आई. के इरादों को रोकने और निष्फल करने के लिए आसूचना तंत्र को सुग्राही और सक्रिय बनाकर, आसूचना का आदान-प्रदान करके, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करके और संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों द्वारा समन्वित कार्रवाई के जरिए सभी संभव कदम उठा रही है। पुलिस और आसूचना संगठन को देश के सभी भागों में पाक आई.एस.आई. के मोड्यूल्स और गतिविधियों को, जब कभी और जहां कहीं वे ध्यान में आती है, निष्फल करने के निर्देश दिए गए हैं।

छोटे राज्य

3648. श्री सानछुमा खुंगुर वैसीमुथियारी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोडोलैंड हेतु छोटा राज्य गठित करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में असम विधान सभा से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

भंडारण नियंत्रण आदेश, 1977 से खाद्य तिलहनों को छूट

3649. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत भंडारण नियंत्रण आदेश, 1977 से खाद्य तिलहनों और खाद्य तेलों को छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त अधिनियम के अंतर्गत भंडारण नियंत्रण आदेश, 1977 से दालों को छूट देने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

[illegible] तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और [illegible]ध में क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। वित्त मंत्री ने वर्ष 1997 में अपने बजट भाषण में खाद्य तिलहनों और तेलों को भंडारण नियंत्रण आदेश के दायरे से मुक्त करने संबंधी वचन का अनुपालन करते हुए ऐसा किया गया है। तथापि, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उनको सौंपी गई शक्तियों के अधीन वे खाद्य तेल और खाद्य तिलहनों के लिए भंडारण नियंत्रण आदेश को लागू करें।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल का नया विंग

3650. श्री बी.एम. मेनसिंकाई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कर्नाटक में विशेषरूप से धारवाड़, [illegible]री, देवनगेरी **जिलों** में केन्द्रीय आरक्षी बल का नया विंग बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

अस्पताल भवन का निर्माण

3651. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए कोटरा सुल्तानाबाद में एक अस्पताल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) 1998-99 के दौरान भोपाल में अस्पताल के निर्माण हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध करायी जानी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि भोपाल मेमोरियल हस्पताल ट्रस्ट ने कोटरा सुल्तानाबाद में लघु इकाइयों (रेफरल हस्पताल), जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई है, के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है।

तपेदिक और अन्य बीमारियां

3652. श्री सोम मरांडी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबी की रेखा के नीचे तथा गरीबी रेखा से ठीक ऊपर कितने प्रतिशत लोग तपेदिक व अन्य संक्रामक बीमारियों से पीड़ित हैं;

(ख) उन्हें तपेदिक तथा अन्य रोगों का शिकार होने से बचाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध करने हेतु कितने धन की आवश्यकता है;

(ग) सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तपेदिक तथा अन्य रोगों के उपचार के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कुल कितना धन खर्च किया गया;

(घ) क्या सरकार का देश के प्रत्येक जिला में तपेदिक क्लिनिक खोलने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो ये क्लिनिक कब तक खोल दिए जाएंगे; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) सुभेद्य (वुलनरेवल) रोगों से पीड़ित गरीबी की रेखा से नीचे और गरीबी की रेखा से ठीक ऊपर रहने वाले लोगों की प्रतिशतता के संबंध में कार्यक्रम के अधीन कोई आंकड़े सूचित नहीं किए जाते।

(ख) क्षयरोग ट्यूबरकुलोसिस बैसिली के कारण होता है और जब क्षयरोगी खांसता है अथवा छींकता है तो एक रोगी व्यक्ति से संक्रामक बिन्दुक द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति में संचारित हो जाता है। इसलिए क्षयरोग के फैलाव को रोकने का एकमात्र तरीका थूक स्मीयर पॉजिटीव रोगियों को रोगमुक्त करना है।

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए बजट प्रावधान में पर्याप्त वृद्धि की गई। मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, एच.आई.वी./एड्स, कुष्ठ, कैंसर और आयोडीन अल्पता विकारों आदि जैसे अन्य रोगों के निवारण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई गई हैं।

(ग) सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए केन्द्र द्वारा खर्च की गई निधियां क्रमश: 61.45 करोड़ रुपये और 131.18 करोड़ रुपये हैं। सातवीं और आठवीं योजना अवधियों के दौरान मलेरिया, फाइलेरिया और काला आजार आदि जैसे वेक्टरवाहित रोगों के नियंत्रण के लिए प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता क्रमश: 425.23 करोड़ रुपये और 591.06 करोड़ रुपये हैं। सरकार द्वारा सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ उम्मूलन कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों के माध्यम से खर्च की गई रकम क्रमश: 85.82 करोड़ रुपये और 305.95 करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 23 सितम्बर, 1992 को शुरू किया गया था और केन्द्र तथा राज्यों द्वारा आठवीं योजना के दौरान एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए खर्च की गई रकम 274.26 करोड़ रुपये थी। सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन किया गया व्यय क्रमश: 31.41 करोड़ रुपये और 85.73 करोड़ रुपये है।

(घ) से (च) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम जिला क्षयरोग केन्द्रों और क्षयरोग क्लिनिकों के जरिए कार्यान्वित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 446 जिला क्षयरोग केन्द्र और महानगरों में 330 वक्ष क्लिनिक हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश के प्रत्येक जिले में जिला क्षयरोग केन्द्र, स्थापित करने का विचार है जिसके लिए राज्यों से अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

मजदूर संघ

3653. श्री के.एस. राव : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी एक उद्योग/प्रतिष्ठान में बहुत सारे मजदूर संघ हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मजदूर संघों के तेजी से फैलने को रोकने का है;

(ग) क्या वर्तमान मजदूर संघ अधिनियम में परिवर्तन लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 4(क) के अनुसार किसी श्रमिक संघ के कोई सात अथवा अधिक सदस्य श्रमिक संघ के पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं।

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन, सामाजिक भागीदारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किये जाते हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए एक जागरूक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है कि जहां तक संभव हो सामाजिक भागीदारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन किए जाएं।

चेचक के मामले

3654. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चेचक की बीमारी को पूर्णत: समाप्त कर दिया गया है;

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान प्रत्येक राज्य में चेचक के कितने मामले पाये गए; और

(ग) सरकार द्वारा इस बीमारी को पूर्णतया समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) भारत को अप्रैल, 1997

में एक अन्तर्राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन मूल्यांकन आयोग द्वारा चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया था। वही स्थिति चल रही है।

चीनी की मांग/आपूर्ति

3655. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चीनी की औसत मांग और आपूर्ति में कितना अंतर है;

(ख) क्या देश में उत्पादित चीनी से इसकी कुल मांग पूरी की जा सकती है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मांग ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने जन वितरण प्रणाली में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) वर्तमान में देश में चीनी की मांग तथा आपूर्ति के बीच कोई अन्तर नहीं है। पिछले मौसम के 54 लाख टन (अनंतिम) पूर्वावशिष्ट स्टॉक तथा 1998-99 मौसम के दौरान 150 लाख टन के अनुमानित उत्पादन से चीनी की कुल उपलब्धता देश में घरेलू खपत के लिए 144 लाख टन की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

(ग) अपेक्षित सूचना निम्नवत है:-

(आंकड़े लाख टनों में)

मौसम	उत्पादन	घरेलू खपत*
1995-96	164.29	131.72
1996-97	129.05	137.92
1997-98	128.30 (अ)	139.80

अ = अनंतिम

* = निजी पार्टियों के द्वारा खुले बाजार में बिक्री के लिए खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के तहत आयातित चीनी इन आंकड़ों में शामिल नहीं है।

(घ) नवम्बर तथा दिसम्बर, 1997 के दौरान, लेवी खाते में चीनी की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने उद्योग से उनकी खुली बिक्री हिस्से में से 5 लाख टन चीनी उधार यह मानकर ली गई थी कि उसे 1997-98 मौसम के दौरान लौटा दिया जाएगा। तथापि, 1997-98 मौसम में चीनी के उत्पादन में कमी के कारण सरकार ने बदले में इस मात्रा को एक स्वीकृत मूल्य निर्धारण के फार्मूले के अनुसार खरीद में बदल दिया। सरकार ने उसी आधार पर उद्योग से 3 लाख टन खुली बिक्री चीनी और खरीदी। उपर्युक्त के अतिरिक्त, नवम्बर, 1998 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपयोग के लिए उद्योग से 2 लाख टन खुली बिक्री चीनी की मात्रा उधार ली गई है।

[हिन्दी]

तेल डिपुओं की भंडारण क्षमता

3656. श्री अशोक प्रधान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में विशेषकर इसके पिछड़े क्षेत्रों में भारत पेट्रोलियम, इंडियन आयल कारपोरेशन तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के कितने तेल डिपो कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) प्रत्येक डिपो की वर्तमान भंडारण क्षमता कितनी है; और

(ग) इससे वहां के स्थानीय लोग किस हद तक लाभान्वित होते हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 1.4.98 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में बी.पी.सी.एल., आई.ओ.सी. और एच.पी.सी.एल. के डिपुओं की कुल संख्या, उनके स्थान और क्षमता सहित संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इन लाभों में स्थानीय जनता और उत्तर प्रदेश के पूरे राज्य की मांग को समय पर और पूर्णत: पूरा करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति, इन डिपुओं आदि के प्रचालन के लिए और उत्पादों के परिवहन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल हैं।

विवरण

(आंकड़े कि.ली. में)

क्र.सं.	स्थान	बी.पी.सी.एल.	आई.ओ.सी.एल.	एच.पी.सी.एल.	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आगरा	13950	32835	0	46785
2.	आंवला (बरेली)	10114	23788	0	33902
3.	बैतालपुर	9424	14065	0	23489
4.	बरेली	0	7060	9195	16255
5.	बस्ती	0	3900	0	3900
6.	गोंडा	6302	11888	3114	21304
7.	गोरखपुर	5101	7528	0	12629
8.	झांसी	9138	12201	3020	24359
9.	करारी	0	0	4910	4910
10.	काठगोदाम	595	1842	0	2437
11.	लखनऊ	0	590	0	590
12.	मेरठ	10158	2035	5462	17655
13.	मुरादाबाद	0	5870	4088	9958
14.	नजीबाबाद	12794	33616	3114	49524

1	2	3	4	5	6
15.	प्रतापपुर (मेरठ)	0	12550	0	12550
16.	सहारनपुर	5664	5462	0	11126
17.	शाहजहांपुर/बैत	0	28079	0	28079
	योग	83240	203309	32903	319452
	डिपुओं की संख्या	10	16	7	33

शाकाहारी पोषण

3657. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद :
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विश्व कैंसर अनुसंधान कोष द्वारा ''लोवर योर कैंसर रिस्क'' शीर्षक के अन्तर्गत जारी आहार मार्ग निर्देशों के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को ''यूरोपियन वेजीटेरियन यूनियन'' द्वारा मांस के उपभोग से होने वाले चिकित्सीय प्रभाव की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन मार्ग निर्देशों का अध्ययन करने एवं इन्हें अपनाने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) अस्पतालों में रोगियों को मीट, मछली, मुर्गा एवं अण्डों से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं पर सलाह देने के लिए विद्यमान व्यवस्था का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा सामिष भोजन से होने वाले लाभों के मद्देनजर, इन मार्ग निर्देशों को आरंभ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भारत में अधिकांश लोग शाकाहारी हैं और मांसाहारी पश्चिमी देशों की तुलना में कम मांसाहारी खाद्य पदार्थ खाते हैं।

(ङ) और (च) जहां तक केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों का संबंध है, वहां रोगियों को उनकी बीमारियों की स्थिति के अनुसार सलाह देने के लिए आहार विशेषज्ञ हैं। सरकार का लक्ष्य पर्याप्त तथा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है न कि किसी एक विशेष प्रकार के आहार को बढ़ावा देना।

कृत्रिम दुग्ध उत्पादन

3658. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूध में कीटनाशकों के अवशेष पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यूरिया, कास्टिक सोडा, डिटर्जेन्ट के मिश्रण से बना कृत्रिम दूध गुर्दा रोग को जन्म देता है;

(ग) यदि हां, तो क्या दूध में अपमिश्रण से जनित गुर्दा समस्या के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कृत्रिम दूध पर पाबन्दी लगाने तथा कृत्रिम दूध में कीटनाशकों के अवशेष को समाप्त करने के लिए किन कदमों के उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) दुग्ध सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में नाशकजीवनाशी/कीटनाशी अवशेषों के स्तर को आंकने के लिए देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर किए गए सीमित अध्ययनों से पता चला कि इन नमूनों में नाशकजीवनाशी/कीटनाशी अवशेष खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 में निर्धारित सह्यसीमा के भीतर थे।

(ख) से (घ) हमारी सूचना के अनुसार ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सिंथेटिक दुग्ध जैसा कोई उत्पाद नहीं है।

(ङ) नियमों में न दिए गए पदार्थों से युक्त दुग्ध और ऐसे दुग्ध उत्पादों की बिक्री पर खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के उपबन्धों के अधीन पहले ही प्रतिबंध लगा हुआ है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे निगरानी उपायों में वृद्धि करें और अपराधियों के विरुद्ध समुचित कानूनी कार्रवाई करें।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम

3659. श्री एच.पी. सिंह : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को विभिन्न राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में श्रमिकों के साथ हुए अत्याचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ठेकेदारों की इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला

3660. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल फोरेंसिक लेबोरेट्री, लोधी रोड परिसर, नई दिल्ली में विभिन्न प्रकार की उन्नत तकनीक की मशीनों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। उन्नत तकनीक के उपकरणों नामत: वॉयस स्पेक्टोग्राफ, स्कैनिंग इलेक्ट्रोन माईक्रोस्कोप, पोलिग्राफ मशीन आदि का उपयोग विभिन्न मामलों में जांच-पड़ताल में सहायतार्थ किया जा रहा है।

त्रिवेन्द्रम में चिकित्सा सुविधाएं

3661. श्री के. करुणाकरन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिवेन्द्रम में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय में विशेषज्ञों सहित चिकित्सा अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है और इस समय वास्तव में वहां कितने चिकित्सक तैनात हैं;

(ख) क्या सरकार ने वहां सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय अस्पतालों में विशेषज्ञों की राय/इन्डोर उपचार प्रदान करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन औषधालयों में औषधियों और प्रयोगशाला संबंधी सेवाओं की अत्यन्त कमी है;

(ङ) यदि हां, सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है;

(च) क्या सरकार का औषधालयों के कार्य घंटों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है या उन लोगों की असुविधाओं/कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें औषधालयों के कार्य घन्टों के बाद और अवकाश के दिनों में औषधालय में उपचार की आवश्यकता होती

है, वर्तमान में एक शिफ्ट के स्थान पर दो शिफ्ट प्रणाली चलाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) त्रिवेन्द्रम के तीन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में कुल स्वीकृत संख्या दस है। छह चिकित्सा अधिकारी हैं और एक संयुक्त निदेशक के रूप में कार्य कर रहा है। तीन ने अभी कार्यभार ग्रहण करना है।

विशेपज्ञ का कोई भी पद स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) लाभार्थी मेडिकल कालेज अस्पताल, सामान्य अस्पताल, [illegible] अस्पताल और क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र और सभी [illegible]अस्पतालों कार्पोरेशन अस्पताल/रेलवे अस्पताल में विशेपज्ञ उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) और (ङ) ऐसी औषधें जो औषधालयों में उपलब्ध नहीं होतीं, औषधालयों द्वारा अधिकृत स्थानीय कैमिस्ट से स्थानीय खरीद के माध्यम से खरीदी जाती हैं। और लाभार्थियों को सप्लाई की जाती हैं। आपातकालीन मामलों में बिना किसी अदायगी के औषधें सीधे प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को प्राधिकार पर्चियां जारी की जाती हैं।

(च) और (छ) संसाधनों की तंगी के कारण दो शिफ्टें शुरू करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि आपातकालीन परिस्थितियों में लाभार्थी उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

राजस्थान में रसोई गैस कनेक्शन

3662. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में आज की तारीख तक रसोई गैस के कनेक्शन हेतु कितने उपभोक्ता प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) क्या राज्य में रसोई गैस सिलिण्डरों की आपूर्ति की अत्यधिक कमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) राजस्थान में दिनांक 1 अक्तूबर, 1998 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के एल.पी.जी. वितरकों के पास पंजीकृत प्रतीक्षा सूची पर लोगों की संख्या लगभग 7.74 लाख थी।

(ख) से (घ) राजस्थान राज्य के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के पास दर्ज विद्यमान ग्राहकों की एल.पी.जी. मांग कुल मिलाकर पूर्णतया पूरी की जा रही है। जब कभी कानून एवं व्यवस्था समस्या, आई.आर. समस्याओं, बाढ़ अथवा उत्पादन स्रोतों इत्यादि में से किसी पर आपातकालीन बंदियों के कारण एल.पी.जी. की उपलब्धता में किसी रुकावट की वजह से एल.पी.जी. के बैकलाग में वृद्धि होती है, तब तेल कंपनियां एल.पी.जी. आयातों को अधिकतम करने के जरिए तथा एल.पी.जी. बैकलाग को पूरा करने के लिए वृद्धि घंटों एवं रविवार एवं छुट्टी के दिनों के दौरान एल.पी.जी. भरण संयंत्रों के प्रचालन द्वारा प्रभावित बाजारों में मांग को पूरा करने के लिए तत्काल उपाय करती है।

तेल कंपनियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फिलहाल राजस्थान में एल.पी.जी. का बैकलाग नहीं है।

बीड़ी उद्योग

3663. श्री गिरजला वेंकट स्वामी नायडू : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीड़ी उद्योग में कितने कामगार नियोजित हैं;

(ख) बीड़ी कामगारों के हितों के संरक्षण तथा कल्याण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) बीड़ी उद्योग क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के प्रवेश से पड़ने वाले प्रभाव पर क्या नजर रखी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस क्षेत्र के लिए बाधक नीतियों के कार्यान्वयन को रोकना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) देश में बीड़ी कर्मकारों की संख्या 44 लाख होने का अनुमान है।

(ख) सरकार ने बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें स्वास्थ्य देख-रेख, सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन,

शिक्षा और आवास के क्षेत्र में लाभों की व्यवस्था करना शामिल है। ऐसी योजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश के लिए विद्यमान दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ-साथ उपभोक्ता गैर-टिकाऊ सामग्री से संबंधित क्षेत्रों में विदेशी इक्विटी प्रतिभागिता की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं करते हैं। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंसिंग से संबंधित प्रावधान के अध्यधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर विचार किया जाता है।

विवरण

बीड़ी कर्मकारों के लिए कल्याण योजनाओं की सूची

क. स्वास्थ्य

1. स्थिर-सह-सचल/स्थिर एलोपैथिक और स्थिर आयुर्वेदिक औषधालय
2. टी.बी. अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण की योजना
3. टी.बी. से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों को घर पर उपचार देने की योजना
4. कैंसर से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के उपचार की योजना
5. मानसिक रोगों से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के उपचार की योजना
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों (घर खाता कर्मकारों सहित) के उपचार की योजना
7. चश्मों की खरीद के लिए बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
8. महिला बीड़ी कर्मकारों के लिए प्रसूति प्रसुविधा योजना
9. बीड़ी कर्मकारों को बंध्याकरण के लिए आर्थिक मुआवजा देने की योजना
10. हृदय रोगों के संबंध में बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति
11. गुर्दा प्रत्यारोपण के संबंध में बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति

ख. सामाजिक सुरक्षा

1. समूह बीमा योजना

ग. आवास

1. अपना घर स्वयं बनाओ योजना
2. बीड़ी कर्मकारों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना
3. वर्कशेडों और गोदामों के निर्माण के लिए बीड़ी उद्योग की सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
4. समूह आवास योजना

घ. शिक्षा

1. बीड़ी कर्मकारों (घर खाता बड़ी कर्मकारों सहित) के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना
2. वर्दी, स्लेट, कापी और पाठ्य पुस्तकों के एक सैट की आपूर्ति के लिए बीड़ी कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की समेकित योजना
3. हाई स्कूल से आगे विश्वविद्यालय/बोर्ड की अन्तिम परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन का भुगतान
4. स्कूलों में उपस्थिति के आधार पर बीड़ी कर्मकारों की बालिकाओं को एक रुपये का प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना

ङ आमोद-प्रमोद

1. दृश्य-श्रव्य सैटों/सिनेमा वैनों की स्थापना/फिल्मों का प्रदर्शन
2. बीड़ी कर्मकारों के लिए खेल-कूद, सामाजिक व सांस्कृतिक क्रियाकलाप आयोजित करना
3. बीड़ी कर्मकारों के लिए अवकाश-गृह-योजना
4. बीड़ी कर्मकार औद्योगिक सहकारी समितियों को टीवी सैटों की आपूर्ति
5. बीड़ी कर्मकार आवास कालोनी में रंगीन टीवी सैट सहित सामुदायिक भवन स्थापित करना।

[हिन्दी]

विदेशी आतंकवादियों के साथ सांठगांठ रखने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी

3664. श्री मित्रसेन यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगरों में विदेशी आतंकवादियों से संबंध रखने वाले कितने व्यक्तियों को पिछले छः महीनों के दौरान गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या आतंकवादियों को राजनीतिज्ञों से संरक्षण मिल रहा है;

यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे संदेहास्पद व्यक्तियों के राजनीति में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध लगाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी गतिविधियों को बेकार सिद्ध करने और देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

3665. श्री राम नारायण मीणा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में विशेषत: औद्योगिक नगर कोटा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस आधारित उद्योगों की क्षमता बढ़ाने और नए उद्योग लगाने हेतु वर्तमान पाइप लाइन की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस गैस के वितरण को और अधिक व्यापक बनाने के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं। आज की तारीख में देश में एल.एन.जी. आधारित कोई उद्योग नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एल.एन.जी. का आयात ओपन जनरल लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के तहत है और इसीलिए एल.एन.जी. का आयात, पुन: गैसीकरण और वितरण सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र के किसी भी पक्षकार द्वारा मुक्त रूप से किया जा सकता है। एल.एन.जी. का आयात करने और वितरण करने के लिए की गई अनेक निजी पहलों के अलावा सरकार ने पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड के गठन का अनुमोदन भी किया है। यह कंपनी ओ.एन.जी.सी. लि., आई.ओ.सी. लि., गेल और बी.पी.सी.एल. की 50 प्रतिशत इक्विटी भागीदारी वाली और शेष इक्विटी वित्तीय संस्थाओं, निजी पक्षकारों आदि द्वारा लगाई जाने वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।

[अनुवाद]

क्षयरोग रोधी औषधि

3666. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चार औषधियों के मिश्रण से बनी क्षयरोग रोधी औषधियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक औषधियों की सूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या औषधि संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति ने इस प्रकार बनाये गए मिश्रण पर प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) 1998 की टी.आर.ए.पी. (ट्रैक) रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि:-

(1) जैव उपलब्धता को प्रदर्शित करते हुए एफ.डी.सी. फॉरमुलेशन का पंजीयन करने के लिए राष्ट्रीय औषध विनियामक प्राधिकरणों को प्रोत्साहित किया जाए।

(2) निर्धारित खुराक वाले कम्बीनेशन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक औषध सूची में शामिल किया जाना है।

(ख) और (ग) इस विषय वस्तु पर औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड की 46वीं और 47वीं बैठक में विचार-विमर्श

किया गया और समग्र राय ऐसे कम्बीनेशन के पक्ष में नहीं थी। इस संबंध में निम्नलिखित कारण दिए गए:-

(1) विशेष रूप से एफ.डी.सी. में रिफैम्पीसिन की अल्प जैव उपलब्धता;

(2) जैव उपलब्धता की बैच-दर-बैच व्यापक विविधताएं;

(3) जैव उपलब्धता हेतु विश्वसनीय जांच सुविधाओं का अभाव;

(4) एक औषध के आनुषंगिक प्रभावों के मामले में पूरे उपचार को बन्द किए जाने की जरूरत है;

(5) चार औषधों का भिन्न-भिन्न शैल्फ जीवन;

(6) चूंकि इथम्बूटोल आर्द्रताग्राही है, इसलिए यह एफ.डी.सी. को विवर्ण कर देता है और यह रोगियों के लिए अस्वीकार्य बन जाता है;

(घ) मौजूदा नीति को बदलने की कोई योजना नहीं है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड में रिक्तियां

3667. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड में विभिन्न इकाइयों/डिवीजनों/कार्यालयों में कनिष्ठ अधिकारी और अतिरिक्त सी.ई. स्तर के सम्बन्ध में श्रेणी-वार कितनी रिक्तियां पदोन्नति द्वारा भारी गई हैं;

(ख) इन रिक्तियों को भरने के लिए अपनाये गये मानदण्ड/नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पदोन्नति करते समय उक्त नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन में वर्ष 1998 के दौरान प्रत्येक इकाई/प्रभाग के लिए कनिष्ट अधिकारी एवं समतुल्य स्तर से ऊपर मुख्य अभियन्ता की पदोन्नति द्वारा भरी गई रिक्तियों की श्रेणीवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) रिक्ति उपलब्ध होने पर, प्रत्येक वर्ग में पदोन्नति न्यूनतम अर्हता, पद के लिए निर्दिष्ट अनुभव और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों और साक्षात्कार के माध्यम से मूल्यांकित कार्य क्षमता के आधार पर की जाती है।

विवरण

वर्ष 1998 के दौरान हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड में की गई पदोन्नतियों का विवरण : इकाई/प्रभाग वार

श्रेणी/इकाई	नामरूप	दुर्गापुर	बरौनी	हल्दिया	विपणन प्रभाग	सीपी.एल.ओ.एफ.पी. कलकत्ता	एण्ड ए.आर.डी. कलकत्ता	कारपोरेट कार्यालय	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अपर मुख्य अभियन्ता एवं समतुल्य (रु. 4900-7100)	5	4	2	–	2	–	–	2	15
उप मुख्य अभियन्ता एवं समतुल्य (रु. 4300-6300)	7	5	2	2	4	1	–	2	23
पी.एम./पी.ई. एवं समतुल्य (रु. 3700-5900)	14	7	10	–	2	2	–	5	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ए.पी.ई./ए.पी.एम. एवं समतुल्य (रु. 3100-5100)	23	12	9	–	7	–	–	2	53
सहायक अभियन्ता/सहायक अधिकारी एवं समतुल्य (रु. 2400-4320)	26	14	22	–	1	–	–	9	72
सहायक फोरमैन/कनिष्ठ अधिकारी एवं समतुल्य	23	15	26	–	–	–	–	–	64
	98	57	71	02	16	03	20	–	267

पी.एम. = संयंत्र प्रबन्धक ए.पी.एम. = सहायक संयंत्र प्रबंधक

पी.ई. = संयंत्र अभियन्ता ए.पी.ई. = सहायक संयंत्र अभियंता

लंबित विधेयक

3668. श्री भीम दाहाल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को सिक्किम राज्य सरकार से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए विधेयक प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विधेयकों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। दी सिक्किम ट्रांस्फर आफ लैंड (विनियमन) विधेयक, 1989 दी सिक्किम एलायनेशन आफ लैंड (विनियमन) विधेयक, 1989 विचारार्थ और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार को प्राप्त हुए हैं।

(ग) इन विधेयकों पर केन्द्र सरकार की टिप्पणियां स्पष्टीकरण के लिए राज्य सरकार को भेज दी गई हैं।

जम्मू-कश्मीर में महिलाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए योजना

3669. श्री उमर अब्दुल्ला : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में जम्मू-कश्मीर की महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के लिए कोई योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन

3670. श्री बैजनाथ रावत : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल निगम (आयल कारपोरेशन) की कम्पनियों ने उन लोगों को रसोई गैस कनेक्शन देना बंद कर दिया है जिनके नाम 1980 के पूर्व दर्ज थे परन्तु इन कम्पनियों से डी.डी.एल. प्राप्त करने के बाद दूसरे राज्यों में चले गये;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) मंत्रालय के निदेशानुसार, तेल कम्पनियों ने प्रारम्भ में यह योजना बनाई थी कि 1.1.91 से पूर्व की प्रतीक्षा सूची 31.10.97 तक निपटा दी जाए। भावी ग्राहकों/पंजीकृत व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पत्र तथा प्रेस द्वारा सूचित किया गया था। तथापि ग्राहकों से अच्छा उत्तर न मिलने के कारण, इसकी तारीख 31.12.97 तक बढ़ा दी गई थी और बाद में इसे 31.1.98 तक बढ़ा दिया गया था तथा इस सुविधा का पर्याप्त प्रचार भी किया गया था। अत: एक नीति के रूप में, यह निर्णय लिया गया था कि 31.1.98 के बाद प्राप्त होने वाले अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

[अनुवाद]

नर्सिंग भत्ता

3671. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार हाल ही में नर्सिंग भत्ते में बढ़ोत्तरी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यही बढ़ोत्तरी केंद्रीय जालमा कुष्ठ संस्थान, ताजगंज, आगरा के नर्सिंग कर्मचारियों पर भी लागू है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ङ) पांचवें वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार नर्सिंग भत्ता 1.8.97 से 150 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। बाद में 15.7.1998 से इसे बढ़ाकर 1600 रुपए कर दिया गया। राज्य नर्सिंग परिषदों के साथ पंजीकृत भारत सरकार के अधीन सभी नर्सिंग कार्मिक नर्सिंग भत्ते के पात्र हैं।

पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड

3672. डा. प्रभा ठाकुर : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेसर्स पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड बन्द हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उसे पुन: शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) से (घ) पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड (पी.सी.एल.) को 1994-95 से ही घाटा हो रहा है। अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयों के कारण गुजरात इन्डस्ट्रीज पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जी.आई.पी.सी.एल.) को बिजली सप्लाई के मद में भुगतान नहीं किया जा सका। बिजली सप्लाई की आसन्न कटौती को मद्देनजर और कच्चे माल और उपभोक्ता सामग्रियों के समाप्त होने के कारण भी पी.सी.एल. प्रबन्धन ने 23.11.1998 से सुरक्षित काम-बन्दी करने का निर्णय किया। पी.सी.एल. को अपना प्रचालन पुन: आरंभ करने के लिए 10 करोड़ रुपए की जरूरत होगी जिसकी अभी व्यवस्था नहीं की गई है। पी.सी.एल. प्रबन्धन ने तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता विश्लेषण प्रख्यात परामर्शदाता को सौंप दिया है और इस तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता विश्लेषण पर आधारित एक प्रस्ताव दिसम्बर, 1998 के अन्त तक सरकार को भेजे जाने की आशा है।

बीड़ी कामगारों हेतु अस्पताल

3673. श्री बीर सिंह महतो : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल, विशेषकर पुरूलिया जिले के लोस्टशिला में बीड़ी कामगारों हेतु एक अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में झालदा में बीड़ी कर्मकारों के लिए एक टी.बी. अस्पताल स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है। तथापि, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि में धन की कमी के कारण इस प्रस्ताव पर विचार करना संभव नहीं हो पाया है।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

3674. श्री एन. डेनिस : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने अब तक कितने व्यक्ति नियुक्त किए;

(ख) सरकार द्वारा राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के कार्यकरण, किराए, वेतन, बिजली, परिवहन और मनोरंजन इत्यादि पर प्रतिवर्ष कुल कितना व्यय किया गया है; और

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा फिजूलखर्ची को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) से (ग) ठेके के आधार पर रखे गए 10 व्यक्तियों सहित एन.पी.पी.ए. द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 51 है। वर्ष 1997-98 के दौरान सरकार द्वारा एन.पी.पी.ए. के कार्यकरण पर कुल लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एन.पी.पी.ए. द्वारा कोई गैर-जरूरी व्यय किए जाने की कोई जानकारी नहीं मिली है।

रोजगार कार्यालय

3675. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंस्टीट्यूट आफ पैरा मेडिकल टेकनालॉजी, नई दिल्ली द्वारा जारी डिप्लोमा राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त है;

(ख) क्या एक राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमाधारी व्यक्ति अन्य राज्यों के रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के पात्र हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के रिकार्डों के अनुसार उक्त परिषद् द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के किसी भी डिप्लोमा को मान्यता नहीं दी गई है। तथापि, जिन व्यक्तियों को इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मैडिकल टेक्नॉलाजी, नई दिल्ली द्वारा डिप्लोमा जारी किए गए हैं उन्हें रोजगार कार्यालय दिल्ली द्वारा पंजीकृत किया जा रहा है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त डिप्लोमाधारी किसी अन्य राज्य/संघ शासित प्रदेशों में स्थित किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकरण एवं नियोजन सेवाओं हेतु स्वत: पात्र नहीं होते। यह संस्था को राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई मान्यता, सम्बद्ध/राज्य संघ शासित प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार कार्यालयों को दिए गए अनुदेशों तथा/या नियोक्ता द्वारा इंगित की गई अपेक्षाओं पर निर्भर करता है।

अखिल भारतीय स्वास्थ्य रक्षक संगठन

3676. श्री अमन कुमार नागरा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय स्वास्थ्य रक्षक संगठन और इसके कामगारों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनसे संबंधित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनकी मांगों पर विचार करने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो समिति की संरचना क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति गठित करने के लिये अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को अखिल भारतीय स्वास्थ्य रक्षक संगठन से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उनकी मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:-

(1) ग्राम स्वास्थ्य गाइडों का मानदेय 50 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए करना;

(2) औषध किटों की आपूर्ति पुन: शुरू करना;

(3) सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराना;

(4) उन्हें बैठक भत्ता, पोशाक, लेखन सामग्री और परिचय पत्र आदि प्रदान करना।

(ग) से (ङ) जी, हां। ग्राम स्वास्थ्य गाइड स्कीम के कार्यकरण की जांच करने हेतु जुलाई 1997 में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति का संघटन और विचारार्थ विषयों का ब्यौरा संलग्न विवरण-घ में दिया गया है। इस समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है।

विवरण

सं. पी. 17019/2/93-आर.एच.एस.
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(परिवार कल्याण विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 25 जुलाई, 1997

विषय: ग्राम स्वास्थ्य गाइड स्कीम का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के कार्यक्रमों के संदर्भ में ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की उपयोगिता का पता लगाने की दृष्टि से निम्नलिखित समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है:-

1. श्री पी.के. उमाशंकर, मद्रास — अध्यक्ष
   पूर्व निदेशक,
   भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

2. डा. (श्रीमती) आर. बवेजा, — सदस्य
   प्रशासक और चिकित्सा अधीक्षक,
   कमला नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद

3. डा. अजय मेहता — सदस्य
   सेवा मन्दिर,
   न्यू फतेहपुरा, उदयपुर

4. उप सचिव (आर.एच.एस.) — सदस्य-सचिव
   स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे:

(क) यह समिति विभिन्न राज्यों में ग्राम स्वास्थ्य गाइडों द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन करेगी और सरकार को सलाह देगी कि इस स्कीम का मूल उद्देश्य कहां तक पूरा हुआ है।

(ख) यह समिति देश में उपलब्ध सांस्थानिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में एक समूह के रूप में ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की क्षमताओं का पता लगाएगी और यह सलाह देगी कि क्या उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संवर्धन हेतु और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।

(ग) यह समिति विभिन्न राज्यों में ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को उपलब्ध मानदेय और अन्य सुविधाओं की जांच करेगी और ऊपर (ख) में अपनी सिफारिशों के संदर्भ में मानदेय और अन्य सुविधाओं के उपयुक्त स्तर की सलाह देगी।

समिति को ग्राम स्वास्थ्य गाईडों द्वारा किए गए कार्य के अनुभव के बारे में राज्य सरकारों से फीडबैक प्राप्त करनी चाहिए और ग्राम स्वास्थ्य गाइडों द्वारा किए गए कार्य का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने के लिए कुछ राज्यों का दौरा करना चाहिए। सदस्य सचिव इस समिति के कार्य को सुविधाजनक बनाने और इसके संभारतंत्रों और सहायता संबंधी अनिवार्य व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेवार होगा।

समिति द्वारा छह मास की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./-

(डा. परविन्दर कौर)
अवर सचिव, भारत सरकार

पुनश्च:- तत्कालीन उप सचिव (आर.एच.एस.) डा. वी.के. मनचन्दा के स्थानान्तरण के बाद सहायक आयुक्त (सी.एच.) को इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में पदनामित किया गया है।

केरल में आयुर्वेदिक औषधि पंचकर्म संस्थान का विकास करना

3677. श्री एस. अजय कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की केरल में चेरूतूरूथी में आयुर्वेदिक औषधि के पंचकर्म संस्थान का विकास करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) भारतीय पंचकर्मा संस्थान, ...कार द्वारा 20 वर्ष के लिए पट्टे पर दिए केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है, के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य कर रहा है। उक्त भूमि का पट्टा विलेख (लीज डीड) 24.5.96 को समाप्त हो गया है। परिषद केरल राज्य सरकार द्वारा परिषद के पक्ष में भूमि के पट्टे का अवधीकरण करने के बाद ही उक्त संस्थान से इसका और आगे दर्जा बढ़ाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करेगी।

सरकारी क्षेत्र का पानीपत तेल शोधक कारखाना

3678. श्रीमती शीला गौतम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के पानीपत (हरियाणा) तेल शोधक कारखाने में पेट्रोलियम उत्पादों का वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उत्पाद-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कारखाने द्वारा उत्पादित किए जा रहे उत्पादों और गत छः महीनों के दौरान या काम आरम्भ हो जाने के समय से इसके वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन उत्पादों के सी.एल.एफ./विपणन एजेंटों और वितरकों की संख्या कितनी है, उन्हें कौन-कौन सा कार्य क्षेत्र दिया गया हैं और उनकी सेवा शर्तें क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। पानीपत रिफाइनरी में नवम्बर, 1998 तक पेट्रोलियम उत्पादों का संचयी उत्पादन निम्नवत है:

(आंकड़े हजार टन में)

	1998-99 (नवम्बर, 1998 तक)
क्रूड थ्रुपुट	1096.3
उत्पाद :	
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस	3.5
नाफ्था	153.9
सुपीरियर केरोसीन	25.0
हाई स्पीड डीजल	421.4
मट्टी तेल	11.0
भारी पेट्रोलियम स्टाक	329.9

इसमें मई, 1998 से सितम्बर, 1998 तक की परीक्षण उत्पादन मात्रा तथा अक्तूबर, 1998 से वाणिज्यिक उत्पादन मात्रा सम्मिलित है।

(ग) पानीपत रिफाइनरी ने किसी सह-उत्पाद का उत्पादन नहीं किया है।

(घ) पानीपत रिफाइनरी उत्पादन के संबंध में कोई सी.एल.एफ./विपणन एजेन्ट या डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त नहीं है।

रोजगार कार्यालय

3679. श्री जयराम आई.एम. शेट्टी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उपक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, कर्जन रोड, नई दिल्ली में पंजीकरण के मामलों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय कर्जन रोड, से संबंधित अनेक अनियमितताओं की कोई शिकायत संसद सदस्यों से प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर इस रोजगार कार्यालय के काम-काज में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, कर्जन रोड, जो अब किर्बी प्लेस, नई दिल्ली में कार्य कर रहा है, में पंजीकृतों की संख्या में दिनोदिन कोई वृद्धि नहीं हो रही है।

(ख) और (ग) दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को सांसदों से कुछ पत्र मिले हैं जिन में यह आरोप लगाया गया है कि इस उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के कर्मचारी वरिष्ठता में बोगस रिकार्ड तैयार करने में लिप्त हैं तथा विभिन्न नियोक्ताओं को ऐसे नामांकन भेज रहे हैं। परंतु ऐसा कोई विशेष मामला देखने में नहीं आया है। एक अन्य सांसद से 134 समूह ''घ'' के पदों की अधिसूचित रिक्तियों हेतु पंजीकृतों के नाम भेजने में हुई देरी से संबंधित पत्र भी प्राप्त हुआ है। इन रिक्तियों हेतु नामांकन 18 नवम्बर, 1998 तक भेजे जा चुके थे।

(घ) दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के अनुदेशों के अनुसार नामांकन भेजने संबंधी योजना रोजगार कार्यालयों के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाती है। इसके अतिरिक्त नियोक्ता को उनके नाम भेजे जाने से संबंधित सूचना पंजीकृतों को अलग से दी जाती है।

दिल्ली में मुस्लिम परिवार

3680. **प्रो. सैफुद्दीन सोज :**
श्री जी.एम. बनातवाला :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में भारी संख्या में मुस्लिम परिवारों को संबंधित सब-डिवीजनल मेजिस्ट्रेट द्वारा यह आरोप लगाते हुए नोटिस दिया गया था कि उनके पूर्वज पाकिस्तानी नागरिक थे और उन्हें कथित रूप से पाकिस्तानी नागरिकों की स्वामित्व वाली सम्पत्तियों/सम्पत्ति के हिस्से का ब्यौरा प्रस्तुत किए जाने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने नोटिस जारी किए गए और उनमें से कितने मामले निपटाए गए और कितने मामले लम्बित हैं;

(ग) ऐसे कानून का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत ऐसे नोटिस जारी किए गए हैं और ऐसे नोटिस जारी करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी कौन है;

(घ) क्या सब डिवीजनल मेजिस्ट्रेट को ऐसे नोटिस जारी करने का कोई प्राधिकार नहीं है; और

(ङ) अल्पसंख्यक मुसलमानों को परेशान न किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। जून, 1998 से 12 सम्पत्तियों के बारे में नोटिस शत्रु की सम्पत्ति के कब्जाधारियों की हैसियत सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए थे न कि संबंधित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता के बारे में पता लगाने के उद्देश्य से प्राप्त उत्तरों की संवीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) नोटिस शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 के अंतर्गत जारी किए गए थे और भारत के शत्रु सम्पत्ति नियंत्रक ने, शत्रु सम्पत्ति अधिनियम 1968 की धारा 8 के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट को ऐसे उपाय करने के लिए प्राधिकृत किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में शत्रु सम्पत्ति के संरक्षण और प्रबंध के लिए आवश्यक या समीचीन समझे जाने वाले उपाय करें।

(ङ) तथ्यपरक ब्यौरे मांगने के लिए की गई कार्रवाई परेशान करने के लिए नहीं है। तथापि संबंधित सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट और इस प्रकार के मामलों से निपटने वाले अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन नोटिसों पर कार्रवाई करते हुए किसी भी व्यक्ति को तंग न किया जाये।

ओ.एन.जी.सी. की प्रचालन गतिविधियां

3681. **श्रीमती रानी नरह :**
प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री तारिक अनवर :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्लैक मेल, बलात वसूली तथा पुलिस ज्यादतियों के कारण असम में ओ.एन.जी.सी. को अपनी प्रचालन गतिविधियों में बढ़ती हुई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप ओ.एन.जी.सी. को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है; और

(घ) सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन असम में मौजूदा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के कारण तथा पर्यावरणीय समस्याओं के कारण अपने प्रचालनों का प्रबंधन करने में कभी-कभी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। वहां स्थानीय ग्रामीणों/नौजवानों/विभिन्न संगठनों द्वारा [illegible] गैस कारपोरेशन के प्रचालनात्मक स्थलों के [illegible] लिए कई बार आह्वान हुए हैं।

(ग) वर्ष 1996-97 तथा वर्ष 1997-98 के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन को क्रमश: 4143 मीट्रिक टन तथा 6546.1 मीट्रिक टन मात्रा की तेल उत्पादन हानि हुई थी। कथित अवधि के दौरान उत्पादन के-अंतर्गत हुई हानि के कारण आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन को हुई राजस्व हानि क्रमश: 82.48 लाख रुपए तथा 146.66 लाख रुपए है।

(घ) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने अपने कर्मचारियों तथा संपत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए नियमित सुरक्षा कर्मचारियों तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को इस कार्य पर लगाया है। जिला प्रशासन, पुलिस प्राधिकारियों तथा गुप्तचर एजेंसियों के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं।

फार्मास्युटिकल्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन

3682. श्री के.पी. मोहन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के फार्मास्युटिकल्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन से लघु उद्योग क्षेत्र की औषधि उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित औषधियों को मूल्य नियंत्रण से बाहर रखे जाने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या नियंत्रित औषधियों की अधिकतम मूल्य सीमा प्रमुख उत्पादकों की उत्पादन लागत पर निर्धारित की गई थी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) डी.पी.सी.ओ., 95 के पैरा 7 में निर्धारित फार्मूला के अनुसार आमतौर पर बेचे जाने वाले मूल्य नियंत्रित सूत्रयोगों के मानक पैक आकारों की अधिकतम कीमतें डी.पी.सी.ओ., 95 के पैरा 9 के अंतर्गत नियत की जाती हैं।

आमतौर पर बेचे जाने वाले मानक पैक आकार के सूत्रयोगों को "सितम्बर, 94 में घोषित औषध नीति 1986 में संशोधन" के पैरा 22.7.3 में निर्धारित प्रावधान, जो संसद में विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था के अनुसार, विनिर्माता का आकार चाहे कोई भी हो, को मूल्य नियंत्रण में रखना एक सर्वमान्य नीति निर्णय है। एस.एस.आई. इकाइयों के अन्य उत्पादन मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं हैं।

भारत में रह रहे विदेशी

3683. श्री रवि सीताराम नायक :
श्री सी.डी. गामीत :
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री मोहन रावले :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कई विदेशी नागरिक दीर्घावधि आधार पर रह रहे है;

(ख) यदि हां, तो 30 नवंबर, 1998 की स्थिति के अनुसार ऐसे विदेशियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ग) देश में उनके निर्धारित अवधि से अधिक अप्रवास के क्या कारण हैं;

(घ) उनके देश में रहने के निर्धारित सीमा संबंधी मानपदण्ड क्या हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तानी नागरिकों सहित कितने विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए;

(च) क्या इनमें से कुछ असामाजिक/तस्करी गतिविधियों में लिप्त पाए गए;

(छ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को/संघ राज्य क्षेत्रों को इस संबंध में कोई निर्देश जारी किए गए हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) उन्हें उनके देश वापस भेजने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31.12.1997 की स्थिति के अनुसार शरणार्थियों को छोड़कर भारत में 1,53,129 पंजीकृत विदेशी रह रहे थे। इन पंजीकृत विदेशियों का राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन-वार विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) भारत में पंजीकृत अध्ययन, व्यवसाय, रोजगार आदि जैसे प्रयोजनों के लिए रह रहे हैं और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उनके ठहरने के प्रयोजन को देखते हुए समय-समय पर उनके ठहरने की अवधि बढ़ाई जाती है।

(ङ) और (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1995, 1996 और 1997 के दौरान तस्करी, मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार, विदेशियों विषयक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन आदि करने सहित अपराध करने के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रिकों सहित गिरफ्तार किए गए विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या निम्नानुसार है:

1995	2607
1996	2123
1997	2655

(छ) से (झ) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को, देश में गैर-कानूनी रूप से रह रहे अथवा गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त विदेशियों का पता लगाने और उन्हें स्वदेश वापस भेजने सहित उनके विरुद्ध संबद्ध कानून के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए निदेश समय-समय पर दिए गए हैं/दोहराए गए हैं।

विवरण

31.12.1997 की स्थिति के अनुसार भारत में राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन-वार पंजीकृत विदेशी (शरणार्थियों को छोड़कर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन	पंजीकृत विदेशी
1	2
आन्ध्र प्रदेश	2,697
अरूणाचल प्रदेश	–
असम	61
बिहार	1,007
गोवा	1,919
गुजरात	15,507
हरियाणा	1,051
हिमाचल प्रदेश	981
जम्मू और कश्मीर	218
कर्नाटक	11,547
केरल	4,459
मध्य प्रदेश	6,152
महाराष्ट्र	33,929
मणिपुर	7
मेघालय	171

1	2
मिजोरम	223
नागालैंड	7
उड़ीसा	528
पंजाब	4,213
राजस्थान	7,488
सिक्किम	7
	9,929
त्रिपुरा	19
उत्तर प्रदेश	6,826
पश्चिम बंगाल	5,588
संघ शासित क्षेत्र	
अ. और नि. द्वीपसमूह	37
चंडीगढ़	1,394
दादरा और नगर हवेली	4
दमन और दीव	532
दिल्ली	32,788
लक्षद्वीप	2
पांडिचेरी	3,838
कुल	1,53,129

पाकिस्तान से हमले की संभावना

3684. वैद्य विष्णु दत्त : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कठोर दृष्टिकोण अपनाने तथा पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर एवं पंजाब में आतंकवादियों को निरंतर समर्थन दिए जाने के दृष्टिगत पाकिस्तान के आक्रमण की कोई संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के प्रस्ताव का परित्याग कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) पाकिस्तान द्वारा आक्रमण करने की किसी तात्कालिक योजना के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

3685. श्री बची सिंह रावत "बचदा"
श्री आर.एस. गवई :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में विशेषकर पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजनाओं का राज्यवार विशेषकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) जी नहीं। जून, 1997 से

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विशेष राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह प्रति परिवार जारी करने की परिकल्पना की गई है, के शुरू होने से सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली बंद हो गई है जो देश में पहचान किए गए 1775 ब्लाकों में 1992 से चल रही थी और जिसके अधीन इन क्षेत्रों में सामान्य केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 50 पैसे प्रति किलोग्राम कम मूल्य पर खाद्यान्न जारी किए जाते थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस कारण संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किसी प्रकार की निधियों का आवंटन नहीं किया गया था। तथापि, 1994-95, 1995-96 और 1996-97 की अवधि के लिए सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सूचित किया गया खाद्यान्नों का राज्यवार उठान संलग्न विवरण में देखा जा सकता है।

विवरण

1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का उठान

(हजार टन में)

क्रम.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	501.34	685.75	612.76
2.	अरूणाचल प्रदेश	90.28	94.40	107.08
3.	असम	20.02	58.27	106.00
4.	बिहार	134.91	104.71	132.67
5.	गुजरात	295.84	401.67	480.98
6.	हरियाणा	29.75	51.53	88.49
7.	हिमाचल प्रदेश	8.91	9.61	8.34
8.	जम्मू और कश्मीर	111.57	128.20	उ.न.
9.	कर्नाटक	400.85	519.37	602.22
10.	केरल	117.75	247.57	271.29

1	2	3	4	5
11.	मध्य प्रदेश	219.82	209.69	400.96
12.	महाराष्ट्र	285.15	476.00	403.70
13.	मणिपुर	27.41	29.78	47.51
14.	मेघालय	136.99	197.09	207.64
15.	मिजोरम	96.44	120.76	103.56
16.	नागालैंड	135.17	90.37	97.44
		210.33	365.27	449.20
18.	राजस्थान	447.81	441.16	748.22
19.	सिक्किम	24.94	35.51	18.41
20.	तमिलनाडु	75.42	150.85	278.47
21.	त्रिपुरा	51.27	53.33	54.24
22.	उत्तर प्रदेश	242.76	307.97	488.31
23.	पश्चिम बंगाल	215.86	224.98	219.46
24.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	उ.न.	4.51	0.04
25.	दादर व नगर हवेली	0.05	1.56	7.04
26.	दमन और दीव	1.88	0.78	1.50
27.	लक्षद्वीप	6.82	2.10	47.38
	जोड़	3889.34	5012.79	5982.91

भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण

3686. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जोधपुर स्थित भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय और क्वास, मोहनगढ़, नागौर और हनुमानगढ़ स्थित इसकी शाखाएं घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जोधपुर स्थित मुख्यालय के प्रबंधक को लगभग डेढ़ वर्ष पहले मुअत्तल कर दिया गया था; और

(घ) सरकार द्वारा घाटे को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) और (ख) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ.सी.आई.) का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है एफ.सी.आई. का खनन संगठन राजस्थान में है जिसका मुख्यालय जोधपुर में है तथा इसकी खानें क्वास, मोहनगढ़ इत्यादि में हैं। खनन संगठन अपने समग्र प्रचालन में अब मामूली लाभ दर्शा रहा है।

(ग) जोधपुर खनन संगठन के विपणन प्रबंधक को 25.2.97 से निलम्बित कर दिया गया था। 10.6.97 को निलम्बन आदेश रद्द कर दिया गया था।

(घ) एफ.सी.आई. का जोधपुर खनन संगठन इस समय हानि में चल रहा है।

3687. श्री शकुनी चौधरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.एस.आई. के भारत में कई स्थानों पर अपने ठिकाने हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन ठिकानों को नष्ट करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या आई.एस.आई. के आतंकवादियों को आश्रय देने के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;

(घ) यदि हां, तो आश्रय देने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं, ताकि देश के लोग इन्हें देशद्रोही के रूप में मानें;

(ङ) क्या सरकार का बिना देरी किये आई.एस.आई. के ऐसे सभी ठिकानों को तहस-नहस करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि आई.एस.आई. ने भारत में अपने अड्डे बना लिए हैं। तथापि, आई.एस.आई. की कतिपय उग्रवादी और आतंकवादी ईकाईयों (मोड्यूल्स), जिनका पता चला था, को समय-समय पर निष्क्रिय कर दिया गया था।

(ग) और (घ) ऐसे दृष्टांत जानकारी में आए हैं जिनमें पाक समर्थित आश्रयदाताओं ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित उग्रवादियों को आश्रय उपलब्ध कराए हैं।

(ङ) और (च) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान की आई.एस.आई. देश में तोड़-फोड़ और हिंसा करवा रही है।

आई.एस.आई. के इरादों का मुकाबला करने और उन्हें नाकाम करने के लिए आसूचना तंत्र को सुग्राही बना कर और सक्रिय करके संबंधित केन्द्र/राज्य एजेन्सियों के बीच आसूचना का आदान-प्रदान करके तथा समन्वित कार्रवाई के द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस और आसूचना संगठनों को पाकिस्तान की आई.एस.आई. की ईकाईयों (मोड्यूल्स) और उसकी गतिविधियों को देश के सभी भागों में, जब भी और जहां भी इनका पता चले, निष्क्रिय करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

राष्ट्रपति शासन लागू करना

3688. डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उन राज्यों में जहां राज्य सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल हो गई है राष्ट्रपति शासन लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) राज्य में राष्ट्रपति शासन, भारत के संविधान के उपबन्धों के

अनुसार लगाया जाता है। इस समय किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश

3689. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 सितम्बर 1998 के ''द टाइम्स आफ इंडिया'' में ''डी.पी.सी.ओ. लिस्ट शुड बी कट टु ओन्ली 15 ड्रग्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

[illegible] की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) से (ग) 20 सितम्बर, 1998 के टाइम्स आफ इंडिया (दिल्ली संस्करण) में ''डी.पी.सी.ओ. सूची को छोटा करके उसमें केवल 15 औषधें शामिल की जाएं'' शीर्षक से कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ है। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पुलिस/न्यायिक हिरासत

3690. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अब तक कितने व्यक्तियों को तीन माह अधिक पुलिस या न्यायिक हिरासत में रखा गया तथा छोड़ा गया;

(ख) इनमें महिलाओं तथा बच्चों की संख्या कितनी थी; और

(ग) कानून लागू करने वाले के हाथों मौलिक अधिकारों के ऐसे हनन को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं और निराधार अभियोगों को रोकने हेतु केन्द्रीय कानून लागू करने वाली एजेन्सियों का पुनर्गठन करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) पुलिस का कार्यकरण और जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में न्याय प्रशासन क्रमशः राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है। तीन माह से अधिक पुलिस अथवा न्यायिक हिरासत में रखे गये व्यक्तियों और उनकी रिहायी आदि संबंधी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित प्रावधानों, जिसमें किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने संबंधी अवधि का प्रावधान है, के अलावा, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए अनेक न्यायिक उद्घोषणाओं में दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए। ये केन्द्रीय कानून प्रवर्तन एजेन्सयों पर भी लागू होते हैं। केन्द्रीय कानून प्रवर्तन एजेन्सियों के पास मामलों को न्यायालयों में भेजने से पूर्व संवीक्षा करने के लिए नियमित तंत्र उपलब्ध है।

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के बिजली/पानी बिल

3691. श्री भेरूलाल मीणा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने 15.9.98 से बिजली और पानी की शुल्क दरों में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सितम्बर, 1998 में किस आधार पर दो माह के 1000 रु. से अधिक राशि के बिल भेजे गए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के बिजली विभाग ने बढ़ी हुई राशि को अगले बिल की राशि में समायोजित करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की है;

(ङ) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने बिल-राशि को समायोजित करने के लिए अलग से काउंटर खोला है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) सरकारी कर्मचारियों के मामले में सितम्बर, 1998 के बिलों में बकाया की राशि को भी जोड़ा गया है। तथापि, उपभोक्ताओं को, यदि वे चाहे तो बकाया की राशि का भुगतान किश्तों में कर सकते हैं।

(ङ) और (च) बिजली और पानी के बिलों के बारे में उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनने के लिए पालिका केन्द्र में सहायक सचिव (रेट्स) की देख-रेख के अन्तर्गत एक अलग शिकायत कार्यालय स्थापित किया गया है जिसमें उनकी सहायता के लिए एक अनुभाग अधिकारी और सत्तर कनिष्ठ/वरिष्ठ लिपिक हैं।

[अनुवाद]

सीमा सुरक्षा मंत्रालय का गठन

3692. श्री दिलीप संघाणी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए राज्य में एक सीमा सुरक्षा मंत्रालय का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

कानून और व्यवस्था संबंधी विशेषज्ञ समिति

3693. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से दिल्ली में कानून और व्यवस्था तथा पुलिस आवश्यकता का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने सरकार को पुलिस बल के आधुनिकीकरण के प्रश्न के साथ-साथ दिल्ली पुलिस की मानव शक्ति आवश्यकताओं की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का निदेश दिया है। इस बारे में कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग

3694. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) क्या देश में पुलिस प्रणाली में तत्काल सुधार और पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह कहा है कि आयोग को प्राप्त पचास प्रतिशत शिकायतें पुलिस ज्यादतियों से संबंधित थी।

(घ) क्या गत दो वर्षों के दौरान पुलिस को और अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु उच्चतम न्यायालय ने भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो पुलिस पैनल रिपोर्ट को लागू न किए जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख), (घ) और (ङ) उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार राष्ट्रीय पुलिस आयोग की संस्तुतियों की समीक्षा करने तथा लंबित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीके सुझाने के लिए श्री जे.एफ. रिबेरा की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई थी। उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार इस समिति की प्रथम रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में फाइल करने हेतु भेज दी गई है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पंजीकृत मामलों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

मामलों का वर्ष-वार विवरण

क्र.सं.	वर्ष	पंजीकृत मामले	स्वीकार किए गए मामले	पुलिस के अनुचित व्यवहार संबंधी मामले
1.	1993-94	496	174	96
2.	1994-95	6987	1660	801
3.	1995-96	10195	4081	1501
4.	1996-97	20514	6503	2806
		36792	8619	2700
	कुल	74984	21037	7904

जम्मू और कश्मीर में हथियारों का जब्त किया जाना

3695. श्री तारिक अनवर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के शीर्ष राजनीतिज्ञों के संबंधियों के निवास से एक राकेट लॉन्चर तथा युनिवर्सल मशीन गन्स सहित कई हथियार जब्त किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार सौरा निवासी, शेख अली मोहम्मद के फलों के बाग से एक राकेट प्रोपैल्ड गन (आर.पी.जी.) तथा एक यूनिवर्सल मशीन गन (यू.एम.जी.) बरामद की गई थी। सौरा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 266/98 दर्ज कर ली गयी है।

बंगलादेश से आप्रवासी व्यक्ति

3696. श्री राजकुमार वंग्चा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 25 मार्च, 1971 के बाद बांगलादेश से आए आप्रवासी बांगलादेश वापस भेज दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें वापस भेजने में देरी के क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) अवैध घुसपैठियों का पता लगाना और उन्हें प्रत्यावर्तित करना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत असम के मामले में तथा विदेशियों विषयक अधिनियम के अन्तर्गत 1946 देश के विभिन्न भागों में रहने वाले अवैध प्रवासियों/विदेशियों को पहचानने, पता लगाने और उन्हें प्रत्यावर्तित करने की शक्तियां राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रदत्त की गई है। प्रत्यावर्तित अवैध प्रवासियों/विदेशियों की संख्या से संबंधित राज्य-वार आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

अवैध आग्नेयास्त्रों की आवक

3697. श्री एम. बागा रेड्डी :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर में अवैध आग्नेयास्त्रों और विस्फोटकों की लगातार आवक की ओर इंटरपोल का ध्यान आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) जब कभी भी आग्नेय-शस्त्रों के ऐसे अवैध व्यापार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ हो, से संबंधित कोई विशेष मामले का पता चलता है, जिसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो/राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल के लिए लिया जाता है और जिसमें इंटरपोल या अन्य देशों की सहायता अपेक्षित होती है तो भारत के राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो, (एन.सी.बी.) के रूप में केन्द्रीय जांच ब्यूरो मामले-मामले के आधार पर इंटरपोल जनरल सेक्ट्रियेट या अन्य सदस्य देशों से मदद मांगता है। आग्नेय-शस्त्रों और विस्फोटकों के अवैध व्यापार से संबंधित मामला और उसे रोकने के लिए कारगर

विनियम की आवश्यकता को भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बैठकों/सम्मेलनों में उठाया गया है, जहां भी यह विषय चर्चा के लिए आया है। इंटरपोल जनरल सेक्ट्रियेट और सदस्य देश अपने कानूनी उपबंधों और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार पारस्परिक आधार पर सहायता प्रदान करते हैं।

औषधों की उत्पादन लागत

3698. श्री वैको : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु के भेषज निर्माताओं के लघु उद्योगों ने बड़े निर्माताओं की उत्पादन लागत पर आधारित नियंत्रित औषधियों के अधिकतम मूल्य नियत किए हैं जो लघु क्षेत्र के उद्योगों की प्रचालन लागत से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु क्षेत्र के इन उद्योगों को मूल्य नियंत्रण की परिधि से बाहर रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) से (घ) डी.पी.सी.ओ., 95 के पैरा 7 में दिए गए फार्मूले के अनुसार मूल्य नियंत्रित सूत्रयोगों के आमतौर पर बेचे जाने वाले मानक स्तर के पैक-आकारों के लिए अधिकतम मूल्य डी.पी.सी.ओ., 95 के पैरा 9 के तहत निर्धारित किए जाते हैं। विनिर्माता के उत्पाद का आकार चाहे कुछ भी हो, यह मूल्य नियंत्रित सूत्रयोगों के आमतौर पर बेचे जाने वाले मानक स्तर के पैक-आकारों को रखने के लिए एक सुविचारित नीतिगत निर्णय है जैसा कि सितम्बर, 1994 में घोषित ''औषध नीति, 1986 में संशोधनों'' के पैरा 22.7.3 में दिया गया है, जिसे संसद में बहस के बाद तैयार किया गया था। लघु क्षेत्र की इकाइयों के अन्य उत्पाद मूल्य नियंत्रण के तहत नहीं आते हैं।

[हिन्दी]

विदेशी लोगों पर प्रतिबंध

3699. डा. शकील अहमद : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के योग संस्थानों में विदेशी पर्यटकों के पंजीकरण और योग करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अगले पर्यटन मौसम में अधिकाधिक विदेशियों को आकर्षित करने के लिए योग शिक्षा संस्थानों को कोई अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उक्त विरोधाभास के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) जी नहीं, श्रीमान्। मान्यताप्राप्त संस्थानों में योगा और वैदिक संस्कृति के अध्ययन के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशियों को दीर्घकालीन योगा बीजा प्रदान करने की शक्तियां विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों को प्रदत्त की गई हैं।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा आंतकवादियों को सहायता

3700. श्री आदित्य नाथ :
श्री सुशील कुमार शिन्दे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान देश के विभिन्न भागों में विभिन्न आतंकवादी संगठनों को सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो आतंकवाद से निबटने के लिए प्रतिक्रियात्मक नीति की बजाय आक्रामक नीति अपनाने हेतु सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं; और

(ग) 15 अगस्त, 1998 को स्वतंत्रता दिसव पर प्रधान मंत्री द्वारा ''सीमापार से समर्पित और प्रोत्साहित आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने'' की चेतावनी पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और पाकिस्तान आई.एस.आई. तथा अन्य ऐसे तत्वों द्वारा प्रायोजित गतिविधियों और आतंकवाद से संबंधित घटनाओं की बारंबारता तथा सघनता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार ने, पाकिस्तान सरकार के साथ उपलब्ध प्रत्येक अवसर पर, भारत के खिलाफ उकसाए और प्रायोजित किए जा रहे आतंकवाद में पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका के मुद्दे को कड़ाई

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान एकीकृत बाल विकास सेवा (सामान्य) योजना के अधीन राज्यवार रिलीज की गई निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96 रिलीज की गई रकम	1996-97 रिलीज की गई रकम	1997-98 रिलीज की गई रकम
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	2944.16	2950.58	3135.53
	[illegible] प्रदेश	657.98	402.79	406.52
3.	असम	1859.19	1741.46	1634.35
4.	बिहार	2955.19	2450.28	1469.02
5.	गोवा	189.63	166.45	188.76
6.	गुजरात	2477.95	4355.36	5312.14
7.	हरियाणा	1026.86	1473.45	2203.65
8.	हिमाचल प्रदेश	852.93	704.32	904.24
9.	जम्मू व कश्मीर	902.98	1531.59	511.86
10.	कर्नाटक	4153.54	4132.23	5158.03
11.	केरल	1788.95	2390.12	2380.62
12.	मध्य प्रदेश	3902.20	3898.16	4840.29
13.	महाराष्ट्र	5409.35	5682.23	6925.69

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	484.31	472.55	795.10
15.	मेघालय	549.69	120.98	524.81
16.	मिजोरम	308.16	382.53	413.11
17.	नागालैंड	559.76	736.30	543.85
18.	उड़ीसा	1737.01	1629.46	2158.13
19.	पंजाब	1093.17	1288.62	1525.90
20.	राजस्थान	2565.63	3238.83	3373.72
21.	सिक्किम	126.40	40.46	63.29
22.	तमिलनाडु	2981.45	1140.94	2513.24
23.	त्रिपुरा	359.90	382.71	447.67
24.	उत्तर प्रदेश	11141.94	5798.34	7401.73
25.	पश्चिम बंगाल	4833.65	4704.65	5151.28
26.	दिल्ली	616.47	601.24	565.98
27.	पांडिचेरी	117.78	50.76	105.55
28.	अंडमान व निकोबार	66.62	66.65	63.27
29.	चंडीगढ़	38.82	56.92	95.77
30.	दादरा व नगर हवेली	27.81	18.72	21.88

1	2	3	4	5
31.	दमण व दीव	36.32	30.85	26.79
[illegible]	[illegible]	15.66	14.58	8.82
33.	आर.के. मिशन	18.74	15.66	-
34.	विविध	37.83	99.36	14.64
	कुल	56838.03	52770.13	60885.49

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96 से 1997-98 के दौरान एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अधीन खोले गए आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	475	0	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	330	0	0
3.	असम	1866	1237	0
4.	बिहार	1152	1508	57
5.	गोवा	0	0	0
6.	गुजरात	123	181	0
7.	हरियाणा	1119	711	0
8.	हिमाचल प्रदेश	893	417	0

1	2	3	4	5
9.	जम्मू व कश्मीर	500	599	0
10.	कर्नाटक	9610	1718	
11.	केरल	3673	628	994
12.	मध्य प्रदेश	2617	6636	0
13.	महाराष्ट्र	0	3726	0
14.	मणिपुर	14	0	3417
15.	मेघालय	284	180	0
16.	मिजोरम	53	0	0
17.	नागालैण्ड	0	0	0
18.	उड़ीसा	2296	820	1236
19.	पंजाब	1150	407	0
20.	राजस्थान	2934	1275	0
21.	सिक्किम	172	0	0
22.	तमिलनाडु	937	0	8
23.	त्रिपुरा	204	309	0
24.	उत्तर प्रदेश	671	3126	1740
25.	पश्चिम बंगाल	3293	4497	0

1	2	3	4	5
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	22	70	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0
28.	दिल्ली	550	82	0
29.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0
30.	दमण व दीव	6	0	0
		6	1	0
32.	पांडिचेरी	0	29	0
	योग	34750	28157	7452
	कुल योग	70359		

डीलर चयन बोर्ड

3706. श्री राजनारायण पासी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीलर चयन बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मनोनीत करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश के डीलर चयन बोर्डों में किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचिच जनजाति के सदस्य को मनोनीत नहीं किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है?

पेट्रलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) वर्तमान में डीलर चयन बोर्डों का गठन निम्नवत् है:

उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश	अध्यक्ष
एक संबंधित तेल कंपनी का एक अधिकारी जो मुख्य प्रबंधक की श्रेणी से नीचे का न हो	सदस्य
अन्य दूसरी तेल कंपनी का एक अधिकारी जो मुख्य प्रबंधक की श्रेणी का हो	सदस्य

दिनांक 1 जनवरी, 1993 से डीलर चयन बोर्डों का गठन, जो कि तब तेल चयन बोर्डों (ओ.एस.बी.) के रूपमें जाने जाते थे, निम्नवत् था:

(1) उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश अध्यक्ष

(2) अ.जा./अ.ज.जा./अन्य कमजोर वर्गों का प्रतिनिधि — सदस्य

(3) एक प्रमुख सार्वजनिक हस्ती — सदस्य

जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, वर्ष 1993 में उपर्युक्त गठन से एक तेल चयन बोर्ड का गठन किया गया था। तथापि, मार्च, 1994 में उत्तर प्रदेश से संबंधित तेल चयन बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था और यह आरम्भ से एक अध्यक्ष तथा (3) पर उल्लिखित श्रेणी से एक सदस्य के साथ स्थापित किया गया था। उपर्युक्त श्रेणी (2) से संबंधित अन्य सदस्य की नियुक्ति बाद में की जानी थी। इस बोर्ड का कार्यकाल 2 वर्ष अथवा अगले आदेशों, इनमें जो भी पहले हो, तक के लिए था। इस बोर्ड का कार्यकाल 2 वर्ष अथवा अगले आदेशों, इनमें जो भी पहले हो, तक के लिए था। इस बोर्ड का कार्यकाल 8 मार्च, 1996 को समाप्त हो गया था। न्यूनतम दो सदस्यों से इस बोर्ड की गणपूर्ति होनी थी।

क्रेचों की उपलब्धता

3707. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री सुनील खां :
श्री विकास चौधरी :
डा. असीम बाला :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996 के दौरान चाय बागान वाले विभिन्न राज्यों में कितने क्रेच चल रहे थे;

(ख) प्रत्येक राज्य में इन क्रेचों में कुल कितने बच्चे दाखिल थे;

(ग) इन राज्यों में क्रेचों के कर्मचारियों को कुल कितनी मजदूरी का भुगतान किया गया; और

(घ) इन क्रेचों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल मजदूरी के अलावा इन बच्चों की देख-रेख करने पर कुल कितना व्यय हुआ?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) बगान श्रमिक अधिनियम, 1951 के अंतर्गत नियोजकों द्वारा शिशु सदनों की व्यवस्था करना अनिवार्य बनाया गया है। विगत 12 महीनों के दौरान किसी भी दिन ठेकेदार द्वारा नियोजित महिला कर्मकारों सहित 50 या अधिक महिला कर्मकारों का नियोजन करने वाले प्रत्येक बगान या जहां महिला कर्मकारों के बच्चों की संख्या 20 या अधिक है वहां ऐसे महिला कर्मकारों के बच्चों के प्रयोग के लिए नियोजिक समुचित कमरों की व्यवस्था करेगा और उनका रखरखाव करेगा।

राज्य सरकार के अनुसार तमिलनाडु राज्य में कर्मचारियों को दी गई कुल मजदूरी 72.04 लाख रुपये है और इन शिशु सदनों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की मजदूरियों को छोड़कर इन बच्चों की देख-रेख पर किया गया व्यय 3.17 करोड़ रुपये है।

श्रम ब्यूरों, शिमला के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार शिशु सदनों की कुल संख्या और 1996 में उनमें दाखिल बच्चों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चाय बागानों में शिशु सदनों से संबंधित आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995		1996		1997 (अ.)	
	चाय बागानों में शिशु सदनों की कुल संख्या	दाखिल बच्चों की संख्या	चाय बागानों में शिशु सदनों की कुल संख्या	दाखिल बच्चों की संख्या	चाय बागानों में शिशु सदनों की कुल संख्या	दाखिल बच्चों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
असम	4800	28400	4925	20792	*	*
हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	8	276	7	342	8	624
केरल	131	5508	161	5694	*	*
तमिलनाडु	252	4869	272	5244	286	4646
त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	19	128
उत्तर प्रदेश	*	*	*	*	*	*
	557	8391	586	8960	*	*
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	*	*	शून्य	शून्य	*	*

*विवरण प्राप्त नहीं हुए।

अ.-अनन्तिम परिवर्तन के अध्यधीन

पाकिस्तान के साथ सचिव स्तरीय वार्ता

3708. श्रीमती कृष्णा बोस : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में इस वर्ष नवम्बर में भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तरीय वार्ता में पाकिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठ के मुद्दे पर चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तानी शिष्टमंडल द्वारा इस संबंध में कोई ठोस आश्वासन दिया गया है;

(ग) गत छः माह के दौरान देश में घुसपैठ के कितने मामले हुए हैं; और

(घ) भारत-पाक सीमा पर गोलीबारी के कारण कितने सैनिक और नागरिक मारे गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस संबंध में, अब तक, पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, संयुक्त वार्ता के एक भाग के रूप में दो देशों के बीच आगे वार्ता को जारी रखने का निर्णय लिया गया।

(ग) पिछले छः महीनों (1 जून से 30 नवम्बर, 1998 तक) के दौरान सीमा सुरक्षा बल ने भारत-पाक सीमा पर घुसपैठ के 347 मामलों का पता लगाया।

(घ) चालू वर्ष के दौरान भारत-पाक सीमा पर आपसी गोलीबारी में 79 सुरक्षा कार्मिक और 12 सिविलियन मारे गए।

[हिन्दी]

उग्रवादी गतिविधियां रोकने के लिये वित्तीय सहायता

3709. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार से कोई परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य में उग्रवादी गतिविधियां रोकने के लिये वित्तीय सहायता की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बार-बार अनुरोध किये जाने के बाद भी केन्द्र सरकार द्वारा उक्त सहायता-राशि अभी तक जारी नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त राशि कब तक जारी की जाएगी?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। बिहार सरकार ने उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 70.18 करोड़ रु. की विशेष वित्तीय सहायता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव भेजा है। मांगी गई सहायता में वाहनों के लिए (22.91 करोड़ रु.), आधुनिक हथियारों और बुलेट प्रूफ जैकेटों/हेलमेट के लिए (30.15 करोड़ रु.), पुलिस लाईन के निर्माण के लिए (13.44 करोड़ रु.) और प्रशिक्षण के लिए (3.68 करोड़ रु.) है।

(ग) से (ङ) उग्रवादी गतिविधियों से प्रभावित कुछ अन्य राज्यों ने भी केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है। बिहार सहित प्रभावित राज्यों के लिए उपयुक्त पैकेज तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके मामले पर विचार किया जा रहा है। तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण की योजना के तहत मई, 1997 से बिहार सरकार को 10.16 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गयी है। बिहार सरकार को केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों से ऋण आधार पर, 1.20 करोड़ रु. मूल्य के वायरलैस सेट, शस्त्र और गोलाबारूद उपलब्ध कराया गया है।

अवैध सिलिंडरों का उत्पादन

3710. **श्री दादा बाबूराव परांजपे :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
डा. विजय सोनकर शास्त्री :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवैध रसोई गैस सिलिंडरों के उत्पादन तथा बिक्री पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी अधिसंख्य अवैध इकाइयां रसोई गैस सिलिंडरों का उत्पाद करती रहती हैं जिससे बहुत सी जाने संकट में पड़ गई हैं

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार देश में सिलिंडरों के विस्फोट की कितनी घटनाएं हुई हैं तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान सिलिंडर के कितने अवैध निर्माताओं का पता लगाया गया;

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की;

(घ) क्या छोटे सिलिंडरों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के लिए एल.पी.जी. सिलिंडरों का निर्माण करने वाली किसी अवैध इकाई की कोई सूचना नहीं है। समानान्तर विपणन के लिए सिलिंडरों के निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा ऐसे विनिर्माण के लिए अपेक्षित मशीनें वही हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा विपणित 14.2 कि.ग्रा. के सिलिंडरों के निर्माण के लिए है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सिलिंडर विस्फोट की निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं:

वर्ष	घटनाओं की संख्या
1995-96	63
1996-97	71
1997-98	58

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने गत तीन वर्षों के दौरान सिलेंडरों के किसी अवैध विनिर्माता का मामला नहीं पाया। तथापि मेरठ के उद्योग निर्देशालय के पास पंजीकृत कुछ लघु पैमाने की इकाइयों द्वारा मेरठ में छोटे एल.पी.जी. सिलेंडरों के अवैध विनिर्माण के मामले सामने आए हैं।

(ग) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, भारतीय मानक ब्यूरो तथा उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्य सरकार प्राधिकारियों से अवैध एल.पी.जी. सिलिंडर विनिर्माता के खिलाफ संगत कानून के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।

(घ) और (ङ) बी.आई.एस. तथा सी.सी.ओ.ई. के विनिर्देशों के अनुरूप छोटे सिलिंडरों का प्रयोग किया जा सकता है। अत: ऐसे मामलों में प्र[illegible]ध लगाना व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अध्ययन ग्रुप

3711. श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री नादेन्दला भास्कर राव :
श्री टी.आर. बालू :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

[illegible] वस्तुओं की कमी और मूल्यों में वृद्धि [illegible] में लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव विशेषत: उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और इनके समान वितरण की जांच के लिए कोई अध्ययन दल गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके अध्ययन ग्रुप के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(घ) क्या उक्त ग्रुप में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि शामिल किया गया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) गत कुछ महीनों के दौरान मांग और आपूर्ति के बीच अंतर और वर्ष के दौरान उत्पादन में गिरावट के कारण देश में दालों, खाद्य तेलों जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं और आलू व प्याज जैसी सब्जियों की कमी बनी रही।

(ख) और (ग) देश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और समान वितरण की जांच करने के लिए अध्ययन दल गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रधानमंत्री जी द्वारा 27.11.98 को आयोजित मुख्यमंत्रियों की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार कृषि मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र स्थापित किया गया है जो विभिन्न कृषि जन्य फसलों के संबंध में पूर्वानुमान लगाने और तत्संबंधी सूचना के प्रसार में अन्तरिक्ष विभाग की उपग्रह आधारित दूर संवेदी क्षमताओं और देश के सभी जिलों में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा स्थापित कम्प्यूटर नेटवर्क का पूरा उपयोग करेगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीप समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित उपायों का पता लगाने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

तेल शोधक कारखाने

3712. श्री रामपाल सिंह :
श्री पंकज चौधरी :
श्री प्रभुदयाल कठेरिया :
डा. अशोक पटेल :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :
श्री रामशकल :
श्री डी.एस. अहिरे :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री एस.एस. ओवेसी :
श्री मोती लाल वोरा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कितने तेल शोधक कारखाने कार्यरत है तथा प्रत्येक की स्थान-वार तथा कंपनी-वार तेल शोधन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या अगले सात वर्षों के लिए कोई मांग और आपूर्ति का अनुपात तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये तेल शोधक कारखाने अपने क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा मांग तथा पूर्ति के अनुपात को पूरा करने हेतु उनकी क्षमता का पूरा उपयोग करने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सूचना निम्नवत है:

रिफाइनरी	क्षमता एम.एम.टी./ प्रति वर्ष	स्थान
1	2	3
(1) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम रिफाइनरियां		
आई.ओ.सी. - डिग्बोई	0.65	डिग्बोई
आई.ओ.सी. - गुवाहाटी	1.00	गुवाहाटी
आई.ओ.सी. - बरौनी	3.30	बरौनी
आई.ओ.सी. - हल्दिया	3.75	हल्दिया
आई.ओ.सी. - मथुरा	7.50	मथुरा
आई.ओ.सी. - कोयाली	9.50	कोयाली
एच.पी.सी. - मुम्बई	5.5	मुम्बई
एच.पी.सी. - विशाख	4.5	विशाख
बी.पी.सी. - मुम्बई	6.00	मुम्बई
सी.आर.एल. - कोचीन	7.5	कोचीन
एम.आर.एल. - मनाली	6.5	मनाली
एम.आर.एल. - नारीमनम	0.5	नागापट्टनम
बी.आर.पी.एल. - बोंगाईगांव	2.35	बोंगाईगांव
आई.ओ.सी. - पानीपत	6.0	पानीपत
(2) संयुक्त उद्यम रिफाइनरी		
एम.आर.पी.एल. - मंगलौर	4.00	मंगलौर

(ख) और (ग) मांग अनुमानों, विपणन तथा ऊर्जा संरक्षण पर 9वीं योजना उप दल रिपोर्ट (अगस्त, 1996) के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों की मांग, आपूर्ति तथा अधिशेष/कमी निम्नवत है:

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

	1999-2000*	2000-01	2001-02	2006-07
मांग	100626*	106804	112788	155305
उत्पादन	69747*	90632	113469	156077
अधिशेष/(कमी)	(30879)*	(16172)	679	770

*संशोधनाधीन

10वीं योजना के समापन वर्ष (2006-07) के सिवाय वर्ष 2001-02 से आगे के लिए वर्षवार अनुमान नहीं किए गए हैं।

(घ) और (ङ) वर्ष 1997-98 के संबंध में रिफाइनरियों का क्षमता उपयोग 105.9 प्रतिशत था।

दोषियों को प्रश्रय

3713. श्री विलास मुत्तेमवार :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कोयम्बटूर के शिवगिरि मधोम में हुए अनेक बम विस्फोटों के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों को कथित रूप से प्रश्रय दिए जाने के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड

3714. श्री पी.सी. थामस : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल स्थित "हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड" लाभ अर्जित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान लाभ तथा हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उद्योग बिना किसी रुकावट के कार्य कर रहा

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड की अन्य इकाइयों के लाभ तथा हानि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उनके यूनियन ने उन्हें मान्यता दिए जाने के संबंध में कोई ज्ञापन दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड कलमशारी इकूर, केरल *में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं?*

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) एच.आई.एल. की केरल इकाई के पिछले तीन वर्षों के लाभ के ब्यौरे (ओवरहेड की बिक्री तथा अनुसंधान एवं विकास खर्च के आबंटन से पूर्व तथा एकीकृत/(अन्तरित मूल्यों के लाभ लेने के बाद) इस प्रकार हैं:

1995-96	रु. 683.88 लाख
1996-97	रु. 1043.46 लाख
1997-98	रु. 698.05 लाख

(ग) जी, हां।

(घ) एच.आई.एल. की अन्य इकाइयों के संबंध में लाभ/हानि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(रु. लाख में)

	1995-96	1996-97	1997-98
दिल्ली	(-)177.66	*(-)180.42)	(-) 563.76
रसायनी	(+)352.45	(+)218.80	(-)48.14
विपणन अनुसंधान एवं विकास	*(-)256.03*	*(-) 492.34*	*(-)283.36*

*दिल्ली स्थित फैक्ट्री को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार 30 नवम्बर, 1996 से बन्द कर दिया गया है।

(ङ) और (च) इस इकाई के उत्पादन विभाग में नियुक्त कर्मियों के एक ग्रुप ने पंजीकरण नं. 07-58-97 के तहत हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स प्रोडक्शन थोझिलाली यूनियन नाम से एक नई यूनियन बनाई थी और इसे मान्यता देने के लिए जनवरी, 1998 में प्रबंधन से सम्पर्क किया था। उनके इस अनुरोध पर प्रबंधन द्वारा विचार किया गया था और तथाकथित यूनियन को यह सूचित किया गया था कि इसे मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि यह उत्पादन विभाग में ही नियुक्त कर्मियों के एक दल का प्रतिनिधित्व करने वाला शिल्पी (क्राफ्ट) संघ है और कर्मियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सी.आई.टी.यू., आई.एन.टी.यू.सी. और बी.एम.एस. से सम्बद्ध तीन पंजीकृत श्रमिक संघ पहले से ही हैं। *हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स प्रोडक्शन थोझिलाली यूनियन ने इस मुद्दे पर एक याचिका भी* (1998-जी का ओ पी नं. 9937) केरल उच्च नयालय में दायर की थी जिसे 15 जुलाई, 1998 को खारिज़ कर दिया गया था।

(छ) 717 (आई.डी. अधिनियम के तहत शामिल कर्मचारी-कामगार—598)।

पेट्रोलियम उत्पाद

3715. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना में पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ख) उक्त योजना अवधि में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग का अनुपात क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई कमी के प्रति जागरूक है; और

(घ) यदि हां, तो इस कमी को कम करने के लिए किन विशेष कदमों को उठाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) योजना आयोग ने पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए 78401 करोड़ रु. का परिव्यय निर्दिष्ट किया है।

(ख) से (घ) नौवीं योजना की समाप्ति तक पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग 113 मि.मी.ट. तक बढ़ जाने का अनुमान है। इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग, रिजर्वायर की स्थिति की बेहतर समय, नए क्षेत्रों के विकास, मौजूदा क्षेत्रों के अतिरिक्त विकास तथा अपस्ट्रीम क्षेत्र में विदेशी तथा निजी पूंजी को आमंत्रित करते हुए, देश में कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूदा रिफाइनरियों के विस्तार तथा संयुक्त क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में रिफाइनरियां लगाकर देश की शोधन क्षमता में भी वृद्धि की जा रही है।

[हिन्दी]

शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923

3716. श्री पंकज चौधरी :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
डा. अशोक पटेल :
श्री अमर पाल सिंह :
श्री चेंगारा सुरेन्द्रन :
डा. सरोजा वी. :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपने कार्य व्यवहार में पारदर्शिता लाने हेतु शासकीय गुप्त बाद अधिनियम, 1923 को रद्द करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 में संशोधनों से संबंधित मुद्दे का, सूचना की स्वतंत्रता विधेयक बनाने में, समावेश कर लिया गया है, जिसकी सरकार जांच कर रही है।

[अनुवाद]

आई.ओ.सी. का कार्यनिष्पादन

3717. श्री सी.पी. राधाकृष्णन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय तेल निगम की संशोधन क्षमता और वास्तविक कार्यनिष्पादन कितना था;

(ख) 1997-98 के लिए आई.ओ.सी. द्वारा कितना प्रचलन लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) अधिकतम क्षमता का उपयोग करने के लिए सभी परियोजनाओं को ध्यानपूर्वक निगरानी के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जानकारी निम्नवत् है:-

वर्ष	क्षमता मि.मी.ट.	वास्तविक मि.मी.ट.	प्रतिशत क्षमता
1995-96	24.400	25.636	105.1
1996-97	24.400	25.136	103.0
1997-98	25.400	27.504	108.3

(ख) वर्ष 1997-98 के लिए आई.ओ.सी. के समझौता ज्ञापन क्रूड थ्रुपुट के निर्धारित लक्ष्य रिफाइनरी-वार निम्नवत् थे:-

(आंकड़े हजार टन में)

रिफाइनरी	समझौता-ज्ञापन क्रूड थ्रुपुट लक्ष्य 1997-98
गुवाहाटी	900
बरौनी	1950
	9800
हल्दिया	4100
मथुरा	8000
डिग्बोई	550
पानीपत	100
आई.ओ.सी. योग	25400

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड का समग्र क्षमता उपयोग 100 प्रतिशत से अधिक था।

उल्फा की आतंकवादी गतिविधियां

3718. श्री यू.वी. कृष्णमराजू : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में उल्फा आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उल्फा द्वारा हाल ही में विरोध दिवस मनाते समय अपर असम में लखीपाथार में आई.ओ.सी. हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन उठा दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हाल ही में सिबसागर जिले में दोबा चाय बागान के समीप केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सुरक्षा-कर्मियों के साथ भी मुठभेड़ हुई थी;

(ङ) यदि हां, तो असम में आतंकवादी और उपद्रवी गतिविधियां रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या कार्यान्वयन के लिए कोई कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) असम में उल्फा द्वारा की जा रही हिंसा का स्तर कुल मिलाकर पिछले वर्षों के समान ही है।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान्। उल्फा ने 26 नवम्बर, 1998 को डिब्रूगढ़ जिले में लखीपाथार क्षेत्र में एक तेल-पाइपलाइन को उड़ाया जिसमें डिगबोई रिफाईनरी से संसाधित तेल को तिनसुखिया स्टोरेज सेन्टर में लाने के लिए प्रयोग की जाने वाली पाईपलाईन क्षतिग्रस्त हो गई।

(घ) जी हां, श्रीमान्।

(ङ) से (छ) उल्फा और अन्य उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों का गहन प्रबोधन किया जाता है। असम में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ सेना और केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती, गम्भीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों को "विक्षुब्ध क्षेत्र" अधिसूचित करना, अलगाववादी/अतिवादी/उग्रवादी ग्रुपों को प्रतिबन्धित करना और आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना और उसका उन्नयन करना शामिल है। इस क्षेत्र में राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए सहायता भी दी गई है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के संबंध में विशेषज्ञ दल

3719. श्री आर.एस. गवई :
प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री राजवंशी महतो :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के बारे

में 28 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5980 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने के लिए विशेषज्ञ दल की सिफारिशों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) इन संशोधनों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एक नोट का मसौदा तैयार किया गया और उस पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां आमंत्रित की गई। नोट को अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है। संशोधन संसद में पारित हो जाने के बाद लागू किए जाएंगे।

गृह मंत्रालय को भेजी गई हिन्दी फिल्म

3720. डा. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने एक हिन्दी फिल्म को "संवेदनशील विषय" पर आधारित होने के कारण मंत्रालय को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस फिल्म की पुनरीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति के क्या निष्कर्ष रहे हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) और (ङ) मंत्रालय को फिल्म की मुख्य कहानी की रूपरेखा पर कोई आपत्ति नहीं है। तथापि, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को कुछ मामूली परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया है और इस संबंध में बोर्ड आगे निर्णय लेगा।

गर्भ निरोधक टीका

3721. श्री मगन्ती बाबू : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जीवन भर में केवल एक बार प्रयोग होने वाले राईजिंग नामक प्रतिवर्ती पुरुष गर्भ निरोधक टीके को विकसित करने वाली परियोजना को रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विशेषज्ञ समिति ने इस पहल का विरोध किया है तथा पुरुष गर्भ निरोधकों की बिक्री पर रोक लगाने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण कितनी हानि हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, नहीं। परियोजना के चरण-II नैदानिक परीक्षण पहले ही पूरे हो गए हैं। औषध महानियंत्रक (भारत) द्वारा सीमित चरण-III नैदानिक परीक्षण के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मैसूर पैलेस से संबंधित लंबित विधेयक

3722. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को मैसूर पैलेस (अधिग्रहण और अंतरण) विधेयक माननीय राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विधेयक पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) विधेयक को मंजूरी कब तक दे दी जाएगी?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भेषज कम्पनियां

अजीत जोगी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकार के स्वामित्व वाली कितनी भेषज कम्पनियां कार्यरत हैं और कम्पनी-वार इनमें कितना निवेश किया गया है;

(ख) प्रत्येक कम्पनियों द्वारा किन-किन औषधियों का निर्माण किया जा रहा है और भेषज क्षेत्र में इन कम्पनियों का योगदान कितना है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधियों का कुल कितना उत्पादन किया गया और कितने फार्मूले बनाए गए;

(घ) इन कम्पनियों को हुए लाभ और घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इनमें से कुछ कम्पनियों को बन्द करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा. ए.के. पटेल) : (क) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भेषज क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पांच उपक्रम हैं, जिनके नाम आई.डी.पी.एल., एच.ए.एल., बी.सी.पी.एल., बी.आई.एल., एस.एस.पी.एल. हैं। इन भेषज कम्पनियों में सरकार द्वारा किया गया इक्विटी निवेश इस प्रकार है:

आई.डी.पी.एल.		रु. 329.49 करोड़
एच.ए.एल.		रु. 40.90 करोड़
बी.सी.पी.एल.	:	रु. 40.86 करोड़
बी.आई.एल.		रु. 17.48 करोड़
एस.एस.पी.एल.		रु. 24.52 करोड़

(ख) आई.डी.पी.एल. में अक्तूबर, 1996 से प्रपुंज औषधों का कोई उत्पादन नहीं हुआ है। यह कम्पनी पिछले तीन वर्षों से केवल सूत्रयोगों का उत्पादन कर रही है। एच.ए.एल. कृषि तथा पशु-चिकित्सीय उत्पादों सहित भेषज सूत्रयोगों की व्यापक श्रेणी (रेंज)का उत्पादन करती है। बी.सी.पी.एल. सौन्दर्य प्रसाधनों तथा घरेलू उत्पादों के अतिरिक्त सल्फ्यूरिक एसिड, फोरिक एल्युम, प्रपुंज औषधों, सर्प दंश रोधी और विभिन्न सूत्रयोग आदि औद्योगिक रसायनों की व्यापक श्रेणी का विनिर्माण करती है। बी.आई.एल. सेरा, वैक्सीन और विष नाशी (टॉक्सीसाइड) का उत्पादन करती है। एस.एस.पी.एल. भेषजों, सूत्रयोगों यथा गोलियां, केप्स्यूल, पेरेंटीरल्ज लिक्विड ओरल आदि का विनिर्माण करती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में कुल उत्पादन इस प्रकार हुआ:

(करोड़ रु.)

पी.एस.यू. का नाम	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
आई.डी.पी.एल.	115.43	44.07	3.52
एच.ए.एल.	169.34	79.52	54.29
बी.सी.पी.एल.	11.64	15.69	21.03
बी.आई.एल.	21.45	8.25	13.40
एस.एस.पी.एल.	6.00	7.16	4.37

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ/हानि इस प्रकार हुई:-

(रु. करोड़ में)

पी.एस.यू. का नाम	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
आई.डी.पी.एल.	(117.01)	(153.28)	(157.39)
एच.ए.एल.	(20.94)	(32.25)	(28.90)
बी.सी.पी.एल.	(3.59)	*15.75	(3.37)
बी.आई.एल.	(4.87)	(9.91)	(8.81)
एस.एस.पी.एल.	(4.09)	(4.93)	(5.07)

*इसमें भूमि की बिक्री के 15.68 करोड़ रु. शामिल हैं।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कृषि श्रमिकों के लिए गारंटी बोर्ड

3724. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कृषि श्रमिकों के लिए रोजगार गांरटी बोर्ड स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी नहीं, महोदय।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सी.आर.पी.एफ. केन्द्र

3725. श्री बासवराज पाटील सेडाम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सी.आर.पी.एफ. केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार गुलबर्ग (कर्नाटक) में सी.आर.पी.एफ. केन्द्र स्थापित करना का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) देश में सी.आर.पी.एफ. केन्द्रों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

देश में सी.आर.पी.एफ. केन्द्रों के राज्य-वार ब्यौरे

1. आन्ध्र प्रदेश

पुलिस महानिरीक्षक, दक्षिणी सैक्टर, सी.आर.पी.एफ., हैदराबाद

पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ., हैदराबाद

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., हैदराबाद

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., रंगारेड्डी

बेस अस्पताल सं.-11 सी.आर.पी.एफ., हैदराबाद

ए.डब्ल्यू.एस. सं.-1, सी.आर.पी.एफ., हैदराबाद

2. असम

पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ., गुवाहाटी

पुलिस उप महानिरीक्षक (ऑपरेशन्स), सी.आर.पी.एफ., बोंगईगांव

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., गुवाहटी

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., खटखटी

बेस अस्पताल सं.-III, गुवाहाटी

ए.डब्ल्यू.एस. सं.-III, सी.आर.पी.एफ., गुवाहाटी

ए.डब्ल्यू.एस.वी., सी.आर.पी.एफ., खटखटी

स्टेटिक एम.टी. वर्कशाप, सी.आर.पी.एफ., गुवाहाटी

मोबाईल वर्कशाप, गुवाहटी

3. बिहार

...रीक्षक, बिहार सेक्टर, सी.आर.पी.एफ., पटना

पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ., पटना

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., मुकामेहघाट

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., मुजफ्फरनगर

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., जमशेदपुर

सिंगल ग्रुप सेंटर, सी.आर.पी.एफ., रांची

4. दिल्ली

महानिदेशालय सी.आर.पी.एफ., नई दिल्ली

महानिरीक्षक, उत्तरी सेक्टर, सी.आर.पी.एफ., नई दिल्ली

महानिरीक्षक, विशेष सेक्टर, सी.आर.पी.एफ., नई दिल्ली

महानिरीक्षक, आर.ए.एफ., सी.आर.पी.एफ., नई दिल्ली

पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ., नई दिल्ली

पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष रेंज, सी.आर.पी.एफ., नई दिल्ली

पुलिस उप महानिरीक्षक, आर.ए.एफ., सी.आर.पी.एफ., नई दिल्ली

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., नई दिल्ली

बेस अस्पताल सं.-I, सी.आर.पी.एफ., नई दिल्ली

5. गुजरात

पुलिस उप महानिरीक्षक, गांधीनगर

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., गांधीनगर

6. हरियाणा

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., पिंजोर

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., गुड़गांव

7. जम्मू और कश्मीर

महानिरीक्षक (ऑपरेशसन्स), सी.आर.पी.एफ., जम्मू

महानिरीक्षक (ऑपरेशन्स), सी.आर.पी.एफ., श्रीनगर

पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ., श्रीनगर

पुलिस उप महानिरीक्षक (ऑपरेशन्स), सी.आर.पी.एफ., श्रीनगर

पुलिस उप महानिरीक्षक (ऑपरेशन्स), सी.आर.पी.एफ., बतोते

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., बंतालब

आर.टी.सी.-IV, सी.आर.पी.एफ., महहूमा, श्रीनगर

20 बिस्तर वाला अस्पताल, सी.आर.पी.एफ., श्रीनगर

ए.डब्ल्यू.एस.-IV, सी.आर.पी.एफ., अवंतिपुर

ए.डब्ल्यू.एस.-IV, सी.आर.पी.एफ., जम्मू

मोबाईल वर्कशाप, अवंतिपुर

8. केरल

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., पल्लीपुरम

आर.टी.सी.-III, सी.आर.पी.एफ., पल्लीपुरम

9. कर्नाटक

पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ., बंगलौर

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., बंगलौर

10. महाराष्ट्र

महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ., पश्चिमी सेक्टर, मुम्बई

पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ., नागपुर

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., नागपुर

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., पुणे

सी.टी.सी.-III, सी.आर.पी.एफ., मुडखेड (नंदेड)

11. मेघालय

पुलिस महानिरीक्षक, एन.ई.एस., सी.आर.पी.एफ., शिलांग

12. मध्य प्रदेश

पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ., भोपाल

पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ., नीमच

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., नीमच

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., भोपाल

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., शिवपुरी।

सी.टी.सी.-I, सी.आर.पी.एफ., नीमच

आर.टी.सी.-I, सी.आर.पी.एफ., नीमच

13. मणिपुर

महानिरीक्षक, (आपरेशन्स), सी.आर.पी.एफ., इम्फाल

पुलिस उप महानिरीक्षक सी.आर.पी.एफ., इम्फाल

पुलिस उप महानिरीक्षक (ऑपरेशसन्स), सी.आर.पी.एफ., इम्फाल

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., इम्फाल।

ए.डब्ल्यू.एस.-VII, सी.आर.पी.एफ. इम्फाल

14. नागालैंड

उप महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ., कोहिमा

उप महानिरीक्षक (आपरेशन्स), दिमापुर

15. उड़ीसा

पुलिस उप महानिरीक्षक, भुवनेश्वर

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., भुवनेश्वर

16. पंजाब

अतिरिक्त महानिदेशालय, उत्तर-पश्चिम जोन, सी.आर.पी.एफ., चण्डीगढ़

पुलिस महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ., चण्डीगढ़

पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ., जालन्धर

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., जालन्धर

17. राजस्थान

आंतरिक सुरक्षा अकादमी, सी.आर.पी.एफ., माउंट आबू

पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ., अजमेर

ग्रुप सेन्टर सं.-I, सी.आर.पी.एफ., अजमेर

ग्रुप सेन्टर सं.-II, सी.आर.पी.एफ., अजमेर

18. त्रिपुरा

पुलिस महानिरीक्षक (ऑपरेशन्स), त्रिपुरा, अगरतला

पुलिस उप महानिरीक्षक (ऑपरेशन्स), अगरतला

19. तमिलनाडु

पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ., अवाडी

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., अवाडी

रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र सं.-II, सी.आर.पी.एफ., अवाडी

केन्द्रीय प्रशिक्षण कॉलिज सं.-II, सी.आर.पी.एफ., कोयम्बटूर

20. उत्तर प्रदेश

पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय सेक्टर, सी.आर.पी.एफ., लखनऊ

पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ., इलाहाबाद

पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ., रामपुर

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., इलाहाबाद

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., लखनऊ

जी.सी., सी.आर.पी.एफ., रामपुर

केन्द्रीय शस्त्र भंडार, सी.आर.पी.एफ., रामपुर

आर्म्स वर्कशाप सं.-II, सी.आर.पी.एफ., रामपुर

21. पश्चिम बंगाल

पुलिस महानिरीक्षक, पूर्वी सेक्टर, सी.आर.पी.एफ., कलकत्ता

पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ., कलकत्ता

.पी.एफ., दुर्गापुर

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों को शामिल किया जाना

3726. **श्री प्रदीप कुमार यादव :**
श्री भगवान शंकर रावत :
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1997-98 के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में कितनी जातियों, जनजातियों तथा समूहों को शामिल करने की सिफारिश की गई;

(ख) इनमें से कितनी जातियों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया;

(ग) क्या सरकार कानून के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों का पालन करने हेतु बाध्य है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी सिफारिशों को अब तक माना गया तथा उसके क्या परिणाम रहे?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्री मेनका गांधी) : (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 1998 तक 291 जातियों/उपजातियों/पर्यायों को शामिल करने की सिफारिश की गई।

(ख) दिनांक 3.12.1997 के संकल्प सं. 12011/13/97-बी.सी.सी. द्वारा भारत के राजपत्र में 06 जातियों/उपजातियों/पर्यायों को पिछड़े वर्ग के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27वां) की धारा (2) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि आयोग की सिफारिशें साधारणत: केन्द्र सरकार के लिए बाध्यकारी होंगी।

(घ) 6 जातियों/उपजातियों/पर्यायों को शामिल करने संबंधी 3 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में उनके शामिल किए जाने को अधिसूचित कर दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सहायता जारी करना

3727. **श्री वी.वी. राघवन :**
श्री चेंगारा सुरेन्द्रन :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल से वर्ष 1997-98 हेतु केरल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अनुसंधान प्रशिक्षण और विकास अध्ययन संस्थान (किरटाडा) के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1997 में प्राप्त प्रस्ताव के दो भाग थे:-

1. वर्ष 1997-98 के लिए 20 लाख रुपए की निर्मुक्ति।

2. वर्ष 1991-92 से 1996-97 तक के लिए बकाये के रूप में 11.97 लाख रुपए की निर्मुक्ति।

20 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए थे क्योंकि यह निर्धारित शर्तों के अनुरूप था। जहां तक बकाये के दावे का संबंध है, राज्य सरकार से गत वर्ष में मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है।

नेत्र बैंक

3728. **श्री चन्द्रशेखर साहू** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने नेत्र बैंक कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार बैंकों से प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ग) क्या सरकार को देश में नेत्र बैंकों के कार्यकरण में कोताही की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनके कार्यकरण को सुदृढ़ करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) देश में 166 नेत्र बैंक चल रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन व्यक्तियों को नेत्र बैंकों से लाभ पहुंचा उनके वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	नेत्रों का एकत्रण	किए गए कार्निया निरोपण
1995-96	11,618	8,895
1996-97	13,517	8,245
1997-98	14,446	9,553

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नेत्र बैंकों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन सरकारी और गैर-सरकारी नेत्र बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। नेत्र दान कार्यकलापों संबंधी गहन प्रेरक कार्य हेतु हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक एक राष्ट्रीय पखवाड़ा भी मनाया जाता है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के कर्मचारियों के वेतन से अवैध कटौती

3729. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम कर्मचारी संघ से तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम की प्रबंधकारिणी द्वारा आत्म अनुदानी सेवानिवृत्ति उपरांत एवं सेवा काल में मृत्यु लाभ योजना के नाम पर कर्मचारियों के मासिक वेतन से राशि की अवैध कटौती के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी हां। मंत्रालय को आयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन कर्मचारी संघ से ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन के प्रबंधन द्वारा स्व-अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत एवं सेवा काल में मृत्यु लाभ योजना के नाम पर कर्मचारियों के मासिक वेतन से राशि की अवैध कटौती के संबंध में, शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तस्करों/आतंकवादियों की गिरफ्तारी

3730. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997 और चालू वर्ष के दौरान अब तक कितने आतंकवादी और तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं;

(ख) इनसे जब्त किए गए हथियारों तथा गोला-बारूद का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण रखने हेतु किया गया व्यय

3731. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न पुलिस एजेंसियों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के तटीय क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए अलग-अलग खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : विषय वस्तु का ...कारों से है।

उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

3732. श्री चिन्मयान्द स्वामी :
डा. रामविलास वेदान्ती :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान समय में कितने व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थानों को राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से उनके राज्यों में और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की कुल संख्या 4086 है।

(ख) 50:50 की भागीदारी के आधार पर केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से 565 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को शामिल करने के साथ-साथ विश्व बैंक की सहायता से एक व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना 28 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार प्रदान की गई वित्तीय सहायता विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) उड़ीसा, बिहार तथा पंजाब राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं हेतु 3 और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (आर.वी.टी.आई.) स्थापित करने की मांग की गई है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में तीन नए संस्थानों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव योजना आयोग को भेजे गए हैं। इन संस्थानों की स्थापना निधियों की उपलब्धता तथा योजना आयोग के अनुमोदन पर निर्भर करती है तथा वर्तमान में इन प्रस्तावों पर कोई विचार प्रकट नहीं किया गया है।

विवरण

विश्व बैंक की सहायता से व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिये सहायता अनुदान दर्शाने वाली विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का नाम	धनराशि 1995-96	धनराशि 1996-97	धनराशि 1997-98
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	167.81	150.64	126.69
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	9.50	0.00

1	2	3	4	5
3.	असम	75.97	46.82	50.77
4.	बिहार	64.14	240.22	85.51
5.	चण्डीगढ़	0.89	0.00	2.81
6.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
7.	दिल्ली	14.56	106.10	29.23
8.	गोवा	0.00	17.41	19.89
9.	गुजरात	223.62	202.47	154.21
10.	हरियाणा	71.21	61.79	441.37
11.	हिमाचल प्रदेश	7.17	44.17	63.15
12.	कर्नाटक	76.40	287.67	249.22
13.	केरल	69.07	196.72	45.24
14.	मध्य प्रदेश	78.04	389.35	79.53
15.	महाराष्ट्र	234.31	599.20	1,041.50
16.	मणिपुर	2.99	29.05	5.47
17.	मेघालय	0.59	10.44	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	13.25
19.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
20.	उड़ीसा	40.75	153.71	40.33
21.	पंजाब	111.13	273.97	54.78
22.	राजस्थान	32.68	134.38	68.83
23.	तमिलनाडु	272.17	202.09	613.15
[illegible]	[illegible]	107.37	258.17	76.82
25.	पश्चिम बंगाल	36.61	45.45	61.79
26.	जम्मू और कश्मीर	11.73	9.94	33.18
27.	पाण्डिचेरी	0.00	1.41	6.82
28.	त्रिपुरा	0.44	9.92	7.39
	योग	1,699.65	3,480.59	3,370.93

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

3733. **श्री तारीक अनवर : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 11 अगस्त, 1998 को बाढ़ पीड़ितों द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा की गई गोला-बारी के संबंध में बिहार सरकार से रिपोर्ट मंगाई थी;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में किन मुख्य मुद्दों का उल्लेख किया गया था; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार राज्य सरकार से घटना की रिपोर्ट मंगाई है। बिहार राज्य सरकार से मांगी गई रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

बम विस्फोट में आई.एस.आई. का हाथ

3734. **श्री हरिन पाठक : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा के कैथल बस स्टैंड पर हुए बम विस्फोट में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. का हाथ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस संबंध में कोई जांच कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) कैथल बस स्टैंड पर बम-विस्फोट की घटना में किसी विशिष्ट आतंकवादी ग्रुप की संलिप्तता दर्शाने वाला कोई साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

अपराधियों की गिरफ्तारी

3735. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छमाही के दौरान देश में हत्या, बलात्कार, डकैती और अपहरण जैसे विभिन्न अपराध किए जाने हेतु गिरफ्तार किए गए अपराधियों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पीड़ितों के परिवारों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अभी कितने अपराधी और गिरफ्तार किए जाने है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) भारत के संविधान के अनुसार ''पुलिस'' राज्य का विषय है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों की सूचना केन्द्र स्तर पर मासिक आधार पर नहीं रखी जाती है।

(ख) विभिन्न अपराधों के शिकार परिवारों के लिए वित्तीय और अन्य सहायता उपलब्ध कराना अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों का काम है।

(ग) अभी भी गिरफ्तार किए जाने वाले अपराधियों की संख्या से संबंधित सूचना केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

वयोवृद्ध वर्ष घोषित करना

3736. श्री के. येरननायडू :
श्री मोहन रावले :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री एन. डेनिस :
श्री विजय कृष्ण हाण्डिक :

क्या **सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह वर्ष वयोवृद्ध वर्ष के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वयोवृद्ध तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं लागू की जा रही हैं;

(ग) क्या सरकार का वयोवृद्ध और वरिष्ठ नागरिकों को रियायतें और अन्य सहायताएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1999 को वयोवृद्धों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है।

(ख) से (घ) सरकार के पास वयोवृद्धों के लिए निम्नलिखित सहित अनेक सतत योजनाएं हैं:-

(1) वयोवृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना, जिसके अंतर्गत वृद्धि व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था गृहों, दिवा देखभाल केन्द्रों तथ सचल चिकित्सा यूनिटों की स्थापना एवं रखरखाव के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

(2) पंचायती राज संस्थान/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना, जिसके अंतर्गत वृद्ध गृहों के निर्माण के लिए पात्र संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

(3) राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना, जिसके अंतर्गत निराश्रित वयोवृद्धों के लिए मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

वयोवृद्धों के लिए एक राष्ट्रीय नीति भी सरकार के विचाराधीन है। इस नीति में वयोवृद्धों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल,

कल्याण और अन्य विकास संबंधी आवश्यकताओं को प्रदान कर उनके कल्याण को सुनिश्चित करने की मंशा है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप

3737. **श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध कथित रूप से लगाए गए आरोपों के संबंध में कोई रिपोर्ट भेजी है;

तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने अध्यक्ष, दिल्ली वक्फ बोर्ड के विरुद्ध लगाए गए कथित आरोपों से संबंधित रिपोर्ट नहीं भेजी है, परन्तु सूचना दी है कि इन आरोपों की जांच करने के लिए एक उप-समिति गठित की गई है और निष्कर्ष प्राप्त होने पर उसकी सूचना केन्द्र सरकार को दी जाएगी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गलत ब्रांड वाले उत्पाद

3738. **श्री बासवराज पाटील सेडाम** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसायन और उर्वरक कम्पनी के खिलाफ उनके ब्रांडों के गलत पाए जाने अथवा घटिया गुणवत्ता वाले उत्पाद पाये जाने पर कोई सीधी कार्यवाही नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) गलत ब्रांड वाली या घटिया गुणवत्ता वाले उत्पादों का विनिर्माण करने वाली कम्पनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विभिन्न अधिनियमों/आदेशों में प्राविधान हैं। उर्वरकों हेतु उर्वरकों की गुणवत्ता का विनियमन उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत किया जाता है। पेस्टिसाइड्स तथा इन्सेक्टिसाइड्स के लिए चूककर्ता कम्पनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इन्सेक्टिसाइड्स अधिनियम, 1968 में पर्याप्त उपबन्ध विद्यमान हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) ने रसायनों और संबंधित उत्पादों के लिए अनेक भारतीय मानक तैयार किए हैं। इसके अतिरिक्त बी.आई.एस. ने भारतीय मानकों के आधार पर एक उत्पाद प्रमाणन योजना चालू की है जिसके अन्तर्गत स्वैच्छिक आवेदनों के संबंध में उत्पाद ग्रुपों संबंधी लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। बी.आई.एस. अधिनियम, 1986 का उल्लंघन करने वाले विनिर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

आतंकवादियों का मारा जाना

3739. **श्री थावरचन्द गेहलोत** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1989 से अक्तूबर, 1998 तक मारे गये आतंकवादियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान किन स्थानों पर और कितनी मात्रा में अवैध हथियार और शस्त्र बरामद हुए हैं; और

(ग) आतंकवादी गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या विशेष उपाय किए गए?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) चालू वर्ष के दौरान मारे गए आतंकवादियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

राज्य	मारे गए आतंकवादियों की संख्या
अरूणाचल प्रदेश	1
असम	161
जम्मू व कश्मीर	930
मणिपुर	91
मेघालय	1
नागालैंड	59
त्रिपुरा	26

(ख) 1998 के दौरान हथियारों/गोलाबारूद की राज्यवार बरामदगी दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय होने के कारण, इस बारे में विभिन्न उपाय निकालना और ठोस कदम उठाना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, केन्द्र स्तर पर, विभिन्न राज्यों के आतंकवाद विरोधी अभियानों के समन्वय को सुकर बनाने और राज्य के बीच उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी सूचना के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता, उन्नत हथियारों की पूर्ति, अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती आदि के रूप में मदद दी जा रही है। कतिपय विशेष परिस्थितियों में, कुछ प्रभावित राज्यों को पुलिस के आधुनिकीकरण और हथियारों की पूर्ति के लिए पहले से आबंटित की गई राशि के अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी गई है।

विवरण

1998 के दौरान हथियारों/गोलाबारूद की राज्यवार बरामदगी

1	2	
आंध्र प्रदेश		
आर.डी. एक्स	16	कि.ग्रा.
पिस्तोल	19	नग
दिल्ली		
ए.के. 47 राइफलें	1	नग
पिस्तोल	44	नग
रिवाल्वर	11	नग
बारूद/पिस्तौल	204	राउन्ड
ग्रेनेड	8	नग
गुजरात		
ए.के.-47 राइफलें	2	नग
पंजाब		
ए.के. 47 राइफलें	7	नग
ए.के. 56 राइफलें	2	नग
सनिपर राइफलें	2	नग
राकेट	69	नग
पिस्तोल/रिवाल्वर	24	नग
बारूद/ए.के. राइफल	276	राउन्ड
बारूद/पिस्तौल	70	नग
ग्रेनेड	62	नग
राजस्थान		
पिस्तौल	1	नग
रिवाल्वर	20	नग
बारूद/पिस्तौल	55	राउन्ड
ग्रेनेड	20	नग
तमिलनाडु		
पिस्तौल	2	नग
रिवाल्वर	4	नग
बारूद/पिस्तौल	1	राउन्ड
ग्रेनेड	1	नग
उत्तर प्रदेश		
ए.के. 47 राइफल	1	नग
बारूद/ए.के. राइफल	102	राउन्ड

1	2	
जम्मू और कश्मीर		
एन्टी एयरक्राफ्ट गन	1	नग
एन्टी टैंक गन	1	नग
मिसाईल	10	नग
पीका गन	23	नग
मोर्टार	17	नग
	257	नग
जां.पां.एम.जी./यू.एम.जी.	57	नग
ग्रेनेड लांचर	72	नग
ए.के. राइफलें	1312	नग
मनिफर राइफलें	35	नग
पिस्तौल/रिवाल्वर	525	नग
गन	49	नग
ग्रेनेड	6942	नग
राकेट	612	नग
राकेट बूस्टर	235	नग
बारूद	319635	नग

[अनुवाद]

तेल की खोज

3740. श्री प्रभुदयाल कठेरिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1996, 1997 और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस के नए स्रोतों की खोज में कौन-कौन सी एजेंसियां लगी हुई है;

(ख) किन-किन स्थानों पर खोज कार्य प्रगति पर है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) इस खोज कार्य के क्या परिणाम निकले?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओ.एन.जी.सी.) तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) को इन राज्यों में अन्वेषण कार्य में लगाया गया था। मै. एच.ओ.ई.सी. के नेतृत्व वाले परिसंघ ने ब्लॉक जीएन-ओएन-90/3 में भी कार्य किया, जिसका एक भाग मध्य प्रदेश में आता है।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान जिन क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य किया गया/किया जा रहा है, वे निम्नवत् हैं:-

1. गंगा बेसिन में हिमालय की तराई के पास - उत्तर प्रदेश (उ.प्र.)
2. कुमहारी-हाटा-कटनी (म.प्र.)
3. शनेह-कोठी-अमनगंज (म.प्र.)
4. कटनी-कावाई-अमनगंज (म.प्र.)
5. गोवादी-डेलाखेड़ी (म.प्र.)
6. सरकाघाट-लांबरगांव (हि.प्र.)
7. हमीरपुर-सुन्दरनगर (हि.प्र.)

(ग) ओ.एन.जी.सी. द्वारा क्षेत्र-वार सर्वेक्षण व्यय रखे जाते हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान* सर्वेक्षणों पर कुल व्यय निम्नवत् हैं:-

एन.आर.बी.सी. (हि.प्र. तथा उ.प्र. सहित)	81.34* करोड़ रु.
डब्ल्यू.आर.बी.सी. (राजस्थान, म.प्र. तथा गुजरात सहित)	151.81* करोड़ रु.

(*संयुक्त उद्यम के संबंध में सर्वेक्षणों पर किया गया व्यय भी शामिल है)।

ओ.एन.जी.सी. ने वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान मध्य प्रदेश में अन्वेषणात्मक वेधन पर 14.68 करोड़ रु. की राशि खर्च की है।

ऑयल इंडिया लि. द्वारा वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों तथा अन्वेषणात्मक वेधन पर 13.05 करोड़ रु. खर्च किए हैं।

परिसंघ द्वारा 29.3.93 से 28.3.97 के दौरान प्रथम चरण के तहत ब्लॉक जी.एन.-ओ.एन.-90/3 में 2.54 करोड़ रु. खर्च किए थे।

(घ) मध्य प्रदेश में 2 कूपों का वेधन करने पर तेल या गैस प्राप्त नहीं हुई। बिलासपुर में वेधन कार्य चल रहा है। अन्य स्थानों पर, अन्वेषण आंकड़े मूल्यांकन के विभिन्न स्तरों पर है और स्थान तय होने के बाद जैसे ही वेधन कार्य पूरा होता है, परिणामों का पता लग जाएगा।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पम्प

3741. प्रो. अजीत कुमार मेहता :
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पम्प के बारे में 9.6.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2100 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में राजमार्गों पर पेट्रोल पम्पों के आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) बिहार में शीघ्र पेट्रोल पम्प खोलने की सम्पूर्ण प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) जी हां। चालू खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1996-98 सहित विभिन्न विपणन योजनाओं से लम्बित स्थानों के संबंध में बिहार राज्य में विभिन्न राज्य/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थानों के लिए तेल कंपनियों ने 189 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

विज्ञापन जारी होने से लेकर डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चालू होने में सामान्यतया लगभग 1-2 वर्ष लग जाते हैं।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय भाषा

3742. श्री विठ्ठल तुपे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत सरकार के सभी कार्यालयों को जनता के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में पत्र व्यवहार करने और स्थानीय लोगों के उपयोग हेतु सभी तरह के प्रपत्रों, विभागीय साहित्य को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिनांक 27.4.1960 की अधिसूचना के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, निगमों कम्पनियों, उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा ऐसे निर्देश के कार्यान्वयन की निगरानी की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या महाराष्ट्र स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा ऐसे अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) महाराष्ट्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में ऐसे निर्देशों के अनुपालन को अनिवार्य बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार ने ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, जिसमें केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों आदि के द्वारा जनता के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में पत्र व्यवहार करने के अनुदेश दिए गए हों। हां, दिनांक 27.4.1960 की अधिसूचना के क्रम में दिनांक 25.3.1968 को अनुदेश जारी किए गए कि जनता द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले फार्म प्रादेशिक भाषा, राजभाषा हिन्दी और अंग्रेजी में, त्रिभाषी रूप में, उपलब्ध कराए जाएं। इसके अतिरिक्त यह भी आदेश दिए गए कि "क" और "ख" क्षेत्रों में नामपट्ट रबर की मोहरें पत्र शीर्ष लोगों आदि द्विभाषी रूप में और "ग" क्षेत्र में त्रिभाषी रूप में तैयार कराए जाएं।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) जी नहीं।

(च) अपेक्षित नहीं।

(छ) वैसे तो राजभाषा नीति का कार्यान्वयन संयम, धैर्य और सहयोग की भावना से कराया जाता है, तथापि एतत् संबंधी नियमों, अधिनियमों, आदेशों के अनुपालन के लिए सभी विभागाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी हैं। इस पर निगरानी रखने के लिए समय-समय पर इन कार्यालयों के निरीक्षण भी कराए जाते हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार आतंकवादी

श्री **चेतन चौहान** :
प्रो. **चमन लाल गुप्त** :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक प्रत्येक वर्ष में दिल्ली पुलिस द्वारा कितने तोड़-फोड़ करने वाले आतंकवादियों तथा पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) जम्मू-कश्मीर पुलिस को ऐसे कितने राष्ट्रविरोधी तत्वों को सौंपा गया है;

(ग) ये आतंकवादी किस देश के हैं तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) क्या गिरफ्तार किये गये इन व्यक्तियों में से कुछ के संबंध नौकरशाहों तथा पुलिस अधिकारियों के साथ थे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन आर्तकवादियों/तोड़-फोड़ करने वाले ने पूछताछ के दौरान बताया है कि ये राजनैतिक गतिविधियों तथा हथियार/बारूद तथा विस्फोटक सामग्री लाने में शामिल हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्य कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) प्रश्नगत अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ऐसे व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1995	28
1996	65
1997	40
1998 (30.11.1998 तक)	64

(ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:

वर्ष	संख्या
1995	8
1996	24
1997	3
1998 (30.11.1998 तक)	शून्य

(ग) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:

स्विटजरलैंड	1
ईरान	2
पाकिस्तान	19
बंगलादेश	4
म्यांमार (बर्मा)	1
भारत	170
	197

इनमें से 35 उग्रवादी जम्मू और कश्मीर और एक-एक पंजाब, महाराष्ट्र और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है। शेष में से, चार दोषमुक्त किए गए, दो रिहा किए गए, एक दोषी पाया गया और 152 न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) 1998 के दौरान कुछ विघटनकारियों की गिरफ्तारी करने पर दिल्ली में हुई बम-विस्फोट की कुल 31 घटनाओं में से 25 घटनाएं और पड़ोसी राज्यों में बम-विस्फोट की 16 घटनाएं हल की गईं। इन गिरफ्तारियों के कारण 40 कि.ग्रा. आर.डी.एक्स, 60 किलोग्राम विस्फोटक पाउडर, 3 कि.ग्रा. पी.इ.टी.एन., टी.एन.टी. के 10 स्लैब, 2 हैंड ग्रेनेड, 4 ए.बी.सी.डी. टाइमर, 60 डेटोनेटर्स, 2 ए के सीरिज राइफलें और 69 पिस्तौलें/रिवाल्वर भी बरामद किए गए। इन गिरफ्तार विघटनकारियों पर अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध करने का आरोप भी लगाया गया है।

गुजरात में गैस की बर्बादी

3744. डा. वल्लभभाई कथीरिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में भारी मात्रा में गैस की बर्बादी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात के विभिन्न स्थानों पर गैस के उपयोग की सरकार की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) जी, नहीं। चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध के दौरान गुजरात में गैस की 8.597 एम.एम.एस.सी.एम.डी. मात्रा के कुल उत्पादन में से गैस की केवल 0.972 एम.एम.एस.सी.एम.डी. मात्रा, दहन की। न्यूनतम तकनीकी जरूरत के कारण तथा अलग-थलग क्षेत्रों से अति कम दबाव गैस की समस्या के कारण दहन की गई है। दहन को आगे और कम करने के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन ने विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त संपीड़क तथा बूस्टर सपीड़क स्थापित करने की योजनायें आरंभ की है। सरकार ने गैस उपयोग के संबंध में आगे और सुधार करने के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन को अलग-थलग क्षेत्रों से कम दबाव वाली गैस की एक लाख एस.सी.एम.डी. तक की मात्रा का सीधे विपणन करने के संबंध में भी अनुमति दे दी है।

आंत्रशोथ के मामले

3745. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में आंत्रशोथ के कारण कितनी मौतें हुईं;

(ख) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य में इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1998 के दौरान 6.10.98 तक जठरान्त्र शोथ के कारण हुई 873 मौतें सूचित की गई हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

औषधियों की आपूर्ति

3746. श्री प्रभाचंद्र तिवारी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेडिकल स्टोर डिपो द्वारा के.स.स्वा. योजना के लिए औषधियों की आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा बनाया गया फार्मूला 1 अप्रैल, 1998 को समाप्त हो गया था;

(ख) क्या इस समय औषधियों की खरीद स्थानीय केमिस्टों से की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो फार्मूले को पुनः लागू न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या रोगियों को समय पर औषधि नहीं मिल रही है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ग) वर्ष 1996-98 के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फार्मूलरी, जो 31.3.98 तक के लिए मान्य थी, को 30.9.1998 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया।

(ख), (ङ) और (च) वे औषधें, जो औषधालयों में नहीं होती। स्थानीय प्राधिकृत केमिस्ट से अलग-अलग नुस्खा पर खरीदी जाती हैं और आपूर्ति 24 घंटों के अन्दर कर दी जाती हैं। आपात स्थिति में समय से आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थियों की बिना भुगतान किए स्थानीय केमिस्ट से औषधें प्राप्त करने के लिए प्राधिकार पर्चियां जारी की जाती हैं।

यदा-कदा औषधों की अनुपलब्धता विभिन्न कारणों से होती हैं जिनमें विशेषज्ञों द्वारा ऐसी औषधें लिखना, जो फार्मुलरी में शामिल नहीं होती, स्वामित्व वाली औषधों की मांग और कभी-कभी मेडिकल स्टोर डिपो जो दवाएं थोक मात्रा नें मंगाते हैं, द्वारा देरी से की गई आपूर्ति शामिल हैं।

उर्वरकों के लिए निर्यात-आयात नीति

3747. श्री राम शकल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के लिए कोई निर्यात-आयात नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) और (ख) उर्वरकों के आयात और निर्यात भारत सरकार की निर्यात तथा आयात नीति 1997-2000 का अंग है। चूंकि देश उर्वरकों का वास्तविक आयातकर्त्ता है, अत: एस.एस.पी. के सिवाय उर्वरकों के निर्यात की अनुमति नहीं है। विगत में विशेष अनुरोध पर नेपाल तथा भूटान को देशानुदेश आधार पर यूरिया के सीमित निर्यात किये गये हैं।

जहां तक उर्वरकों के आयातों का सम्बन्ध है, डी.ए.पी., एम.ओ.पी., एम.ए.पी., एस.ओ.पी., एन.पी. तथा एन.पी.के. के सिवाय सभी प्रकार के नाइट्रोजनयुक्त, फास्फेटिक, पोटाशिक तथा मिश्रित उर्वरक निर्यात तथा आयात नीति में आयातों की नकारात्मक सूची के भाग-III में सरणीबद्ध मदों के रूप में शामिल किये गये हैं। सभी सरणीबद्ध उर्वरकों के आयात के लिये सरणीबद्ध एजेन्सी के रूप में एम.एम.टी.सी. नामित किया गया है जबकि भारतीय राज्य व्यापार निगम (एस.टी.सी.) तथा इंडियन पोटाश लि. (आई.पी.एल.) केवल यूरिया के आयात के लिये सह-सरणीकरण एजेंसियां हैं।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताएं

3748. श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रोगों के बार-बार फैलने से उत्पन्न स्थित पर नियंत्रण करने के लिए नए प्रयोगों और नई प्राथमिकताओं को अपनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वे प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन से हैं जहां नए सिरे से सोचने और ध्यान देने की आवश्यकता है;

(ग) क्या नई स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी औषधियों के क्षेत्र में शोध और विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) संचारी और गैर-संचारी रोगों के फैलने और पुन: फैलने को ध्यान में रखते हुए अन्य बातों के साथ स्वास्थ्य सेक्टर में ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों में विभिन्न रोगों के नियंत्रण के उपाय, निगरानी और महामारी उत्तरकारिता पद्धति में सुधार, प्रजनक एवं शिशु स्वास्थ्य, संस्थाओं की निर्माण क्षमता और स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा और स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रकार की चार परिषदें आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रत्येक के लिए एक हैं जो विभिन्न प्रकार के अनुसंधान जैसे नैदानिक अनुसंधान, औषध

प्रमाणीकरण अनुसंधान, औषध मानकीकरण अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान, परिवार कल्याण अनुसंधान, जनजाति स्वास्थ्य परिचर्या अनुसंधान आदि करती हैं। नई स्वास्थ्य स्थितियों से निपटने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के पास देने के लिए काफी कुछ है। उदाहरण के लिए केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् के माध्यम से एच.आई.वी./एड्स में अनुसंधान किया जा रहा है और परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। इसी प्रकार सिद्ध पद्धति के माध्यम से एच.आई.वी./एड्स पर अनुसंधान ने भी सकारात्मक उत्साहवर्धक परिणाम दर्शाए हैं। आयुर्वेद के माध्यम से कैंसर के उपचार पर भी अनुसंधान किया जा रहा है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी में कुछ गैर-संचारी रोगों और जीवन शैली से होने वाले रोगों के लिए उपचार है जैसे कि फिस्टुला इन एनों के लिए उपचार।

पोलियो का उन्मूलन

3749. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 6 दिसम्बर, 1998 से शुरू किए जाने वाले राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन अभियान चरण-II के संचालन के संबंध में सरकार और इंडिया पोलियो पल्स कमिटी आफ द रोटरी इंटरनेशनल के बीच कुछ मतभेद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मतभेदों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि पोलियो उन्मूलन अभियान चरण-II का कार्यान्वयन सुचारू रूप से हो सके?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

द्विभाषा में कोड पुस्तिका का प्रकाशन

3750. श्री जयसिंह राव गायकवाड़ पाटील : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय तथा उनके मंत्रालय से संबद्ध कार्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कोड पुस्तिका के कितने नियम और विनियम बनाये गये हैं जिनमें संशोधन करने तथा कई बार प्रकाशन करने के लिए उनका मंत्रालय जिम्मेदार होता है;

(ख) उनमें से ऐसे कोड कितने हैं जो अंग्रेजी में हैं और ऐसे कोड कितने हैं जिनको दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया गया है;

(ग) क्या अंतिम संस्करण केवल अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था या दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुआ था या दोनों भाषाओं में प्रकाशित नहीं हुआ था; और

(घ) किस तारीख से सभी प्रकाशनों को द्विभाषी रूप में प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महाजन आयोग

3751. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमा विवाद पर महाजन आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा महाजन आयोग का गठन कब किया गया था;

(घ) क्या सरकार का विचार सिफारिशों को पूर्णरूप से क्रियान्वित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (च) महाजन आयोग का गठन अक्टूबर, 1966 में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1967 में प्रस्तुत की।

आयोग ने, निपानी, खानापुर और नंदगढ़ शहरों के साथ-साथ 264 गांवों को कर्नाटक से महाराष्ट्र को हस्तांतरित करने की

सिफारिश की। इसने महाराष्ट्र से 227 गांवों को कर्नाटक को हस्तांतरित करने की भी सिफारिश की।

जबकि कर्नाटक की सरकार ने आयोग की सिफारिश पूरी तरह स्वीकार कर ली, महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें रद्द कर दिया। भारत सरकार का दृष्टिकोण हमेशा ही यह रहा है कि विवाद को संबंधित राज्य सरकारों के सहर्ष सहयोग से ही हल किया जा सकता है और इस दिशा में दोनों राज्यों को हर संभव सहायता देने में उसे प्रसन्नता होगी।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

3752. **श्री सत्यपाल जैन :**
श्री एच.पी. सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में भारी संख्या में स्वतंत्रता सेनानी रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1998 के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के कुल कितने मामले निपटाए गए हैं; और

(घ) राज्यवार कितने मामले अब तक लम्बित हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ से 89 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई है। इस संघ शासित क्षेत्र में इस समय वास्तव में रह रहे स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) 1.1.1998 से 30.11.1998 तक 24,776 मामले निपटाए गए। 30.11.1998 को 4,168 पुनरीक्षा आवेदन पत्र लम्बित थे। उनमें से 1,731 आवेदन पत्र निपटाए गए जिससे (11.2.1998 को) 2,437 पुनरीक्षा आवेदन पत्र शेष रह गए। इन आवेदन पत्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन पुनरीक्षा आवेदन पत्रों के अलावा, हैदराबाद मुक्ति आन्दोलन और केरल के क्षेत्रीय आन्दोलनों के संबंध में सम्मान पेंशन प्रदान करने संबंधी आवेदन पत्र भी है जिन्हें सत्यापन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजा गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	पुनरीक्षा याचिकाएं
1.	आन्ध्र प्रदेश	96
2.	बिहार	512
3.	जम्मू और कश्मीर	48
4.	कर्नाटक	138
5.	केरल	157
6.	मध्य प्रदेश	169
7.	महाराष्ट्र	201
8.	उड़ीसा	13
9.	पंजाब	98
10.	राजस्थान	12
11.	तमिलनाडु	92
12.	उत्तर प्रदेश	278
13.	पश्चिम बंगाल	561
14.	आजाद हिंद फौज (आई.एन.ए.)	62
	कुल	2,437

औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम अदालतें

3753. **श्री राम चन्द्र मलिक :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम अदालत तथा राज्य स्तरीय श्रम अदालतों में अनेक मामले लम्बे समय से लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) इन मामलों के लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा लंबित मामलों की शीघ्रतापूर्वक सुनवाई किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) 31.10.98 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में लम्बित औद्योगिक विवादों तथा आवेदनों की संख्या:

क्र.सं.	के.स.औ. न्यायाधिकरण	लम्बित मामले	लम्बित आवेदन
1.	आसनसोल	179	48
2.	बंगलौर*	630	435
3.	कलकत्ता	243	39
4.	चंडीगढ़	1237	358 (सितम्बर, 98)
5.	धनबाद नं. 1	1091	255 (सितम्बर, 98)
6.	धनबाद नं. 2	961	57
7.	जबलपुर**	1598	1142
8.	कानपुर	369	664
9.	मुम्बई नं. 1	213	51 (अगस्त, 98)
10.	मुम्बई नं. 2	167	1248
11.	नई दिल्ली	863	384
12.	जयपुर***	132	17 (सितम्बर, 98)
	जोड़	7683	4698

*30.4.98 की स्थिति के अनुसार बंगलौर

** 31.8.97 की स्थिति के अनुसार जबलपुर

*** 1.9.98 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(ग) और (घ) देरी के प्रमुख कारण तथा इस पर उठाए गए कदम निम्न प्रकार हैं:-

(1) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में श्रम न्यायालयों की कमी।

(2) पीठासीन अधिकारी के पद की रिक्तियों को भरने में समय लगता है।

(3) प्रक्रियागत बाधाएं जैसे सुनवाई के समय प्रभावित पक्षकारों, की अनुपस्थिति दस्तावेज आदि को जमा करने के लिए पक्षकारों द्वारा मामले को अ:स्थगित करवाना।

(4) सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम-न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाए गए हैं।

(5) पीठासीन अधिकारियों को उनके केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में औद्योगिक विवाद मामलों की बकाया स्थिति को कम करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए नीति

3754. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए कोई दीर्घकालीन नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) तरलीकृत प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में रुचि रखने वाली निजी कंपनियों की इस संबंध में क्या भूमिका है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) का आयात ओपन जनरल लाइसेंस पर किया जाता

है और इसलिए निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी पक्षकार द्वारा एल.एन.जी. का आयात, पुन: गैसीकरण तथा विपणन किया जा सकता है। एल.एन.जी. के आयात के संबंध में निजी क्षेत्र की ओर से अनेक पहलें की गई हैं तथा जिन मामलों में विदेशी इक्विटी लगी हो उन मामलों में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का अनुमोदन भी प्रदान कर दिया गया है।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक आय घोषणा योजना संबंधी सूची को अपराध जगत से जुड़े व्यक्तियों को देना

3755. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वैच्छिक आय घोषणा योजना संबंधी सूची को अपराध जगत से जुड़े व्यक्तियों को दे दिया गया है और इसका प्रयोग वे धन ऐंठने के लिये कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो जिम्मेवार अधिकारियों की पहचान करने तथा उन्हें दण्डित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा ड्यूटी के लिए निजी कारें लगाना

3756. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा ड्यूटी के लिए निजी कारें लगायी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है; और

(ग) सरकार द्वारा अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा ड्यूटी के लिए वाणिज्यिक कारें किराये पर लगाने और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए निजी कारें इस्तेमाल नहीं की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

चावल की खरीद

3757. श्री राघवेन्द्र सिंह : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान लेवी योजना के अंतर्गत चावल मिलों से खरीदा गया चावल घटिया हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई;

(घ) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई;

(ङ) क्या वर्तमान में पत्तन में घटिया चावल पड़े हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) जी, हां। पिछले तीन वर्षों में चावल की कुछ थोड़ी सी मात्रा घटिया हो गई है।

(ख) और (ग) लेवी के अधीन वसूल किया गया चावल का स्टाक अक्सर भारतीय खाद्य निगम के भंडारण में काफी अवधि तक रहता है। भंडारण के दौरान भूसी वाले चावल की ग्रेडिंग और शेडिंग होती रहती है जिसके कारण चावल के स्टाक में भूसी आ जाती है। 0.5% से अधिक भूसी वाले चावल के स्टाक को श्रेणी "घ" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे स्टाक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए तब तक जारी नहीं किया जाता जब तक कि भूसी की प्रतिशतता को 0.5% से कम करने के लिए इस स्टाक को छानकर/साफ कर उच्च श्रेणीकृत नहीं किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान घटिया हो गए चावल की मात्रा बताने वाला विवरण संलग्न है। इसमें लेवी और कस्टम मिल्ड दोनों चावल के ब्यौरे शामिल हैं।

(घ) भारत सरकार की विनिर्दिष्टियों के कड़ाई से अनुरूप लेवी चावल की वसूली करने संबंधी स्थायी अनुदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी अधिकारी/कर्मचारी संबंधी कोई रिपोर्ट ध्यान में आती है तो मामले की जांच की जाती है और ऐसी चूक के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) और (च) चूंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल का कोइं आयात नहीं किया गया है/हैंडल नहीं किया गया है। इसलिए आयातित खराब चावल का कोई स्टाक पत्तनों पर नहीं पड़ा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान खराब हुए चावल की मात्रा

(टन में)

वर्ष	चावल की मात्रा	श्रेणी
मार्च, 96	366949	''घ''
मार्च, 97	440216	''घ''
मार्च, 98	466206	''घ''

क्षय रोग तथा जल से होने वाली बीमारियां

3758. **श्री सी.डी. गामीत :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री बलराम सिंह यादव :
डा. रवि मल्लू :
श्री दिनशा पटेल :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 नवम्बर, 1998 के ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''फाइव लाख सकम्ब टू टी.बी. एवरी इयर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या भारत क्षय रोग के संबंध में विश्व में शीर्ष स्थान पर है जहां प्रतिवर्ष लगभग 2 मिलियन नए मरीज इस रोग का शिकार बन जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य में पता लगाए गए इन मामलों का ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या मार्च में प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट ने भारत सरकार की क्षय रोग नियंत्रण योजना पर तेजी से अमल करने के संबंध में आलोचना की है;

(ङ) यदि हां, तो उस क्षय रोग को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं जिसने एक बार फिर खतरनाक रूप धारण कर लिया है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से 142 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्राप्त किया है;

(छ) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ऋण फरवरी, 1997 में मंजूर कर दिया गया था परन्तु सरकार द्वारा इस ऋण का उपयोग करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(झ) यह कार्य-योजना कब तक पूरी हो जाएगी; और

(ञ) इन बीमारियों को देश के ग्रामीण एवं महानगरों से समाप्त करने के लिए क्या अनुवर्ती कदम उठाए गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हर वर्ष लगभग 14 लाख नये क्षय रोगियों का पता लगाया जाता है और उपचार शुरू किया जाता है। प्राईवेट सेक्टर से उपचार करवा रहे क्षय रोगियों की संख्या के संबंध में कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में पता लगाए गए नये क्षय रोगियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन की राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डोट्स कार्यनीति को अपनाने अथवा उसके व्यापक उपयोग को दर्शाया गया है।

(ङ) डोट्स कार्यनीति का अक्तूबर, 1993 में प्रायोगिक परीक्षण किया गया जिसके अंतर्गत 2.35 मिलियन जनसंख्या को कवर किया गया और प्रशासनिक व्यवहार्यता के लिए 13.83 मिलियन जनसंख्या को कवर किया गया। डोट्स कार्यनीति सहित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम 26 मार्च, 1997 को चलाया गया जो इस समय भी कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत 85 मिलियन जनसंख्या को कवर किया गया और वर्ष 2000 तक 271 मिलियन जनसंख्या को कवर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 447 मिलियन जनसंख्या वाले 203 एस.सी.सी. जिलों को बाद में कार्यनीति अपनाने के लिए एक अन्तवर्ती उपाय के रूप में सुदृढ़ किया जायेगा।

(च) जी, हां।

(छ) विश्व बैंक के साथ ऋण करार मई, 1997 से प्रभावी हुआ और सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई कार्य योजना के आधार पर विश्व बैंक ने ऋण को क्लीयर कर दिया।

(ज) और (झ) ये प्रश्न नहीं उठते।

(ञ) उपर्युक्त डोट्स कार्यनीति के कार्यान्वयन से बहुत बड़ी संख्या में सूक्ष्मदर्शी और प्रत्यक्ष निगरानी उपचार केन्द्र खोले जाएंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों और महानगरीय शहरों में सेवाओं का आगे विकेन्द्रीकरण करेंगे। ये केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा 446 जिला क्षय रोग केन्द्रों और शहरी क्षेत्रों में 330 वक्ष (चेस्ट) क्लीनिकों के अतिरिक्त होंगे।

विवरण

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पता लगाए गए नए क्षय रोगियों तथा उपचार किए गए रोगियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	65999	65680	74137
2.	अरूणाचल प्रदेश	3296	2880	3801
3.	असम	15757	20108	18625
4.	बिहार	113109	112710	11133
5.	गोवा	6432	2974	2810
6.	गुजरात	157074	116158	104635
7.	हरियाणा	21751	47944	37668
8.	हिमाचल प्रदेश	16079	12084	5347
9.	जम्मू व कश्मीर	7302	11014	26993
10.	कर्नाटक	67311	71776	78883

1	2	3	4	5
11.	केरल	27972	36829	19711
12.	मध्य प्रदेश	72803	135050	77045
13.	महाराष्ट्र	204569	190630	202299
14.	मणिपुर	3959	6645	3469
15.	मेघालय	2614	4618	3060
16.	मिजोरम	1067	1482	1332
17.	नागालैंड	1192	1350	1626
18.	उड़ीसा	29871	40850	24912
19.	पंजाब	42341	48260	42121
20.	राजस्थान	36228	69344	46071
21.	सिक्किम	2220	2800	1861
22.	तमिलनाडु	98665	125751	114165
23.	त्रिपुरा	2107	2528	2601
24.	उत्तर प्रदेश	265079	279789	289431
25.	पश्चिम बंगाल	67817	74352	56018
26.	पाण्डिचेरी	3311	3401	3417
27.	अं. व निकोबार द्वीपसमूह	1951	635	711

1	2	3	4	5
28.	चण्डीगढ़	1983	1711	1819
29.	दादरा व नगर हवेली	725	300	506
30.	दिल्ली	51603	42931	43313
31.	लक्षद्वीप	194	160	145
32.	दमण व दीव	611	214	–
		1389695	1333888	1309691

दिल्ली पुलिस में पदोन्नति

3759. श्री अमर पाल सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस में कार्यरत ग्रुप 'डी' के सिविल स्टाफ को उनके पूरे सेवा काल में एक ही पदोन्नति दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त स्टाफ के सेवाकाल संबंधी संभावनाओं में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस में ''सफाई कर्मचारी'' और ''दफ्तरी'' की श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर सिविलियन ग्रुप ''घ'' स्टाफ के लिए इस समय पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं क्योंकि उनके लिए उपलब्ध पदोन्नति की सीधी लाइन में कोई उच्च पद नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को ऐसे स्टाफ को स्वस्थाने पदोन्नति देने हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें भेजे गए प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने की सलाह दी गई है।

उड़ीसा को चावल/गेहूं का आवंटन

3760. श्री अर्जुन सेठी : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान पी.डी.एस./टी.पी.डी.एस. के अंतर्गत माहवार उड़ीसा को कुल कितना चावल और गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से जारी की गई चावल और गेहूं की प्रत्येक बोरी में पांच से दस किलोग्राम तक कमी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम के भिन्न-भिन्न डिपुओं में खाद्यान्नों की चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उड़ीसा राज्य सरकार अथवा उनके नामिती को गुणवत्ता और मात्रा के विधिवत् प्रमाणित होने के बाद गेहूं और चावल की आपूर्ति की जा रही है।

विवरण

वर्तमान वर्ष (1998-99) के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उड़ीसा को किए गए चावल और गेहूं के आवंटन और उठान को बताने वाला विवरण

चावल (हजार टन में)

माह	आवंटन*				उठान			
	गरेनी	गरेऊ	अति.	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अति.	जोड़
अप्रैल	31.82	3.72	10.00	45.54	26.55	11.83	–	38.38
मई	31.82	3.72	15.50	51.04	30.99	11.91	–	42.90
जून	31.82	3.72	15.50	51.04	38.58	18.64	–	52.22
जुलाई	31.82	3.72	15.50	51.04	33.50	15.12	–	48.62
अगस्त	31.82	3.72	15.50	51.04	31.89	3.70	15.50	51.09
सितम्बर	31.82	3.72	15.50	51.04	33.17	20.68	–	53.85
अक्तूबर	31.82	3.72	15.50	51.04	34.23	3.72	8.90	46.85
नवम्बर	31.82	3.72	25.50	61.04				
दिसम्बर	31.82	3.72	25.50	61.04				
जनवरी	31.82	3.72	25.50	61.04				
फरवरी								
मार्च								

*मई, 1998 से के.बी.के. जिलों में इमरजेंसी फीडिंग प्रोग्राम के लिए 500 टन चावल शामिल है।

गेहूं

माह	आवंटन				उठान			
	गरेनी	गरेऊ	अति.	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अति.	जोड़
अप्रैल	–	–	25.00	25.00	–	23.95	–	23.95
मई	–	–	25.00	25.00	–	22.20	–	22.20
जून	–	–	25.00	25.00	–	28.59	–	28.59
जुलाई	–	–	25.00	25.00	–	–	30.81	30.81
	–	–	25.00	25.00	–	–	32.57	32.57
सितम्बर	–	–	50.00	50.00	–	–	47.03	47.03
अक्तूबर	–	–	50.00	50.00	–	–	47.39	47.39
नवम्बर	–	–	40.00	40.00				
दिसम्बर	–	–	40.00	40.00				
जनवरी	–	–	40.00	40.00				
फरवरी								

जनवरी, 99 तक आवंटन

अक्तूबर, 98 तक उठान (अनंतिम)

बॉम्बे हाई में तेल कुओं की मरम्मत

3761. श्री टी.आर. बालू : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र संबंधी डा. नारायणन समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो बॉम्बे हाई में तेल कुओं को बेहतर बनाने के लिए कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा अब तक इस पर कितना खर्च आया है तथा कितनी प्रगति हुई है;

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) I. नारायणन समिति ने बाम्बे हाई क्षेत्र से संबंधित अपनी प्रथम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नवत् हैं:-

1. रिजर्वायर की स्थिति का प्रबंध।
2. बाम्बे हाई से मध्यम तथा दीर्घकालिक दोनों आधारों पर तेल के उत्पादन में वृद्धि।

3. कुछ प्रायोगिक परियोजनाओं को शुरू करना, जिनका बाद में क्षेत्रों तक विस्तार किया जा सके।

4. उच्च गैस तेल अनुपात वाले कई कूपों को बंद करना।

5. ओ.एन.जी.सी. का संगठनात्मक पुनर्गठन।

II. बाम्बे हाई रिजर्वायर में सुधार करने के उद्देश्य से ओ.एन.जी.सी. द्वारा पहले से शुरू की गई कार्रवाई:-

1. त्रिआयामी भूकम्पीय आंकड़े अर्जन कर उन पर कार्रवाई पूरी कर ली गई।

2. अंतरराष्ट्रीय ख्याति के रिज़वार्यर इंजीनियरी परामर्शदाता की सेवाएं ली गई।

3. संगठनात्मक पुनर्गठन के लिए प्रबंध परामर्शदाता पहले ही ओ.एन.जी.सी. के साथ कार्य कर रहे हैं।

4. समिति द्वारा बंद करने के लिए संस्तुत 25 कूपों में से, उच्च गैस अनुपात वाले 16 कूपों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। रिज़वार्यर परामर्शदाता के मतानुसार 7 कूपों को बंद नहीं किया गया है। एक कूप के कार्य निष्पादन पर नजर रखी जा रही है, जबकि शेष एक कूप पर कार्रवाई करने की योजना बना ली गई है।

5. जल/गैस बंद करने तथा उन्नत संरूपता के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं, अर्थात् जल विकल्प गैस अंत:क्षेपण और पॉलियर जेल ट्रीटमेंट अनुप्रयोग पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

III. जहां तक बॉम्बे हाई में कूपों की स्थिति में सुधारने के लिए निष्पादित की जा रही योजनाओं पर ओ.एन.जी.सी. द्वारा किए गए व्यय का संबंध है, 30.11.1998 तक का ब्यौरा निम्नवत् हैं:-

(रु. करोड़ में)

1. आंकड़े अर्जन हेतु	118.71
2. आंकड़े संसाधन हेतु	46.24
3. बॉम्बे हाई पर हाइड्रो कार्बन के लिए परामर्शदात्री सेवाएं हेतु (मै. जैफनी क्लाइन एण्ड एसोसिएट्स)	2.98
कुल	167.93

IV. बॉम्बे हाई रिज़वार्यर के लिए प्रमुख कार्यों का प्रत्याशित पूर्णता कार्यक्रम निम्नवत् है:-

1. रिजवार्यर विवरण, विशेषत: अगस्त, 1999 तक पारगम्यता प्रवृत्ति, प्रवाह इकाईयों, मानचित्रण तथा त्रि-आयामी भूकंपीय आंकड़ों के साथ एकीकरण।

2. मई, 2003 तक बॉयो-लियो स्तरचित्रीय अध्ययनों के हाल के निष्कर्षों के साथ मौजूदा भू-वैज्ञानिक मॉडल का एकीकरण।

3. अगस्त, 1999 तक भू-वैज्ञानिक मॉडल का स्तर बढ़ाना तथा अपेक्षाकृत अधिक स्टीक अनुरूपण मॉडल तैयार करना।

4. विकास योजना अध्ययन में शामिल हैं:-

* मार्च, 1999 तक एस.आई. सैंड।

* मार्च, 1999 तक बॉम्बे हाई दक्षिण का पश्चिम भाग।

* दिसम्बर, 1998 तक बॉम्बे हाई दक्षिण का मध्य भाग।

* मार्च, 1999 तक बॉम्बे हाई उत्तर का पश्चिमी क्षेत्र।

V. 2000 मध्य तक पूर्ण स्तरीय अनुरूपण अध्ययन तथा स्पेसिंग रिडक्शन कार्यक्रम की योजना बनाना।

VI. मई, 2000 तक जल विकल्प गैस प्रोसेस-लैब अध्ययन के अनुप्रयोग की व्यवहार्यता तथा जून, 2000 तक प्रायोगिक डिजाइन।

VII. अप्रैल, 1999 तक गैस तथा जल संरूपता नियंत्रण क्षेत्र परीक्षण हेतु पॉलिमर ट्रीटमेंट तथा कार्य पश्च मूल्यांकन पर प्रायोगिक परियोजनाएं।

सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति ने ओ.एन.जी.सी. तथा डी.जी.एच. के परामर्श से एक निगरानी योग्य कार्य योजना तैयार की है। कार्य योजना पर मंत्रालय द्वारा लगातार निगरानी रखी जाएगी।

[हिन्दी]

महिलाओं पर अत्याचार

3762. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों पर की गई असंवैधानिक ज्यादतियों का निवारण करने में अहम भूमिका अदा की है;

(ख) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम उक्त आयोग के [illegible] कर रहे हैं और संविधान के अंतर्गत गठित [illegible] को खुले आम चुनौती दे रहे हैं;

(ग) क्या रसायन और उर्वरक विभाग के उपक्रम राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने पिछले दस माह से आयोग द्वारा जारी आदेश क्रियान्वित नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों पर जाति के आधार पर की जा रही ज्यादतियों का निवारण करने के लिए आयोग के आदेशों को पूर्णरूप से क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) आयोग द्वारा अभी तक ऐसा कोई विशेष मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग आदेश जारी नहीं करता परन्तु वार्षिक रिपोर्ट या एक विशेष रिपोर्ट, यदि कोई हो, के माध्यम से सरकार को अपनी सिफारिशें करता है। संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत उनकी रिपोर्ट को की गई कार्रवाई ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा जाता है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाते हैं कि ऐसे मामलों में संबंधित संगठन द्वारा समुचित कार्रवाई की जाती है जिनकी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा सिफारिश की गई है। उसके बाद, इस आयोग की सिफारिशों वाली रिपोर्ट को की गई कार्रवाई ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा जाता है।

[अनुवाद]

विधवा विवाह

3763. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानून बनाकर विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कानून का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पुनर्विवाह अथवा तलाकशुदा सहित विधवा विवाह को बढ़ावा देने की दृष्टि से विवाह का पूरा खर्चा केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस समय विधवाओं के पुनर्विवाह करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा कितनी राशि दी जाती है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों का विदेशी दौरा

3764. श्री भगवान शंकर रावत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) के अधिकारियों द्वारा कितने विदेशी दौरे किए गए; और

(ख) इन दौरों का प्रयोजन क्या था तथा इन दौरों पर कितनी राशि व्यय की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान ओ.एन.जी.सी. के कर्मचारियों द्वारा कुल 853 विदेशी दौरे किए गए हैं।

(ख) ये दौरे अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों/सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वर्क एसोसिएशन, ओ.एन.जी.सी. के क्रियाकलापों के संबंध में भाग लेने में बिजनेस बैठकों में भाग लेने, आंकड़ों/उपस्कर के मूल्यांकन के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए, तेल उद्योग से संबंधित प्रदर्शनियों/प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए और विदेशों में ओ.एन.जी.सी. के प्रचालन से संबंधित संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए किए गए थे। इन दौरों पर किया गया यात्रा भत्ता व्यय 26.36 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

राज्यपालों की नियुक्ति

3765. श्री मोहन सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों के किन-किन राज्यपालों का कार्यकाल पूरा हो गया है; और

(ख) उनके स्थान पर नए राज्यपालों की नियुक्ति कब किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल, श्री माता प्रसाद, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, डा. एस.आर. किदवई, ने 5 वर्ष का अपना-अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, जोकि किसी राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है। तथापि, भारत के संविधान की धारा 156(3) के प्रावधानों के तहत वे अपने-अपने पदों पर बने हुए हैं। यह उल्लेख भी किया जा सकता है कि श्री दरबारा सिंह की मृत्यु उपरान्त, न्यायमूर्ति श्री नवरंग लाल तिबरेवाल मई, 1998 से राजस्थान के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। राज्यपालों की नियमित रूप से नियुक्ति करने के प्रश्न पर ध्यान दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

वेहीकल ट्रैकिंग प्रणाली की खरीद

3766. श्री शांतिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अधिक कार्य कुशलता के लिए दिल्ली पुलिस के लिए वेहिकल ट्रैकिंग प्रणाली की खरीद पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपकरण की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) दिल्ली पुलिस द्वारा यह प्रणाली कब तक लगाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

ओ.एन.जी.सी. की परियोजनाएं

3767. श्री कमलनाथ : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में तेल के उत्पादन को बढ़ाने हेतु तेल और प्राकृतिक गैस निगम की परियोजनाएं अवरूद्ध हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो जिन-जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्थापना होनी है उनका ब्यौरा क्या है तथा इनकी लागत कितनी है; और

(ग) ओ.एन.जी.सी. द्वारा इन परियोजनाओं पर कुल कितना निवेश करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) गुजरात में बलोल और संथाल क्षेत्र में वर्धित तेल निकासी (ई.ओ.आर.) के लिए

ओ.एन.जी.सी. की दो परियोजनाओं में सुधार कार्यों के लिए भूमि के उपलब्ध न होने के कारण कुछ विलम्ब हुआ है। परियोजना का ब्यौरा निम्नानुसार है:

परियोजना का नाम	कुल लागत (करोड़ रुपये)	अनुमानित पूर्णता की तारीख
1. स्थानिक दहन का वाणिज्यिकरण दक्षिणी बलोल	118.49	मार्च, 1998 (बिना सुधार के)
		मार्च, 1999 (सुधार सहित)
2. स्थानिक दहन का वाणिज्यिकरण उत्तरी संथाल	278.37	जनवरी, 1999 (बिना सुधार के)
		मई, 1999 (सुधार सहित)

[हिन्दी]

सरकारी अस्पतालों में ''लिथोट्रिप्सी''

3768. श्री विजय कुमार ''विजय'' : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुर्दे से बिना दर्द पथरी बाहर निकालने की सबसे अच्छी विधि ''लिथोट्रिप्सी'' है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस नई तकनीकी को डा. राम मनोहर लोहिया और अन्य सरकारी अस्पतालों में शुरू करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) लिथोट्रिप्सी उन तकनीकों में से है जिसके द्वारा गुर्दे की पथरी बिना दर्द से निकाली जा सकती है। इस तकनीक का इस्तेमाल अनेक कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए गुर्दे की पथरी के रोगियों का इलाज करने में इसका व्यापक स्तर पर उपयोग नहीं किया जाता है।

(ख) इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बाड़मेर में तेल की खोज

3769. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल उत्पादन और विकास लिमिटेड ने बाड़मेर राजस्थान में तेल की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो वह तेल क्षेत्र कौन सा है और भेदन कार्य पर कितनी राशि निवेश की गई है;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम ने इस उद्यम में भागेदारी करने का विकल्प दिया है; और

(घ) यदि हां, तो भागेदारी की प्रतिशतता क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) मैसर्स शेल इंडिया प्रोडक्शन एण्ड डेवलपमेंट बी.वी. नीदरलैण्ड्स, जिन्हें बाड़मेर बेसिन के अन्तर्गत अन्वेषण ब्लॉक आरजे-ओएन-90/1 के संबंध में संविदा दी गई है, वहां 8887 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अन्वेषी क्रियाकलाप कर रहे हैं। वेधन के निर्णय में अब तक कोई व्यय नहीं है।

(ग) और (घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ.एन.जी.सी.) ने संविदा हस्ताक्षर करते समय 10 प्रतिशत प्रतिभागिता हित ग्रहण करने के लिए अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया है। तथापि, संविदा के प्रावधानों के अनुसार ओ.एन.जी.सी. के पास वाणिज्यिक खोज के उपरांत 30 प्रतिशत प्रतिभागिता हित ग्रहण करने के लिए विकल्प है।

युद्धविराम के बाद एन.एस.सी.एन.(एम.) की गतिविधियां

3770. श्री था. चौबा सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एम.) के बीच वर्तमान युद्धविराम के बावजूद एन.एस.सी.एन.(एम.) के कार्यकर्ताओं द्वारा अभी भी लोगों का अपहरण किया जा रहा है, लोगों से जबरदस्ती धन ऐंठा जा रहा है और उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान युद्धविराम का दायरा और क्षेत्राधिकार क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के कार्यकर्ताओं द्वारा अपहरण किए जाने और जबरदस्ती धन ऐंठने की रिपोर्ट हैं। सुरक्षा बलों से ऐसे सभी मामलों में कठोर कार्रवाई करने और ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

वर्तमान युद्ध-विराम भारत सरकार और एक संगठन के रूप में एन.एस.सी.एन. (आई./एम.) के बीच है।

अन्य बातों के साथ-साथ युद्ध-विराम के दौरान, एन.एस.सी.एन. (आई./एम.) द्वारा घात लगाकर हमले करना, धावा बोलना, छिपकर गोली चलाना, और ऐसे आक्रमण करना जिनसे मृत्यु/घायल/सम्पत्ति को क्षति अथवा नुकसान हो सकता है, जैसे आक्रमण आपरेशन न चलाना, एन.एस.सी.एम. (आई./एम.) के कार्यकर्ताओं की वर्दी में और/अथवा हथियारों के साथ (ग्रुप में अथवा व्यक्तिगत रूप में) परेड न करना, सड़कों और संचार प्रणाली में बाधा न पैदा करना, एन.एस.सी.एन.(आई./एम.) द्वारा अनिवार्य सेवाओं के साथ-साथ आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को भंग न करना, किन्हीं भी सशस्त्र ग्रुपों अथवा तत्वों द्वारा सुरक्षित शाणगाह अथवा छिपने के अड्डे न बनाना, आवश्यक आपूर्ति पर जबरदस्ती धन ऐंठने और सरकारी कर्मचारियों सहित लोगों को डराने-धमकाने पर रोक लगाने पर सहमति हुई थी।

पेट्रोल की खोज

3771. श्री प्रभात कुमार सामन्तराय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने महानदी के बेसिन और बंगाल की खाड़ी में पेट्रोल की खोज के लक्ष्य का आधा कार्य कर लिया है;

(ख) क्या पूर्व में किए गए संछिद्रण कार्य के उत्साहजनक परिणामों के बावजूद कम्पनी द्वारा तेल निकालने के लिए कोई संछिद्रण कार्य नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती अपतटीय क्षेत्र में तेल निकालने की परियोजना के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) वर्ष 1978 से वर्ष 1990 तक की अवधि के दौरान आयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) ने महानदी तटवर्ती एवं महानदी अपतटीय तथा उत्तर पूर्व तट अपतटीय क्षेत्रों में आंकड़ा संसाधन एवं निर्वचन समेत क्रमश: लगभग 3814 जी.एल.के.एम. एवं 13943 एल.के.एम. भूकंपीय सर्वेक्षण किया था। इसका अलावा वायुचुंबकीय एवं गहन भूकंपीय साउन्डिंग भी की गई थी। भूभौतिकीय आंकड़ों के आधार पर इस क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न भूवैज्ञानिक क्रियाकलापों में हाइड्रोकार्बन संभावनाओं की खोज करने के लिए अनेक कूपों का वेधन किया गया था। हालांकि, अधिकांश कूपों का नीचे लक्षित गहराइयों तक वेधन किया गया था, फिर भी कुछ एक कूपों को लक्षित गहराइयों तक पहुंचने के पूर्व सामना की गई डाउन-होल समस्याओं के कारण परित्यक्त करना पड़ा था। तथापि इन कूपों में से किसी भी कूप में वाणिज्य हाइड्रोकार्बन संभावनायें प्रमाणित नहीं हो सकी थी। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक फर्म द्वारा किए गए विभिन्न भूवैज्ञानिक अध्ययनों के बावजूद किन्हीं हाइड्रोकार्बनों की खोज नहीं हो पाई थी। आयल इंडिया लिमिटेड ने उड़ीसा राज्य तथा बंगाल की खाड़ी के अन्तर्गत उत्तर-पूर्व तट में अपनी पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति पहले ही वापस कर दी है। नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के अधीन गहन जल क्षेत्रों के अन्तर्गत चार ब्लाकों समेत अपतटीय महानदी तथा उत्तर पूर्व तट (एन.ई.सी.) के अन्तर्गत नौ ब्लाक अन्वेषण हेतु दिए जाने के लिए प्रस्तावित हैं।

[हिन्दी]

विद्रोह प्रभावित राज्यों में सघन विकास

3772. श्री कृष्ण कुमार चौधरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आतंकवाद और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में सघन विकास, सड़क निर्माण और संचार सुविधाएं मुहैया कराने के मामलों में समन्वय कार्य करने के लिए राज्य सरकारों को निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या योजना तैयार की जाएगी?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां,

(ख) बिहार सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बिहार सरकार को अपने सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों को तेज करने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

महात्मा गांधी का स्मारक

3773. श्री तथागत सत्पथी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वाशिंगटन डी.सी. में महात्मा गांधी का कोई स्मारक स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्मारक कब तक स्थापित किया जाएगा?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) वाशिंगटन में भारतीय दूतावास इस दिशा में कार्य कर रहा है।

(ख) इस स्मारक की वास्तुकला वाशिंगटन में संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है। उसके बाद स्मारक को पूरा करने के लिए कार्यशुरू किया जाएगा। अत: फिलहाल इस संबंध में कोई निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

3774. श्री नृपेन गोस्वामी :
श्री नरेश पुगलीया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने 1996-97 के दौरान बिजली-पानी कोई बिल नहीं भेजा;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने बिजली-पानी के बिलों को एकमुश्त रूप में भेजा है और बकाया राशियों पर 3% अधिभार भी वसूल किया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने बिलों को अधिभार सहित किश्तों में स्वीकार करने के लिए बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सितम्बर, 1996 से मार्च, 1997 तक करीब 7 माह का अन्तराल था जब नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् उपभोक्ताओं को बिल नहीं भेज सकी क्योंकि बिजली और पानी के बिल तैयार करने हेतु एक प्राईवेट ठेकेदार को दिया गया ठेका कतिपय अनियमितताओं के कारण रद्द करना पड़ा था तथा इस प्रयोजनार्थ एक इन हाउस कम्प्यूटर प्रणाली स्थापित करने में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को कुछ समय लगा।

(ग) और (घ) जी नहीं श्रीमान्। 3% का अधिभार तब ही लगाया जाता है जब उपभोक्ता किसी पूर्व बिल का पूर्ण भुगतान न करने का दोषी रहा हो।

(ङ) और (च) जी हां, श्रीमान्। उपभोक्ताओं से प्रभार का भुगतान किस्तों में करने हेतु मिले अनुरोधों पर इस शर्त के साथ अनुमति दी जाती है कि स्थगित राशि कवर 3% की दर से अधिभार का भुगतान किया जाए।

(छ) इन-हाऊस कम्प्यूटर प्रणाली स्थापित करने के बाद, साफ्टवेयर में कुछ खामियां पाई गई जिन्हें क्रमिक रूप से ठीक किया जा रहा है।

भटिंडा तेलशोधन कारखाना

3775. डा. सरोजा वी. : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भटिंडा में तेल शोधक संयंत्र परियोजना के लिए स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) परियोजना के लिए अधिग्रहण की गई 2000 एकड़ भूमि का सीमांकन कार्य प्रगति पर है। बाहरी चारदीवारी के निर्माण के लिए आदेश भी दे दिया गया है।

''स्माइल फार आल नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम''

3776. श्री एस.एस. ओवेसी :
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्कूली बच्चों में मुंह की सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्माइल फार आल नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कितने विद्यालय लाए गए हैं; और यह जागरूकता कार्यक्रम अब तक कितने बच्चों को दिया गया है;

(घ) क्या यह कार्यक्रम देश भर में चलाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्कूली बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आगे क्या नीति तैयार की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पाइप लाइन से रसोई गैस की आपूर्ति

3777. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :
श्री मणि भाई रामजी भाई चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे राज्यों के नाम और उन्हें यह सुविधा कब तक प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) फिलहाल देश में क्रासकंटरी पाइप लाइनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को एल.पी.जी. की आपूर्ति करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि प्रमुखत: उत्तरी क्षेत्र में भरण संयंत्रों की एल.पी.जी. जरूरतों को पूरा करने के लिए एल.पी.जी. के थोक परिवहन के लिए कांडला/जामनगर से दिल्ली के रास्ते लोनी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए मैसर्स गेल का एक प्रस्ताव है। यह परियोजना अप्रैल, 2001 के अंत तक पूरी कर लिए जाने का कार्यक्रम है।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पाइप लाइन के माध्यम से एल.पी.जी. की आपूर्ति पर विचार न किए जाने का मुख्य कारण पाइप लाइन नेटवर्क बिछाने में अपेक्षित उच्च लागत और किसी शहर/कस्बे में सार्वजनिक स्थानों से होकर गुजरने वाले पाइप लाइन नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी त्रुटिरहित प्रणाली की अनुपस्थिति की वजह से सुरक्षा समस्याएं हैं।

[अनुवाद]

आई.एस.आई. एजेन्टों और खाड़कुओं को आश्रय

3778. **श्री श्रीराम चौहान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.एस.आई. एजेन्टों तथा लश्कर-ए-तोइबा गुट के आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश की मस्जिदों और मदरसों में शरण ले रखी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

[illegible] **लाल कृष्ण आडवाणी)** : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिल्ली में बम विस्फोट के अनेक मामलों में तथाकथित रूप से संलिप्त एक पाक-राष्ट्रिक, नवम्बर-दिसम्बर, 1996 में जिला बरेली में शेरगढ के एक मदरसे में ठहरा था।

(ग) हिंसा फैलाने के लिए गुमराह युवकों को लक्ष्य बनाने और उन्हें प्रशिक्षित करने के प्रयासों सहित देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों को प्रायोजित करने भारत को अस्थिर करने के पाक आई.एस.आई. के नापाक इरादों की सरकार को जानकारी है। अत: स्थिति पर गहन और सतत निगरानी रखी जा रही है तथा आतंकवादी और विघटनकारी तत्वों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने सहित सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रकार के इरादों को कामयाब न होने दिया जाये।

चाय बागानों को रसोई गैस की आपूर्ति

3779. **श्रीमती मिनाती सेन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय बागान के कर्मकारों के लिए रसोई गैस की बल्क सप्लाई रोक दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वनों के समीपवर्ती क्षेत्रों में रसोई गैस की आपूर्ति के लिए क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) एकल सब्सक्रिप्शन वाउचर योजना के अधीन एल.पी.जी. कनेक्शन जारी करने की योजना जिसमें चाय बागानों के कामगर भी सम्मिलित हैं, भेदभाव को रोकने के लिए सरकार के निदेशों पर इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा बंद कर दी गई है। ऐसी अवस्था में जब कि लंबी प्रतीक्षा सूचियां पड़ी हुई हैं थोक आधार पर वरीयता कनेक्शन देने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे कामगार एल.पी.जी. सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए नजदीकी एल.पी.जी. वितरकों के पास अपने आपको व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत करवा सकते हैं।

(ग) पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की रक्षा करने के लिए सरकार ने सभी पर्वतीय क्षेत्रों में 2000 फीट एम.एस.एल. की ऊंचाई के ऊपर स्थित स्थानों पर तत्काल एल.पी.जी. जारी करने के लिए अनुमति दे दी है।

पिछड़े वर्गों के लिए विकास निगम

3780. **श्री अभय सिंह एस. भोंसले** :
श्री विठ्ठल तुपे :
श्री डी.एस. अहिरे :
श्री माधव राव पाटील :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछड़े वर्गों के लिये कोई पृथक विकास निगम स्थापित करने हेतु महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निगम के लिये महाराष्ट्र सरकार को क्या मदद दी गई है; और

(घ) इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग विकास निगम स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।

(ग) ऐसे निगमों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

समूह-4 वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति

3781. श्री जोगेन्द्र कवाडे : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्यालय परिसरों की साफ-सफाई करने तथा इन पर निगरानी रखने के उद्देश्य से सभी मंत्रालयों/राज्य सरकारों/बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य सरकारी संगठनों में स्थायी आधार पर नियमित कर्मचारियों की भर्ती किए जाने के संबंध में कोई निदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर उच्चतम न्यायालय के निदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने बहु मंजिली इमारतों, जहां वाह्य सफाई और अन्य रख-रखाव कार्य विशिष्ट अनुभव के बिना नहीं किये जा सकते, के अलावा केन्द्रीय क्षेत्र के भीतर आने वाले प्रतिष्ठानों के स्वामित्व वाले या उनके द्वारा अधिग्रहीत इमारतों में झाड़ू लगाने, सफाई करने, झाड़पौछ करने और चौकीदारी करने के कार्यों में ठेका श्रमिकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया है। एयर इंडिया सांविधिक निगम लि. बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन व अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 6.12.96 के अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय दिया है कि ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अंतर्गत ठेका श्रम के उत्सादन के परिणामस्वरूप ठेकेदार और कर्मचारी के मध्य संबंध समाप्त हो गया है तथा प्रधान नियोजक व ठेका श्रमिकों का उनके कर्मचारियों के रूप में प्रत्यक्ष संबंध बहाल हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त कथित निदेशों के अनुसरण में अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन अधिकारी ने, केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में कथित प्रतिषेधात्मक अधिसूचना का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए निदेश जारी कर दिये हैं।

[हिन्दी]

नपुंसकता-रोधी औषधि वियाग्रा के विपणन की अनुमति

3782. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को औषधि उत्पादक कम्पनियों से नपुंसकता-रोधी औषधि वियाग्रा के विपणन की अनुमति देने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में वित्तीय प्रभाव तथा मानव-स्वास्थ्य पर इस औषधि के पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी हां। औषध सिल्डेनाफिल सिटरेट, जो घरेलू विपणन के लिए मैसर्स फाइजर, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वियाग्रा ब्रांड नाम के अंतर्गत बेची जाती है, के निर्माण के लिए पंजीकरण के लिए कई फर्मों ने आवेदन किया है। इस औषध को गोली के रूप में खाया जाता है जिसे नपुंसकता के उपचार में प्रभावकारी बताया गया है। तथापि, इसे कोरोनरी आर्टरी रोग के रोगियों विशेषतौर से जब वे नाइट्रेट्स जैसी औषधें ले रहे हों, के लिए खाने से मना भी किया गया है।

(ग) से (ङ) इस औषध को पंजीकृत करने की अनुमति देने से पहले आवेदकों के लिए मानवों पर इसकी आजमाइश करने से पूर्व पशुओं में पूर्व-नैदानिक विषाक्तता और प्रभावकारिता अध्ययन करना अपेक्षित होगा। अन्तिम निर्णय लेने से पहले देश में इस औषध को लाने की विवक्षाओं के बारे में उपयुक्त प्राधिकारियों से भी परामर्श किया जायेगा जिसमें इससे जुड़े हुए सामाजिक और आर्थिक घटक शामिल हैं।

राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभाव

3783. प्रो. रीता वर्मा : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रभाव है तथा यह प्रणाली बिहार, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्रभावी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में अलग-अलग उपलब्धियों के कारण क्या हैं;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए इन राज्यों में कोई पहल की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इससे स्थिति में किस सीमा तक बदलाव आया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) और (ख) हालांकि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर एक-समान प्रभाव नहीं होता, तथापि यह कहना सही नहीं है कि बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावी नहीं है। विविध उत्पादन और उपभोग पैटर्न वाले विशाल देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लागू होने पर पड़ने वाले अलग-अलग प्रभाव के सभी कारणों का विशेष उल्लेख करना कठिन है। तथापि, यह कहा जा सकता है कि सामान्यतया सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निष्पादन और प्रभाव उन राज्यों में अधिक अनुकूल रहता है जिनके पास बेहतर प्रशासन है और जिनका भौतिक आधारभूत ढांचा अधिक विकसित है और जिसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के उपकरण के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वचनबद्धताओं के प्रति सुदृढ़ सामाजिक मतैक्य प्राप्त है और राज्य के अपने संसाधनों से अतिरिक्त राजसहायता द्वारा से समर्थित हैं।

(ग) विगत में अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गरीबी रेखा से नीचे की आबादी को लाभ पहुंचाने में विफल रहने और अधिकतम ग्रामीण गरीबों वाले राज्यों में इसके नगण्य ''कवरेज'' के लिए आलोचना हुई है। इस असंतुलन को दूर करने के प्रमुख उपाय के रूप में सरकार ने जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार को विशेष सब्सिडी प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न जारी करने की परिकल्पना की गई है।

(घ) नई योजना का गहन औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, ऐसे संकेत मिले हैं कि संभवतया लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उठाए गए लक्षित उपायों से गरीबों तक पहुंचने वाले खाद्यान्न की मात्रा में वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

3784. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए;

(ख) उत्तर प्रदेश में ऐसे केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) देश में कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 1.4.92 को 20701 और 31.12.97 को 22962 थी। वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 (31.12.97 तक)* के दौरान खोले गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की वर्षवार संख्या क्रमश: 404, 85 और 516 थी।

*आंकड़े अनन्तिम हैं और स्पष्टीकरण किया जाना है।

(ख) 31.12.97 को उत्तर प्रदेश में 3808 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे थे।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 31.12.97 की स्थिति के अनुसार 1545 डाक्टरों की कमी है।

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की भरती और तैनाती करना सम्बन्धित राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, केन्द्रीय सरकार स्थिति पर निगरानी रखती है और उसकी समीक्षा करती है तथा रिक्तियों को भरने के लिए विशेष कदम उठाने हेतु समय-समय पर राज्य सरकारों को सलाह देती है।

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सात सूत्री कार्यक्रम

3785. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
डा. अशोक पटेल :
श्री चेतन चौहान :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सात सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त कार्यक्रम को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) इन राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए

केन्द्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 14.10.1998 को दिल्ली, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर-राज्य आपराधियों के विरुद्ध समन्वित आपरेशनों के लिए आतंकवादियों और अपराधी गिरोहों द्वारा पैदा की जा रही समस्याओं को पहचानने और उनसे निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करने और कार्यान्वित करने, आसूचना और रणनीति का व्यापक समन्वय करने, अपराधियों द्वारा अपनाई गई चालों का कारगरता के साथ मुकाबला करने हेतु पुराने कानूनों में संशोधन करने और राज्य पुलिस बल आदि को सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष कार्य बल गठित करने की सिफारिश की गई।

(ग) इस बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त कदम उठाने हेतु संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

विलायक एवं एम.टी.ओ. की आपूर्ति

3786. श्रीमती कमल रानी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने खुदरा विक्रेताओं को मिट्टी का तेल एवं लाइट डीजल तेल की आपूर्ति का प्रावधान किया है और उन्हें दिल्ली में तेल टैंकरों के माध्यम से सीधे कंपनी से लेने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि कंपनी द्वारा भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के सभी एस.के.ओ./एल.डी.ओ. वितरकों को एम.टी.ओ. और विलायक आदि की आपूर्ति नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में भेद-भाव को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसके अपने एजेंटों/वितरकों को एस.के.ओ., एल.डी.ओ., एम.टी.ओ. तथा विलायक सीधे एक्स.एम.आई. आधार पर इसके अपने प्रतिष्ठानों से टैंक लारियों में जारी किए जाते हैं। एस.के.ओ. को आगे राज्य सरकार के नागरिक आपूर्ति विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न खुदरा विक्रेताओं/उपभोक्ताओं को वितरित किया जाता है। जहां तक दूसरे उत्पादों का संबंध है, यह उपभोक्ताओं को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के एजेंटों/वितरकों द्वारा बिक्री किए जाते हैं।

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड केवल उन एस.के.ओ./एल.डी.ओ. एजेंटों को एम.टी.ओ./विलायकों की आपूर्ति करता है जिनके पास एस.के.ओ./एल.डी.ओ. के अतिरिक्त इन उत्पादों की साज-संभाल करने के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधायें हैं। इस संबंध में कोई भेद-भाव नहीं दर्शाया जाता है।

[अनुवाद]

तेल की खोज

3787. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी समुद्र तट से लगे विभिन्न भागों में तेल की खोज हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र को आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सरकार द्वारा फरवरी, 1997 में अनुमोदित की गई नई अन्वेषण लाइसेंस नीति में समान कार्यक्षेत्र की व्यवस्था है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां दोनों अन्वेषण रकबों के प्रदान किए जाने के लिए प्रतिस्पर्द्धा कर सकती है।

इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। फिलहाल 48 ब्लॉकों की पहचान प्रस्ताव के लिए की गई है, जिनमें से 26 ब्लॉक पूर्वी अपतट में हैं। बोलियां 1999 के आरम्भ में आमंत्रित किए जाने की आशा है।

राज्य के मेडिकल कालेजों में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों के लिए केन्द्रीय कोटा

3788. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विशेषरूप से गुजरात और महाराष्ट्र के विभिन्न मेडिकल कालेजों में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों के संबंध में केन्द्र सरकार को सीटों का कोई कोटा प्राप्त होता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कालेजों के नाम क्या हैं और ऐसी सीटों की कालेजवार संख्या कितनी है;

(ग) इन सीटों पर प्रवेश के लिए पात्रता संबंधी मानदण्ड क्या हैं;

: ने इन सीटों को भरने में कुप्रबंध तथा आनयामतताआ क बरते जाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां। कुछ राज्य जिनमें गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं, तथा कुछ चिकित्सा संस्थाएं, वर्षानुवर्ष आधार पर अपने मेडिकल कालेजों की कुछेक एम.बी.बी.एस. सीटें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाए गए केन्द्रीय पूल में स्वैच्छिक रूप से दे रही हैं।

(ख) ऐसे कालेजों के नाम तथा केन्द्रीय पूल में नामितियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या संलग्न विवरण-I पर दिए गए विवरण में दी गई है।

(ग) पात्रता मानदंड संलग्न विवरण-II और III में दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

देश में ऐसे मेडिकल कालेजों का विवरण जिनमें एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए सीटों का केन्द्र सरकार का कोटा प्रत्येक कालेज में सीटों की संख्या के साथ उपलब्ध है

क्र.सं.	मेडिकल कालेज का नाम	स्थान	राज्य	स्थानों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	गुवाहाटी मेडिकल कालेज	गुवाहाटी	असम	6
2.	असम मेडिकल कालेज	डिब्रुगढ़	असम	6
3.	सिलचर मेडिकल कालेज	सिल्चर	असम	3
4.	पटना मेडिकल कालेज	पटना	बिहार	5
5.	राजेन्द्र मेडिकल कालेज	रांची	बिहार	5
6.	दरभंगा मेडिकल कालेज	लहरीसराय	बिहार	5

1	2	3	4	5
7.	जे.एन. मेडिकल कालेज	भागलपुर	बिहार	4
8.	नालन्दा मेडिकल कालेज	पटना	बिहार	4
9.	एम.जी.एम. मेडिकल कालेज	जमशेदपुर	बिहार	2
10.	एस.के. मेडिकल कालेज	मुज्जफरपुर	बिहार	4
11.	ए.एम. मगध मेडिकल कालेज	गया	बिहार	4
12.	मौलाना आजाद मेडिकल कालेज	नई दिल्ली	दिल्ली	6
13.	अखिल भा आयु. संस्थान	नई दिल्ली	दिल्ली	5
14.	लेडि हार्डिंग मेडिकल कालेज	नई दिल्ली	दिल्ली	30
15.	पंडित बी.डी. शर्मा मेडिकल कालेज	रोहतक	हरियाणा	1
16.	इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज	शिमला	हिमाचल प्रदेश	5
17.	मेडिकल कालेज	थिरूवनन्तपुरम	केरल	5
18.	मेडिकल कालेज	कोझीकोडे	केरल	5
19.	मेडिकल कालेज	कोट्टायम	केरल	5
20.	मेडिकल कालेज	अलापुझा	केरल	5
21.	मेडिकल कालेज	तिरीसूर	केरल	4
22.	गांधी मेडिकल कालेज	भोपाल	मध्य प्रदेश	7
23.	जी.आर. मेडिकल कालेज	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	6
24.	एम.जी. मेडिकल कालेज	इंदौर	मध्य प्रदेश	3

1	2	3	4	5
25.	मेडिकल कालेज	जबलपुर	मध्य प्रदेश	8
26.	पं. जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज	रायपुर	मध्य प्रदेश	3
27.	एस.एस. मेडिकल कालेज	रीवा	मध्य प्रदेश	3
28.	ग्रान्ट मेडिकल कालेज	मुम्बई	महाराष्ट्र	2
29.	आई.जी. मेडिकल कालेज	नागपुर	महाराष्ट्र	1
30.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज	नागपुर	महाराष्ट्र	2
	.आर. मेडिकल कालेज	अम्बाजोगई	महाराष्ट्र	1
32.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	1
33.	डा. वी.एम. मेडिकल कालेज	शोलापुर	महाराष्ट्र	1
34.	बी.जे. मेडिकल कालेज	पुणे	महाराष्ट्र	2
35.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज	मिराज	महाराष्ट्र	1
36.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज	नांदेड़	महाराष्ट्र	1
37.	एस.बी.एच. गर्व. मेडिकल कालेज	धूले	महाराष्ट्र	1
38.	एस.बी.एन. गर्व. मेडिकल कालेज	यवतमाल	महाराष्ट्र*	1
39.	एस.एम.एस. मेडिकल कालेज	जयपुर	राजस्थान	4
40.	एस.पी. मेडिकल कालेज	बीकानेर	राजस्थान	4
41.	आर.एन.टी. मेडिकल कालेज	उदयपुर	राजस्थान	4

1	2	3	4	5
42.	डा.एस.एन. मेडिकल कालेज	जोधपुर	राजस्थान	4
43.	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज	अजमेर	राजस्थान	4
44.	के.जी. मेडिकल कालेज	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	3
45.	जी.एस.वी.एम. मेडिकल कालेज	कानपुर	उत्तर प्रदेश	3
46.	एस.एन. मेडिकल कालेज	आगरा	उत्तर प्रदेश	3
47.	एल.एल.आर.एम. मेडिकल कालेज	मेरठ	उत्तर प्रदेश	3
48.	एम.एल.एन. मेडिकल कालेज	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	3
49.	बी.आर.डी. मेडिकल कालेज	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	3
50.	एम.एल.बी. मेडिकल कालेज	झांसी	उत्तर प्रदेश	3
51.	बर्द्धवान मेडिकल कालेज	बर्द्धवान	पश्चिम बंगाल	3
52.	बी.एस. मेडिकल कालेज	बांकुरा	पश्चिम बंगाल	3
53.	उत्तरी पू. बंगाल मेडिकल कालेज	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल	4
54.	एम.पी. शाह मेडिकल कालेज	जामनगर	गुजरात	10
55.	जे.आई.पी.एम.बई.आर.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	18
56.	आयुर्विज्ञान संस्थान (भुवनेश्वर)	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	4
57.	एम.जी.आई.एम.एस., सेवाग्राम	वर्धा	महाराष्ट्र	4
58.	क्रिश्चियन मेडिकल कालेज	वैल्लूर	तमिलनाडु	1
59.	सेंट जान मेडिकल कालेज	बेंगलूर	कर्नाटक	1
		कुल एम.बी.बी.एस. सीटें		252

विवरण-II

एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए सीटों का केन्द्रीय सरकार के कोटे के लिए प्रवेश हेतु विचार किए जाने वाले पात्र छात्रों की श्रेणियां

1. उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छात्र, जहां कोई मेडिकल/डेन्टल कालेज नहीं हैं।
2. रक्षा कार्मिकों के बच्चे।
3. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल आदि में सेवारत अर्धसैनिक कार्मिकों के बच्चे।
4. [illegible] सचिवालय (एस.एस.बी./आर. एण्ड ए.डब्ल्यू./[illegible].) में सेवारत कार्मिकों के बच्चे।
5. विदेश में भारतीय मिशनों में सेवारत भारतीय कर्मचारियों के बच्चे।
6. कूटनीतिक/द्विपक्षीय वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने वाले स्वयं वित्त जुटाने वाले विदेशी छात्र।
7. तिब्बती शरणार्थी।
8. राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चे।
9. उपर्युक्त श्रेणी के छात्रों के अतिरिक्त थोड़ी सी एम.बी.बी.एस. सीटें जम्मू व कश्मीर राज्य को तदर्थ आधार पर आबंटित की जाती हैं ताकि वे उस राज्य में उन छात्रों को आवंटित की जा सकें जो राज्य में फैली अशांति के कारण आतंकवाद से प्रभावित हुए हैं।

   भारत सरकार के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों द्वारा पूरी की जाने वाली पात्रता की शर्तें तथा अभ्यर्थियों का चयन करते समय अनुपालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 9.12.1986 के पत्र सं. यू.-14014/84/86-एम.ई. (यू.जी.) में दिए गए हैं जो विवरण-III के रूप में संलग्न है।

विवरण-III

पी.पी. चौहान
संयुक्त सचिव

सं.यू. 14014/84/86-एम.ई.(यू.जी.)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 9 दिसम्बर 1996

प्रिय श्री

जैसा कि आप जानते हैं हम आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. सीटों के आवंटन हेतु पांच उम्मीदवारों के चयन और मनोयन हेतु आवंटन करते रहे हैं। हमारे ध्यान में कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं जब कुछ आबंटी अधिकरणों ने हमारे द्वारा आबंटित सीटों पर उम्मीदवारों के चयन और नामांकन करने भारत सरकार द्वारा जारी संगत अनुदेशों का पालन नहीं किया है।

2. इस बात को पुन: दोहराया जाता है कि निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों के बच्चे ही पात्र होंगे - (1) सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य के स्थाई निवासी (2) सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य सरकार के कर्मचारी (3) सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य में केन्द्रीय/अन्य राज्य/संघ राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारी, और (4) सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य के अन्दर अपने मुख्यालय में तैनात केन्द्रीय/अन्य राज्य/संघ राज्य के कर्मचारी।

3. उपर उल्लिखित केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को स्थानीय निवासी के समान माना जाना चाहिए। चयन का एकमात्र मानदण्ड उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता होगी बशर्ते कि भारत सरकार की सहमति से कोई विशेष आदेश जारी न किए गए हों।

4. सम्बन्धित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य को आवंटित $22^1/_2$ प्रतिशत सीटें उस राज्य/संघ राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। इन आरक्षणों का ब्यौरा इस प्रकार होगा।

(क) अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए $1^1/_2$ प्रतिशत का स्पष्ट रूप से आरक्षण।

(ख) ऊपर उप पैरा (क) में उल्लिखित आरक्षण में परस्पर परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार यदि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों को भरने के लिए उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो उन्हें अनुसूचित जाति के उपर्युक्त उम्मीदवारों से

भरी जाएगी तथा विपरीत स्थिति में भी यही बात लागू होगी; और

(ग) यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अर्हक उम्मीदवारों की संख्या सीटों के $22^1/_2$ प्रतिशत से कम हैं तो शेष सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भिन्न उम्मीदवारों को दी जा सकती हैं।

5. भारत सरकार के लिए आरक्षित सीटों पर दाखिले के लिए केवल वहीं उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने अंग्रेजी, भौतिकी से रसायनशास्त्र और जीवविज्ञान में अर्हक परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में 40 प्रतिशत)* तीन वर्षीय बी.एस.सी. आनर्स पाठ्यक्रम का पहला वर्ष प्री-डिग्री (दो वर्षीय पाठ्यक्रम/प्री यूनिवर्सिटी) दो वर्षीय पाठ्यक्रम (10+2+3 के नए पैटर्न) के अन्तर्गत 10+2 अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष कोई अन्य परीक्षा पास की हो। प्रवेश के लिए 80 प्रतिशत लाभ पात्र परीक्षणों के परिणामों को और 20 प्रतिशत मेट्रिकुलेशन अथवा स्कूल लीविंग परीक्षा को दिया जाएगा। जब किसी उम्मीदवार ने बी.एस.सी. अथवा एम.एस.सी. परीक्षा पास की हो तो 80 प्रतिशत लाभ पात्र परीक्षा के परिणामों को, 10 प्रतिशत मेट्रिकुलेशन अथवा स्कूल लीविंग और 10 प्रतिशत बी.एस.सी. या एम.एस.सी. परीक्षा के परिणामों पर दिया जाना है।

6. यह भी नोट किया जाए कि-

(क) जिस उम्मीदवार ने अर्हक परीक्षा दूसरे प्रयास में पास की है उसे कुछ अंकों में से 2 प्रतिशत अंक उसकी मेरिट का निर्धारण करने के लिए काट लिए जाने चाहिए।

(ख) जिस उम्मीदवार ने दो से अधिक प्रयासों में अर्हक परीक्षा पास की है, उसे सामान्यतया चिकित्सा अध्ययन के लिए उपर्युक्त नहीं समझा जाना चाहिए।

7. अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार के लिए आरक्षित एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. सीटों पर उम्मीदवारों के चयन और मनोनयन के लिए उपर्युक्त मानदण्डों का कड़ाई से पालन किया जाए। इस मंत्रालय की केन्द्रीय चयन समिति भी इस प्रक्रिया का पालन करेगी।

8. इस पत्र की प्रति स्वीकृति भेजने के लिए मैं आपका आभारी होऊंगा।

आपका

हस्ता/-

(पी.पी. चौहान)

सेवा में

बिना मेडिकल कालेजों वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित:-

1. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
2. गृह मंत्रालय (पुनर्वास प्रभाग), नई दिल्ली
3. गृह मंत्रालय (श्री पी. विजयराधवन, उप सचिव) नई दिल्ली
4. महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली
5. कमाडेंट केन्द्रीय आ.पु. बल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली
6. निदेशक एस.एस.बी. ईस्ट ब्लाक आर.के. पुरम, नई दिल्ली
7. विदेश मंत्रालय (छात्र प्रकोष्ठ) श्री जी.पी. पकूपूर, अवर सचिव, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
8. विदेश मंत्रालय (कल्याण सेल) (श्री जे.आर. बलाह, उप सचिव) नई दिल्ली
9. मंत्रिमंडल सचिवालय (श्री आर.के. गेंगर, उप सचिव) बीकानेर हाऊस एनेक्सी, शाहजहां रोड, नई दिल्ली
10. अध्यक्ष भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली
11. उप महानिदेशक (एन.) स्वा.से. महानिदेशालय (एम.ई. अनुभाग) निर्माण भवन, नई दिल्ली।

हस्ता/-

(पी.पी. चौहान)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

*अंक प्राप्त किए हो। प्रि-मेडिकल/तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का पहला वर्ष।

[हिन्दी]

के.स.स्वा.यो. अंशदान में वृद्धि

3789. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की के.स.स्वा.यो. अंशदान की राशि एक ही बार में पांच गुना बढ़ा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के इस अंशदान के बढ़ाए जाने के साथ ही चिकित्सा सुविधाओं में भी वृद्धि की गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी नहीं। यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सुविधाओं का सुधार एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दृष्टि से विभिन्न नैदानिक/सामान्य विशिष्टीकृत अति-विशिष्टता वाली उपचार संबंधी सुविधाओं के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को पहले ही मान्यता दी जा चुकी है।

विवरण

1.5.98 से पहले के.स.स्वा. योजना की अंशदान दरें		1.5.98 से के.स.स्वा. योजना के अंशदान की संशोधित दरें	
वेतन सीमा (रुपये प्रति माह)	अंशदान (रुपये प्रति माह)	वेतन सीमा (रुपये प्रति माह)	अंशदान (रुपये प्रति माह)
1200 रुपये	5	3,000 तक	15
1201 से 1500 रुपये	10	3,001 से 5,000	40
1501 से 1800 रुपये	15	6,001 से 10,000	70
1801 से 2500 रुपये	20	10,001 से 15,000	100
2501 से 3200 रुपये	25	15,001 से अधिक	150
3201 से 4000 रुपये	30		
4001 से 5000 रुपये	40		
5001 से अधिक	50		

[अनुवाद]

रसोई गैस की आपूर्ति

3790. **श्री भर्तृहरि मेहताब :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय उड़ीसा में रसोई गैस के सिलिंडरों की मांग, आपूर्ति तथा खपत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उड़ीसा के कटक, अंगल, जगतसिंहपुर के कुछ भागों तथा बिहार में रसोई गैस के सिलिंडरों की अत्यधिक कमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन राज्यों में आपूर्ति की स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) उड़ीसा में वर्ष 1997-98 के दौरान एल.पी.जी. की बिक्री करीब 50 टी.एम.टी. थी।

(ख) और (ग) उड़ीसा तथा बिहार राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास दर्ज मौजूदा उपभोक्ताओं की एल.पी.जी. मांग कुल मिलाकर पूरी की जा रही है। तथापि, जब कभी भी कानून-व्यवस्था की समस्याओं, बाढ़ या उत्पादन के किसी स्रोत आदि की आपतिक कामबंदी के कारण उपलब्धता में कोई बाधा आने से एल.पी.जी. का बैकलांग बनता है, तो तेल कंपनियां एल.पी.जी. आयात को बढ़ाते हुए तथा एल.पी.जी. भराई संयंत्रों पर सामान्य कार्य समय से अधिक समय तक तथा रविार और छुट्टी के दिनों पर कार्य कराते हुए प्रभावित बाजारों में एल.पी.जी. की मांग को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाती हैं ताकि एल.पी.जी. के बैकलांग को दूर किया जा सके। तेल कंपनियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फिलहाल बिहार और उड़ीसा राज्य में एल.पी.जी. का कोई बैकलाग नहीं है।

(घ) उत्पादन के मौजूदा स्रोतों की क्षमता बढ़ाते हुए, नए संयंत्र लगाते हुए तथा मौजूदा व नई सुविधाओं से अधिक आयातों द्वारा एल.पी.जी. की अधिक उपलब्धता प्राप्ति की योजनाएं बनाई गई हैं।

सीमा शुल्क में कटौती

3791. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) (कोचीन) को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) को कैप्ट्रोलैक्टम के सीमा शुल्क में कटौती के कारण भारी नुकसान हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति से उबरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) से (घ) एफ.ए.सी.टी. ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अमोनिया स्थानापन परियोजना के लिए सरकार से लिए गए ऋणों पर ब्याज के भुगतान पर दो से तीन वर्ष की अवधि के लिए स्थगन का और मूलधन के पुनर्भुगतान की समय सारिणी को पुनः निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

कम्पनी ने वर्ष 1997-98 तक लाभ अर्जित किया है। तथापि, वर्ष 1998-99 के दौरान (अक्तूबर, 1998 तक) कम्पनी को हानि हुई है जो अन्य कारणों के साथ कैपरोलैक्टम पर मूलभूत सीमा शुल्क में कटौती के कारण हुई है।

गत कुछ वर्षों के दौरान फैक्ट के वित्तीय निष्पादन निम्न प्रकार हैं:-

(रु. करोड़)

वर्ष	लाभ/हानि
1995-96	76.76
1996-97	61.78
1997-98	53.94
1998-99 (अक्तूबर 98 तक)	(-) 78.99 (अनंतिम)

कम्पनी ने कैपरोलैक्टम पर मूलभूत सीमा शुल्क में वृद्धि के लिए अनुरोध किया है जिसे तर्कसंगत नहीं पाया गया है।

बंगलादेश में आतंकवादियों के छिपने का स्थान

3792. श्री समर चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्रोही ग्रुपों ने भारत-बंगलादेश सीमा के निकट बंगलादेश में पर्वतीय क्षेत्रों में अपने छिपने के ठिकाने बनाए हैं और त्रिपुरा में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में सीमा सुरक्षा बल, सेवा अथवा असम राइफल्स की अतिरिक्त बटालियनें तैनात करने के त्रिपुरा सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

[illegible] मंत्री (**श्री लाल कृष्ण आडवाणी**) : (क) और (ख) [illegible] संकेत मिलता है कि हमारे कुछ पड़ोसी देशों में [illegible] हैं जिनका प्रयोग पूर्वोत्तर के विद्रोही ग्रुपों द्वारा सुरक्षित आश्रय, शरण स्थल और प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ किया जा रहा है। बंगलादेश सरकार के साथ मामला उठाया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे अवांछनीय तत्वों को अपनी भूमि का प्रयोग भारत के हितों के प्रतिकूल नहीं करने देंगे।

(ग) सम्पूर्ण सुरक्षा परिदृश्य और इन बलों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सेना/केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की समीक्षा

3793. श्री बलराम सिंह यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न रोगों के बार-बार फैलने से उत्पन्न होने वाली स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो यह समीक्षा जिन आधारों पर की गई उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एड्स को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो चलाए गए/चलाए जाने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा गत वर्षों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम/राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अन्तर्गत विभिन्न बीमारियों को समाप्त करने में क्या सफलता हासिल की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) से (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के संशोधन का कार्य शुरू कर दिया गया है और राज्य सरकारों, विशेषज्ञों और सभी संबंधितों के विचारों को ध्यान में रखने के पश्चात् ही इसे अन्तिम रूप दिया जायेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रमुख कार्यक्रमों में प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

8वीं योजना के दौरान देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	उपलब्धियां
1	2	3
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उम्मूलन कार्यक्रम	मलेरिया की घटना-दर 8वीं योजनावधि सहित एक दशक से अधिक अवधि से 2-3 मिलियन रोगी प्रतिवर्ष के बीच नियंत्रित हो गई है। मलेरिया के रोगी का पता लगाना और उसका उपचार करने की सुविधाएं देश के सभी भागों में निःशुल्क मौजूद हैं। 8वीं योजनावधि के दौरान पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में काला-आजार के स्थानिकमारी

1	2	3
		वाले जिलों को काला-आजार नियंत्रण योजना के अन्तर्गत कवर किया गया है और राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 206 नियंत्रण एककों, 27 सर्वेक्षण एककों और 199 फाइलेरिया क्लीनिकों के माध्यम से फाइलेरिया के स्थानिकमारी वाले शहरी क्षेत्रों को कवर किया गया है।
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उम्मूलन कार्यक्रम	देश के सभी जिलों को अब तक नि:शुल्क बहु-औषध चिकित्सा सेवाओं से कवर किया जा चुका है। कुल 10.8 मिलियन रोगियों को बहु-औषध चिकित्सा से ठीक किया जा चुका है। कुष्ठ की व्याप्तता-दर 1981 में 57/10,000 जनसंख्या से कम होकर मार्च, 1998 में 5.3/10,000 तक हो गई है।
3.	राष्ट्रीय क्षयरोग	8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 69,91,861 नए क्षय रोगियों का पता लगाया गया और उन्हें उपचार पर रखा गया।

4.	राष्ट्रीय दृष्टि-हीनता नियंत्रण कार्यक्रम किए गए मोतियाबिंद के आपरेशन (लाख में)	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
		16.00	19.13	21.65	24.70	27.20
5.	परिवार कल्याण कार्यक्रम :					
	(1) टीककारण कवरेज					
	डी.पी.टी.	21996861	23093503	23404982	22555482	23222363
	पोलियो	22115171	23209135	23578383	22776336	23516496
	बी.सी.जी.	23460896	24091829	24704227	24133917	24924467
	खसरा	20863860	21947283	21602060	20542489	21114788
	टी.टी. (गर्भवती महिलाएं)	21449559	22747066	23071570	22123908	22946180
	2. परिवार नियोजन					
	कवरेज:					
	बन्ध्यकरण	4286306	4497450	4579514	4422319	3870226

1	2	3				
	आई.यू.डी.	4739858	6016714	6701995	6857882	5680671
	परम्परागत गर्भनिरोधक के उपयोगकर्त्ता	15004452	17282877	17706986	17297429	17214327
	मुखसेव्य गोलियों के उपयोगकर्ता	3001318	4302177	4873311	5090850	5250179
6.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	इलेक्ट्रानिक और मुद्रण प्रचार साधनों के माध्यम से गहन जागरूकता अभियानों ने ग्रामीण (35-40 प्रतिशत) और शहरी क्षेत्रों (60-65 प्रतिशत) में उच्च जोखिम वाले समूहों और सामान्य जनसंख्या दोनों में इस रोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न की है। 18 राज्यों में स्कूल और कालेज शिक्षा के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रमों को व्यापक पैमाने पर शुरू किया गया है। जनसंख्या को सुरक्षित रक्त सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और स्वैच्छिक क्षेत्र में 815 रक्त बैंकों को चरणों में आधुनिक बनाया गया है और देश-भर में 40 रक्त संघटक पृथक्करण सुविधाएं शुरू की गई हैं। देश भर में एच.आई.वी., सिफिलिस, मलेरिया और यकृतशोथ-बी के लिए रक्त के अनिवार्य परीक्षण करवाने की बात लागू की गई है। पिछले 2-3 वर्षों में रक्ताधान के माध्यम से संक्रमण होने की दर में प्रशसनीय कमी लाई गई है। यौन संचारित रोगों, जिनका एच.आई.वी./एड्स के साथ प्रत्यक्ष सह-संबंध होता है, की रोकथाम के लिए जिला अस्पतालों में 504 यौन संचारित रोग के क्लीनिकों को आधुनिक बनाने का कार्य शुरू किया गया है। डाक्टरों का प्रशिक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और मूल प्रशिक्षक नैदानिकीय उपचार और एड्स रोग निदान में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। भारतीय चिकित्सा संघ राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की सहायता से अब तक 20,000 से अधिक सामान्य चिकित्सा व्यवसायियों को प्रशिक्षित कर चुका है।				

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

3794. श्री अमर राय प्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें वर्ष 1993-94,

1994-95, 1995-96 और 1996-97 के लिए इसकी अपनी चार वार्षिक रिपोर्टों में समाविष्ट की गयी है, जिन्हें क्रमश: 26.8.94, 26.8.95, 10.9.96 और 9.6.98 को, की गई कार्रवाई रिपोर्टों के साथ लोक सभा के पटल पर रख दिया गया था।

कश्मीरी पंडितों/हिन्दू मजदूरों की हत्याएं

3795. श्री अजय कुमार एस. सरनायक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादियों द्वारा कश्मीर पंडितों और हिन्दू मजदूरों की हत्याएं किए जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह महसूस करती है कि आतंकवादी कार्रवाइयों को संकल्पों और राजनयिक चैनलों के माध्यम से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई गई है;

(घ) क्या सरकार आतंकवादियों के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों का समर्थन करती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) कश्मीरी पंडितों और हिन्दू मजदूरों की हत्या के बारे में पृथक-पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, देश में आतंकवादी घटनाओं की संख्या में कुल मिलाकर कोई वृद्धि नहीं हुई है और गत वर्ष की समकालीन अवधि की तुलना में चालू वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर में भी आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की लगातार निन्दा की है और इसके कारण निर्दोष लोगों की जानें चली जाने पर क्षोभ और शोक प्रकट किया। यह हमारे लिए विशेष चिन्ता का कारण है क्योंकि भारत स्वयं, सीमा पार के देश द्वारा प्रायोजित हिंसा का, इसके अत्यधिक जघन्य रूप में, शिकार रहा है।

हमारा यह मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए केवल एक तरफा चुनिन्दा कार्रवाई काफी नहीं है अपितु अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के लिए जिम्मेदार, चाहे वे व्यक्ति विशेष हों, आतंकवादी ग्रुप अथवा देश हो, की शिनाख्त करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सार्थक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है।

विदेशी भाड़े के सैनिक

3796. श्री मोहन राखले : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में समग्र आतंकवादी संचालन/गतिविधियां विदेशी भाड़े के सैनिकों के नियंत्रणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी से पता चला है कि स्थानीय युवकों का उग्रवाद के प्रति मोहभंग हो जाने के कारण, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित उग्रवादी गिरोह जम्मू व कश्मीर में अधिक-से-अधिक भाड़े के विदेशी सैनिक भेजने के प्रयास करते रहे हैं ताकि वहां उग्रवाद को जारी रखा जा सके।

(ग) स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने सुसमन्वित और बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सम्मिलित हैं:- सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, अन्दरूनी भागों में उग्रवादियों के खिलाफ प्रतिकारक कार्रवाई करके उनकी योजनाओं को निष्फल करना, सुरक्षा बलों की चौकियां स्थापित करना, ग्रामीण रक्षा समितियां गठित करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, उन्नत/आधुनिक हथियारों और संचार प्रणाली, प्रशिक्षण देना।

सुपर बाजार

3797. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर बाजार बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है;

(ख) क्या नोएडा में सुपर बाजार की केवल एक अथवा दो शाखाएं हैं; और

(ग) यदि हां, तो देश के अन्य शहरों में इसकी और शाखाएं खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) सुपर बाजार, दिल्ली अब 22.1.1996 से बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

(ख) और (ग) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि इस समय वे नोएडा, उ.प्र. में 4 शाखाएं ला रहे हैं। देश के अन्य शहरों में और शाखाएं खोलने के बारे में उनका कहना है कि इस सिलसिले में अपनी ओर से किए जा रहे प्रयासों के अलावा उन्होंने शाखा विस्तार के लिए स्थान के आवंटन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से संपर्क किया है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों के नाम बदलना

श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं; और

(ख) क्या मुम्बई के दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर चैत्य भूमि रखने को कोई प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों, नवम्बर, 1995 से नवम्बर, 1998 तक के दौरान चार रेलवे स्टेशनों/जंक्शनों के नाम बदल गए थे। ये इस प्रकार है:-

1. विक्टोरिया टर्मिनस का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के रूप में
2. अलवर रेलवे स्टेशन का अलवर जंक्शन के रूप में
3. डहकोरा हाल्ट का रोहाद नगर के रूप में
4. भवानीपुर रेलवे स्टेशन का नेताजी भवन स्टेशन के रूप में।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

महिलाओं पर अत्याचार

3799. श्री बी.एम. मेनसिंकाई : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराधों के मद्देनजर सरकार की उन गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों को मान्यता प्रदान करने की योजना है जो महिलाओं को संरक्षण प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रशिक्षण अनुसंधान और पुनर्वास केन्द्र

3800. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अनुसंधान और पुनर्वास संस्थान की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या राज्य सरकार इस केन्द्र की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि और भवन उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) विलम्ब के कारण निम्नलिखित हैं:-

(1) योजना आयोग इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ क्योंकि इसे नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया।

(2) चूंकि भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों के समान स्वरूप के अन्य प्रस्ताव थे, इसलिए व्यय विभाग ने सुझाव दिया कि ऐसे सभी प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति के प्रयोजनार्थ समेकित किया जाए। अनेक औपचारिकताओं की दृष्टि से समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

यौन उत्पीड़न

3801. श्री सुरेश वरपुडकर : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली स्थित भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) की कुछ महिला कर्मचारियों ने राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू.) से अपने कार्य-स्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में चीनी जोन

3802. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लेवी मूल्य निर्धारण में अन्याय से बचने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुन: निर्माण बोर्ड की सिफारिश पर महाराष्ट्र का दो चीनी जोनों में बंटवारा किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र को पुन: 1993-94 में तीन जोनों में बांट दिया गया और चीनी मिलों को केन्द्रीय जोन में रखा गया;

(ग) क्या सरकार से चीनी मिलों ने मध्य जोन को (इन) दोनों में से किसी एक जोन में शामिल करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 1998-99 वर्ष के लिए लेवी चीनी मूल्य की घोषणा करते समय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) और (ख) 1993-94 से पूर्व महाराष्ट्र दो जोनों में विभक्त था अर्थात् (1) उत्तरी महाराष्ट्र जिसमें बीड, जलगांव, औरंगाबाद, नानदेड, बुलढाना, पारभनी, ओसमानाबाद, धुलिया, यवतमाल, धुले, जालना और लातूर क्षेत्र शामिल हैं, (2) दक्षिणी महाराष्ट्र जिसमें अहमदनगर, सतारा, शोलापुर, पुणे, कोल्हापुर, नासिक और सांगली क्षेत्र शामिल हैं। तथापि, उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को लिखा गया था तथा औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की सिफारिश पर सरकार ने चीनी का लेवी मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए 1993-94 मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) से दक्षिणी महाराष्ट्र जोन का दो जोनों में उप-विभाजन किया अर्थात् दक्षिणी महाराष्ट्र (कोल्हापुर, सांगली और सतारा जिले) और मध्य महाराष्ट्र (पुणे, नासिक, अहमदनगर और शोलापुर जिले)।

(ग) और (घ) मध्य जोन को पहले के दो जोनों अर्थात् उत्तरी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए चीनी मिलों से हाल में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, माननीय संसद सदस्य ने एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के लिए वर्तमान तीन जोनों की बजाय दो लेवी मूल्य-निर्धारण जोनों को बहाल करने का अनुरोध किया है। वर्तमान मौसम 1998-99 के लिए लेवी चीनी के मूल्य औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की 1997 के दौरान प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और मालिश केन्द्र

3803. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जन स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में नहीं बल्कि स्वास्थ्य और मालिश पार्लर, मोटापा कम करने के पार्लर (स्लिमिंग सैलून) के रूप में अनेक पार्लर राजधानी में चल/फल-फूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश केन्द्र मेडिकल डिग्री के बिना ही चलाये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ङ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस संबंध में आंकड़ों का रख-रखाव नहीं करता।

राज्य मानवाधिकार आयोग

3804. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

प्रदेश में विगत तीन वर्षों के दौरान मानवाधिकारों नी शिकायतें मिली हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का राज्य सरकारों द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोगों के गठन को अनिवार्य बनाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्, इस मामले पर विचार के बाद उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करना आवश्यक नहीं है क्योंकि शिकायत दूर करने की वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद है, जैसे:

(1) उत्तर प्रदेश विधान सभा और विधान परिषद्।

(2) राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग।

(3) राज्य पिछड़ी जाति आयोग।

(4) राज्य अल्पसंख्यक आयोग।

(5) (i) राज्य सरकार के गृह विभाग में मानवाधिकार सैल।

(ii) पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में मानवाधिकार सैल।

(ख) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करने के लिए इस अधिनियम के सामर्थ्यकारी उपबंध है। जिन राज्य सरकारों ने अभी तक राज्य आयोग का गठन नहीं किया है उन्हें अपने-अपने राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन करने के लिए समय-समय पर सलाह दी गई है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य में मानवाधिकार उल्लंघन की पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या निम्न प्रकार है:-

वर्ष	दर्ज हुई शिकायतों की संख्या
1995-96	2,579
1996-97	8,668
1997-98	17,638

(घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों को कार्रवाई हेतु सीधे राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारियों को भेज दिया जाता है।

(ङ) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पेट्रोल पंप

3805. श्री टी. गोविन्दन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में तेल कंपनियों द्वारा कितने पेट्रोल पम्प चलाये जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन पेट्रोल पम्पों से इन कंपनियों को हुए लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) केरल में कोई खुदरा बिक्री केन्द्र तेल कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चलाया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

होम्योपैथी कालेज

3806. श्री जयसिंहजी चौहान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत होम्योपैथी कालेजों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसकी संभावनाओं के मद्देनजर सरकार का विचार भविष्य में होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली को देश में बढ़ावा देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) दिनांक 1.4.98 को देश में कार्य कर रहे होम्योपैथिक कालेजों का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) जी हां, अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों नामत: आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी के साथ-साथ होम्योपैथिक उपचार पद्धति को बढ़ावा देने और उसके विस्तार के लिए केन्द्रीय सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत मार्च, 1995 से एक स्वतंत्र भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग की स्थापना की है। होम्योपैथिक पद्धति की शिक्षा को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् नामक एक सांविधिक विनियामक निकाय की स्थापना की है। कलकत्ता में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना शीर्षस्थ शैक्षणिक संस्थान के रूप में की गई है। अनुसंधान गतिविधियां चलाने के लिए सरकार ने एक अनुसंधान परिषद नामत: केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान, नई दिल्ली की स्थापना की है। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग देश में होम्योपैथी कालेजों को उनके स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर संकायों का विकास करने हेतु सहायता अनुदान भी प्रदान कर रहा है। होम्योपैथी में गुणवत्ता वाली एवं मानकीकृत औषधें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, होम्योपैथिक फार्मेकोपिया समिति मोनोग्राफ तैयार करने और उन्हें अंतिम रूप देने तथा औषधियां बनाने हेतु मानक निर्धारित करने के कार्य में लगी हुई है। वह समिति पहले ही 710 मोनोग्राफों को अंतिम रूप दे चुकी है। होम्योपैथिक औषधों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए गाजियाबाद में एक होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रयोगशाला कार्य कर रही है। इसके अलावा, होम्योपैथिक शिक्षकों और डाक्टरों के ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए यह विभाग उनके लिए पुनर्अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रहा है और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए होम्योपैथी के स्नातकपूर्व एवं स्नातकोत्तर कालेजों को सहायता अनुदान प्रदान कर रहा है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1.4.1998 को होम्योपैथिक चिकित्सा कालेजों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	होम्योपैथिक चिकित्सा कालेजों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	अरूणाचल प्रदेश	–
3.	असम	3
4.	बिहार	1
5.	दिल्ली	2
6.	गोवा	–
7.	गुजरात	10
8.	हरियाणा	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–
10.	जम्मू व कश्मीर	–
11.	कर्नाटक	9

1	2	3
12.	केरल	4
13.	मध्य प्रदेश	8
14.	महाराष्ट्र	37
15.	मणिपुर	–
16.	मेघालय	–
17.	मिजोरम	–
18.	नागालैंड	–
		5
20.	पंजाब	5
21.	राजस्थान	3
22.	सिक्किम	–
23.	तमिलनाडु	3
24.	त्रिपुरा	–
25.	उत्तर प्रदेश	10
26.	पश्चिम बंगाल	13
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	–
28.	चंडीगढ़	1
29.	दादर एवं नगर हवेली	–
30.	दमण एवं दीव	–
31.	लक्षदीप	–
32.	पांडिचेरी	–
33.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	–
34.	केन्द्रीय अनुसंधान परिषदें	–
	योग	118

टिप्पणी:

*सरकारी एवं गैर सरकारी कालेज शामिल हैं।

—शून्य सूचना

आंकड़े अनन्तिम हैं।

खनन क्षेत्र में तपेदिक के मामले

3807. श्री रामनारायण मीणा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनिज खनन क्षेत्र में कुपोषण और प्रदूषित वातावरण के कारण श्रमिकों में तपेदिक के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न खनिज खनन क्षेत्रों जिसमें राजस्थान के सतल खेड़ी रानीगंज मंडी में काम करने वाले गरीब श्रमिकों में 15% से अधिक श्रमिकों में तपेदिक के लक्षण पाए गए है;

(घ) यदि हां, तो इस रोग को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में स्थान-वार अस्पताल स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो इन अस्पतालों की स्थापना कब तक कर दी जाएगी?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल का निर्यात

3808. श्री के.एस. राव :
श्री नादेन्दला भास्कर राव :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने अपने चावल के भंडार को समाप्त करने के लिए इसका निर्यात करने का निर्णय किया है क्योंकि थोक बाजार में चावल के पूरे भंडार की खपत होने की स्थिति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय से खुले बाजार में मूल्य नियंत्रण में किस हद तक सहायता मिलने की संभावना है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम के पास चावल के भंडार की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अब तक कितनी मात्रा में चावल की खरीद की गई है तथा चालू मौसम के दौरान कितनी खरीद किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम इसे उपलब्ध कराए गए चावल की पूरी मात्रा की खरीद किए जाने की स्थिति में है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1.11.98 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में चावल के स्टाक की स्थिति निम्नानुसार थी:

(मात्रा लाख टन में)

भारतीय खाद्य निगम के पास	राज्य सरकारों के पास	जोड़
87.05	19.47	106.52

(घ) 16.12.1998 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए 51.60 लाख टन चावल (चावल के रूप में धान सहित) की वसूली की गई है। वसूली की वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए वर्तमान विपणन मौसम में 115 लाख टन चावल की वसूली होने की संभावना है।

(ङ) और (च) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम मूल्य समर्थन योजना के अधीन किसानों से सीधे गेहूं खरीदता है। चावल की वसूली मिल मालिकों पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा लेवी लगाने की प्रणाली के अधीन की जाती है। भारतीय खाद्य निगम ने धान और चावल की सम्पूर्ण मात्रा की वसूली करने की व्यवस्था इस शर्त के अध्यधीन की हुई है कि वे भारत सरकार द्वारा विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हों।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी

3809. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनियन कारबाइड गैस त्रासदी के पीड़ितों के परिवारों को वायदे के अनुसार मुफ्त मकान नहीं दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यूनियन कारबाइड गैस त्रासदी के पीड़ितों के परिवारों के सदस्यों को मकानों के आवंटन करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पीड़ितों के परिवारों को मकान प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क), (ख) और (ङ) गैस पीड़ितों को निःशुल्क रिहायशी आवास प्रदान करने के लिए कार्य-योजना में एक स्कीम है, जिसका कार्यान्वयन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानदंड के अनुसार मृतक गैस पीड़ितों की विधवाओं और अनाथों को मकान आबंटित किए गए हैं। इस स्कीम के तहत अब तक 2293 मकान आबंटित किए गए हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकार के अनुसार अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

डी.डी.एल. के उत्पादन पर पाबंदी

3810. श्री बैजनाथ रावत : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल निगम कंपनियों ने डी.डी.एल. के उत्पादन पर पाबंदी लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस पाबंदी को उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री : (क) से (घ) डी.डी.एल. पेट्रोलियम ...लिए तेल कंपनियों का इससे कोई संबंध नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम

3811. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में प्राप्त की गई उपलब्धि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताजन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम (जो पूर्व में राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम था) देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की कार्यनीतियों में आयोडीन अल्पता जन्म विकास सर्वेक्षण आयोडीमयुक्त नमक की आपूर्ति, नमक में आयोडीन की मात्रा तथा पेशाब में आयोडीन की मानीटरिंग तथा लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम पर खर्च की गई धनराशि इस प्रकार है:-

1995-96	138.22 लाख रुपये
1996-97	240.00 लाख रुपये
1997-98	292.00 लाख रुपये

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत के भिन्न-भिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आई.डी.डी. की व्याप्तता/एन.आई.डी.डी.सी.पी. की स्थिति

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	जिलों की कुल संख्या	जिलों की संख्या		जारी की गई प्रतिबंध अधिसूचना	आई.डी.डी. प्रकोष्ठ की संख्या
		स्वै.	जानदिक रोग		
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	23	07	06	आंशिक	हां
अरूणाचल प्रदेश	10	10	10	पूर्ण	हां

1	2	3	4	5	6
असम	18	18	11	पूर्ण	हां
बिहार	38	22	21	पूर्ण	हां
गोवा	02	02	02	पूर्ण	हां
गुजरात	19	16	08	पूर्ण	हां
हरियाणा	16	09	08	पूर्ण	हां
हिमाचल प्रदेश	12	10	19	पूर्ण	हां
जम्मू व कश्मीर	15	14	14	पूर्ण	नहीं
कर्नाटक	20	17	06	पूर्ण	हां
केरल	14	14	11	कोई प्रतिबंध नहीं	हां
मध्य प्रदेश	45	16	16	पूर्ण	हां
महाराष्ट्र	11	25	21	पूर्ण	हां
मिजोरम	4	4	4	पूर्ण	हां
मणिपुर	8	8	8	पूर्ण	हां
मेघालय	5	2	–	पूर्ण	हां
नागालैंड	7	7	7	पूर्ण	हां
उड़ीसा	30	2	2	पूर्ण	हां
पंजाब	12	3	3	पूर्ण	हां

1	2	3	4	5	6
राजस्थान	27	3	3	पूर्ण	हां
सिक्किम	4	4	4	पूर्ण	हां
तमिलनाडु	2	12	12	पूर्ण	हां
त्रिपुरा	3	3	3	पूर्ण	हां
उत्तर प्रदेश	67	34	29	पूर्ण	हां
पश्चिम बंगाल	18	5	5	पूर्ण	हां
[illegible]बार	2	–	–	पूर्ण	हां
चंडीगढ़	1	1	1	पूर्ण	हां
दादर एवं नगर हवेली	1	1	1	पूर्ण	हां
दिल्ली	1	1	1	पूर्ण	हां
लक्षद्वीप	1	1	1	पूर्ण	नहीं
पांडिचेरी	4	1	1	पूर्ण	नहीं
दमन एवं द्वीव	1	1	1	पूर्ण	हां
कुल योग	480	275	235		

*खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार पूर्ण प्रतिबंध अधिसूचना 27 मई, 1998 से लागू है। लेकिन यह मामला आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीन है।

आई.डी.डी. = आयोडीन अल्पता जन्य विकार

एन.आई.डी.डी.सी.पी. = राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता जन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का उत्तर

3812. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का बारंबार अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद उत्तर नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त को सलाह देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि संसद सदस्यों द्वारा पुलिस आयुक्त को संबोधित पत्रों का उत्तर, कुछ इक्का-दुक्का ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें अपेक्षित सूचना की अनुपलब्धता के कारण उत्तर समय पर नहीं भेजा जा सका, विधिवत रूप से दिया जाता है।

(ग) और (घ) इस बारे में सरकार के स्थायी अनुदेश हैं कि संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का उत्तर शीघ्रता से दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में नियुक्तियां

3813. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में समूह ''क'' और ''ग'' पदों पर सभी नियुक्तियां दिल्ली भर्ती बोर्ड द्वारा मंत्रिमंडल के 29 जून, 1998 के निर्णय के अनुसार की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रिमंडल के निर्णय का उल्लंघन कर उक्त समूहों के पदों पर नियुक्तियां की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं; तो दिल्ली भर्ती बोर्ड ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में सुरक्षा अधिकारी और सहायक सुरक्षा अधिकारी के पदों पर नियुक्ति किस आधार पर की?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। तथापि, सुरक्षा अधिकारी और सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद एन.डी.एम.सी. द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति करके सीधे भरे गए थे।

[अनुवाद]

बटालियनों की मंजूरी

3814. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ती हुई नक्सलवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार से ''इंडिया रिजर्व बटालियन'' की कुछ बटालियनों को मंजूरी देने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश में तैनात की जाने वाली प्रत्येक बटालियन के खर्च में हिस्सा बंटाने पर केन्द्र सरकार सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो अभी तक कितने बटालियन आन्ध्र प्रदेश भेजे गए हैं और केन्द्र सरकार आतंकवादी/नक्सलवादी गतिविधियों का मुकाबला करने में राज्य सरकार को किस सीमा तक सहायता करने पर सहमत है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 4 इण्डिया रिजर्व बटालियनें पहले ही स्वीकृत की हैं। अतिरिक्त बटालियनों के लिए मांग नहीं की गई है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) लोक व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकारों की सहायता करने हेतु केन्द्रीय पुलिस बल उपलब्ध कराए जाते हैं। किसी भी राज्य में इनकी तैनाती समग्र सुरक्षा परिदृश्य और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की उपलब्धता के आधार पर निर्भर करती है। तथापि, बलों के ब्यौरे और उनकी तैनाती का स्तर बताना जनहित में नहीं होगा।

कुपोषण से पीड़ित आदिवासी

3815. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में भारी संख्या में आदिवासी कुपोषण से पीड़ित हैं और अभी भी गरीबी में रह रहे हैं:

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मूल निवासियों तथा आदिवासियों की रिहायशी हालत के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनके रहन-सहन के स्तर को बढ़ाने और आदिवासियों को पोषकता उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्र सरकार ने मूल निवासियों और आदिवासियों की रिहायशी कोई अध्ययन नहीं कराया है। तथापि, 1993 में देश के कुछ भागों में आदिवासियों की मौतों के बारे में समाचार-पत्र की रिपोर्टों के आधार पर दूर-दराज और पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की मौतों के विरुद्ध निवारक उपायों को मानीटर करने के लिए सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने राज्य सरकारों के परामर्श से 13 राज्यों के 52 जिलों में 369 ऐसे खंडों का पता लगाया जिन पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाना है। राज्य सरकारों से शुरू में ही चेतावनी देने की प्रणाली स्थापित करने, संबंधित विभागों के समन्वय से कार्यान्वित और मानीटर किए जाने वाले पीने के पानी स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोजगार उत्पन्न करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को तेज करने जैसे उपायों वाली कार्ययोजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

विशेष रूप से सामाजिक न्याय और रोजगार मंत्रालय ने इन क्षेत्रों में बच्चों की मौतों के विरुद्ध एक निवारक उपाय के रूप में 1996-97 के दौरान एक ग्रामीण अनाज बैंक योजना चलाई है। यह योजना कम साक्षरता वाले क्षेत्रों की महिलाओं की शिक्षा और आदिवासी कल्याण इत्यादि के लिए स्वयंसेवी संगठन की सहायता हेतु गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाए जाने वाले बालिका छात्रावास, लड़कों के छात्रावास, आश्रम स्कूलों इत्यादि को सहायता जैसे आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न अन्य शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के अतिरिक्त हैं।

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग के लिए धन का आबंटन

3816. श्री नरेश पुगलीया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी विभाग के लिये कितना धन प्रदान किया गया है;

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी विभाग को आबंटित कुल धन में से कितना धन सी.सी.आर.एच. और सी.सी.आर.ए. को प्रदान किया गया है; और

(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी विभाग के अंतर्गत सहयोगी संगठनों को कितना धन प्रदान किया गया है तथा इस संबंध में क्या मानदंड अपनाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग को उपलब्ध कराया गया धन निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	योजना	गैर-योजना	योग
1996-97	23.10	21	44.19
1997-98	32.8	33.65	66.45

(ख) केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद एवं केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद को उपलब्ध कराया गया धन निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	योजना	गैर-योजना	योग
1996-97	1.8	1.87	3.67
1997-98	2.25	2.84	5.09

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्

(करोड़ रु. में)

वर्ष	योजना	गैर-योजना	योग
1996-97	2.98	2.86	12.84
1997-98	4.95	15.47	20.42

(ग) सहयोगी संगठनों को उपलब्ध कराया गया धन विवरण के रूप में संलग्न है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग के अन्तर्गत सहयोगी संगठनों को धन उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित मानदण्ड अपनाये गये हैं।

(1) संगठन को चलाने एवं विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने हेतु उनके बजट अनुमान/संशोधित अनुमान और पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना में दिखाए गए संगठनों की आवश्यकता (जैसे अनुसंधान जरूरतें एवं प्रशासकीय व्यय)।

(2) वित्त मंत्रालय द्वारा बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तथा योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना के अंतर्गत विभाग को प्रदान किए गए धन का समग्र आबंटन।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग के अन्तर्गत सहयोगी संगठनों (अधीनस्थ एवं स्वायत निकायों) को उपलब्ध किया गया धन

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	1996-97	1997-98
1	2	3	4
1.	भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	0.39	0.4
2.	होमियोपैथिक फार्माकोपिया प्रयोगशाला गाजियाबाद	0.5	1.68
3.	भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	4.24	5.63
4.	राष्ट्रीय होमियोपैथी एंड संस्थान, कलकत्ता	1.53	2.09
5.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर	1	1.5
6.	राष्ट्रीय प्राकृतिक संस्थान, पुणे	0.25	0.21
7.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ	0.4	0.26
8.	स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर	2.65	2.4
9.	केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद्	12.84	20.42
10.	केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद्	6.31	8.39
11.	केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान, नई दिल्ली	0.66	1.07
12.	केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	3.67	5.09
13.	केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	0.7	1.09
14.	केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद्, नई दिल्ली	0.67	0.52
15.	केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली	0.51	0.69

अधिकारियों के दल द्वारा जम्मू और कश्मीर का दौरा

3817. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में पाक सेना द्वारा जम्मू और कश्मीर की सीमा के साथ-साथ अकारण गोलीबारी से उत्पन्न स्थिति का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों के दल को जम्मू और कश्मीर का दौरा करने के लिए भेजा था;

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों के दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) [illegible] अधिकारी ने आरम्भिक आकलन के लिए कुछ [illegible] दौरा किया। उपलब्ध सूचना के अनुसार सीमा [illegible]बारी के कारण जम्मू जिले की विशनाह, साम्बा और आर.एस. पुरा तहसीलें और कठुआ जिले की हीरानगर तहसील के 2955 परिवार प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने सीमा पर गोलाबारी के पीड़ितों के लिए पहले ही कुछ राहत-उपायों की घोषणा की है राज्य सरकार से प्रभावित लोगों के लिए अतिरिक्त राहत और सुरक्षित क्षेत्रों में वैकल्पिक आश्रय उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है।

सुपर बाजार में रियायती दरों पर दालों की बिक्री

3818. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 1998 से निदेशक मंडल की पूर्व अनुमति लिए बगैर दालें सुपर बाजार में रियायती दरों पर बेची जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप अब तक कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) और (ख) सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उन्होंने नवम्बर, 1998 में राजसहायता प्राप्त दरों पर किसी दाल की बिक्री नहीं की है।

तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के कहने पर सुपर बाजार में दालों के मूल्य कम किए गए थे।

(ग) से (ङ) चूंकि दालें घटी दरों पर बेची गई थी, अत: सुपर बाजार, दिल्ली ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से घाटे को पूरा करने का अनुरोध किया है।

श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट

3819. **श्री सुशील कुमार शिंदे** :
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :
डा. रामचन्द्र डोम :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण आयोग रिपोर्ट तथा इस पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट के संबंध में केन्द्र सरकार से कोई उल्लेख किया था;

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट के अस्वीकार कर देने से उत्पन्न स्थिति क्या है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे उल्लेखों के संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित हैं; और

(घ) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने श्रीकृष्ण आयोग रिपोर्ट में समाविष्ट मुद्दों तथा उस पर की गई कार्रवाई के संबंध में केन्द्र सरकार से कोई उल्लेख नहीं किया है। तथापि, उन्होंने केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की सहायता मांगने और रिपोर्ट तथा की गई कार्रवाई रिपोर्ट की प्रतियां अग्रेषित करने का उल्लेख किया है।

(ख) से (घ) भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अत: कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम करने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता न्यायालयों के विरुद्ध अभियान

3820. श्री रामपाल उपाध्याय :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता आवेदनों के सहयोग से उपभोक्ता आंदोलन में तेजी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान उपभोक्तावाद तथा उपभोक्ता न्यायालयों के विरुद्ध निहित स्वार्थों द्वारा चलाए जा रहे अभियान की ओर दिलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत दो वर्षों के दौरान कितने मामले दर्ज किए गए तथा उनके संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) और (ख) सरकार स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, उपभोक्ता कार्यकर्ताओं तथा उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत अन्य लोगों के सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप उपभोक्ता आन्दोलन गति पकड़ रहा है। उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ श्रृव्य-दृश्य/प्रिन्ट मीडिया के जरिए प्रचार करना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता कल्याण के संदेश को प्रसारित करने तथा साथ ही उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाने के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रसोई गैस एजेन्सियों तथा पेट्रोल पम्पों का आवंटन

3821. श्री अमन कुमार नागरा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार के दो सदस्यों को रसोई गैस एजेन्सियों तथा पेट्रोल पम्पों का आवंटन करके बहुडीलरशिप मानदंडों की अवहेलना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितने वितरक तथा मालिक दोषी पाये गये हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है/किये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) आई.ओ.सी. ने यह सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार के दो सदस्यों को कोई एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप और खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप संस्वीकृत नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सिबा विज़न

3822. श्री संदीपान थोरात : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जुलाई, 1998 के ''द आब्जर्वर'' में ''सिबा (सी.आई.बी.ए.) विजन लॉन्चेज प्रोडक्ट नॉट एप्रूव्ड बाय एफ.डी.ए.'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य स्तर पर औषधि नियामक तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। भारत के औषध महानियंत्रक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह सत्य नहीं है कि मे. सिबा विजन द्वारा बेची जा रही ''सोलोकेयर'' एफ.डी.ए., यू.एस.ए. द्वारा अनुमोदित नहीं है। इसके अतिरिक्त संदर्भित उत्पाद मृदु शीशा साफ करने वाला घोल है और इसे औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के तहत धारा 3(ख)(ii) के अन्तर्गत औषध के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

जैन आयोग रिपोर्ट के लिए बहुउद्देशीय एजेंसी

3823. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जैन आयोग रिपोर्ट में उठाए गए संदेहों की जांच कराने के लिए बहुउद्देश्यीय एजेंसी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस जांच कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस जांच कार्य को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) भारत के मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या से संबंधित जैन जांच नम रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई से संबंधित ज्ञापन स उत्पन्न मुद्दों के प्रबोधन, समन्वय और जांच-पड़ताल करने के लिए केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक मल्टी-डिस्पिलनरी मानीटरिंग एजेंसी (एम.डी.एम.ए.) का गठन किया है।

(ख) एम.डी.एम.ए. के लिए कर्मचारियों की तैनाती और परिसर अधिग्रहण के लिए आरम्भिक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

(ग) यह आशा की जाती है कि सरकार द्वारा इसे दिए गए आदेशानुसार एम.डी.एम.ए. अपना कार्य जल्दी से जल्दी पूरा कर लेगा। लेकिन इसमें दो वर्ष से अधिक समय नहीं लगेगा।

[अनुवाद]

तेल भंडारों के लिए लक्ष्य

3824. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तेल भंडारों की वृद्धि हेतु लक्ष्य निर्धारित करने के संबंध में कोई मतभेद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मतभेदों को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, नौवीं योजना के दौरान भंडार वृद्धि के आकलन पर डी.जी.एच. का दृष्टिकोण, अपने पुन: निर्धारित नौवीं योजना कार्यक्रम में ओ.एन.जी.सी. के अनुमानों से कम था। भावी अनुमान की मात्रा में इस प्रकार के अंतर अपनाई जा रही प्रणाली तथा प्रतिबोधन से प्रकट होते हैं जो कि उद्योग की एक सामान्य और व्यापक घटना है।

देह व्यापार

3825. श्री भेरूलाल मीणा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न भागों में विशेषकर बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली में देह व्यापार फल-फूल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए और कानूनी कार्यवाही के उपरांत उन्हें जेल भेजा गया;

(घ) क्या कई मामलों में पुलिस ने दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें छोड़ दिया;

(ङ) यदि हां, तो दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(च) इस देह व्यापार पर काबू पाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के तहत दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित हुए मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या तथा दोषसिद्ध व्यक्तियों के वर्ष-वार ब्यौरे निम्न प्रकार है:-

वर्ष	सूचित हुए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	दोष-सिद्ध हुए व्यक्तियों की संख्या
1996	131	365	36
1997	117	310	25
1998 (30.11.98 तक)	69	174	18

इन मामलों में से बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली में सूचित हुए मामलों की संख्या, निम्न प्रकार है:-

वर्ष	सूचित हुए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	दोष-सिद्ध हुए व्यक्तियों की संख्या
1996	03	10	02
1997	13	21	06
1998 (30.11.98 तक)	शून्य	शून्य	शून्य

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में शामिल है:- विशेष: शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक गश्त गहन करना; समाज-विरोधी तत्वों पर नजर रखना; आसूचना का बेहतर एकत्रीकरण तथा ऐसे क्षेत्रों में पुलिस की अधिक मौजूदगी।

रेजीडेन्ट डाक्टरों द्वारा हड़ताल

3826. श्री डी.एस. अहिरे :
श्री मोहन रावले :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री सुशील कुमार सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 1998 में दिल्ली में रेजीडेन्ट डाक्टरों का हड़ताल के कारण सरकारी अस्पतालों में सेवाएं अस्त-व्यस्त हो गई;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी शिकायतें दूर करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) रेजीडेन्ट डाक्टरों ने नवम्बर, 1998 में हड़ताल की थी।

(ख) उनकी मांगों में परिलब्धियों, पुस्तक भत्ते, अवकाश, शोध हेतु वित्तीय सहायता, में वृद्धि करना, छुट्टी यात्रा रियायत, रेजीडेन्ट डाक्टरों का वर्गीकरण, यात्रा भत्ता देना, बोनस एवं आवास की बेहतर व्यवस्था शामिल थी।

(ग) परिलब्धियों एवं पुस्तक भत्ते में संशोधन करने के आदेश जारी कर दिए गये हैं।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण रेखा

3827. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
डा. चिंता मोहन :
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए विद्यमान नियंत्रण रेखा को अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण रेखा के रूप में स्वीकार करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) इस प्रकार के बयानों के बारे में मीडिया में प्रकाशित कुछेक रिपोर्टों के बारे में सरकार को जानकारी है, जिन्हें जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया बताया गया है। सरकार का दृष्टिकोण यह है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला क्षेत्र और राज्य का वह भाग जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से अध्यर्पित किया है, सहित सम्पूर्ण जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। संसद के दोनों सदनों ने इस संबंध में 22 फरवरी, 1994 को संकल्प पारित किए थे और सरकार इसके प्रति कटिबद्ध है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह

3828. श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह समाप्त करने के लिए कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) उग्रवादियों ने उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में राज्यवार कितने व्यक्तियों की हत्या की; और

(ग) कितने उग्रवादी मारे और गिरफ्तार किए गए?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) विषय वस्तु अलग-अलग राज्य सरकारों से संबंधित है।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है:

राज्य	1996	1997	1998	
[illegible] प्रदेश	0	15	4	(अक्तूबर तक)
असम	389	370	466	(अक्तूबर तक)
मणिपुर	182	344	135	(15 नवम्बर तक)
मेघालय	7	3	13	(अक्तूबर तक)
मिजोरम	0	4	0	(15 नवम्बर तक)
नागालैंड	192	135	39	(15 नवम्बर तक)
त्रिपुरा	99	211	222	(अक्तूबर तक)

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1996, 1997 और 1998 (30 नवम्बर तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में 1171 उग्रवादी मारे गए और 3955 गिरफ्तार किए गए।

उर्वरक की आपूर्ति

3829. श्री चेतन चौहान : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1997 और 1998 के दौरान आज तक उर्वरकों की आपूर्ति के लिए किसी देश के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी शर्तें क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) से (ग) उर्वरकों में यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. मुख्य उर्वरक है जिनका आयात किया जाता है। यूरिया का आयात सरकारी खाते में और डी.ए.पी. तथा एम.ओ.पी. का मुक्त आयात निजी व्यापार खाते में किया जाता है। यूरिया के आयात के लिए वर्ष 1997 के दौरान और वर्ष 1998 में अभी तक कोई समझौता नहीं किया गया है। यूरिया की खरीद सरणीबद्ध एजेंसियों द्वारा विश्व-व्यापी निविदाओं के आधार पर की जाती है। डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. के लिए इस प्रकार की सूचना विभाग में नहीं रखी जाती है।

केरल में ई.एस.आई. अस्पताल

3830. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ई.एस.आई. योजनाओं के माध्यम से केरल में कर्मचारियों को उपलब्ध होम्यो और आयुर्वेदिक इलाज की सुविधाओं में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार केरल स्थित ई.एस.आई. के विद्यमान कुछ चुने हुए अस्पतालों में नये होम्यो एकक प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करेगी; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी हां, महोदय।

(ख) से (घ) क.रा.बी. योजना के अंतर्गत केरल में पहले ही 10 आयुर्वेदिक औषधालय/स्कंध और 14 होम्यो इकाइयां क.रा.बी. लाभाधिकारियों को उपचार/निदान प्रदान कर रहे हैं। क.रा.बी. निगम ने केरल सहित कतिपय राज्यों में औषधि प्रणाली में सुधार करने का निर्णय लिया है। क.रा.बी. योजना के अंतर्गत चिकित्सा देख-रेख के प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। अत: , नई ईकाइयों के लिए राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की जाती है, क.रा.बी. निगम द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्मित प्रतिमानकों के आधार पर नई ईकाइयों की मंजूरी दी जाती है।

[हिन्दी]

राजभाषा

3831. श्री रामटहल चौधरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजभाषा विभाग में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच के कोई आदेश दिए है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) वर्तमान में राजभाषा विभाग में बड़े पैमाने पर हुई वित्तीय अनियमितताओं का कोई मामला सामने नहीं आया है।

केन्द्रीय आरक्षी बलों की तैनाती

3832. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बलों की तैनाती आतंकवाद प्रभावित राज्यों में आतंकवाद के पूर्णतया समाप्त होने तक जारी रखने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन तैनातियों पर किए जाने वाले भुगतान को माफ करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल, राज्य सरकारों को उनके अनुरोध पर, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। समग्र सुरक्षा स्थिति और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल तैनात किए गए हैं। बलों के ब्यौरे और उनकी तैनाती का स्तर बताना जनहित में नहीं है। कुछेक राज्यों जैसे जम्मू और कश्मीर और असम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों को तैनाती के प्रभार का भुगतान करने से पूर्णत: छूट दी गयी है। असम के मामले में केवल 10 प्रतिशत तैनाती प्रभार लिया जाता है।

अल्पसंख्यक का दर्जा

3833. डा. चिन्ता मोहन : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांस-पालोन में अमरीकी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने जम्मू और कश्मीर के हिन्दुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक उद्योग की समीक्षा

3834. श्री अरविंद कांबले :
श्री संदीपान थोरात :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में उर्वरक उद्योग और इसके उत्पादन की समीक्षा प्रधान मंत्री स्तर पर की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष और नौवीं योजना के लिए बनाई गई विकास और बेहतर निष्पादन हेतु तैयार की गई समयबद्ध कार्य योजना का सरकारी उपक्रमवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में उर्वरक क्षेत्र की गंभीर वित्तीय समस्याओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उर्वरक उद्योग में उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करने के लिये निम्नलिखित रणनीति अपनाई है:-

(1) मौजूदा उर्वरक संयंत्रों की रिट्रोफिटिंग/पुनरुद्धार।

(2) नैफथा आधारित विस्तार परियोजनाएं स्थापित करके तथा मौजूदा संयंत्रों तथा कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में दोहरी ईंधन/फीडस्टाक सुविधाएं स्थापित करके प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में बाधाओं पर काबू पाना, और

(3) प्रचुर तथा सस्ते कच्चे सामग्री स्त्रोत वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित करना।

उर्वरक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने तथा उत्पादन लागत में कमी करने के लिये उर्वरक उद्योग को निम्नलिखित रियायतें उपलब्ध

(1) सामान्यत: उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(2) नये संयंत्रों की स्थापना करने/मौजूदा इकाईयों के आधुनिकीकरण हेतु पूंजीगत माल का नि:शुल्क आयात।

(3) उर्वरक परियोजनाओं को माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं के निर्यात सम लाभ बशर्ते ऐसी आपूर्तियां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पधी बोली पद्धति के तहत की जायें।

(4) उर्वरक कच्चे मालों और मध्यवर्तियों का नि:शुल्क आयात।

(5) पोषकों के सन्तुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिये नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर रियायत।

(घ) यूरिया प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता स्कीम के अन्तर्गत शामिल है जिसके तहत इकाईयों को निवेश पर एक मुनासिब लाभ का आश्वासन दिया जाता है। नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक उर्वरकों के सम्बन्ध में सरकार रियायतें दे रही है जिसकी दरों में हाल ही के वर्षों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और इस स्कीम के प्रशासन को इस दृष्टि से सरल और कारगर बनाया गया जिससे कि इकाईयां अपने वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार कर सके।

पिछड़े वर्गों का कल्याण

3835. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को लाभ प्रदान करने के लिए कितनी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) क्या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उक्त योजनाएं गत दो वर्षों के दौरान कार्यान्वित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या विशेष प्रयास किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अन्य पिछड़े वर्गों को लाभान्वित करने हेतु निम्नलिखित पांच नई योजनाएं आरंभ की हैं:-

1. अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों एवं लड़कियों के लिए होस्टल योजना,
2. अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना,
3. अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना,
4. अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग योजना,
5. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संगठनों की सहायता योजना।

(ख) जी, नहीं। ये सभी योजनाएं हाल में आरम्भ की गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रभारी राज्य सचिवों का एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन दिनांक 4.12.1998 को आयोजित हुआ।

उर्वरक उद्योग द्वारा अर्जित राजस्व

3836. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान आज तक सरकार को उर्वरक उद्योग से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न उर्वरक योजनाओं पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है;

(ग) उर्वरक उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा 1998-99 के दौरान तैयार की गयी नीतियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 31.10.98 तक गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में कुल कितने मूल्य के उवंरक का उत्पादन किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) उर्वरकों पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं है। उर्वरक कम्पनियों द्वारा भुगतान किये गये कार्पोरेट कर के ब्यौरे इस विभाग में उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता स्कीम, नियंत्रणमुक्त पी. तथा के. उर्वरकों की रियायती बिक्री की स्कीम, ब्याज रियायत स्कीम, आयात प्रतिस्थापन प्रोत्साहन स्कीम आदि जैसे विभिन्न स्कीमों पर क्रमश: 6192.35 करोड़ रुपए तथा 8617.93 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई थी।

(ग) उर्वरक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं:-

(1) सामान्यत: उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(2) नये संयंत्रों की स्थापना करने/मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण हेतु पूंजीगत माल का नि:शुल्क आयात।

(3) उर्वरक परियोजनाओं को पूंजीगत माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं को निर्यात सम लाभ बशर्ते ऐसी आपूर्तियां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली पद्धति के तहत की जायें।

(4) उर्वरक कच्चे मालों और मध्यवर्तियों का नि:शुल्क आयात।

(5) उद्यमियों को वर्तमान में यूरिया पर लागू प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता स्कीम के तहत निवेश पर मुनासिब लाभ।

(6) पोषकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर रियायत।

(घ) वर्ष 1998-99 (अक्तूबर, 98 तक) नाइट्रोजनयुक्त तथा फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन क्रमश: 59.08 लाख मी. टन और 17.05 लाख मी. टन रहा है जबकि 1997-98 की इसी अवधि में यह क्रमश: 55.68 लाख मी. टन तथा 17.00 लाख मी. टन था। यूरिया की बिक्री भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये सांविधिक बिक्री मूल्य पर की जाती है। इसी प्रकार, फास्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरकों की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित किये गये निर्देशक बिक्री मूल्य पर की जाती है।

[अनुवाद]

एड्स, तपेदिक और कैंसर के लिए दवाइयां

3837. श्री प्रभुनाथ सिंह :
डा. उल्हास वासुदेव पाटील :
श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में एड्स, तपेदिक और कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों की प्रतिरोधक क्षमता की पुन: प्राप्ति के लिए दवाई का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाजार में ये कब तक उपलब्ध हो जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

विश्व खाद्य कार्यक्रम

3838. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के आदिवासी क्षेत्रों में वानिकी गतिविधियों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या गत समय में सरकार ने सहायता के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा किए जाने वाले प्रस्ताव में कमी की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री [illegible] **सिंह यादव)** : (क) और (ख) जी, हां। [illegible] मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में वानिकी गतिविधियों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा में सुधार'' नामक परियोजना कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:-

(1) लक्षित समूह की खाद्य सुरक्षा और आय में सतत् सुधार करने हेतु; और

(2) प्रतिभागिता समन्वित ग्रामीण विकास के माध्यम से समुदायों विशेषरूप से महिला और परिवारों को सशक्त बनाना।

परियोजना के अधीन विश्व खाद्य कार्यक्रम अत्यंत कमजोर और निर्धनतम जनसंख्या में से राज्य वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को रियायती दरों पर वितरित करने हेतु पांच वर्ष की अवधि में 45.60 मिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित खाद्य लागत पर गेहूं (91355 टन), चावल (42600 टन), दालें (12560 टन) और वनस्पति तेल (3465 टन) मुहैया कराएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आई.ओ.सी. के अधिकारियों के खिलाफ जांच

3839. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री बैजनाथ रावत :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम के सतर्कता विभाग में कुछ अधिकारियों के खिलाफ जांच कराई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से कितने मामलों का निपटान कर दिया गया है; और

(घ) इन लंबित मामलों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 15.12.98 को स्थिति के अनुसार आई.ओ.सी. के सतर्कता विभाग द्वारा आई.ओ.सी. के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध 81 जांचे की जा रही हैं।

(ग) शून्य।

(घ) ये मामले जांच के विभिन्न चरणों में हैं। इन जांचों के पूरा होने का निश्चित समय बताना संभव नहीं है।

एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट

3840. श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री के.सी. कोंडय्या :
श्री प्रभात कुमार सामन्तराय :
श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :
श्रीमती मिनाती सेन :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री डी.एस. अहिरे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेष रूप से बिहार में रसोई गैस की मांग पूरी करने के लिए नए बाटलिंग प्लांट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां स्थापित की जाएंगी, ये किन-किन तेल कंपनियों की होगी और उनकी बाटलिंग क्षमता कितनी होगी और राज्यवार प्रत्येक संयंत्र की लागत कितनी होगी;

(ग) वर्तमान समय में देश में ऐसे संयंत्रों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं तथा प्रत्येक प्लांट की बाटलिंग क्षमता कितनी है;

(घ) इन संयंत्रों में कामगारों के कल्याण हेतु कार्यान्वित किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उड़ीसा में हल्दिया गारा में परिकल्पित बाटलिंग प्लांट कब तक चालू कर दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। बिहार राज्य के अंतर्गत योजनाबद्ध नए भरण संयंत्रों का ब्यौरा निम्नवत है:-

स्थान	तेल कंपनी	क्षमता (टी.एम.टी.पी.ए.)
जमशेदपुर	आई.ओ.सी.	88
बरौनी	आई.ओ.सी.	15
बेगूसराय	बी.पी.सी.	22
पुर्णिया	एच.पी.सी.	10
रांची	बी.पी.सी.	22
पटना	एच.पी.सी.	22
जमशेदपुर	एच.पी.सी.	10
बोकारो	आई.ओ.सी.	22
पटना	आई.ओ.सी.	44
मुजफ्फरपुर	आई.ओ.सी.	22
दरभंगा	आई.ओ.सी.	22
भागलपुर	आई.ओ.सी.	22

भरण संयंत्रों की लागत, जो अभी तक निश्चित की जानी है, भूमि की कीमत, भूमि की किस्म, मिट्टी की गुणवत्ता, इत्यादि जैसे कई पहलुओं पर निर्भर करेगी। ऐसे संयंत्रों की सटीक लागत का मूल्यांकन भूमि अनुमोदन तथा मिट्टी जांच इत्यादि के पश्चात् किया जाता है।

(ग) दिनांक 01 अक्तूबर, 1998 को देश में प्रचालन कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल कंपनियों के एल.पी.जी. भरण संयंत्र 100 थे जिनकी कुल क्षमता 3795 टी.एम.टी.पी.ए. थी।

(घ) एल.पी.जी. भरण संयंत्रों का निर्माण कामगारों की सुरक्षा और कल्याण अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए विद्यमान राष्ट्रीय मानकों/सांविधिक संहिताओं अर्थात् ओ.आई.एस.डी., स्थैतिक एवं चल दाब पोत नियमों, गैस सिलेंडर नियमों, फैक्टरी अधिनियम इत्यादि के मुताबिक किया जाता है।

(ङ) नियंत्रणमुक्त परिदृश्य के विचार से हल्दीगारा एल.पी.जी. भरण संयंत्र की आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययनाधीन है। एक एल.पी.जी. भरण संयंत्र के निर्माण के संबंध में, इससे संबंधित परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन के पश्चात्, लगभग 24 माह का समय लगता है।

[अनुवाद]

प्याज पर सब्सिडी

3841. श्री माधवराव पाटील :
श्री अभयसिंह एस. भोंसले :
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :
श्री विठ्ठल तुपे :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को राशनकार्डों के जरिए प्याज की बिक्री रियायती दरों पर करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र ने भी अपनी स्वयं की लागत पर मुम्बई तथा अन्य राज्यों में प्याज की बिक्री रियायती दरों पर की है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र द्वारा प्याज की उक्त बिक्री पर दी गई सब्सिडी को वापस करने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या कुछ अन्य राज्यों से प्याज पर सब्सिडी प्रदान करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए है;

(छ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) और (ख) केंद्र सरकार राजसहायता प्राप्त दर पर प्याज के वितरण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को बराबर की हिस्सेदारी के आधार पर राजसहायता देने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत हो गई है।

राज्य सरकार ने राज्य में सार्वजनिक वितरण ... के जरिए प्याज का वितरण किया।

(घ) से (ज) प्रधानमंत्री जी द्वारा 27.11.98 को आयोजित मुख्यमंत्रियों की बैठक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए प्याज सहित आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया था। अतः बैठक में यह निर्णय किया गया कि जल्दी समाप्त होने वाली किसी आवश्यक वस्तु के मूल्यों में असाधारण वृद्धि होने पर राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन वस्तुओं के वितरण के लिए तब तक बाजार दखल कार्रवाई करेंगे जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए। इस प्रकार की बाजार दखल कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र सरकार बराबर की हिस्सेदारी के आधार पर निधियां प्रदान करेगी। ऐसी वस्तुओं के वितरण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान तंत्र का उपयोग करेंगे।

[हिन्दी]

पत्थर खानों में लगे श्रमिक

3842. **श्री सोम मरांडी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के पत्थर खान उद्योग में लगे श्रमिकों को भविष्य निधि और चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलती हैं;

(ख) क्या पत्थर खान उद्योग में लगे अनेक श्रमिक को सिलिकोसिस और तपेदिक की बीमारी हो गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी भविष्य निधि और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा 28 जनवरी, 1997 को जारी अधिसूचना के द्वारा 20 अथवा अधिक व्यक्तियों वाली पत्थर चिप्स, पत्थर सेट्स शिलाखण्ड तथा रोड़ी बनाने वाली पत्थर खदानों पर कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 लागू किया गया था।

पत्थर खदान मालिक संघ, पाकुर में खान कामगारों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक औषधालय स्थापित किया गया है। यहां पर लगभग 200 लघु परमिट खदानें हैं जिनमें प्रत्येक में लगभग 15 से 20 व्यक्ति कार्यरत हैं। खान नियम, 1955 के नियम 44 के अनुसार लगभग 160 खानों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र उपलब्ध कराये गये हैं।

(ख) और (ग) पत्थर खदानों में कार्यरत कर्मकारों को सिलिकोसिस होने का कोई मामला अभी तक खान सुरक्षा महानिदेशालय को सूचित नहीं किया गया है। खान अधिनियम, 1952 की धारा 25 के अन्तर्गत टी.बी. एक अधिसूचनीय रोग नहीं है। पाकुर तथा साहिबगंज जिले में पत्थर खदानों से संबद्ध सभी व्याप्ति योग्य स्थापनाओं को कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अन्तर्गत व्याप्त किया गया है तथा इनके पात्र कर्मचारी भविष्य निधि के लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

[अनुवाद]

खतरनाक उद्योग

3843. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जामनगर तथा गुजरात के अन्य जिलों में खतरनाक उद्योगों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) श्रमिकों की जान बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार हैं;

(ग) कितने श्रमिक तथा कर्मचारी गत तीन वर्षों के दौरान खतरनाक उद्योग से प्रभावित हुए हैं; और

(घ) इस संबंध में उपर्युक्त अवधि के दौरान श्रमिकों को कितनी सुविधाएं तथा मुआवजे दिए गए?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य केन्द्र

3844. श्री सुरेश चन्देल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश की सहायक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों की सहायक स्वास्थ्य प्रणाली को पुनर्गठित करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) देश में "सहायक स्वास्थ्य प्रणाली" नामक कोई प्रणाली नहीं चल रही है। तथापि, देश के ग्रामीण पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप केन्द्रों, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों और प्रसवोत्तर केन्द्रों के नेटवर्क द्वारा प्रदान की जाती हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय को योजना आयोग द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के राज्यवार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

नौवीं योजना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		
		आर.	पी.	लक्ष्य	आर.	पी.	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1707	1335	372	427	207	220
2.	अरूणाचल प्रदेश	37	47	*	9	9	–
3.	असम	726	619	107	181	105	76
4.	बिहार	2637	2209	428	659	148	511
5.	गोवा	23	18	5	6	5	1
6.	गुजरात	1028	960	68	257	186	71
7.	हरियाणा	414	398	16	103	64	39

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	162	315	*	40	55	*
9.	जम्मू व कश्मीर	196	337	*	49	45	4
10.	कर्नाटक	1072	1601	*	268	242	26
11.	केरल	721	956	*	180	80	100
12.	मध्य प्रदेश	2020	1814	206	505	198	307
13.	महाराष्ट्र	1756	1695	61	439	304	135
14.	[illegible]	57	72	*	14	16	*
15.	मेघालय	77	82	*	19	13	6
16.	मिजोरम	20	38	*	5	6	*
17.	नागालैंड	54	33	21	14	5	9
18.	उड़ीसा	1062	1352	*	265	157	108
19.	पंजाब	476	484	*	119	105	14
20.	राजस्थान	1247	1636	*	312	261	51
21.	सिक्किम	14	24	*	4	2	2
22.	तमिलनाडु	1237	1436	*	309	72	237
23.	त्रिपुरा	96	56	40	24	11	43
24.	उत्तर प्रदेश	3723	3808	*	931	310	621

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	**पश्चिम बंगाल**	**1726**	1556	170	431	89	342
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	7	17	*	2	4	*
27.	चंडीगढ़	2	–	2	1	1	–
28.	दादर व नगर हवेली	7	6	1	2	–	2
29.	दमन एंड दीव	2	3	*	1	1	–
30.	दिल्ली	32	8	24	8	–	8
31.	लक्षदीप	1	4	*	–	3	*
32.	पांडिचेरी	10	43	*	3	4	*
	समस्त भारत	22349	22962	1521	5587	2708	2903

[अनुवाद]

चन्दन की लकड़ी की तस्करी

3845. श्री एन. डेनिस : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चन्दन की लकड़ी की तस्करी बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

स्वयंसेवी संगठनों को सहायतानुदान

3846. श्री प्रभुदयाल कठेरिया :
श्री चेतन चौहान :
श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :
श्री प्रदीप कुमार यादव :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन स्वयंसेवी संगठनों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए सहायतानुदान मांगा है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जिन स्वयंसेवी संगठनों के अनुरोध स्वीकार किए गए हैं उनकी राज्यवार संख्या क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार उन स्वयंसेवी संगठनों को कितना सहायतानुदान मंजूर और जारी किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रावी नदी पर पुल

3847. श्री चमन लाल गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर में बासोहली बानी तथा बिलावर के निकट रावी नदी पर पुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा चालू पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य [illegible]ंटित की गयी है;

[illegible], तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा रावी नदी पर बांध के निर्माण हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास/निर्माण और उन पर पुलों के निर्माण से संबंधित है। अन्य दूसरी सड़कें और पुल संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

(ङ) पंजाब राज्य सरकार ने रावी नदी पर थीन बांध का निर्माण शुरू किया है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं को अन्यत्र भेजना

3848. श्री विठ्ठल तुपे : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के वर्ष 1997-98 के दौरान आज तक करोड़ों रुपये मूल्य का गेहूं कथित रूप से अन्यत्र भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो कितने दोषी पाए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही हैं; और

(घ) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी गतिविधियां रोकने के लिए कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली की मानीटरिंग के लिए उचित दर दुकान, तालुक, जिला और राज्य स्तर पर सतर्कता समिति गठन करने के लिए कहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जिला/तालुक स्तर के अधिकारियों के लिए निरीक्षण सूची तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अत्यधिक पारदर्शी स्थिति प्रस्तुत करने पर जोर दिया गया है और इसके अंतर्गत उचित दर दुकानों पर सूचना की जानकारी देना और स्थानीय स्तर पर आबंटन और उठान का व्यापक प्रचार-प्रसार करना भी शामिल है।

[हिन्दी]

दवाईयों में मिलावट करने वाले गिरोह

3849. श्री मित्रसेन यादव :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अजित कुमार मेहता :
श्री विठ्ठल तुपे :
श्री जगत वीर सिंह द्रोण :
श्री सतनाम सिंह कैंथ :
श्री अभय सिंह एस. भोंसले :
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी :
श्री माधवराव पाटील :
श्री रिज़वान जहीर खां :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 सितम्बर, 1998 के ''दैनिक जागरण'' में ''मिलावट का जहर जनता पर कहर'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को दवाईयों में मिलावट करने वाले गिरोह की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दिल्ली के सरकारी अस्पतालों/औषधालयों में मिलावटी, पुरानी और नकली दवाइयों का इस्तेमाल करने से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ङ) क्या दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मामले की जांच की है;

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक प्रतिवर्ष कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(छ) सरकारी अस्पतालों/औषधालयों में विशेष रूप से महानगरों में पुरानी दवाईयों का इस्तेमाल करने के कुल कितने मामले आए हैं;

(ज) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अस्पतालों, औषधालयों में गरीबों को और कैमिस्टों के माध्यम से पुरानी नकली दवाइयों की सप्लाई करने के बारे में टिप्पणी की है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ञ) इन व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ट) दवाईयों में मिलावट को रोकने और मरीजों को पुरानी और नकली दवाइयों की सप्लाई न करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी हां। समाचार की रिपोर्ट के आधार पर जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली और उसके आस-पास के औद्योगिक क्षेत्रों में औषधियों के विनिर्माण के लिए अनुमोदित इकाईयों में विनिर्माण प्रौद्योगिकी और परीक्षण प्रयोगशालाओं की कमी तथा सरकारी अस्पतालों के माध्यम से वितरित की जा रहीं औषधियों में मिलावट से सम्बन्धित कार्य दिल्ली में राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों ने 36 फैक्टरियों और 18 डीलरों के यहां अचानक छापे मारे। उन्होंने परीक्षण और विश्लेषण के लिए कुल मिलाकर 53 नमूने लिए। इनमें से 21 मामलों में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और वे सभी मानक गुणवत्ता की पाई गई हैं। इन अचानक दौरों/छापों में से कुछ में केन्द्रीय औषध मानक एवं नियंत्रण संगठन के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया जिनकी सहायता के लिए पुलिस भी साथ थी।

(ग) से (च) औषध अपमिश्रण वाले घोटालों (रैकेट) के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

अपमिश्रित, मियाद समाप्ति तथा नकली दवाइयों के इस्तेमाल से किसी की मृत्यु होने की पुष्टि रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली पुलिस ने 25.10.1998 को तुर्कमान गेट में एक छापा मारा जिसमें उसने प्रसिद्ध कम्पनियों के स्थानीय रूप से बनाए गए इंजेक्शन के रेपटों/लेवलों की प्रतिष्ठित कम्पनियों के रेपरों/लेबलों के साथ बदलने तथा उन्हें उच्च दरों पर बाजार में भेजने के घोटाले का पर्दाफाश किया। इस संबंध में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया था। दिल्ली पुलिस ने औषध नियंत्रण प्राधिकारियों के साथ मिलकर 30.10.1998 को भागीरथ पैलेस में भी एक छापा मारा था। पुलिस ने 3 लोकप्रिय ब्रांड के औषधों की नकल वाले मामले का पता लगाया जिसमें दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों जांचे उन्हें मिली सूचना पर आधारित थी।

(छ) उपलब्ध सूचना के अनुसार महानगरों के सरकारी अस्पतालों में मियाद समाप्त हुई औषधों के उपयोग के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। चिकित्सा सामग्री भंडार द्वारा आपूर्ति की गई सभी औषधियों को स्टाक में लेने से पहले पूर्व जांच की जाती है। इन औषधियों की फिर से यादृच्छिक जांच की जाती है और वितरण से पहले परिसर के अन्दर मौजूद गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र तथा केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा जांच की जाती है।

(ज) और (झ) उपलब्ध सूचना के अनुसार अस्पतालों/ औषधालयों और कैमिस्टों से रोगियों को मियाद समाप्ति/नकली औषधियों की आपूर्ति के बारे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से ऐसी कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

(ञ) और (ट) मिलावटी, नकली औषधियों के विनिर्माण, मियाद समाप्ति वाले औषधों की बिक्री और वितरण को निषिद्ध करने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1948 और उसके अंतर्गत बने नियमों में विस्तृत उपबंध मौजूद हैं। औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघन के लिए दांडिक उपबंध भी मौजूद हैं। ये उपबंध राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों के माध्यम

से लागू किए जाते हैं। वे विनिर्माण यूनिटों, व्यापारियों, अस्पतालों की अचानक जांच जैसे नियमित निगरानी जांच करते हैं, औषधियों के नकली ग्राहक बनाकर खरीदी गई औषण की जांच के लिए यादृच्छिक नमूने लेते हैं। पुलिस अवैध कार्यकलापों का भंडाफोड़ करती है। उपभोक्ता संगठनों और उपभोक्ताओं को नियम के अंतर्गत परीक्षण के लिए किसी नकली दवाई के नमूने लेने और यदि दवा में मिलावट पाई जाती है तो न्यायालय में शिकायत दर्ज करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। जहां कहीं इसके उपबन्धों के उल्लंघन की बात ध्यान में आती है, औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित दांडिक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर से प्रवास

वैद्य विष्णु दत्त :
श्री रामशकल :
श्री चमनलाल गुप्त :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर से कितने परिवार विस्थापित हुए जो राज्य में तथा राज्य से बाहर शिविरों तथा अन्य स्थानों पर रह रहे हैं;

(ख) प्रतिवर्ष नकद सहायता मुफ्त राशन की लागत तथा अन्य सुविधाओं के रूप में सहायता उपलब्ध कराने के लिए कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या इन विस्थापितों के अपने घरों को वापस लौटने तथा पुनर्वास के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा राज्य सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कितनी वित्तीय सहायता मांगी है; और

(च) उनकी संपत्तियों की पुनर्स्थापना के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जम्मू क्षेत्र के विभिन्न भागों में 29,074 दर्ज कश्मीरी प्रवासी परिवार रह रहे हैं तथा 19,338 परिवार दिल्ली में दर्ज हैं। इसके अलावा, 2743 परिवार देश में अन्य राज्यों में रह रहे हैं। 240 प्रवासी परिवार, दिल्ली में 14 शिविरों में तथा 4674 परिवार जम्मू में 15 शिविरों में रह रहे हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जम्मू व कश्मीर राज्य के अन्दर और बाहर के प्रवासियों की राहत पर हुए व्यय के वर्ष-वार आंकड़े, निम्न प्रकार हैं:

(रुपये लाखों में)

1990-91	5051.52
1991-92	4279.59
1992-93	3057.45
1993-94	3053.37
1994-95	3941.50
1995-96	3563.94
1996-97	3824.05
1997-98	3450.81

(ग) से (ङ) जम्मू व कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि कश्मीरी प्रवासियों की वापसी से संबंधित मुद्दा, राज्य सरकार की कार्य सूची में सबसे ऊपर है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, इस संपूर्ण मुद्दे की जांच करने और उस पर अपनी सिफारिशें देने के लिए राज्य सरकार ने राजस्व, विधि, वित्त और पर्यटन मंत्रियों की एक उपसमिति गठित की है। इस बीच, एक सामाजिक इंटर एक्शन कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत, प्रवासियों के दलों ने घाटी के विभिन्न जिलों का दौरा किया है जहां उन्होंने प्रवासियों की वापसी हेतु मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से, स्थानीय जनता से बातचीत की है।

(च) उन प्रवासियों की सम्पत्ति, जो घाटी छोड़कर चले गए हैं, जम्मू व कश्मीर अंचल सम्पत्ति (परिरक्षण, संरक्षण और मजबूरन बिक्री अवरोध) अधिनियम 1997 के प्रावधानों के तहत, सुरक्षा की जाती है। संबंधित जिला मैजिस्ट्रेटों को उपर्युक्त अधिनियम के

अधीन प्रवासियों की अचल सम्पत्ति के संरक्षण और परिरक्षण के लिए प्रवासी अचल संपत्ति नियंत्रक पदनामित किया गया है।

मेडिकल कालेजों को खोलना

3851. श्री के.सी. कोंडय्या :
श्री अजीत जोगी :
श्री बी.एम. मेनसिंकाई :
श्री रवि सीताराम नायक :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और मेडिकल कालेज खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थानावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन कालेजों के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार स्थापित किये गये मेडिकल कालेजों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्तमान में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) वर्तमान में देश में सरकारी अनुदान से तथा इसके बगैर चल रहे मेडिकल कालेजों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक मेडिकल कालेज को कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया तथा कितने विद्यार्थियों का नामांकन हुआ;

(ज) क्या सरकार को राज्य सरकारों से उनके राज्यों में और मेडिकल कालेज खोलने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(झ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने स्नातक और/अथवा स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए निम्नलिखित में पहले से ही सुविधाएं सृजित कर रखी हैं:-

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
2. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
3. जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी
4. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली।

केन्द्रीय सरकार राज्यों में मेडिकल कालेज खोलने के लिए कोई धन प्रदान नहीं करती।

(घ) वर्ष 1985 से 1997 तक खोले गए मेडिकल कालेजों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) इस समय भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्/भारत सरकार द्वारा 158 मेडिकल कालेज मान्यता प्राप्त/अनुमोदित हैं। कालेजों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित चिकित्सा संस्थाओं और महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, वर्धा को अनुदान दिए जाते हैं। एन.ई.सी. भी क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल तथा असम में तीन मेडिकल कालेजों को सहायता देती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जा रही सहायता की सूचना एकत्र की जा रही है।

(छ) सरकार प्राइवेट मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों में मेरिट और पेमेंट सीट (अप्रवासी भारतीय/विदेशी छात्र कोटा पर दाखिल छात्रों को छोड़कर) पर प्रति छात्र 5000/- रुपए के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं। यह आर्थिक सहायता फीस के खाते में दी जा रही है।

(ज) से (ञ) हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सरकारों से नए मेडिकल कालेज खोलने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। टांडा, हिमाचल प्रदेश में नया मेडिकल कालेज खोलने का आशय पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है। टुथीकुडी, तमिलनाडु में मेडिकल कालेज खोलने के प्रस्ताव में कुछ दस्तावेज कम पाए गए। राज्य सरकार से ये दस्तावेज भेजने का अनुरोध किया गया है। तथापि, टांडा,

हिमाचल प्रदेश में नए मेडिकल कालेज खोलने का मामला न्यायाधीन है। इन कालेजों को आरम्भ करने की अनुमति आवेदकों द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्डों और बुनियादी ढांचे की सुविधाओं को पूरा करने की शर्त पर निर्भर करती है।

विवरण I

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए मेडिकल कालेजों की संख्या (1985-90)

1. आन्ध्र प्रदेश

    1. दक्कन कालेज आफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद

2. गुजरात

    स्वामी मेडिकल कालेज, करमसाड

    1. सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, तुमकुर
    2. श्री देवराज अर्स मेडिकल कालेज, कोलार
    3. आदिचुनचागिरी इन आफ मेडिकल साइंसेज, बेलारी
    4. बी.एल.डी.ई.ए. श्री बी.एम. पाटिल मेडिकल कालेज, हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बीजापुर

4. महाराष्ट्र

    1. पद्मश्री डा. डी.वाई. पाटिल मेडिकल कालेज, न्यू बाम्बे
    2. महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कालेज, न्यू बाम्बे
    3. एन.डी.एम.वी.पी. समाज मेडिकल कालेज, नासिक
    4. भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कालेज, पुणे
    5. श्री भाऊसाहेब हीरे गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, धुले
    6. जे.एम.एफ.ए.सी.पी.एम. मेडिकल कालेज, धुले
    7. डा. पाटिल मेडिकल कालेज, कोल्हापुर
    8. महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कालेज, औरंगाबाद
    9. सरकारी मेडिकल कालेज, नांदेड़
    10. महाराष्ट्र इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, लातूर
    11. जे.एन. मेडिकल कालेज, स्वांगी, वर्धा
    12. एन.के.पी. साल्वे इन्स्टि. आफ मेडिकल साइंस, नागपुर
    13. श्री वसंतराव नाइक सरकारी मेडिकल कालेज, यवतमाल

5. तमिलनाडु

    1. मोहन कुमार मंगलम मेडिकल कालेज, सेलम
    2. पी.एस.जी. इन्स्टि. मेडिकल साइंसेज, कायम्बटूर
    3. श्री रामचन्द्र मेडिकल कालेज, एंड रिसर्च इन्स्टि. पुराने, मद्रास
    4. राजस मुथिया मेडिकल कालेज, अन्नामलाईनगर

वर्ष 1992-93 के दौरान खोले गए मेडिकल कालेज

I. 1991

1. चंडीगढ़

    1. सरकारी मेडिकल कालेज, चण्डीगढ़

2. महाराष्ट्र

    1. के.जे. सोमैया मेडिकल कालेज एंड रिसर्च सेंटर, मुम्बई
    2. तेरना मेडिकल कालेज, नवीं मुम्बई

II. 1992

1. महाराष्ट्र

    1. राजीव गांधी मेडिकल कालेज, थाणे

2. तमिलनाडु

    1. पेरून्दुरई मेडिकल कालेज, पेरून्दुरई

1994

1. महाराष्ट्र अकादमी आफ मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च धबाडे, पुणे

1995

1. आचार्य श्री चन्द्र कालेज आफ मेडिकल साइंसेज, जम्मू तवी
2. पी.वी. नरसिंह राव मेडिकल कालेज, देहरादून
3. डा. डी.वाई. पाटिल मेडिकल कालेज फार वीमेन, पिम्परी, पुणे
4. सरकारी मेडिकल कालेज, भावनगर, गुजरात
5. सरकारी मेडिकल कालेज, राजकोट, गुजरात
6. अकादमी आफ मेडिकल साइंसेज, परियारम, कन्नौर, केरल

1996

1. सन्तोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
2. विनायक मिशन मेडिकल कालेज, सेलम, तमिलनाडु

1997 (मार्च, 1997 तक)

1. विनायक मिशन मेडिकल कालेज, कराइकल, पांडिचेरी

विवरण-II

देश में मेडिकल कालेजों की राज्यवार संख्या (नवम्बर, 1998)

राज्य/संघ राज्य का नाम	मान्यता प्राप्त			गैर मान्यता-प्राप्त			धारा 10(क) के अंतर्गत अनुमति दी गई			योग
	सरकारी	वि.वि.	प्राइवेट	सरकारी	वि.वि.	प्राइवेट	सरकारी	वि.वि.	प्राइवेट	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	9	–	1	–	–	–	–	–	1	11
असम	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3
बिहार	8	–	–	1	–	2	–	–	–	11
चण्डीगढ़	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
दिल्ली	3	1	–	–	–	–	–	–	–	4
गोवा	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
गुजरात	5	–	1	–	–	–	2	–	–	8
हरियाणा	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हिमाचल प्रदेश	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
जम्मू व कश्मीर	2	–	–	–	–	1	–	–	1	4
कर्नाटक	4	–	15	–	–	–	–	–	–	19
केरल	5	–	–	–	–	–	1	–	–	6
मध्य प्रदेश	16	–	18	–	–	–	–	–	2	36
	16	–	16	–	–	–	–	–	2	34
मणिपुर	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
उड़ीसा	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3
पाण्डिचेरी	1	–	–	–	–	–	–	–	1	2
पंजाब	3	–	2	–	–	–	–	–	1	6
राजस्थान	6	–	–	–	–	–	–	–	–	6
तमिलनाडु	10	–	4	–	–	–	1	–	1	16

पेट्रोरसायन परिसर

3852. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन आयल कार्पोरेशन का नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने पेट्रोरसायन परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) इन पेट्रोरसायन परिसरों की स्थापना हेतु राज्यवार किन-किन स्थानों पर पता लगाया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा राज्य के अंतर्गत पानीपत में एक ग्रासरूट पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

खाद्यान्न भंडारों के लिए खरीद

3853. श्री पंकज चौधरी :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में खाद्यान्नों के भंडार से संबंधित स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान किसी राज्य में गेहूं और चावल की खरीद में कोई वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में गत दो वर्षों के मुकाबले कितनी मात्रा में उक्त खरीद की गई और उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) क्या गेहूं और चावल की खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान निर्यात हेतु गेहूं और चावल की कितनी मात्रा जारी की गई?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) 1.12.1998 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में स्टाक स्थिति निम्नानुसार है:

(आंकड़े लाख टन में)

गेहूं	चावल	जोड़
137.31	112.23	249.54

(ख) केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याण योजनाओं के अधीन वितरण के लिए जारी किए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये खाद्यान्नों की आपूर्ति केवल खुले बाजार में उपलब्धता की अनुपूरक होती है और यह देश में खाद्यान्नों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं होती है। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक का वर्तमान स्तर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान (राज्यवार) वसूल किए गए गेहूं की मात्रा और उस मात्रा की वसूली पर खर्च की गई राशि (घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर) का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान (राज्यवार) वसूल किए गए लेवी चावल की मात्रा और इसका मूल्य संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) मूल्य समर्थन योजना के अधीन गेहूं और धान की वसूली पूर्णतया स्वैच्छिक स्वरूप की होती है क्योंकि किसानों द्वारा पेश किए गए केवल गेहूं और धान की वसूली की जा सकती है। इसी प्रकार, लेवी योजना के अधीन चावल का एकत्रण मिल-मालिकों द्वारा धान की वसूली पर भी निर्भर होता है। अत: खाद्यान्नों की वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

वर्तमान रबी विपणन मौसम 1998-99 में 14.12.1998 तक 126.53 लाख टन गेहूं की वसूली की गई है जबकि वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 1998-99 में 18.12.1998 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल के लिए 52.98 लाख टन (चावल के हिसाब से धान सहित) की वसूली की गई है।

(छ) 1997-98 और 1998-99 के दौरान केन्द्रीय पूल से निर्यात के लिए गेहूं और चावल की कोई मात्रा निर्मुक्त नहीं की गई है। तथापि, वर्ष 1998-99 के दौरान भारत सरकार की ओर से बाढ़ राहत के रूप में भारतीय खाद्य निगम द्वारा बांग्लादेश को 19,914 टन सेला चावल उपहार में दिया गया था।

विवरण-I

वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए गेहूं की अनुमानित क्षेत्र-वार खरीद के ब्यौरे

मात्रा लाख टन
मूल्य करोड़ रुपये में

क्षेत्र	1995-96		1996-97		1997-98	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
पंजाब	72.99	2627.57	56.42	2143.84	59.61	2831.35
हरियाणा	31.02	1116.67	20.22	768.23	22.90	1087.88
उत्तर प्रदेश	13.02	468.64	2.60	99.10	6.18	293.29
राजस्थान	4.54	163.60	2.29	87.00	3.20	151.91
	–	0.17	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	1.69	60.68	0.04	1.69	1.07	51.03
गुजरात	0.01	0.29	–	–	–	–
चण्डीगढ़	–	–	–	–	0.02	0.84
जोड़	123.27	4437.62	81.57	3099.86	92.98	4416.30

विवरण-II

फसल वर्ष 1995-96 के लिए वसूल केवल लेवी चावल की क्षेत्रवार मात्रा

मात्रा लाख टन में
मूल्य करोड़ रुपये में

क्षेत्र	1995-96							
	साधारण		बढ़िया		उत्तम		जोड़	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	0.22	13.65	0.19	12.64	–	–	0.41	26.20
हरियाणा	0.07	4.37	0.01	0.97	5.12	346.42	5.20	351.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर प्रदेश	6.78	407.19	0.38	23.63	0.06	3.83	7.23	433.65
राजस्थान	0.01	0.32	–	–	–	–	0.01	0.92
चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–
आन्ध्र प्रदेश	0.36 -	21.36	29.18	1809.17	7.21	469.56	36.75	2300.08
कर्नाटक	0.00	0.10	0.00	0.27	0.79	49.29	0.78	49.66
मध्य प्रदेश	1.50	86.40	0.86	51.62	–	–	2.37	128.02
महाराष्ट्र	0.34	19.36	0.02	1.35	–	–	0.36	20.71
प. बगांल	–	–	–	–	–	–	–	–
बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–
असम	0.02	1.17	–	–	–	–	0.02	1.17
उड़ीसा	4.40	264.72	0.04	2.70	–	–	4.44	267.42
पांडिचेरी	1.30	77.51	–	–	–	–	1.30	77.51
तमिलनाडु (राज्य ए/सी)	–	–	–	–	–	–	–	–
जोड़	14.99	896.25	30.69	1901.35	13.16	859.10	58.84	3866.69

फसल वर्ष 1996-97 के लिए वसूल केवल लेवी चावल की क्षेत्रवार मात्रा

मात्रा लाख टन में

मूल्य करोड़ रुपये में

क्षेत्र	1996-97							
	साधारण		बढ़िया		उत्तम		जोड़	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	10	11	12	13	14	15	16	17
पंजाब	0.31	21.03	7.91	555.99	–	–	3.22	577.02
हरियाणा	0.13	8.50	0.25	17.51	10.19	742.88	10.57	768.89
	7.59	559.35	0.37	24.69	0.15	10.71	8.10	594.75
राजस्थान	0.03	2.10	–	–	–	–	0.03	2.10
चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–
आन्ध्र प्रदेश	0.94	63.48	38.38	2692.66	5.68	410.04	44.91	3166.18
कर्नाटक	–	–	0.01	0.79	0.92	55.32	0.83	56.10
मध्य प्रदेश	3.46	216.36	2.35	152.36	–	–	5.81	368.71
महाराष्ट्र	0.30	19.09	0.02	1.20	–	–	0.32	20.30
प. बगांल	1.59	98.76	0.01	0.34	–	–	1.59	99.10
बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–

1	10	11	12	13	14	15	16	17
असम	0.01	0.52	–	–	–	–	0.01	0.52
उड़ीसा	3.74	237.14	0.05	3.45	0.37	69.14	4.76	309.74
पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–
तमिलनाडु (राज्य ए/सी)	–	–	–	–	–	–	–	–
जोड़	19.09	1226.33	49.25	3449.00	17.72	1228.09	86.15	5953.41

फसल वर्ष 1997-98 के लिए वसूल केवल लेवी चावल की क्षेत्रवार मात्रा

मात्रा लाख टन में

मूल्य करोड़ रुपये में

क्षेत्र	1997-98					
	साधारण		ग्रेड "ए"		जोड़	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	18	19	20	21	22	23
पंजाब	0.56	41.25	12.72	999.79	13.28	1041.04
हरियाणा	0.02	1.46	11.54	898.04	11.56	899.50
उत्तर प्रदेश	9.07	641.43	1.58	119.21	10.65	760.54
राजस्थान	0.01	0.72	0.01	0.77	0.02	1.49
चण्डीगढ़	–	–	0.11	8.41	0.11	8.41

1	18	19	20	21	22	23
आन्ध्र प्रदेश	2.01	147.76	36.41	2856.00	38.42	3003.75
कर्नाटक	0.02	1.36	0.89	64.49	0.91	66.96
मध्य प्रदेश	3.84	260.89	2.39	173.18	6.22	434.07
महाराष्ट्र	0.23	15.55	0.03	2.18	0.26	17.83
प. बगांल	2.02	136.51	–	–	2.02	136.61
बिहार	0.06	4.29	–	–	0.06	4.29
	–	–	–	–	–	–
उड़ीसा	6.75	479.45	0.09	6.82	6.84	486.27
पांडिचेरी	0.06	4.04	0.02	1.44	0.08	6.48
तमिलनाडु (राज्य ए/सी)	–	–	–	–	–	–
जोड़	24.65	1734.30	65.79	5130.32	90.44	6865.23

[अनुवाद]

मन्द बुद्धि बच्चों को प्रशिक्षण

3854. श्री मधुकर सरपोतदार :
श्री अनंत गंगाराम गीते :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में मन्द बुद्धि बच्चों को शैक्षिक प्रशिक्षण देने हेतु और अधिक संस्थानों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संस्थानों को कब तक स्थापित कर लिया जाएगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हां। संघ सरकार विकलांगों के लिए 6 कम्पोजिट रीजनल सेन्टर स्थापित करना चाहती है जो सभी आयु तथा गंभीरता स्तरों के अस्थि, दृष्टि मानसिक श्रवण तथा बहु विकलांगताओं जैसी विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास और विशेष शिक्षा के लिए क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र का काम करेंगे। सरकार ऐसे 6 क्रम्पोजिट रीजनल केन्द्र लखनऊ, जबलपुर, भटिंडा, सिलचर, जम्मू और कश्मीर तथा

हिमाचल प्रदेश में स्थापित करना चाहती है। यह प्रस्ताव विभिन्न मूल्य-निरूपक एजेंसियों में परिचालित किया गया है और उनकी टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।

(ग) विभिन्न निहित औपचारिताओं की दृष्टि से समय-सीमा दर्शाना संभव नहीं है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बाल श्रमिकों का योगदान

3855. श्री आर.एस. गवई : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रमिकों का देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 20 प्रतिशत से अधिक का योगदान होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पहली पंचवर्षीय योजना से आठवीं पंचवर्षीय योजना में योजनावार सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बाल मजदूरों के योगदान का प्रतिशत कितना है; और

(घ) अन्य एशियाई देश कौन-कौन से हैं जिनमें बाल श्रमिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 10 प्रतिशत से अधिक योगदान करते हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय उत्पाद के अनुमान घरेलू उत्पाद के अनुमानों से निकाले जाते हैं जिन्हें आर्थिक क्रियाकलाप के किस्म और व्यापक सांस्थानिक श्रेणियों जैसे संगठित और असंगठित तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसार संकलित किया जाता है। ये अनुमान आयु-वर्ग अनुसार नहीं बनाये जाते हैं।

(घ) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

मलेरिया के मामले

3856. डा. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में ही कलकत्ता में पूर्वी क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मलेरिया की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए वृहद मलेरिया नियंत्रण परियोजना शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी हां। पूर्वी क्षेत्र से स्वास्थ्य मंत्रियों का एक सम्मेलन 5-6 नवम्बर, 1998 को कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इसकी कार्यसूची में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, चिकित्सा शिक्षा, जन स्वास्थ्य इत्यादि पर विचार-विमर्श करना शामिल था।

(ग) और (घ) मलेरिया-रोधी संबंधी कार्यकलापों को तेज करने के लिए दिसम्बर, 1994 से सात उत्तर-पूर्वी राज्यों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत कवर किया गया है। वृहद मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत बिहार के 10 जिलों, उड़ीसा के 22 जिलों और बिहार, उड़ीसा राज्यों के एक-एक शहर और पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर को इस परियोजना में शामिल किया गया है। तथापि, यदि जनांकिकीय जानपदिक रोग विज्ञानीय आंकड़े और स्थानीय स्थितियां ऐसा करने का आधार प्रस्तुत करें तो अन्य राज्यों में जरूरतमंद जिलों को भी कीटनाशकों, औषधों, वस्तुओं इत्यादि का आबंटन किया जा सकता है।

जनशक्ति विकास, वृहद सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण संबंधी कार्यकलापों और सुधरी हुई प्रबंध सूचना प्रणाली कुछ अन्य संघटक हैं जो बहुधा मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत सूचना सम्पूर्ण देश को कवर करते हैं।

एच.आई.वी. के मामले

3857. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री दिलीप संघाणी :
श्री सी.डी. गामीत :
श्री बलराम सिंह यादव :
कर्नल सोनाराम चौधरी :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री रंजीव बिस्वाल :
श्री एस.एस. ओवेसी :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री विजय कृष्ण हाण्डिक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में विशेषकर महानगरों में एड्स के राज्यवार कितने मामले पाए गए हैं अथवा इस शताब्दी के अंत तक कितने और मामले पाये जाने की संभावना है;

(ख) ऐसे मामलों में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय "एड्स नियंत्रण संगठन" द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में ऐसे पांच राज्य हैं जहां आम जनसंख्या के एक प्रतिशत से भी अधिक लोगों में एच.आई.वी. संक्रमित होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में इसकी प्रतिशत कुल जनसंख्या से बहुत अधिक है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार अन्य प्रचलित राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को इन राज्यों में एड्स की रोकथाम के लिए नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(झ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ञ) राज्यवार चालू वर्ष के दौरान अब तक कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई और एच.आई.वी. को रोकने हेतु इस समय कितने कार्यक्रम चल रहे हैं; और

(ट) इस बीमारी का निवारण करने अथवा रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) 30.11.98 की स्थिति के अनुसार पता लगाए गए एड्स रोगियों की संख्या 6690 है। बड़े शहरों में पता लगाए गए एड्स रोगियों की संख्या इस प्रकार हैं:-

चेन्नई	454
कोयम्बतूर	44
मदुरै	65
वेल्लूर	104
बेंगलूर	19
दिल्ली	219
मुम्बई	605
कलकत्ता	100

पिछले तीन वर्षों में हर वर्ष के दौरान पता लगाए गए एड्स रोगियों की राज्यवार संख्या विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) देश भर में महामारी के तीव्र प्रकोप के लिए विभिन्न घटक उत्तरदायी हैं। इनमें आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों से अधिक प्रगति वाले देशों में रोजगार की तलाश में श्रमिक प्रकाशन तथा गतिशीलता निम्न साक्षरता स्तरों के कारण उच्च जोखिम वाले समूहों में कम जागरूकता, स्त्री पुरुषों की असमानता, यौन संचारित रोग और प्रजनन मार्ग के संक्रमण तथा यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक हैं।

(ग) से (च) सर्वेक्षण के अनुसार महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मणिपुर के पांच राज्यों में प्रसव पूर्ण माताओं की व्याप्तता एक प्रतिशत अधिक पाई गई है। रिपोर्ट विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(छ) से (ज) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है और यह सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ञ) भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक 50 करोड़ रुपए की धनराशि रिलीज की है। राज्यवार सूची विवरण-III के रूप में संलग्न है।

(ट) भारत में एच.आई.वी./एड्स के प्रकोप को रोकने तथा नियंत्रित करने के उद्देश्य से इस समय देश भर में एक व्यापक कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वयनाधीन है। इस कार्यक्रम की मुख्य कार्यनीति में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- केन्द्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन क्षमताओं को सुदृढ़ करना।
- एच.आई.वी./एड्स के बारे में उच्च जोखिम वाले आचरण समूहों तथा आम लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना।
- यौन संचारी रोगों का नियंत्रण।
- रक्त बैंकों को उचित लाइसेंस देकर रक्त निरापदता तथा रक्त के युक्तियुक्त उपयोग को बढ़ावा देना तथा स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करना।
- निगरानी तथा निदान के लिए क्षमता को सुदृढ़ करना, और
- एच.आई.वी./एड्स के नैदानिक प्रबंधन में प्रशिक्षण देना।

विवरण-I

भारत में एड्स रोगी (नाको को सूचित)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एड्स रोगी		
		1996	1997	1998 (31.11.98 तक)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	19	39	45
2.	असम	00	12	22
3.	अरूणाचल प्रदेश	00	00	00
4.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	00	00	00
5.	बिहार	01	03	03
6.	पंजाब/चण्डीगढ़	00	100	100
7.	दिल्ली	27	206	219
8.	दमण एवं दीव (सं.रा.क्षे.)	00	01	01
9.	दादरा एवं नगर हवेली	00	00	00

1	2	3	4	5
10.	गोवा	00	12	12
11.	गुजरात	104	134	136
12.	हरियाणा	00	01	01
13.	हिमाचल प्रदेश	00	09	09
14.	जम्मू व कश्मीर	00	02	02
		12	118	187
16.	केरल	26	105	106
17.	लक्षद्वीप (सं.रा.क्षे.)	00	00	00
18.	मध्य प्रदेश	06	154	210
19.	महाराष्ट्र	520	2491	3315
20.	उड़ीसा	00	02	02
21.	नागालैंड	00	10	10
22.	मणिपुर	55	301	301
23.	मिजोरम	00	05	05
24.	मेघालय	00	08	08
25.	पाण्डिचेरी	24	132	141

1	2	3	4	5
26.	राजस्थान	00	54	77
27.	सिक्किम	00	02	02
28.	तमिलनाडु	199	1092	1624
29.	त्रिपुरा	00	00	00
30.	उत्तर प्रदेश	48	109	125
31.	पश्चिम बंगाल	11	57	57
	योग	1072	5139	6600

विवरण-II

एच.आई.वी. संक्रमण के लिए प्रहरी निगरानी (1 फरवरी से 31 मार्च, 1998 तक)

क्र.सं.	राज्य	स्थानों की संख्या	यौन संचारित रोग			आई.डी.यू.			ए.एन.सी.		
			जांच किए गए रोगियो की संख्या	कुल सकारात्मक रोगी	प्रतिशत	जांच किए गए रोगियों की सं.	कुल सकारात्मक रोगी	प्रतिशत	जांच किए गए रोगियों की सं.	कुल सकारात्मक रोगी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	ए.एन.सी.-3 एस.टी.डी.-3	700	144	20.5	–	–	–	1200	19	1.58
2.	कर्नाटक	ए.एन.सी.-3 एस.टी.डी.-5	743	72	9.6	–	–	–	516	12	0.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	महाराष्ट्र	ए.एन.सी.-12	1762	473	26.8	–	–	–	4800	116	2.4
4.	मणिपुर	ए.एन.सी.-5	1160	52	4.4	587	397	67.6	2026	24	1.2
		एस.टी.डी.-3									
		आई.डी.यू.-3									
5.	तमिलनाडु	ए.एन.सी.-4	1120	108	9.6	–	–	–	1516	17	1.1
		एस.टी.डी.-6									

विवरण-III

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1998-99 के दौरान रिलीज की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य	रिलीज की गई निधियां (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	650.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	–
3.	असम	–
4.	बिहार	110.00
5.	गोवा	55.00
6.	गुजरात	–
7.	हरियाणा	160.00
8.	हिमाचल प्रदेश	100.00
9.	जम्मू व कश्मीर	–
10.	कर्नाटक	335.00
11.	केरल	–
12.	मध्य प्रदेश	315.00
13.	महाराष्ट्र	800.00
14.	मणिपुर	210.00
15.	मेघालय	–

1	2	3
16.	मिजोरम	60.00
17.	नागालैंड	160.00
18.	उड़ीसा	110.00
19.	पंजाब	–
20.	राजस्थान	–
21.	सिक्किम	–
22.	तमिलनाडु	50.00
23.	त्रिपुरा	800.00
24.	उत्तर प्रदेश	–
25.	पश्चिम बंगाल	200.00
26.	पाण्डिचेरी	350.00
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	40.00
28.	चण्डीगढ़	–
29.	दादरा व नगर हवेली	60.00
30.	दमण एवं दीव	–
31.	दिल्ली	–
32.	लक्षद्वीप	110.00
33.	मुम्बई डिस्ट्रिक्ट एड्स सोसायटी	350.00
	योग	5005.00

पेट्रोलियम परियोजनाएं

3858. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितनी पेट्रोलियम परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) इस समय इन परियोजनाओं की परियोजनावार स्थिति क्या है;

(ग) क्या ये परियोजनाएं विदेशी सहायता/निवेश के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये परियोजनाएं कब से चल रही हैं और इनके कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली जारी पेट्रोलियम परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदन की तारीख	परियोजना के लिए विदेशी सहायता/निवेश		31.10.1998 की स्थिति के अनुसार		संपूर्ति समयानुक्रम (तारीख)	
			इक्विटी (करोड़ रुपये)	ऋण (करोड़ रुपये)	वास्तविक प्रगति (प्रतिशत)	वित्तीय प्रगति (प्रतिशत)	आरंभिक	अनुमानित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.								
1.	डीज़ल हाइड्रो डीसल्फ्यूराइज़ेशन परियोजना	जून, 1997	शून्य	शून्य	79.3	33.8	मार्च,1999	अप्रैल, 1999
2.	बोना में उत्पाद टर्मिनल	नवंबर, 1997	शून्य	शून्य	-	1.5	नवंबर, 2000	नवंबर, 2000
	...ाइनरी परियोजना	दिसंबर, 1995	549.0	शून्य	5.3	2.5	दिसंबर, 1999	अक्तूबर, 2002
4.	कोचीन कोएम्बटूर करूर उत्पाद पाइपलाइन परियोजना	दिसंबर, 1997	शून्य	शून्य	6.84	0.38	नवंबर, 2000	नवंबर, 2000
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.								
5.	विशाख रिफाइनरी विस्तार परियोजना (3 एम.एम.टी.पी.ए. विस्तार)	सितम्बर, 1995	शून्य	शून्य	76.40	57.77	सितम्बर, 1998	अन्य इकाइयां : अप्रैल, 1999 एफ.सी.सी.यू. सितम्बर, 1999
6.	डीज़ल हाइड्रो डीसल्फ्यूराइज़ेशन परियोजना, मुम्बई रिफाइनरी	जून, 1997	शून्य	शून्य	43.10	7.86	मार्च, 1999	जून, 1999
7.	डीज़ल हाइड्रो डीसल्फ्यूराइज़ेशन परियोजना, विशाख रिफाइनरी	जून, 1997	शून्य	शून्य	54.00	19.33	मार्च, 1999	जून, 1999
8.	मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.	नवम्बर, 1996	शून्य	1243.58	87.20	55.60	नवम्बर, 1999	नवम्बर, 1999
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.								
9.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी परियोजना	जुलाई, 1992	शून्य	शून्य	93.5	68.7	जुलाई, 1997	अप्रैल, 1999
10.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी विपणन केन्द्र परियोजना	जुलाई, 1998	शून्य	शून्य	81.85	34.5	अप्रैल, 1999	अप्रैल, 1999

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मद्रास रिफाइनरीज लि.								
11.	डीजल हाईड्रो डीसल्फ्यूराइजेशन परियोजना	जून, 1997	शून्य	शून्य	76.6	52.2	मार्च, 1999	जून, 1999
कोचीन रिफाइनरीज लि.								
12.	डीजल हाईड्रो डीसल्फ्यूराइजेशन परियोजना	जून, 1997	शून्य	शून्य	60.72	20.76	मार्च, 1999	दिसम्बर, 1999
आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि.								
13.	बी-55 विकास परियोजना	मार्च, 1996	शून्य	शून्य	100	42.7	मार्च, 1999	मार्च, 1999
14.	बसीन क्षेत्र में बूस्टर कम्प्रेसर प्लेटफार्म	अक्तूबर, 1997	शून्य	शून्य	67	39.5	जनवरी, 2000	मई, 1999
15.	स्थानिक दहन का वाणिज्योकरण, दक्षिणी बलोल	अक्तूबर, 1995	शून्य	शून्य	95.6	58	जुलाई, 1997	मार्च, 1999
16.	स्थानिक दहन का वाणिज्योकरण, उत्तरी संथाल	अक्तूबर, 1995	शून्य	शून्य	93.3	59	अक्तूबर, 1997	मई, 1999
17.	गांधार विकास चरण-II	मई, 1992	शून्य	198.563 अमेरिकी डालर का ए.वि. बैंक ऋण, 14.40 मिलियन अमेरिकी डालर का विश्व बैंक ऋण (चरण-1 और 2 के लिए)	99.36	99	मई, 1996	मार्च, 1999
18.	उरान में अतिरिक्त सह उत्पादन इकाई	जुलाई, 1998	शून्य	शून्य	3.1	-	दिसम्बर, 2000	जुलाई, 2000
इंडियन आयल कार्पोरेशन लि.								
19.	पनीपत रिफाइनरी परियोजना	अक्तूबर, 1992	शून्य	शून्य	99.40	84.86	अप्रैल, 1997	दिसम्बर, 1998
20.	डिग्बोई में न्यू डिलेड कोकर इकाई	मार्च, 1995	शून्य	शून्य	78.50	65	दिसम्बर, 1998	मार्च, 1999
21.	मथुरा रिफाइनरी में पैकिंग सेकण्डरी संसाधन सुविधाएं	मई, 1996	शून्य	शून्य	62.8	29.23	नवम्बर, 1999	नवम्बर, 1999

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	गुजरात रिफाइनरी विस्तार परियोजना	दिसम्बर, 1996	शून्य	शून्य	49.85	15.67	दिसम्बर, 1999	दिसम्बर, 1999
23.	डीजल हाईड्रो डीसल्फ्यूराइजेशन परियोजना, गुजरात रिफाइनरी	जून, 1997	शून्य	शून्य	76.23	16.07	मार्च, 1999	अप्रैल, 1999
24.	डीजल हाईड्रो डीसल्फ्यूराइजेशन परियोजना हल्दिया रिफाइनरी	जून, 1997	शून्य	शून्य	57.54	17.63	अप्रैल, 1999	मई, 1999
25.	डीजल हाईड्रो डीसल्फ्यूराइजेशन परियोजना, मथुरा रिफाइनरी	जून, 1997	शून्य	शून्य	72.39	16.69	मार्च, 1999	अप्रैल, 1999
	डीजल डीसल्फ्यूराइजेशन परियोजना, पानीपत रिफाइनरी	जून, 1997	शून्य	शून्य	76.55	17.81	मार्च, 1999	मई, 1999
27.	हल्दिया-बर्रौनी कच्चा तेल पाइपलाइन	जनवरी, 1996	शून्य	124.27	90.35	68.56	जुलाई, 1999	दिसम्बर, 1999
28.	सलाया-कोरमंगला-कोयाली कच्चा तेल पाइपलाइन	दिसम्बर, 1996	शून्य	4.77	48.22	11.90	दिसम्बर, 1999	दिसम्बर, 1999
29.	पूर्वी भारत रिफाइनरी परियोजना	जुलाई, 1998	860	1624	आरंभ की गई	आरंभ की गई	मई, 2002	फरवरी, 2003
गैस अथारिटी आफ इंडिया लि.								
30.	यू.पी. पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स, पटना	अक्तूबर, 1992	शून्य	8,236,627,938 (रुपए) 23,950,000 (अ.डा.)	आरंभ की जा रही है।	89.96	दिसम्बर, 1996	जनवरी, 1999
31.	एल.पी.जी. औरैया	अक्तूबर, 1997	शून्य	शून्य	55.1	11.26	जून, 2000	जून, 2000
32.	जामनगर-लोनी एल.पी.जी. पाइपलाइन	अक्तूबर, 1997	शून्य	150,000,000 (अ.डा.)	5.3	0.59	अप्रैल, 2001	फरवरी, 2001

[हिन्दी]

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए आवंटित राशि

3859. श्री अजीत जोगी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितना व्यय हुआ;

(ख) इस कार्य में लगे हुए स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक संगठन को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(घ) ऐसे संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है और गत तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान व्यय की गई राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	व्यय की गई राशि
1995-96	1,79,190 रु.
1996-97	2,78,600 रु.
1997-98	4,96,000 रु.

(ख) ऐसी कोई सूची नहीं बनाई जाती है चूंकि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत स्वयंसेवी संगठन इस योजना के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से अनावर्ती अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ग) और (घ) उन संगठनों के नाम जिन्हें वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान वित्तीय सहायता दी गई है और उनके द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	सगठन का नाम	रिजील की गई राशि	कार्यक्रम जिसके लिए राशि रिलीज की गई
1	2	3	4
		1995-96	
1	राजीव गांधी सेन्टर तिरूवनन्तपुरा, केरल	22,400	सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन्टर रीजनल कैम्पस, जन सभाएं और सामग्री की प्रदर्शनी और प्रकाशन
2.	वैशाली समाज कल्याण संस्थान, वैशाली, बिहार	3,690	सांस्कृतिक कार्यक्रम
3.	रेफ्रो, रूरल डेवेल्पमेन्ट एनवायरनमेंट प्रोटैक्शन, पटना	18,400	सांस्कृतिक कार्क्रम, इन्टर रीजनल कैम्पस और दौरों का आदान-प्रदान और सामग्री का प्रकाशन
4.	चन्द्र भागा जिला बालासोर, उड़ीसा	10,600	सेमिनार और ग्रुप विचार-विमर्श, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्तर-रीजनल केम्पस, सामग्री का प्रकाशन और जनसभा, प्रदर्शनी

1	2	3	4
5.	गांधी पीस फाउन्डेशन, क्वीलोन, केरल	46,400	सेमीनार और ग्रुप विचार-विमर्श राज्य स्तरीय दो दिन का सेमीनार, इन्टर रीजनल कैम्प
6.	गांधी शिशु रायाजा जिला नयागढ़, उड़ीसा	6,400	राष्ट्रीय एकता शिविर
7.	अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवाजन समाज घोंडा, दिल्ली।	60,000	दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा में तीन सेमिनार
8.	बालूरघाट समाज कल्याण एसोसिएशन बालूरघाट, पश्चिम बंगाल	11,300	राष्ट्रीय नेताओं के जन्म दिवस समारोह, सेमीनार और ग्रुप विचार-विमर्श, सांस्कृतिक कार्यक्रम
	कुल योग	1,79,190	

1996-97

1.	कल्याण परिषद् उत्तर प्रदेश, लाल कुंआ, लखनऊ	1,20,000	4 सांस्कृतिक कार्यक्रम, 2 जन-सभाएं, दो अन्तर क्षेत्रीय कैम्प/दौरों का आदान-प्रदान, सद्भावना दौरा, साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए सभा।
2.	श्री संजय प्रसाद सिंह, ग्रामीण निगरानी समिति, सरन, बिहार	30,500	राष्ट्रीय दिवसों और त्यौहारों के अन्तर-समुदाय समारोह, अन्तर-क्षेत्रीय केम्पस/दौरों का आदान-प्रदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम निबन्ध/चित्रकारी और प्रतियोगिताएं, जन-सभाएं, प्रदर्शनियां।
3.	भगत सिंह यूथ क्लब और अध्ययन कक्ष, कोजिकोड, केरल	32,600	अन्तर क्षेत्रीय कैम्पस/दौरों का आदान-प्रदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन सभाएं, प्रदर्शनियां।
4.	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मेमोरियल सोसाइटी हैदराबाद।	45,500	अन्तर-क्षेत्रीय केम्पस/दौरों का आदान-प्रदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन-सभाएं, प्रदर्शनियां, मुशायरा/कवि सम्मेलन।
5.	अधिवक्ता जन सेवा संस्थान, न्यू हैदराबाद लखनऊ	30,000	दो जनसभाएं, एक प्रदर्शनी
6.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय अगरतला	20,000	सेमीनार और ग्रुप विचार-विमर्श का आयोजन
	कुल योग	2,78,600 रु.	

1	2	3	4
		1997-98	
1.	अखिल भारतीय रचनात्मक समाज, किंग्जवे कैम्प दिल्ली।	1,55,000	पांच स्थानों पर सर्व-धर्म-सम्भाव सम्मेलन, अन्तर-क्षेत्रीय केम्पस, स्पेशलाइज्ड यूथ केम्पस।
2.	यंग उत्कल प्रोजेक्ट, जिला बालासोर, उड़ीसा	46,000	राष्ट्रीय दिवस और त्यौहारों के अन्तर-समुदाय आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्तर-क्षेत्रीय केम्पस, दौरों का आदान-प्रदान सिटिजन्स कमेटी फारमेशन, शान्ति रैली।
3.	नेशनल थियेटर आर्टस सोसायटी, पटियाला, पंजाब	70,00	तीन सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्तर क्षेत्रीय कैम्पस, प्रदर्शनी और जन सभा।
4.	पैक्रो, रूरल डवेल्पमेन्ट एनवयारनमेन्ट प्रोटैक्शन पटना	50,000	सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्तर-क्षेत्रीय कैम्पस, दौरों का आदान-प्रदान, जन-सभाएं, प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक/ लोक नृत्य और गानें
5.	भारत सोशल सर्विस सेन्टर, तिरुवनन्तपुरम, केरल	15,000	अन्तर क्षेत्रीय केम्पों का आयोजन, दौरों का आदान-प्रदान।
6.	राजीव गांधी केन्द्र तिरुवन्तपुरा केरल	15,000	एक अन्तर-क्षेत्रीय केम्प का आयोजन, दौरों का आदान-प्रदान।
7.	लोक नायक क्लब, जिला कटक, उड़ीसा	15,000	राष्ट्रीय एकता कैम्प का आयोजन, अन्तर-राज्य एक्सचेंज प्रोग्राम।
8.	वुमनज फोरम कृष्णा एडुकेशन एण्ड कल्चरल सोसाइटी, मालापुरम जिला केरल	15,000	सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन-सभाएं और प्रदर्शनी
9.	सेकुलर पीपुल्स फोरम चन्वलगुडा, हैदराबाद	40,000	सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्तर-क्षेत्रीय केम्पस, दौरों का आदान-प्रदान, जन-सभाएं, प्रदर्शन, मुशायरा/कवि सम्मेलन।
10.	अरासन रूरल डेवलपमेन्ट सोसायटी, थिरूनेलवेली जिला तमिलनाडु	20,000	सांस्कृतिक कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता पर जन-सभाएं और प्रदर्शनी।

1	2	3	4
11.	अर्श भारत पो.ओ. नाथमकुन्नी वायानाड जिला केरल	25,000	सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्तर-क्षेत्रीय केम्पस, दौरों का आदान-प्रदान।
12.	अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवाजन समाज घोंडा, दिल्ली	30,000	राष्ट्रीय एकता के लिए अन्तर-क्षेत्रीय (राज्य) केम्पस
	कुल योग	4,96,000 रु.	

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग

श्री पाटीदार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग को स्थायी दर्जा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त आयोग से ग्रामीण श्रमिकों के किस हद तक लाभान्वित होने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग 1987 में गठित किया गया था और उसको सौंपा गया कार्य पूरा करने पर उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी अवधि जुलाई, 1991 में समाप्त हुई। अत: इसको स्थाई स्वरूप प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

यूरिया आपूर्ति में न्यायालय के बाहर समझौता

3861. श्री रामदास अठावले :
श्री रामशकल :
श्री के.एस. राव :
श्री कमलनाथ :
श्री नृपेन गोस्वामी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरिया आपूर्ति के सौदे में तुर्की की फर्म करसन द्वारा न्यायालय से बाहर समझौता करने के लिए किए गए अद्यतन प्रस्ताव को सरकार ने पुन: ठुकरा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया रही है; और

(घ) यूरिया घोटाले में जांच की मौजूदा स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) से (ग) मैसर्स करसन लि. के वकील ने 19.8.98 को न्यायालय से बाहर समझौता करने के लिए प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मैसर्स करनस लि. के अधिकारियों और अन्यों के विरुद्ध अपयोजन तथा धोखाधड़ी का अपराधिक मामला शुरू किया गया था तथा क्षति और धनराशि की वसूली के लिए इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स के समक्ष अलग से मध्यस्थता कार्रवाई भी दायर की गयी थी।

(घ) अभी तक की गई जांच के आधार पर सी.बी.आई. ने 26.12.97 को विशेष न्यायाधीश दिल्ली के न्यायालय में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सहित 9 आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश दिल्ली के न्यायालय में मैसर्स करसन लि. के दो कार्यकारियों सहित 8 आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध 1.12.98 को आरोप निर्धारित किये हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में रसोई गैस कनेक्शन

3862. श्री एच.पी. सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में वर्ष 1998 के दौरान पंजीकृत उपभोक्ताओं को इंडियन आयल/भारत गैस/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के कितने रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए;

(ख) वर्तमान में किस वर्ष की प्रतीक्षा सूची पर कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या नए कनेक्शन जारी करने संबंधी मई 15, 1998 को लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह प्रतिबंध कब तक हटा लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन ने वर्ष 1998 (जनवरी से अक्तूबर तक) के दौरान दिल्ली में पंजीकृत उपभोक्ताओं को 69028 नए एल.पी.जी. कनेक्शन जारी किए हैं।

(ख) सभी इच्छुक पंजीकृतों के लिए दिल्ली समेत समग्र देश में 1 जनवरी, 1991 से पहले के पंजीकृतों के लिए नए एल.पी.जी. कनेक्शनों संबंधी प्रतीक्षा सूची सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों द्वारा वर्ष 1997-98 से संबंधित नामांकन योजना के भागस्वरूप, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निदेशों के मुताबिक वर्ष, 1997-98 के दौरान पूरी कर ली गई है। अब कनेक्शन वितरकों के पास उपलब्ध स्लेक तथा पंजीकरण इत्यादि की वरीयता के आधार पर वितरकों द्वारा कनेक्शन जारी किए जाने की नीति के अनुसार बाद वाले वर्षों की प्रतीक्षा सूची के प्रति जारी किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) आयात क्षमता की कठिनाइयों के कारण वर्ष 1998-99 से संबंधित एल.पी.जी. नामांकन योजना को अंतिम रूप देने के संबंध में विलम्ब हुआ। सितम्बर, 1998 में सरकार ने 25 लाख नए कनेक्शन तथा दिसम्बर, 1998 में 25 लाख दोहरे सिलेन्डर कनेक्शन जारी करने के लिए अनुमोदन दे दिया है, पूरे देश के लिए जारी किए जाने वाले नए कनेक्शनों की संख्या 25 लाख से बढ़ाकर 35 लाख कर दी गई। इसके अलावा सरकार ने दिल्ली में 3 लाख परिवारों के लिए वितरित किए जा रहे मिट्टी तेल कोटे के अभ्यर्पण के प्रति वर्ष 1998-99 के दौरान दिल्ली बाजार के लिए अलग से अतिरिक्त 3 लाख नए एल.पी.जी. कनेक्शन जारी करने के लिए अनुमोदन कर दिया है। इससे दिल्ली में अधिकांश प्रतीक्षा सूची 31 मार्च, 1999 तक निपटा देने की आशा की जाती है।

अल्प सूचना प्रश्न

भारतीय वायुसेना में संदेहास्पद सौदे

अ.सू.प्र. 2. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान उड़ान सुरक्षा और प्रचालनात्मक तैयरियों के लिए खतरा लेकर परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों के लिए घटिया किस्म के कल-पुर्जों की खरीद के संबंध में भारतीय वायु सेना में प्रचालन में व्यापक धांधली के बारे में दिनांक 9 दिसम्बर, 1998 के 'द पॉयनियर' में प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या घटिया किस्म के कल-पुर्जे संदेहास्पद विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से खरीदे जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय वायुसेना के विमानों की 40 प्रतिशत से अधिक दुर्घटनाएं घटिया किस्म के कल-पुर्जों में तकनीकी खराबी के कारण होती हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या हाल ही में लड़ाकू विमानों के टायर फटने की दो घटनाएं, घटिया किस्म के टायरों के कारण हुई थीं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी धोखाधड़ियां रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, नहीं।

(ङ) भारतीय वायुसेना की व्यवस्था पद्धति में समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली नियंत्रण व संतुलन प्रणाली अंतर्निहित हैं।

अपराह्न 12.16 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.16 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए।]

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.16 बजे

इस समय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा पटल रखे जाने वाले पत्र मद संख्या 4, श्री लाल कृष्ण आडवाणी।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.16$^{1}/_{2}$ बजे

इस समय, प्रो. रीता वर्मा, श्रीमती आभा महतो और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है? कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 1.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.01 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

मद संख्या 4, श्री लाल कृष्ण आडवाणी।

अपराह्न 1.01$^{1}/_{4}$ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

आसूचना संगठन (अधिकार निर्बन्धन) नियम और सभा पटल पर पत्रों को रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आसूचना संगठन (अधिकार निर्बन्धन) अधिनियम, 1985 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत आसूचना संगठन (अधिकार निर्बन्धन) नियम, 1998 जो 27 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 112 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2073/98]

(3) राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 की धारा 139 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षक (ग्रुप ''घ''

पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1998 जो 5 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 233 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2074/98]

(4) (एक) रिपैट्रियेट्स कोआपरेटिव फाईनेंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिपैट्रियेट्स कोआपरिटिव फाईनेंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2075/98]

(5) सीमा सुरक्षा बल अधिकारियों की वरिष्ठता, पदोन्नति और अधिवर्षिता (संशोधन) नियम, 1998 जो 23 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 98 में प्रकाशित हुए थे, को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2076/98]

(6) आयुध (संशोधन) नियम, 1998 जो 23 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 99 में प्रकाशित हुए थे, को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2077/98]

(7) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रिहेब्लिटेशन प्लांटेशन लिमिटेड, पुनालूर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहेब्लिटेशन प्लांटेशन लिमिटेड, पुनालूर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2078/98]

(8) (एक) भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने के बारे में सर्वश्री डी.एस. अहिरे तथा सी.डी. गामीत द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 1998 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 382 के उत्तर में संशोधन करने, और (दो) उत्तर में संशोधन करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2079/98]

गार्डनरीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजिनियर्स, कलकत्ता की वर्ष 1997-98 की वार्षिक रिपोर्ट और उसके कार्यकरण की समीक्षा

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गार्डनरीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजिनीयर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डनरीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजिनीयर्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2080/98]

(2) (एक) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

*दिनांक 8.12.98 को सभा पटल पर रखे गए।

(दो) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2081/98]

फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष 1997-98 की वार्षिक रिपोर्ट और उसके कार्यकरण की समीक्षा

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2082/98]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2083/98]

(ग) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2084/98]

(घ) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2085/98]

(ङ) (एक) प्रोजैक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, धनबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजैक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, धनबाद का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2086/98]

(2) (एक) इंस्टीट्यूट आफ पेस्टीसाइड फार्म्युलेशन टेक्नोलोजी, गुड़गांव के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट आफ पेस्टीसाइड फार्म्युलेशन टैक्नोलोजी, गुड़गांव के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2087/98]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन संख्या 177 और गृह कार्य से संबंधित सिफारिश संख्या 184 पर की गई कार्यवाही का विवरण

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) श्रम संगठन कन्वेंशन संख्या 177 और अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (1996) के तिरासीवें सत्र में स्वीकृत किए गए गृह कार्य से संबंधित सिफारिश संख्या 184 पर की गई कार्यवाही के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2088/98]

(2) भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन) और सेवा शर्तें अधिनियम, 1996 की धारा 62 की उपधारा (3) के अंतर्गत भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय नियम 1998 जो 19 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 689(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2089/98]

स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष 1997-98 की वार्षिक रिपोर्ट और उसके कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

[अनुवाद]

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी था अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2090/98]

(ख) (एक) स्पोंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पोंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2091/98]

(ग) (एक) मेटालरजिकल एंड इंजीनियरिंग कंसलटैंट्स लिमिटेड (इंडिया), रांची के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेटालरजिकल एंड इंजीनियरिंग कंसलटैंट्स लिमिटेड (इंडिया), रांची का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2092/98]

(घ) (एक) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2093/98]

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2094/98]

मौलाना आजाद एजुकेशन फाऊंडेशन, नई दिल्ली की वर्ष 1997-98 की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा और कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदनलाल खुराना) :

(1) (एक) मौलाना आजाद एजुकेशन फाऊंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मौलाना आजाद एजुकेशन फाऊंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद एजुकेशन फाऊंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2095/98]

(2) (एक) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2096/98]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (8वां संशोधन) नियम, 1998 जो 6 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 171(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा तत्संबंधी शुद्धि-पत्र जो 7 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 477(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (9वां संशोधन) नियम, 1998 जो 6 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 174(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा तत्संबंधी शुद्धि-पत्र जो क्रमश: 7 अगस्त, 1998 और 28 अक्तूबर, 1998 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 476(अ) और सा.का.नि. 646(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य अपमिश्रण निवारण (द्वितीय संशोधन) नियम, 1998 जो 6 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा तत्संबंधी शुद्धि-पत्र जो 7 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 479(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2097/98]

(2) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2098/98]

(3) (एक) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2099/98]

(4) (एक) नई दिल्ली ट्यूबरक्यूलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली ट्यूबरक्यूलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2100/98]

(6) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2101/98]

(8) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 618क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे, तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2102/98]

(ख) (एक) हॉस्पिटल सर्विसेज कंसलटेंसी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हॉस्पिटल सर्विसेज कंसलटेंसी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2103/98]

(9) हॉस्पिटल सर्विसेज कंसलटेंसी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2104/98]

(10) (एक) पासच्योर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कूनूर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

नेशनल कोआपरेटिव हाऊसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और कार्यकरण की समीक्षा

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल कोआपरेटिव हाऊसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव हाऊसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव हाऊसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2124/98]

(2) (एक) भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2125/98]

(3) (एक) सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर हाऊसिंग आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर हाऊसिंग आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली, के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2126/98]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2127/98]

भारतीय तेल निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा, इत्यादि

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2128/98]

(ख) (एक) बोंगईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, बोंगईगांव के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बोंगईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, बोंगईगांव का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2129/98]

(ग) (एक) लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2130/98]

(घ) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2131/98]

(ङ) (एक) गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2132/98]

(च) (एक) आई.बी.पी. कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आई.बी.पी. कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2133/98]

(छ) (एक) बीको लारी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीको लारी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2134/98]

(ज) (एक) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2135/98]

(झ) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2136/98]

(ञ) (एक) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2137/98]

(ट) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उम पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2138/98]

(ठ) (एक) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2139/98]

(ड) (एक) आयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2140/98]

इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ोदरा का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : श्री ए.के. पटेल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ोदरा के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ोदरा का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2141/98]

अपराह्न 1.03 बजे

लोक लेखा समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : मैं संघ सरकार विनियोग लेखे—रेल (1996-97) के बारे में लोक लेखा समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 1.03½ बजे

लोक लेखा समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय-पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) व्यापार विकास प्राधिकरण के बारे में 55वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(2) लघु औद्योगिक उपक्रमों के आकलन के बारे में 70वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(3) दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवाओं के बारे में 76वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(4) लॉटरी कारबार के आकलन के बारे में 90वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(5) कर संग्रहण और वसूली तथा बकाया मांगों के बारे में 93वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(6) सीमा शुल्क प्राप्तियां—अधिनियम में उपबंध न होने के कारण राजस्व की हानि के बारे में 114वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(7) मुख्य लेखा अधिकारियों के कार्यकरण में संघ उत्पाद शुल्क प्रणाली के दोषों के बारे में 116वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(8) जबलपुर स्थित ट्यूब बनाने वाले संयंत्र के बारे में 118वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(9) राष्ट्रीय केंसर रोकथाम कार्यक्रम के बारे में तीसरा प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा)।

(10) विमानों को गैर-विधि सम्मत ढंग से पट्टे पर लिये जाने के बारे में दसवां प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा)।

अपराह्न 1.04 बजे

विशेषाधिकार समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली) : मैं विशेषाधिकार समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 1.04¼ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन (कासरगोड) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

अपराह्न 1.04½ बजे

याचिका समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णगर) : मैं याचिका समिति (बारहवीं लोक सभा) का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 1.04$^{3}/_{4}$ बजे

याचिका समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णगर) : मैं ग्यारहवीं लोक सभा की याचिका समिति के सातवीं से सत्रहवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 1.05 बजे

और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति स्थायी समिति

साठवां, इकसठवां और बासठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद (मुजफ्फरपुर) : महोदय, मैं क्रमश: जैव-प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिकी और औद्योगिक अनुसंधान तथा इलैक्ट्रोनिकी विभागों की अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के चौवनवें, छप्पनवें और अठावनवें प्रतिवेदन पर जैव-प्रौद्योगिकी, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान तथा इलैक्ट्रोनिकी विभागों द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति के साठवें, इक्सठवें और बासठवें प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अगली मद पर विचार करेगी – ध्यानकर्षण प्रस्ताव। श्री राजेश पायलट।

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने उड़ीसा में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के संबंध में अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को उठाने के लिए पूर्वसूचना दी है ...*(व्यवधान)* हम आपसे व्यक्तिगत रूप से भी मिले थे और हमने इस मामले को उठाने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया था। उड़ीसा में बहुत ही गंभीर स्थिति विद्यमान है। वहां कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है ...*(व्यवधान)* वहां कानून तथा व्यवस्था की स्थिति नहीं है। आर. उदयागिरी में उड़ीसा की राज्य सरकार के विरुद्ध 5000 जनजातीय लोगों ने विद्रोह किया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, वहां बहुत गंभीर स्थिति विद्यमान है। वहां साम्प्रदायिक दंगे ...*(व्यवधान)*

श्री प्रसन्ना आचार्य (सम्बलपुर) : महोदय, कृपया हमें दो मिनट की अनुमति दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं। मैं आपको कल अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रसन्ना आचार्य : महोदय, उड़ीसा के मुख्य मंत्री....* वहां बिल्कुल भी कानून तथा व्यवस्था नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आप इसे आज नहीं उठा सकते। आज हमारे पास बहुत ही व्यस्त कार्यसूची है।

...*(व्यवधान)*

श्री पद्मा नावा बेहेरा (फूलबनी) : हम यह मांग करते हैं कि वहां की राज्य सरकार को हटाया जाना चाहिए। उड़ीसा राज्य में कोई कानून तथा व्यवस्था नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रसन्ना आचार्य : उड़ीसा के संबंध में धारा 356 लगाई जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सरकार इस बात का ध्यान रखेगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने कहा है, सरकार इस बात का ध्यान रखेगी। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अपराह्न 1.08 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में आंतरिक सुरक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति, विशेषकर पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर में हाल की हत्याएं

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:-

> "देश में आंतरिक सुरक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति विशेषकर पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर में हाल की हत्याएं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गए कदम।"

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, देश में समग्र सुरक्षा स्थिति खराब नहीं हुई है। तथापि, जम्मू और कश्मीर में पाक निर्दिष्ट विद्रोह, पूर्वोत्तर में उग्रवादी ग्रुपों द्वारा विघटनकारी गतिविधियां और वामपंथी उग्रवादी ग्रुपों द्वारा की जा रही हिंसा, चिन्ता के विषय हैं ...*(व्यवधान)*

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापट्टनम) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश के संबंध में आप क्या कहेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने उसे भी शामिल किया है। जम्मू और कश्मीर में कुछ अनुकूल परिणाम दृष्टिगोचर हुए हैं। राज्य में हिंसक गतिविधियों की संख्या में कमी आई है। मारे गए भाड़े के विदेशी सैनिकों की संख्या 1997 में 197 से बढ़कर 1998 (30 नवम्बर तक) में 289 हो गई है। भारी संख्या में गिरफ्तारियां और हथियारों और विस्फोटकों की बरामदगी की गई है। उग्रवाद से निपटने के लिए एक कार्रवाई योजना शुरू की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, घुसपैठ को रोकने के लिए उपाय करना, भीतरी क्षेत्रों में उग्रवाद का मुकाबला करना, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, आसूचना क्षमता में बढ़ोत्तरी, सुरक्षा बलों के बीच व्यापक कार्य एकीकरण और समन्वय, सीमा के पास रहने वाले लोगों के साथ सम्पर्क और सुरक्षा बलों का तकनीकी रूप से उन्नयन करना सम्मिलित है। इन प्रयासों का समन्वय और पर्यवेक्षण जम्मू और श्रीनगर में दो एकीकृत मुख्यालयों द्वारा किया जाता है जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री हैं। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के स्तर पर सावधिक पुनरीक्षा भी की जाती है। तथापि, आतंकवादी/भाड़े के विदेशी सैनिकों के लिए पाकिस्तान द्वारा बराबर सहायता दी जा रही है।

जम्मू व कश्मीर में उग्रवादियों ने हिंसा के क्षेत्र को जम्मू क्षेत्र तक फैला लिया है। जुलाई, 1998 में जम्मू व कश्मीर के डोडा जिले और अगस्त, 1998 में हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में हुई हत्याओं की सभी ने भर्त्सना की है। इन क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जम्मू व कश्मीर की राज्य सरकार मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम संबंधी को 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि तथा आतंकवादी हिंसा के कारण घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रुपये का भुगतान करती रही है तथा इन अनुग्रह राशियों के भुगतान की बाद में केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह से संबंधित हिंसा में मारे गए कुल व्यक्तियों की संख्या में कमी आयी है जो 1997 के 1655 की तुलना में इस वर्ष 1998 (2 दिसम्बर तक) में घट कर 1262 हो गई है। इस समय पूर्वोत्तर के चार राज्य विद्रोह से प्रभावित हैं। ये राज्य हैं : असम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि, असम और त्रिपुरा में हिंसक गतिविधियों में वृद्धि हुई है, फिर भी मणिपुर और नागालैंड में स्थिति में सुधार दिखाई दिया है। मणिपुर में, 1997 में 233 की तुलना में इस वर्ष, 79 सिविलियन मारे गए है। नागालैंड में, जहां एन.एस.सी.एन.(आई./एम.) और भारत सरकार के बीच एक युद्धविरम चल रहा है, वहां उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नागालैंड में 1997 में 92 की तुलना में इस वर्ष 25 सिविलियन मारे गए। त्रिपुरा में 1997 के दौरान 205 के मुकाबले 1998 के दौरान मारे गए सिविलियनों की संख्या 200 रही। तथापि, असम में 1997 में मारे गए सिविलियनों की संख्या 285 थी, जो 1998 में बढ़कर 463 हो गई। भारत सरकार स्थिति का निकट से प्रबोधन कर रही है और संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रही है।

पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या को कभी भी केवल कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा गया है। विद्रोह को नियंत्रित करने की रणनीति में न्यायसंगत शिकायतों पर विचार-विमर्श करने और उन्हें पूरा करने की इच्छा, यह संकल्प की हिंसा को सहन नहीं किया जाएगा, पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, मूलभूत विकास को तेज करना, रोजगार योजनाओं पर जोर देना और कुशल प्रशासन तथा विकेन्द्रीकरण शामिल है।

वामपंथी उग्रवाद विशेषतौर पर आंध्र प्रदेश और बिहार के भागों में एक विध्वंसकारी ताकत के रूप में जारी रहा है। तथापि, घटनाओं की दृष्टि से वामपंथी उग्रवाद संबंधित हिंसा में कमी आयी है। चालू वर्ष के दौरान (नवम्बर, 1998 तक) मारे गए लोगों की संख्या 466 थी जबकि 1997 में यह संख्या 584 तथा

1996 में 541 थी। आंध्र प्रदेश और बिहार वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों, अधिकांश घटनाओं और हताहतों की दृष्टि से मुख्य केन्द्र रहा है। केन्द्रीय सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों को विशेष मदद दी जा रही है।

पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों में सिख उग्रवादी गतिविधियां कम हुई।

8. देश में सांप्रदायिक स्थिति नियंत्रण में है। इस वर्ष देश में सांप्रदायिक हिंसा में हुई मौतों की संख्या पिछले दस वर्षों में सबसे कम रही।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, जब यह 'कालिंग अटैंशन' डाला गया था तब यह ख्याल था कि सरकार का ध्यान वास्तविकता की तरफ लायें। माननीय गृह मंत्री जी मानेंगे कि यह फिगर चलती रहती है और आती रहती है लेकिन देश में जो एक सबसे जरूरी होता है। आप मानें या न मानें क्या है कि त्रिपुरा में पिछले साल 1997 में 205 डेथ हुई थी और इस साल 1998 में 200 डेथ हुई हैं यानी पांच कम हुई हैं। वह भी आपने स्टेटमैंट में क्रेडिट लिया है।

[अनुवाद]

यह उसमें है। वह कहते हैं कि त्रिपुरा में वर्ष 1997 के दौरान मारे गए 205 व्यक्तियों की तुलना में वर्ष 1998 में मारे गए व्यक्तियों की संख्या 200 है।

अपराह्न 1.12 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

स्थिति में इतना सुधार हुआ है कि मारे गए व्यक्तियों की संख्या पांच कम हो गई है। यह आपके वक्तव्य में बताया गया है। यह आपका वक्तव्य है—त्रिपुरा में वर्ष 1997 के दौरान मारे गए 205 व्यक्तियों की संख्या की तुलना में वर्ष 1998 में मारे गए व्यक्तियों की संख्या 200 है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने इसे सुधार नहीं कहा है *...(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : मैं केवल स्थिति बता रहा हूं। परसेप्शन देश में इन फिगर्स से नहीं होता कि 200 या 205 मरे हैं। इस फिगर्स पर क्रेडिबिलिटी फाइल में तो ले सकते हैं लेकिन हम और आप नुमाइंदे लेकर...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि यद्यपि असम और त्रिपुरा में हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है.....

श्री राजेश पायलट : मैं सहमत हूं। परन्तु यह बात भी आपके वक्तव्य में है।...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने आंकड़े दिए हैं। परन्तु मैंने इसे स्थिति में सुधार नहीं कहा है।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में जो परसेप्शन है, वह यह है कि एक्टीविटीज बढ़ी हैं। आप इसको फिगर से माने या न माने लेकिन आम आदमी से पूछें तो आंतरिक सुरक्षा के बारे में हरेक के मन में एक शक खड़ा हो गया है कि आखिर हमारी आंतरिक सुरक्षा है या नहीं है। अगर गृह मंत्री जी को याद हो, तो सरकार में कोशिश की गई थी—हमारे दोनों बॉर्डर, मैं समझता हूं कि तकलीफ है। मैं नहीं समझता कि इतना आसाम काम है कि सारी चीजें एक दिन में ठीक हो सकती हैं और सारी चीजें एक दिन में ठीक हों। जो भी सरकार आती हैं, उसके सामने तकलीफ होती है चाहे हम हों या आप हों लेकिन जो प्रयास सरकार की तरफ से दिखना चाहिए, वह नहीं दिख रहा है। इसलिए आज हम कालिंग अटैंशन आपके सामने लेकर आये हैं। दोनों बॉर्डर चाहे नेपाल का बॉर्डर हो चाहे बंगलादेश का बॉर्डर हो, एक ट्रीटी पर दस्तखत किये गये थे कि बॉडर हमें सबसे ज्यादा नुकसान दे रहे हैं। नेपाल का ये बॉर्डर इतना खुला हुआ है कि अगर पाकिस्तान के किसी मिलिटैंट को आना हो तो वह कश्मीर के रास्ते से न आकर नेपाल के थ्रू जाना पसंद करेगा। इस बारे में हमारी नेपाल गवर्नमेंट से भी कई बार बात हुई है। उन्होंने प्लान बनाया था लेकिन मुझे उसका पूरा ज्ञान नहीं है कि वह कहां तक सफल हुआ है। आज भी नेपाल का बॉर्डर काफी खुला है। वहां न मैनपावर है और जो तारबंदी की बात हुई, वह भी नहीं हो पाई है।

जहां तक बंगलादेश का बॉर्डर है, इसके बारे में कई बार सरकार के लैवल पर बातचीत हुई है और हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स की मीटिंग होती हैं, उसमें भी बातचीत चलती थी। बंगलादेश होकर जितनी भी एम्युनीशन आती है, चाहे आर.डी.एक्स. हो, चाहे आई.डीज. हों, ये सब उसी रूट से आती हैं, जो बंगलादेश के

सी शोर से लेकर त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए नागालैंड, मणिपुर तक पहुंचती हैं। इस ट्रैक पर आर्मी वालों ने दो बार बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें 100-125 मिलिटेंट्स पकड़े गये थे। उसके बाद हमने बंगलादेश सरकार से बहुत सख्ती से इस बात को कहा। वहां पर काक्स बाजार एक सी पोर्ट है, जहां से इनकी सारी सप्लाई होती है। बंगलादेश सरकार से यह बातचीत चल रही थी कि काक्स बाजार से जितनी सप्लाई मिजोरम और अगरतला ट्रैक पर जाती है, उस पर सरकार रोक लगाएगी। मुझे पता नहीं कि उस संधि के हिसाब से आज काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन यह सच्चाई है। आज एन.एस.सी.एन.आई. और गवर्नमेंट के बीच में सीज़ फायर है, नागालैंड मिलिटेंट्स आर्गेनाइजेशन में सीज़ फायर चल रहा है, लेकिन आज भी एम्युनीशन आ रहा है। बल्कि मुझे तो यह खबर है कि ज्यादा आ रहा है, सीज़ फायर से पहले जितने चैक मेट थे, क्योंकि आर्मी सोचती है कि उन्होंने सीज़ फायर कर ली है, इसके लिए सेवा स्वयं को उत्तरदायी नहीं मानती है और यदि सेना कड़ी कार्रवाई करती है तो युद्ध विराम का उल्लंघन होता है। आज एम्युनीशन और ज्यादा मात्रा में इसी ट्रैक में आकर दोनों प्रदेशों में आ रहा है और मैं नहीं समझता, मुझे ज्ञान नहीं है कि उसमें कितनी प्रोग्रैस हुई है और क्या सरकार की तरफ से उसमें प्रतिबन्ध लगे हैं कि हमारा वह ट्रैक आइसोलेट हो। जब तक वह ट्रैक आइसोलेट नहीं होगा, पूरे का पूरा नोर्थ ईस्ट का हमारा उसी तरीके से चलता रहेगा। माननीय मंत्री जी ने खुद माना है कि चाहे आन्ध्र प्रदेश की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, उन्होंने कहा है कि नक्सलाइट मूवमेंट और एक्सट्रीमिस्ट्स ने यहां कुछ हरारतें की हैं और वहां पर हालात बिगड़े हैं। माननीय मंत्री जी ने इंटरनल सिक्योरिटी को एक साउंड पोजीशन में बताया है, मेरी दो ही बातें माननीय मंत्री जी से हैं, यह बात सच्ची है कि यह बहुत बड़ा काम है, बहुत कठिन काम है और इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि हमारा जो सिस्टम है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें कुछ कमजोरी आई। कमजोरी क्यों आई, एक तो हमारे कोआर्डीनेशन में कमी रहती थी, हमारी इंस्टीट्यूशंस में आपस में कोआर्डीनेशन नहीं होता था। हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि इंटेलीजेंस ब्यूरो, एजेंसीज़ और स्टेट के जो चैनल्स हैं, ये ज्यादा से ज्यादा कोआर्डीनेट करें। इनके जो चैनल्स बनाये थे, उन चैनल्स से खबर आती थी, जिस पर तीनों आपस में बैठकर बात करते थे और आई.बी. से कोआर्डीनेशन की इतनी कोशिश की थी, मैं मानता हूं कि उस वक्त पूरी न चली हो, लेकिन एक कोशिश की गई थी कि आई.बी. के चैनल्स इतने अप-टू-डेट रहें, सारे सोर्स से डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक एक स्कीम बनाई थी, माननीय मंत्री जी को पता होगा, वह स्कीम अभी लागू है या नहीं, क्योंकि हम यह महसूस करते थे कि कश्मीर से जोइनिंग जितने भी नोर्दर्न स्टेट्स हैं, इनमें भी अन्दरूनी सिक्योरिटी पर इसका डायरैक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, मिलिटेंसी का डायरैक्ट इफैक्ट पड़ता है। जो एक जोनल कोआर्डीनेशन बनाया था, मुझे पता नहीं कि वह फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आई.बी. की तरफ से इसमें इतनी सपोर्ट मिली थी कि कश्मीर में जोनल मीटिंग्स की वजह से अच्छा कोआर्डीनेशन मीटिंग्स की वजह से एक इम्प्रूवमेंट आया था। मुझे आज पता नहीं कि वे सिस्टम्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वह माननीय मंत्री जी बता सकेंगे।

जहां तक आई.बी. की और इन्फोर्मेशन की बात है, कल मैं 'एशियन एज' में पढ़ रहा था, उसमें किसी ऐसे मिलिटेंट का फोटो छपा है, जिसको ढूंढ़ने के लिए डेढ़ दो साल से सारी एजेंसीज़ कोशिश कर रही हैं। उसका फोटो छप गया, लेकिन अब तक उसकी इन्फोर्मेशन नहीं ले पाये हैं कि वह मिलिटेंट वाकई कहां है और किस जगह पर है। हमारे अभिकरणों में समन्वय का जो अभाव है उसको आप दूर कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने जम्मू-कश्मीर के बारे में जिक्र किया है कि जम्मू-कश्मीर में हालात सुधरे हैं। आप फीगर्स उठा लें, मेरे पास तो लेटेस्ट फीगर्स हैं नहीं, लेकिन 1996, 1997 और 1998 के विशेषकर कश्मीर के फीगर्स में कोई खास फर्क नहीं आया। कश्मीर के हालात बाहरी तौर पर दिख सकते हैं कि सुधर रहे हैं, लेकिन मुझे जो इत्तला है, थोड़ी-बहुत खबर है, मेरा अंदाज है कि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है। कुपवाड़ा बोर्डर पर आज भी इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है। वहां एक लोलाब गांव है, जहां कुछ लोग कुछ दिन पहले पकड़े गये थे। उनसे पता लगा कि आज भी पी.ओ.के. में करीब 72 कैम्प्स चल रहे हैं, पाकिस्तान के बोर्डर पर पाकिस्तान में करीब 85 कैम्प्स चल रहे हैं और अफगान बोर्डर पर 21 कैम्प्स चल रहे हैं। आज भी, इस वक्त 178 कैम्प उस सीमा पर लग रहे हैं, यह इन्फोर्मेशन लोलाब में पकड़े गये लोगों से मिली थी, जो लोकल लोगों को पता है, जो आम आदमियों को खबर है कि आज भी वहां कैम्प चल रहे हैं और इन्फिल्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है कि कुपवाड़ा के आसपास के गांवों के लोग मिसिंग हैं, नौजवान मिसिंग हैं, वे नौजवानों को ले गये हैं तभी तो मिसिंग हैं। बाहर से लग सकता है कि कश्मीर शान्त है, लेकिन मेरी जो अपनी खबर लोगों से मिल रही है, आज भी वहां इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रही है और वहीं 1991-92 वाली भावना दोबारा उठकर आ रही है। शायद आंकड़ों में इन्फिल्ट्रेशन नहीं बढ़ रही हो, आर्मी भी कह रही हो कि हम क्यों इनसे लड़ते रहें, आर्मी को लड़ते-लड़ते दस साल हो गये हैं। आर्मी सख्ती करती है तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि ज्यादा सख्ती हो रही है। किसी के खिलाफ कार्रवाई हो जाये तो उसके कनैक्शन कहीं मिलते हैं, फिर आर्मी को पनिशमेंट

देना पड़ता है। वहां आर्मी भी थोड़ी ढीली भावना से चल रही है। चलने दो, देखेंगे, तो वह भी इतनी सख्ती नहीं कर रही है, जितनी करनी चाहिए इसलिए पिछले सात-आठ महीनों में इतनी इन्फिलट्रेशन बढ़ी है। जब 1991-92 के हालात में तो वैली के बारे में कहा जाता था, जार्ज फर्नांडीज जी और आप जब इधर बैठते थे, तो कहते थे कि वैली से माइग्रेंट बहुत बढ़ा है। उस समय बढ़ा भी था, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मिलीटेंसी थोड़ी बढ़ गई थी इसलिए लोग वहां से चले गए थे। लेकिन आज तो जम्मू जैसी जगह से भी माइग्रेंट चल रहा है। हमारे जमाने में वैली में हालात खराब थे। हमने कोशिश की सुधारने की, लेकिन हम पर आरोप था कि माइग्रेंट्स बढ़ रहे हैं। आज आपके राज में तो जम्मू से लोग जा रहे हैं। हमारे समय में जम्मू से माइग्रेंट नहीं हुआ था, वैली से आकर लोग जम्मू में सैटल हुआ करते थे। अब तो जम्मू से भी माइग्रेंट हो रहा है और सारे अल्पसंख्यक जा रहे हैं, जो वहां रहते हैं, यह सोचने की बात है। 1991-92 में बहुत [illegible] में, लेकिन राजौरी, पुंछ बुरे नहीं थे। डोडा [illegible] राजौरी, पुंछ और स्वर्णकोट में यह बीमारी नहा पहुचा था। आज आर्मी कैम्प पर आटैक हो रहे हैं, स्वर्णकोट पर हो रहे हैं। स्वर्णकोट में सेना के शिविर पर आतंकवादियों ने हमला किया था। यह डिटोरेशन आया है, इसको लाइलटली न लें। मैं मानता हूं कि मुख्य मंत्री जी हर तीसरे दिन कहते रहते हैं कि वहां सुधार हो रहा है। जब कोई उनसे बात करें तो वे कहते हैं कि सेंटर मदद नहीं कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इम्पैक्ट कश्मीर में होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है। इसमें क्या सेंट्रल एजेंसी की कमी है, क्या राज्य सरकार की कमी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन बोर्डर पर जो इम्पैक्ट होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। राजौरी, पुंछ के हालात बिगड़े हैं। डोडा में किलींग्स हुईं। आप भी वहां गए थे, मैं भी गया था। आपको कारणात पता लगे कि जो चैक पोस्ट बननी थी, वहां भी हमारे आदमी नहीं पहुंचे थे। गांव वाले नीचे आकर बताकर गए थे कि मिलीटेंट्स यहां दस दिनों से रह रहे हैं, हम उनको दूध और दावत देकर खुश कर रहे हैं, पता नहीं वह किसी दिन हमें मार सकते हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुना और ये किलींग्स हुईं।

आपने यूनिफाइड कमान की बात कही है कि वह वहां चल रहा है। पता नहीं किस हिसाब से चल रही है। लेकिन जिस मकसद के लिए यूनिफाइड कमान बनाई थी, वह पूरा नहीं हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ इफेक्टिवनैस लाएं। आपने कहा है कि वहां के मुख्य मंत्री साहब यूनिफाइड कमान को हैड कर रहे हैं। उनसे जरा पूछिए कि पिछले सात-आठ महीनों में कितनी मीटिंग्स की हैं, कौन-कौन सी एजेंसी उसमें आई हैं और कौन-कौन लोग उस मीटिंग में बैठे हैं। हमने इसीलिए आर्मी को यूनिफाइड कमान में रखा था कि आर्मी और उसकी इन्फार्मेशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्टेट पुलिस उनके साथ कोर्डिनेट करके उसमें इफेक्टिवनैस लाए। इसलिए हमने आर्मी को यूनिफाइड कमान में रखा था। आपने मुख्य मंत्री जी को उसका चेयरमैन बनाया है, मैं नहीं जानता कि उसमें कितनी तरक्की हुई है।

आपने सुधार का जिक्र किया है। हमने अखबारों में पढ़ा कि कश्मीर में हथियारों की आमद बढ़ी है और वे अप-टू-डेट हो गए हैं तथा आधुनिक उपकरण भी आ गए हैं। 1990 से 1997 तक वहां माइक्रोलाइट कभी नहीं देखी गई थी। कहीं हमने अखबार में देखा कि आपको बी.एस.एफ. वाले माइक्रोलाइट दिखा रहे हैं, ये कहां से आ रही हैं? आई.डी.एस. कितनी बढ़ गई है, कितने उनके माडर्न वैपन्स बढ़ गए हैं, इनका कोई सोर्स है, कोई तो इनका इनलैट्सैं। यह सोचना कि कश्मीर में सुधार हुआ है, मैं समझता हूं कि चुनाव हुआ, लोगों में आशा बढ़ा, अब सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन आज भी गौर करने वाली बात है कि जिस तरीके से इन्फिलट्रेशन बढ़ रही है, माडर्न वैपन्स बढ़ रहे हैं, सरकार उसके बारे में क्या कदम उठा रही है? जितने इंसिडेंट्स हुए हैं, सारे आई.डी.एस. के हुए हैं। जिस तरीके से आर्मी पर अटैक हुए हैं, वे आई.डी.एस. के हुए हैं। कश्मीर के मामले में मंत्री जी आपको थोड़ा और ध्यान देना होगा, खासकर राजौरी, पुंछ और स्वर्णकोट सेक्टर के जो हालात बिगड़े हैं, वे क्यों बिगड़े हैं, इस पर गौर करना होगा। यहां के लोग हमेशा उनका विरोध करते रहे जो वैली में मिलीटेंट्स आते थे, वे राजौरी-पुंछ में नहीं पहुंच पाते थे। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह तीन जिले भी उसी लाइन पर चल रहे हैं, जिस पर वैली चल रही थी।

मुगल रोड प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत हुई थी, पता नहीं उसमें कितनी प्रोग्रैस हुई है। लेकिन आपने और जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री जी ने वादा किया था कि जम्मू-कश्मीर में आटोनोमी की बात करेंगे। लोगों के दिलों में यह बात घर कर गई थी, लेकिन आपने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया। 1990 में हमारे समय में हमें पता चला था कि कुछ शिकायतें आई हैं, हमने उसको गम्भीरता से नहीं लिया और कश्मीर के हालात बिगड़े। आप अब कह रहे हैं कि कश्मीर में सुधार महसूस करते हैं, लेकिन उसके कुछ पहलू हैं, आटोनोमी की बात बहुत दिनों से चल रही है, उसका क्या हुआ, यह बताना चाहिए। मुख्य मंत्री साहब ने कहा था कि हम बहुत जल्द कमेटी बनाकर कुछ करेंगे। लोगों के मन में एक बात है कि चुनाव से पहले लोग वादा करते हैं, लेकिन निभाते नहीं हैं। यह कश्मीर में नहीं चलेगा, कश्मीर के लोगों की इस पर बहुत नजर है।

जहां तक नार्थ-ईस्ट की बात है, सारा सदन मुझसे सहमत होगा। आसाम के कई लोग यहां बैठे हैं, आज आसाम में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, पूरे नार्थ-ईस्ट में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आपकी एल.एस.सी.एन.(आई.) से सीज़-फायर की जो बात हो रही थी, पता नहीं आप उसमें कितने आगे बढ़े हैं। आपको हाउस को भी कोन्फिडेंस में लेना चाहिए। यह एक नेशनल इश्यू है। आपको बताना चाहिए कि उसमें कुछ प्रोग्रैस हो रही है या नहीं। उसमें एक पहलू यह भी चल रहा है कि मिलिटेंट्स सीज़-फायर चाहते हैं जिससे वे अपनी शक्ति को दुबारा बटोर कर इकट्ठा कर लें। अगर उनकी शक्ति बढ़ती है तो इसमें हमें नुकसान होता है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : इस पर बात करनी है तो दिल से बात कीजिए, मुंह से नहीं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पायलट को स्पष्टीकरण लेना है। आपको नहीं। अब कृपया व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अब्दुल हमीद (धुबरी) : महोदय, यह एक अत्यधिक गम्भीर मामला है *...(व्यवधान)* केवल असम के बारे में ही माननीय गृह मंत्री को सभा में वक्तव्य देना चाहिए *...(व्यवधान)* महोदय, असम जल रहा है *...(व्यवधान)* सात दिन के भीतर, बम विस्फोटों में 38 लोग मारे गए हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पायलट स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, कृपया उन्हें टोकें नहीं।

श्री राजेश पायलट : सर, यह बात सही है और माननीय मंत्री जी ने भी अपने बयान में नार्थ-ईस्ट की बात को माना है। *...(व्यवधान)* हमारे साथी बोडोलैंड आसाम के बैठे हैं। नार्थ-ईस्ट के बारे में जो कुछ फैसले होते हैं वे सच्चाई से नहीं होते हैं। जब तक हम इनकी परेशानी नहीं समझेंगे और जब तक नीचे तक उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर फैसले नहीं होते, इनकी बात अपनी जगह सही रहेगी।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : बोडोलैंड के बारे में बात की है तो दिल से करनी पड़ेगी, मुंह से नहीं।

[अनुवाद]

संसद नाटक का मंच नहीं है, यहां पर वास्तविकता प्रतिबिम्बित होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : आपकी जो एन.एस.सी.एन.(आई.) से बात चल रही है उसमें पार्लियामेंट को भी आपको कॉनफिडेंस में लेना पड़ेगा। उसमें क्या प्रौग्रेस हो रही है, वह भी आपको संसद को बताना चाहिए। एक साल होने वाला है, उसमें क्या प्रौग्रेस हुई, यह आपको बताना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : करीब एक साल होने वाला है। माननीय मंत्री जी ने भी माना है कि त्रिपुरा, आसाम, नागालैंड और मणिपुर, इन चारों राज्यों में हालात कमजोर हैं। नागालैंड और मणिपुर में चाहे एथीक्स झगड़े हों, लेकिन वहां हालात खराब हैं और मिलिटेंट्स भी उसका फायदा उठाते हैं। शिलांग में एक ज्वाइंट इन्फोर्मेशन सेंटर खोला गया है और हर चीफ-मिनिस्टर को सीधे हॉट-लाइन से जोड़ा गया है जिससे यह पता चलता रहे कि हर प्रदेश में क्या तकलीफ चल रही है। उसमें कुछ प्रोग्रैस हुई या नहीं हुई, वह एक्सीपैरीमेंट सफल रहा या नहीं, गृह मंत्री जी उसका जवाब दें। वह इसलिए खोला गया था कि सातों राज्यों की सूचनाओं से हम अप-टू-डेट रहें और दूर के इलाकों की खबरें भी हम तक पहुंचती रहें। लेकिन सच बात यह है कि आसाम के बारे में जो बातें हमारे भाइयों ने की है वह सही हैं और पिछले दस दिनों से वहां के हालात बिगड़े हुए हैं। अक्टूबर में वहां 144 आदमी मारे गए हैं, नवम्बर में 103 आदमी मारे गये हैं और आज दिसम्बर की 22 तारीख है तथा कल शाम तक 86 आदमी आसाम में मारे गये हैं। जब एक महीने में इतने आदमी मारे जा रहे हैं तो आप स्टेप्स लीजिए जिससे आम आदमी को भरोसा हो जाए कि सरकार कुछ कर रही है। सरकार की तरफ से कोई असरदार कदम न उठाए जाएं तो हर आदमी के दिल में भावना आती है

कि सरकार कामयाब नहीं हो रही है। इसके कारण क्या रहे हैं? उल्फा की गतिविधियां बढ़ रही हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं हो पाया है तथा बोडोज के साथ जो बातचीत चल रही थी वह भी सफल नहीं हो पाई है। चाहे एग्रीमैंट सफल नहीं हो पाया और बोडो दोबारा खड़े हो गए तथा बोडोलैंड की मांग करने लगे। इस मामले में असम सरकार का जो रुख रहा, वह आप सब को मालूम है। यह सच है कि जब एग्रीमैंट हुआ तो 10 किलोमीटर की बैल्ट पर बोडोलैंड वहां के लोगों ने मांगा था। वह उसे नहीं कर पाए तो उन्हें यकीन हो गया था कि वह ऑटोनमी देने को राजी नहीं हैं चाहे वह केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। उस समय राज्य सरकार ने इसका विरोध किया था। आज हालत यह है कि बोडो दोबारा बंदूक लेकर खड़े हो गए हैं। यह बहुत चिंता की बात है कि असम में और खासतौर से एडजॉयनिंग स्टेट त्रिपुरा में हालत बिगड़ी है। गृह मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। जो फीगर्स असम के ऑपोजीशन लीडर ने दी है, वह आपकी फीगर्स से अलग है। उनका कहना है:

> ...म्बर, 1998 तक सेना और अन्य सुरक्षा बलों ... मुठभेड़ में लगभग 4213 उग्रवादी मारे गए; अपहरण के 3597; और बलात्कार की 1750 घटनाएं घटी। स्टेटमैंट में कहा गया है कि डिटिरिएशन नहीं है। असम के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उससे लगता है कि हालत खराब हैं।''

मुझे दो बातें कहनी हैं। नॉर्थ ईस्ट एक सैंसटिव एरिया और स्टेट है। हर सरकार की यह कोशिश रही है कि वह इलाका मेन स्ट्रीम से जुड़े। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधान मंत्री जी असम गए। उन्होंने एक बयान दिया कि वहां की इकोनामिक स्थिति सुधारी जाएगी और प्लानिंग कमीशन के फार्मूले में बदलाव लाया जाएगा लेकिन जब तक पालिसी एफेक्टिव नहीं होगी, उनकी समस्याओं को समझ कर कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक हालत में सुधार नहीं आएगा। मेरा सुझाव है कि असम और खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में एक ऑल पार्टी टीम जानी चाहिए जिससे उन्हें लगे कि वहां जो किलिंग्स हो रही हैं, उनके बारे में संसद में चिंता हो रही है। सरकार और संसद को इस मामले में चुप नहीं बैठना चाहिए। एक डैलिगेशन बनाया जाए और वह इन प्रदेशों में जाए। वह इसमें आपकी सहायता कर सकता है। सच्चाई सब के सामने आनी चाहिए। इससे अध्यक्ष महोदय, हाउस को और आपको सहायता मिलेगी। इससे कठोर कदम उठाए जा सकेंगे। इस मामले में एकाउंटेबिल्टी दिखाई नहीं दे रही है। किसी भी सिस्टम में एकाउंटेबिल्टी तब तक नहीं आती जब तक रिजल्ट ओरियंटिड एप्रोच नहीं होती चाहे वह नॉर्थ ईस्ट की बात हो, कश्मीर की बात हो। मैं कश्मीर के बारे में दबी जुबान से कहना चाहता हूं कि होशियार रहने की जरूरत है। जैसा प्रॉपिगैंडा चल रहा है, जिस तरीके से प्रशासन द्वारा ढील बरती जा रही है, शायद आपको पता है या नहीं लेकिन बहुत से मंत्री कश्मीर में अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जा नहीं पाए हैं। हमें उम्मीद थी कि सरकार चुनी जाएगी तो वह लोगों से मिलेगी। वह उनके सुख-दुख में शामिल होगी लेकिन यह चीज वहां नहीं हो रही है। उम्मीद है कि गृह मंत्री जी फीगर्स पर नहीं जाएंगे, यह वास्तविकता को देखते हुए कठोर कदम उठाएंगे। विदेश मंत्री ने हॉट पर्सूट कह कर कहा कि हमारी ऐसी कोई पालिसी नहीं है। आप इस कनफ्यूजन को दूर करे। आप हॉट या कोल्ड परस्यू करें लेकिन इस बीमारी को खत्म करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास स्पष्टीकरण मांगने वाले छह-सात सदस्यों के नाम हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : मेरी गृह मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह एक सुधार करें। स्टेटमैंट में सिख एक्सट्रीमिस्ट्स लिखा है। इसका यह प्रभाव पड़ता है कि सारा सिख सम्प्रदाय एक्सट्रीमिस्ट्स है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी : हां, वे सिख उग्रवादी नहीं कह सकते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं कह सकता हूं कि ''पंजाब में उग्रवादी'' मुझे खेद है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : गृह मंत्री जी इस बारे में निर्देश दें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें स्पष्टीकरण देने दीजिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृपया व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

श्री अब्दुल हमीद : महोदय, यह एक अत्यधिक गम्भीर मसला है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं। नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? यह एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, इस पर जिस सदस्य का नाम लिखा है वही स्पष्टीकरण मांग सकता है।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, यह अत्यधिक संवेदनशील मामला है, कृपया कम से कम तीन-चार सदस्यों को इस विषय पर बोलने की अनुमति दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह संभव नहीं है। सात स्पष्टीकरण मांगे गये हैं, इसे चर्चा में नहीं बदला जा सकता है। नियमों के अनुसार मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : महोदय, मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात को इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की परिधि के भीतर नहीं लाया जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष महोदय, कल श्री राजेश पायलट द्वारा दिए गए इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अलावा कई माननीय सदस्यों द्वारा असम में घटित बम विस्फोटों की घटनाओं को उठाया गया था। जिस पर मैंने कहा था कि मैं इस पर वक्तव्य दूंगा। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी वक्तव्य दूंगा। फिर साथ ही श्री राजेश पायलट द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी चर्चा करूंगा। ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : हाल ही में लखनऊ पुलिस कलकत्ता गई थी। उन्होंने आई.एस.आई. की गतिविधियों में संलिप्त चार आतंकवादियों को मार गिराया। वे कलकत्ता से अपनी गतिविधियां चला रहे थे। कृपया हमें विस्तृत ब्यौरा दें। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.35 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

असम में बम विस्फोट

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : 18 दिसम्बर, 1998 को 11.05 बजे असम चाय नीलामी केन्द्र के निकट गुवाहटी-शिलांग रोड पर दिसपुर जनता भवन से 200 मीटर की दूरी पर एक कार में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के फलस्वरूप 6 व्यक्तियों की जानें गई। इसके अलावा पास में कार्य कर रहे 25 निर्माण मजदूरों समेत 46 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को गुवाहटी मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रारम्भिक जांच पड़ताल से पता चलता है कि मारे गए व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति उस कार के अन्दर थे जिसमें बम लगाया गया था। अभी तक 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। आगे जांच-पड़ताल चल रही है।

19 दिसम्बर, 1998 को एक और घटना घटी जिसमें धुबरी जिले में विलासीपाड़ा से लगभग 11 कि. मीटर की दूरी पर लाओखोवापाड़ा गांव में एक लकड़ी के पुल पर उस समय एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जब एक पुलिस दल पुल पार कर रहा था। इस विस्फोट के परिणामस्वरूप बिलासीपाड़ा थाने के थाना प्रभारी तथा पांच अन्य पुलिस कर्मियों समेत दस व्यक्ति घटना स्थल पर ही मारे गए। यह पुलिस दल कुछ मामलों के संबंध में छापे मारने के लिए रानीगंज क्षेत्र में गया हुआ था। यह घटना उस समय हुई जब पुलिस दल चार अभ्युक्तों को गिरफ्तार करके जीप में वापिस लौट रहा था। जीप में सवार चारों अभियुक्त भी मारे गए। इस बम विस्फोट की घटना के पीछे उल्फा उग्रवादियों का हाथ होने का संदेह है।

इस घटना के बाद, व्यापक तलाशी शुरू की गई और धुबरी जिले में सुरक्षा प्रबन्ध कड़े कर दिए गए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ सिविल तथा पुलिस अधिकारियों ने भी घटना स्थल का दौरा किया है।

असम सरकार ने मारे गए पुलिस कार्मिकों के निकटतम संबंधी को पांच लाख रुपए की राशि की अदायगी की घोषणा की है।

श्री अब्दुल हमीद (धूबरी) : पिछले सप्ताह अड़तीस लोग मारे गए हैं।...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरे पास घटनाओं की लम्बी सूची है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद आप इस सभा में स्पष्टीकरण की मांग नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

श्री अब्दुल हमीद : यह एक गम्भीर मामला है। उग्रवादियों द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के 20 व्यक्तियों की हत्या की गई है। परन्तु अभी तक सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि आपके साथ किस तरह पेश आया जाए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री ने वक्तव्य दे दिया है।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सूची पूरी जानकारी देने वाली नहीं हो सकती। मेरे द्वारा दिए गए वक्तव्य में भी....

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, राजेश पायलट जी ने आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति के वातारण के बारे में पूछा था। चूंकि यहां पर कल दो बम बलास्ट्स की बात की गई थी, इसलिये मैंने उसके बारे में अलग से स्टेटमेंट दिया लेकिन मैंने इस बात को वक्तव्य में कहा है कि असम में स्थिति पिछले महीनों में बिगड़ी है। मैंने इसको स्वीकार किया है कि एन.ई. के ....

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : हर रोज असम में हत्याएं हो रही हैं और हर दूसरे दिन बन विस्फोट हो रहे हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। हमें ऐसा नहीं प्रतीत होता है सरकार द्वारा गम्भीर उपाव किए जा रहे हैं। राज्य सरकार भी कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में असफल रही है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठते क्यों नहीं? श्री कालिता, आप कृपया गृह मंत्री की बात सुनिए।

...(व्यवधान)

अपराहून 1.39 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में आन्तरिक सुरक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति, विशेषकर पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में हाल की हत्याएं – *जारी*

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : उपाध्यक्ष जी, आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि मैं 'कालिंग अटेंशन' का उत्तर देते हुये अपने को असम तक सीमित नहीं कर सकता था। मैंने जम्मू कश्मीर की बहुत सारी घटनाओं का जिक्र नहीं किया। मैं बोडो के बारे में कह रहा हूं कि यह बात सही है और मैं वहां की स्थिति के बारे में जानता हूं। जब मैंने पूरे देश की आंतरिक स्थिति की सुरक्षा के बारे में वक्तव्य दिया तो स्वाभाविक रूप से मुझे कई पहलुओं पर कहना था। चूंकि असम में अभी-अभी दो बम बलास्ट्स हुये हैं, इसलिये उनके बारे में मैंने अलग से वक्तव्य दिया अन्यथा मैं जानता था कि.....

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : एक व्यापक वक्तव्य होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : हमें तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। कल मंत्री महोदय ने माना था कि वे असम की स्थिति पर एक वक्तव्य अलग से देंगे। आज उन्होंने कोकराझार में 19 तारीख को हुए बम-विस्फोट जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के 20 लोग मारे गए थे, के बारे में वक्तव्य दिया। वे उस स्थिति को भी अपने वक्तव्य में शामिल कर सकते थे। वे जो कह रहे हैं सही है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से यह हटकर है। कल उन्होंने वादा किया था। वे आज कोकराझार की घटना के बारे में भी जानकारी देते। कोकराझार में 20 मुस्लिम मारे गए थे।

श्री ई. अहमद : गृह मंत्री का वक्तव्य अस्पष्ट है। *...(व्यवधान)*

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : गृह मंत्री जी का वक्तव्य अधूरा है। उदारहण के लिए, आन्ध्र प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति दयनीय है। आई.एस.आई. की गतिविधियां बढ़ रही हैं। प्रतिदिन राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उपेन्द्र, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र से ही संबंधित है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : नहीं, यह केवल पूर्वोत्तर से सम्बन्धित नहीं है। यह पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर और आंतरिक सुरक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में है।

[हिन्दी]

आप कहेंगे तो मैं बता सकता हूं। मैं स्वयं जानता हूं। जैसे अभी-अभी आंध्र प्रदेश के बारे में कहा गया, वैसे हर प्रदेश के लोग कह सकते हैं। ममता जी ने बंगाल के बारे में कहा। *...(व्यवधान)* हमारे यहां की घटना का उल्लेख नहीं है, यह हर सदस्य कह सकता है। सभी घटनाओं का उल्लेख करना संभव नहीं है लेकिन चूंकि असम की चर्चा कल हुई, इसलिए मैंने दो बम ब्लास्ट्स का जिक्र किया। मेरे पास कई घटनाओं की सूचना है। एक-एक घटना का जिक्र करूं तो पूरा पुलिन्दा बन जाएगा। मुझे आपत्ति नहीं अगर कल ही असम पर चर्चा हो जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : हम उड़ीसा के बारे में भी यही मुद्दा उठा रहे हैं।

श्री विजय हाण्डिक (जोरहाट) : गुवाहाटी घटना के काफी समय बाद बलसीपुर घटना घटी है। उन्हें बलसीपुर की घटना के बारे में भी बोलना चाहिए था।

श्री राजेश पायलट : हमारा कहना यह है कि 18 तारीख को कोकराझार में 20 लोग मारे गए थे। उन्होंने सचिवालय के निकट हुए बम-विस्फोट पर एक वक्तव्य दिया। मेरे साथी कह रहे हैं कि असम के बारे में एक व्यापक वक्तव्य दिया जाना चाहिए था। यही सब कह रहे हैं। वे कुछ और नहीं कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कल यदि मंत्री महोदय चाहें तो हमें बाढ़ में हुए बम विस्फोटों के परिणास्वरूप असम में उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में बता सकते हैं, लगातार बम विस्फोट हो रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : देखिये, मेरे पास 12 तारीख की सूचना है कि कुछ बोडो और मुसलमान भाइयों के बीच झगड़ा हुआ जिसके कारण कई लोग मारे गए। 12 तारीख के बाद कल तक किसी ने मामला नहीं उठाया, लेकिन कल जब उठाया गया *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : यह उस हादसे से सम्बन्धित है जो कोकराझार में हुआ था वहां बीस मुसलमान मारे गए थे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कल मैं सुन नहीं पाया था क्योंकि कई लोग शोर मचा रहे थे। अन्त में मुझे बताया गया था कि यह बम-विस्फोट के बारे में था। इसीलिए, मैंने कहा था कि मैं तथ्यों का पता लगाकर सभा में उपस्थित होऊंगा। और इसलिए मैं तथ्यों का पता लगाकर उपस्थित हुआ हूं। वह आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर के बारे में वक्तव्य दिया गया था। मैंने कुछ विशेष टिप्पणियां की भी जिसमें मैंने माना था कि जहां तक असम का प्रश्न है परिस्थिति बिगड़ती जा रही है।

श्री पी. उपेन्द्र : इस वक्तव्य में देश की कानून और व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। यह अत्यंत अस्पष्ट और असंतोषजनक है। उन्हें एक पूरी जानकारी को प्रदान करने वाला वक्तव्य देना चाहिए या आप देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर पूरी तरह चर्चा कराइए।

[हिन्दी]

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : कश्मीर के मामले के बारे में तो बता दिया लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो उग्रवादी आ रहे हैं उस बारे में मंत्री जी बताएं कि वह क्या कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुल्तानपुरी, क्या कोई भी खड़ा होकर बोलना शुरू कर सकता है?

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष जी, राजेश जी ने जो बातें कही हैं, उनमें एक बात उन्होंने बड़े बल से कही कि जम्मू-

कश्मीर में ऊपर-ऊपर से भले स्थिति सुधरती हुई दिखती हो, लेकिन इनफिलट्रेशन बढ़ रहा है और अंदर से स्थिति विस्फोटक है। इसके बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। मैं मानता हूं कि स्थिति सुधरी है और स्थिति सुधरने के जो लक्षण हो सकते हैं, मैंने कई बार पहले कहा है, फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं। दस साल पहले जो प्रदेश हमारा सबसे बड़ा टूरिस्ट सेन्टर था, वह पिछले दस सालों से बंद था। वहां पर टूरिज़्म पर जितने लोग रोज़गार पा रहे थे, वह रोजगार खत्म हो गए थे। हाउस बोट्स, होटल्स, रेस्टोरेण्ट्स सब खत्म हो गए थे और 1989 के बाद पहला साल है जब 1998 में इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट वहां गए हैं। ...*(व्यवधान)* कोई ताली बजाने की जरूरत नहीं है। ...*(व्यवधान)* जम्मू-कश्मीर में जो गतिविधियां हैं वे जम्मू-कश्मीर तक सीमित नहीं हैं ...(व्यवधान) मैंने इसीलिए अपने वक्तव्य में स्थिति में सुधार की चर्चा की है, उसका अंतिम वाक्य यह है - परन्तु आतंकवादियों और भाड़े के विदेशी सैनिकों को पाकिस्तान की [illegible] लगातार मिल रही है। मैंने उस पर बल दिया है कि [illegible] इरादों में तनिक भी परिवर्तन नहीं है, वह लगातार [illegible] को लागू किये हुए है। आपने हॉट परसूट की बात कही, वह बात मैंने सरकार से बाहर विपक्ष के एक व्यक्ति के नाते कही थी। तब मेरी बड़ी आलोचना हुई थी। लेकिन वह आज से कुछ साल पहले का समय था जब हॉट परसूट की स्ट्रैटेजी इतना डिस्टर्बेन्स होने के बाद सफल होती। कई सारी और गतिविधियां बढ़ने के बाद मैंने जब पहले-पहल जम्मू-कश्मीर के बारे में कांफ्रेन्स की थे, जिसमें सेना के चीफ भी थे, वहां के मुख्य मंत्री भी थे, वहां के राज्यपाल भी थी, हमारे प्रतिरक्षा मंत्री भी थे, जब मुझसे पूछा गया कि आप क्या पॉलिसी चाहते हैं तो मैंने कहा अब मैं बल दूंगा हमें प्रोएक्टिव होना होगा। लोगों ने पूछा कि प्रो-एक्टिव का मतलब क्या हॉट परसूट है? मैंने कहा नहीं, आज के संदर्भ में हॉट परसूट की पॉलिसी भारत सरकार एडवोकेट नहीं करती और उसी बात को अभी-अभी जॉर्ज फर्नांडीस ने दोहराया। यह सोचना कि जॉर्ज फर्नांडीस ने एक बात कही और मैंने दूसरी बात कही, ऐसा नहीं है। मैंने कोई बात छः साल पहले कही तो मैं समझता हूं कि छः साल पहले वह उपयुक्त थी, लेकिन आज उपयुक्त नहीं है। उसके कई कारण हैं ...*(व्यवधान)* हां, वह आपकी राय हो सकती है। कांग्रेस पार्टी जोर से इस बात को कहे तो बहुत अच्छा होगा।

श्री राजेश पायलट : यह तो आपने होम मिनिस्टर बनने के बाद कहा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने हॉट परसूट की बात कभी नहीं कही।

श्री अजीत जोगी : आपने प्रो-एक्टिव तो कहा था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में पायलट जी ने जो बातें कहीं हैं उसमें असावधानी की कोई गुंजाइश नहीं है, रत्ती भर की गुंजाइश नहीं है। उनका इरादा ज्यों का त्यों है। इतने सारे हथियार वहां आये हैं और बहुत सी चीजें आई हैं, ये सब आज ही नहीं आये हैं, पहले भी आते रहे हैं। यदि आज हमने कुछ किया है तो इन हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन करके देश भर में जागृति पैदा करने की कोशिश की है। यह कोई मामूला मिलिटेन्सी नहीं है। यह वास्तविक युद्ध है। यह शब्द को सही ढंग से परिभाषित करने वाला परोक्ष युद्ध है। इतनी सारी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स वहां मिली हैं और अभी आपने जिस बात का जिक्र किया कि माइक्रो लाइट फ्लाइंग बॉम्ब आदि वे सारी बातें आपके सामने हैं। उनके पास जैसे-जैसे सुविधाएं आती हैं, वे ऐसा ही करते हैं। अफगानिस्तान से उन्हें कुछ मिल गया, वे यहां भेज देते हैं। यदि कोई अच्छा लक्षण है तो मैं इंसीडेन्ट्स से ज्यादा इस बात को मानता हूं कि पिछले दिनों जितने उग्रवादी पकड़े गये या मारे गये, उनमें जम्मू-कश्मीर में काफी कम हैं। अधिकांश लोग फौरन मर्सिनरीज हैं, यह एक अच्छा लक्षण है। इसका मतलब यह है कि लोकल रिक्रूटमेंट कम होता जा रहा है। लोकल रिक्रूटमैंट कम होने का मतलब यह है कि वहां की जनता उग्रवादियों से दूरी बना रही है इससे बड़ी सफलता और कोई नहीं हो सकती, यह सबसे बड़ी सफलता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि यह मेरी सरकार का गेन है। यही प्रक्रिया चल रही है। इस वर्ष 1998 में वहां टूरिज्म का ट्रैफिक बढ़ना सबसे बड़ी बात रही, टूरिज्म से जो उनका रोजगार चलता है, उस रोजगार का प्राप्त होना।

उपाध्यक्ष महोदय, नॉर्थ ईस्ट में कुल मिलाकर सात स्टेट्स हैं, आठवां सिक्कम अभी-अभी जुड़ गया है। इन आठ स्टेट्स में से चार स्टेट्स में अपेक्षाकृत उग्रवाद नहीं है। मेघालय में नहीं है। अभी-अभी मैं मिजोरम गया था, मिजोरम में वर्षों से बिल्कुल नहीं है। मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश ...*(व्यवधान)* मैं जानता हूं। इन चार स्टेट्स में उग्रवाद नहीं है। बाकी जिन चार स्टेट्स में है, वह मैंने स्वयं अपने वक्तव्य में स्वीकार किया कि आसाम और त्रिपुरा में इस साल बढ़ा है, बाकी दो में डिक्लाइन हुआ है। मैंने फीगर्स भले ही सबकी दी हैं, त्रिपुरा की भी दी हैं, लेकिन मैंने दोनों में कहा है कि इनमें इनक्रीज्ड वॉयलेन्स है और भारत सरकार आसाम और त्रिपुरा के मुख्य मंत्रियों और गवर्नरों से लगातार सम्पर्क में रहती है और कोऑर्डिनेटिड एफर्ट वहां उग्रवाद को रोकने के लिए चला है।

उपाध्यक्ष महोदय, इनफिल्ट्रेशन जारी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक मेजर प्रॉब्लम है। उसको साल्व करने के लिए जो-जो कदम उठाए जाने चाहिए वे हम उठाते रहे हैं। मैंने इसीलिए पूरे संदर्भ में कहा है - यह कहना कि कुल मिलाकर आन्तरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में स्थिति बिगड़ी है, सही नहीं है। प्राब्लम भी आता है, भले ही आप मुझसे सहमत न हों, लेकिन मैं मानता हूं कि पिछले दिनों आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसके काफी अच्छे परिणाम निकले हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. उपेन्द्र : नहीं। यहां तक कि परसों ही एक भूतपूर्व संसद सदस्य की हत्या नक्सलवादियों द्वारा की गई है। हर रोज राजनीतिक हत्याएं होती हैं। भूतपूर्व विधायकों और भूतपूर्व संसद सदस्यों की हत्याएं की जा रही हैं। वे कैसे कह सकते हैं कि सुधार हुआ है? यह ठीक नहीं है। सहयोगी दलों द्वारा शासित प्रदेशों की कानून और व्यवस्था की स्थिति के प्रति सरकार उपेक्षापूर्ण दृष्टि अपना रही है। चाहे वो महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश या असम ही क्यों न हो। व तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय दल भेजते हैं परन्तु वे आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय दल नहीं भेजते हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपेन्द्र जी, जो बात आप कह रहे है, वह आपका अपना दृष्टिकोण है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि आज से तीन-चार महीने पहले जो प्रदेश नक्सलवाद की समस्या से ग्रस्त थे, उन सब को इकट्ठा करके, उनके साथ चर्चा करके वहां के डी.जी. पुलिस से चर्चा कर के एक कोआर्डीनेशन कमेटी बनाई गई, जो रैगुलर मॉनिटर करती है, मिलती रहती है। मेरा अनुमान है कि इसके कारण मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थिति में सुधार हुआ है। बिहार में केवलमात्र नक्सलवाद की स्थिति नहीं है। उसमें एक आयाम और है, वहां एक और पहलू भूमि सुधार से संबंधित है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, उड़ीसा में कानून और व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त दयनीय है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है? उन्हें उत्तर देने दीजिए। उनके भाषण में व्यवधान मत डालिए। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष जी, इस सदन को स्वीकार करना होगा कि यहां इस समय हम राज्यों को डिसकश नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : महोदय, हम उड़ीसा की बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि यहां पर जब हम कानून और व्यवस्था या आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति की चर्चा कर रहे हैं, तो हम एक-एक राज्य की चर्चा नहीं कर सकते और न मैं उसका उत्तर दे सकता हूं। जो-जो मूल समस्याएं हैं उनके संबंध में केन्द्र सरकार ने अपनी जवाबदारी निबाही है या नहीं या केन्द्र सरकार पूरा सहयोग राज्य सरकार को करती है, उसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो हम उसको और सहायता देंगे, लेकिन मूल रूप से कानून और व्यवस्था का दायित्व राज्य सरकार का है और यहां पर एक-एक सदस्य खड़े होकर एक-एक राज्य की चर्चा करें, तो वह ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार का अपनी ओर से नक्सलवाद और सांप्रदायिक समस्या की ओर ध्यान गया है और इसलिए मैंने उसका भी जिक्र किया है कि 10 साल पहले जो साम्प्रदायिक घटनाएं और हिंसाई हुई हैं उनके मुकाबले वर्ष 1998 में सबसे कम घटनाएं और हत्याएं हुई हैं। इस पर मुझे विशेष संतोष है और इसलिए उस दिन जब यहां साम्प्रदायिक हिंसा पर चर्चा हुई थी, तो मैंने उसका विस्तार से जवाब दिया था।

उपाध्यक्ष जी, कुछ बातें राजेश जी ने कहीं हैं। उनमें नागालैंड की सीज़ फायर के संबंध में कहा गया है। नागालैंड में सीज फायर के कारण हिंसा कम हुई है और इसके कारण वहां की जनता को कुछ राहत मिली है। सीज फायर के कारण एक्सटोर्शन आदि की घटनायें खत्म हो गई हैं, यह मैं दावा नहीं करूंगा। एग्रीमैंट में जितने भी सीज फायर के गाइडलाइन बनते हैं, उनका पालन ठीक प्रकार से हो, इस दृष्टि से हम वहां की सरकार को और जो लोग सीज फायर की चर्चा करने के लिए आते हैं, उनसे लगातार वार्ता करते रहते हैं। मैं उनसे कह सकता हूं कि सरकार इस बारे में भी सतर्क है कि सीज फायर का उपयोग कोई हथियार इकट्ठा करने के लिए न करे, इसके प्रति हम सतर्क हैं। यद्यपि जो आशंकाएं प्रकट की जाती हैं, वे सर्वथा बेबुनियाद हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा।

श्री मोहन सिंह : आज के अखबार में बकायदा एक्सर्टोशन की खबरें और उसके द्वारा दी गई फिरौती की रसीदें अखबारों में छपी हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं जानता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : आपकी पार्टी के राज्य सभा के एक सदस्य ने कहा है कि जो सीज फायर है ...*(व्यवधान)* वह पूरे हिन्दुस्तान में है। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपके कहने से पहले ही मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि एक्सटोर्शन की समस्या गंभीर समस्या है और वह गंभीर समस्या आज से शुरू नहीं हुई है। वह काफी समय से कई क्षेत्रों और प्रदेशों में चालू है लेकिन हमारी तरफ से सतर्कता है। अगर आप आसाम के बारे में जानकारी ... पर कल बयान दे दूंगा। ...*(व्यवधान)* मुझे कोई ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप कल दे दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : महोदय, हम माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य से बिलकुल भी सन्तुष्ट नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.56 बजे

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(एक) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 21 दिसम्बर, 1998 को हुई अपनी बैठक में पारित विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

(दो) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 21 दिसम्बर, 1998 को हुई अपनी बैठक में भारतीय वयस्कता (संशोधन) विधेयक, 1998 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

(तीन) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 21 दिसम्बर, 1998 को हुई अपनी बैठक में पारित महाप्रशासन (संशोधन) विधेयक, 1998 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

(चार) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 21 दिसम्बर, 1998 को हुई अपनी बैठक में पारित वाणिज्य पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1998 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

(पांच) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 21 दिसम्बर, 1998 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 दिसम्बर, 1998 को पारित किए गए संसद में मान्यता प्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और सचेतक (सुविधाएं) विधेयक, 1998 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।''

(छह) ''राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा-शर्त) विधेयक, 1998 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 दिसम्बर, 1998 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।''

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 21 दिसम्बर, 1998 को यथापारित विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1998, भारतीय वयस्कता (संशोधन) विधेयक, 1998. महाप्रशाक (संशोधन) विधेयक, 1998 वाणिज्य पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1998 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 1.57 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में आंतरिक सुरक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति विशेषकर पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर में हाल की हत्याएं – *जारी*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, वास्तविक विचार केवल वक्तव्य देना और उनका वक्तव्य देना नहीं था। वास्तविक विचार यह नहीं था। पूरी सभा मेरी इस बात से सहमत होगी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिति बिगड़ रही है। यदि गृह मंत्री कहते हैं कि इसमें सुधार हो रहा है तो हम उनका यकीन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, ईमानदारी से सारी बातें आनी चाहिएं। *...(व्यवधान)* इसके विरोध में हम वाकआउट करना चाहेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : किंतु पूर्वोत्तर के बारे में उनकी समझ देखिए। हमें अपेक्षा थी कि वे कुछ प्रभावी उपायों को लेकर सामने आएंगे। उन्होंने मार्ग के बारे में नहीं बताया। मैंने उन्हें बताया कि गोला-बारूद काक्स बाजार से आ रहा है। मैंने उन्हें बताया कि नागालैंड में स्थिति बिगड़ रही है और लूट-खसोट जारी है। वे कहते हैं। हम सतर्क हैं। सतर्क कोई समाधान नहीं है। सभा जानना चाहती है कि वे इस बारे में क्या प्रभावी उपाय करने जा रहे हैं। कश्मीर के बारे में उन्होंने कई बातें स्पष्ट की किंतु उन्होंने घुसपैठ के बारे में नहीं कहा। उन्हें किए गए उपायों के बारे में कहना चाहिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जो वे कहना चाहते थे उन्होंने पहले ही कह दिया है।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : वे क्या उपाय कर रहे हैं? *...(व्यवधान)* यह सही नहीं है *...(व्यवधान)* ध्यानाकर्षण का क्या उपयोग है? उन्हें सभा को संतुष्ट करना चाहिए कि सरकार द्वारा भविष्य के लिए ये प्रभावी उपाय किए हैं। वे उसके बारे में नहीं कह रहे हैं? क्या वे इस बात से सहमत हैं कि असम खुश है? *...(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने क्या उपाय किए हैं *...(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : उन्हें हमें इस बारे में कुछ अवश्य बताना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं। हम खुश नहीं थे। इसीलिए हमने ध्यानाकर्षण उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है आप खुश न हों किंतु उन्होंने पहले ही यह कह दिया है।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : उन्होंने किए गए उपायों के बारे में नहीं कहा है *...(व्यवधान)* आप बोलते हैं, हम बोलते हैं और यहां बैठे जाते हैं। बस यही।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने पहले ही वह कह दिया है जो वे कहना चाहते हैं।

श्री राजेश पायलट : क्या वहां स्थिति सुखद है? कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है और बम विस्फोट हो रहे हैं। नागालैंड में भी स्थिति खराब है। वे कहते है वे इस बारे में खुश हैं *...(व्यवधान)* उन्हें कुछ उपाय करने चाहिएं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, लॉ एंड आर्डर की प्राब्लम बहुत जबरदस्त बनी हुई है *...(व्यवधान)*। देश की जनता को यह सरकार गुमराह कर रही है *...(व्यवधान)* आए दिन हत्याएं हो रही हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : यह तरीका नहीं है ...*(व्यवधान)* माननीय प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में बयान दिया। माननीय प्रधानमंत्री ने संसद में भी बोला ...*(व्यवधान)* माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं वक्तव्य दिया है ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.00 बजे

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : उपाध्यक्ष जी, श्री राजेश पायलट ने अपने वक्तव्य में सारी बातें कहने के बाद एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। वह यह है कि नोर्थ ईस्ट के बारे में सारी संसद् चिन्तित है, देश चिन्तित है और नोर्थ ईस्ट की स्थिति को देखने के लिए और वहां के लोगों को आश्वस्त करने के लिए कोई पार्टी और सरकार का सवाल नहीं है, सब की सब ...म्टिड हैं कि एक पार्लियामेंटरी डैलीगेशन नोर्थ

मैं सरकार की ओर से कहना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार तैयार है कि नोर्थ ईस्ट में एक ऑल पार्टी डैलीगेशन जाये, जो वहां की स्थिति का आकलन करे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : उड़ीसा के बारे में क्या राय है? उड़ीसा में कानून और व्यवस्था नाम की चीज नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : जो कुछ माननीय गृह मंत्री ने कहा उसे सुनकर मैं बहुत खुश हूं। किंतु उपाध्यक्ष महोदय मैं आपसे जो जिरह कर रहा था वह यह है कि यह सभा सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहती है। शिष्टमंडल से समस्या का समाधान नहीं होगा। मैंने गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि वे हमें पूर्वोत्तर विशेष रूप से असम में स्थिति के नियंत्रण के किए गए उपायों के बारे में बताएं। वहां प्रतिदिन बम-विस्फोट होते हैं। हम चाहते हैं कि उस बारे में भी हमें आश्वासन दिया जाए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस संबंध में शिष्टमंडल मेरा मार्गनिर्देशन करेगा।

श्री राजेश पायलट : उन्हें सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रभावी कदमों के बारे हमें हमें सूचना देकर सभा को आश्वस्त करना होगा। राज्य सरकार अर्द्धसैनिक बलों की मांग कर रही है। क्या उन्होंने राज्य सरकार को अर्द्ध सैनिक बल मुहैया कराए हैं? वे पूर्वोत्तर के लिए आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने की बात करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा बल अभी भी 303 राइफल से काम चला रहे हैं। गृह मंत्री ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। मैं कह रहा हूं कि आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। गृह मंत्री कहते हैं, "हम सतर्क हैं।" किंतु वे आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने की बात नहीं करते हैं। हमारे पुलिसकर्मी 303 राइफल से लड़ाई लड़ रहे हैं जबकि आतंकवादी ए.के. 47 राइफल से लड़ रहे हैं। गृह मंत्री ने उस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए उन्हें उस बारे में कुछ सकारात्मक अवश्य कहना चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है? कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं। मैं आपकी बात सुनूंगा, कृपया अपने स्थानों पर वापस जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय, हम बहिर्गमन कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

अपराह्न 2.02 बजे

इस समय श्री राजेश पायलट और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

श्री ई. अहमद : महोदय, विरोधस्वरूप हम बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 2.02 $^1/_4$ बजे

इस समय श्री ई. अहमद और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक मद संख्या 23, 24 और 25 का संबंध है इस बारे में माननीय अध्यक्ष के चेम्बर में चर्चा चल रही है। हम मद संख्या 26 ले सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : कृपया मुझे कुछ समय बोलने की अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप में से केवल एक सदस्य को बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री भर्तृहरि मेहताब (कटक) : महोदय, उड़ीसा में कानून और व्यवस्था की गंभीर समस्या बनी हुई है। पांज हजार जनजातीय लोगों ने उड़ीसा सरकार के अपेक्षापूर्ण रवैये के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। उड़ीसा में कांग्रेस सरकार द्वारा जरायम पेशा लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। जनजातीय लोग जो अपनी जमीन गिरवी रखकर अपनी आजिविका कमाने के लिए मुम्बई जाते हैं उन्हें बार-बार लूटा जा रहा है। फिर भी सरकार ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। जब जनजातीय लोगों ने विरोध किया तो केवल दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेजा गया है। किंतु उस गुट के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसे सरकार का समर्थन प्राप्त था। यह गजपति जिले में उदयगिरी और रामगिरी में हुआ है। उसके बाद जनजातीय लोगों ने 8 दिसम्बर को विद्रोह कर दिया। उन्होंने जेल तोड़ी और दो लोगों के मार डाला। एक व्यक्ति जेल से भाग गया था उसे दूसरे गांव में पकड़ा गया। उपाध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति को पकड़ने के बाद वे मृत व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में लाए और वहां उन्हें जिंदा जला दिया। उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। जनजातीय लोगों कानून और व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए गांव से भाग गए। इस घटना के दो सप्ताह बाद दूसरे गांव को जला दिया गया। वहां शांति भंग होने की गंभीर आशंका है। आज भुवनेश्वर में एक मंत्रीमंडलीय स्तर के मंत्री ने एक होटल में गोली चला दी है। अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मैंने आपकी बात सुन ली है। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप बैठने का कष्ट करेंगे? मैं बोल रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

श्री भर्तृहरि मेहताब : जी.टी.वी. पर एक समाचार प्रसारित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, आप मुझे बोलने की अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है? हर बात की सीमा होती है। आप सभी नए सदस्य हैं। आपको नियमों को जानना चाहिए।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया गया था और माननीय मंत्री ने इसका उत्तर दे दिया है। स्पष्टीकरण मांगा गया और मंत्री जी ने उसका उत्तर भी दे दिया। माननीय सदस्य अभी उड़ीसा में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में बोल रहे थे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में नहीं था यह देश में आन्तरिक सुरक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में था। इसलिए अब कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। हमें सभा का कार्य करना चाहिए।

अब हम मद संख्या 26 लेते हैं।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : महोदय मद संख्या 24 का क्या हुआ। छत्तीसगढ़ के निर्माण के बारे में कोई विवाद नहीं है। अत: वह विधेयक पुर:स्थापित किया जाए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ के बारे में बिल यहां रखा जाए *...(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं। इन्होंने वहां एक वोट से दो राज्य की बात कही थी, लेकिन वह राज्य नहीं बना रहे हैं *...(व्यवधान)* अपने वादे से मुकर रहे हैं। *...(व्यवधान)* एक नहीं, वहां जितनी भी मीटिंग्स इनकी हुई थी, इन्होंने यह कहा था *...(व्यवधान)*

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : विदर्भ राज्य के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : उपाध्यक्ष महोदय, हम सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री त्रिपाठी, कृपया बैठ जाइए। हमारे पास आज के लिए लम्बी कार्यसूची है हमें बहुत सा कार्य करना होगा।

...(व्यवधान)

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : महोदय, हम सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। कृपया आप गृह मंत्री को उत्तर देने के लिए कहें ...*(व्यवधान)* यह एक गंभीर मुद्दा है। सरकार चुप रह रही है ...*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि वहां एक संसदीय शिष्टमंडल भेजा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री त्रिपाठी, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

कुमारी किम गंगटे (बाहरी मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं बोल सकती हूं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय, मैं बोल रहा हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि हम मद संख्या 23, 24 और 25 क्यों नहीं ले रहे हैं। इन मामलों के संबंध में माननीय अध्यक्ष दलों के नेताओं के साथ अपने चेम्बर में बैठक कर रहे हैं। उसके बाद हम उन्हें लेंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, जब ये मामले लिए जाएंगे तब आप उनके बारे में बात करे। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी क्या आप मुझे इस सभा को चलाने देंगे?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : यहां बोलकर जाते हैं और प्रधान मंत्री बनने के बाद भूल जाते हैं, देश के प्रधान मंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा चलाने का तरीका नहीं है। मुझे खेद है। वरिष्ठ सदस्यों को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह से कोई भी सभा नहीं चला सकता है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : आपकी पार्टी के सब लोगों ने बोला था, आपने खुद बोला है। प्रधान मंत्री बोलकर गये, रक्षा मंत्री बोलकर गये थे। ...*(व्यवधान)* झूठा आश्वासन आप कब तक देंगे। ...*(व्यवधान)* देश इस तरह से कैसे चलेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब विदर्भ का प्रश्न कहा हैं? कार्य सूची में विदर्भ का नाम कहां है?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे सभा का संचालन करने देंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : उपाध्यक्ष महोदय, आप कृपया सरकार को जवाब देने के लिए कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री त्रिपाठी, मैं सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : महोदय, सरकार को जवाब देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.12 बजे

निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 26 लेते हैं। माननीय विधि मंत्री श्री तम्बी दुरई।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : महोदय, मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

...(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मुझे विधेयक के पुर:स्थापित किये जाने पर आपत्ति है। क्या आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे? ...*(व्यवधान)* महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दी जाए। मैंने इस सम्बन्ध में पहले ही सूचना दी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सूचना क्या है?

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, मैंने विधेयक की पुर: स्थापना के सम्बन्ध में दो सूचनाएं दी हैं। महोदय यह संविधान के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ है। यह खद्म विधेयक है। यह इस भाव में छद्म है कि इससे मतदान की गोपनीयता नष्ट हो जाएगी । मतदान की गोपनीयता हमारे प्रजातंत्र का मुख्य आधार है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, आपकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिये। यदि इस विधेयक को पुर:स्थापित करने दिया जाएगा तो यह संविधान के सिद्धांत के खिलाफ होगा। ...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, आपने इस पर नहीं बल्कि कम्पनी अधिनियम के बारे में सूचना दी है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ओह, ऐसी बात है।

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, यदि हम विधेयक को पुर:स्थापित किया जाता है तो विधेयक की गोपनीयता नष्ट हो जाएगी। मैं इसकी पुर:स्थापना पर जोरदार आपत्ति करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इस विधेयक के बारे में नहीं बल्कि कम्पनी (संशोधन) विधेयक के बारे में सूचना दी हुई है।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मुझे इस विधेयक की पुर: स्थापना पर आपत्ति है क्योंकि मतदान की गोपनीयता समाप्त हो जाएगी। यह संविधान के मूलभूत प्रावधानों के विरुद्ध है। ...*(व्यवधान)*

श्री आर.एस. गवई (अमरावती) : उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के पुनर्गठन के लिए दी गयी दलील और तर्क विदर्भ के लिए भी काफी उपयुक्त है। यह केवल उतना ही नहीं है, बी.जे.पी. ने इसे अपने एजेण्डा में शामिल किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कई बार आश्वासन दिया है कि विदर्भ बनाया जाएगा। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ नेताओं की बैठक है। मैं जानना चाहता हूं क्या बैठक में विदर्भ की स्थापना का मुद्दा शामिल किया गया है कि नहीं। आपको इसकी छानबीन करनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : वह मद उसमें नहीं है। हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री आर.एस. गवई : माननीय अध्यक्ष इन तीन विधेयकों के सम्बन्ध में नेताओं के साथ सहमत हुए हैं। विदर्भ के बारे में क्या है? माननीय प्रधान मंत्री जी यहां हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं क्योंकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया था।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 22.12.98 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : हम कार्यसूची के अनुसार जा रहे हैं। जब यह मामला आएगा तभी आपके मामले पर विचार किया जाएगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री विलास मुत्तेमवार जब यह सभा के सम्मुख आएगा आप तभी कह सकते हैं अभी नहीं।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े (चिमूर) : इन लोगों ने विदर्भ के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए हम वाक आउट करते हैं।

अपराह्न 2.17 बजे

इस समय श्री जोगेन्द्र कवाडे तथा कुछ अन्य माननीय सभा भवन से बाहर चले गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:-

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. एम. तम्बी दुरई : मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

अपराह्न 2.18 बजे

कम्पनी (संशोधन) विधेयक**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सूचित करना है कि विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री ने लोक सभा के महासचिव के नाम लिखे अपने पत्र में, जो सचिवालय को आज सुबह ही प्राप्त हुआ है। यह सूचना दी है कि राष्ट्रपति महोदय ने संविधान के अनुच्छेद 117(1) के अन्तर्गत लोक सभा में कम्पनी (संशोधन) विधेयक 1998 को पुर:स्थापित करने और संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अन्तर्गत लोक सभा द्वारा विचार करने की भी सिफारिश की है।

मंत्री महोदय अब विधेयक को सभा में पुर:स्थापित करने की अनुमति मांगें।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : कम्पनी अधिनियम 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कम्पनी अधिनियम 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं इस विधेयक के पुर:स्थापना का विरोध करता हूं। हमने निर्णय लिया है कि जब कभी भी सदन में विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है तो हम इसे विभागीय स्थायी समिति के पास भेजेंगे। अब यह कम्पनी (संशोधन) विधेयक इस सदन में पुर:स्थापित किया गया था इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा गया था। स्थायी समिति इस पर विचार कर रही है। माननीय मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि कम्पनी (संशोधन) विधेयक 1998 विभागीय स्थायी समिति को भेजा गया है और स्थायी समिति के प्रतिवेदन का इन्तजार है। इस प्रकार स्वयं माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि स्थाई समिति के प्रतिवेदन का इन्तजार है। अब सदन के समक्ष यह मामला है। जब सदन के समक्ष यह मामला है तब यह अनुचित होगा कि सरकार उसी विधेयक, जिस पर स्थायी समिति द्वारा विचार किया जा रहा है और प्रतिवेदन का भी इन्तजार है के बारे में अध्यादेश जारी करें। अध्यादेश जारी किये जाने की तत्परता क्या है? सरकार इसे अति आवश्यक समझ सकती है, परन्तु सभा को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए। ऐसा अध्यादेश जारी करने की क्या जल्दी थी?

इसके बारे में उद्देश्यों और कारणों को दर्शाने वाले विवरण में कुछ भी नहीं कहा गया है। सरकार ने किस आधार पर सोचा कि यह जरूरी है? क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकार को प्रभावित करती हैं? क्या वे प्रभावित हुए थे? क्या जब यह पवित्र सदन विधेयक पर विचार कर रहा था, जब हमने समिति को इस मामले को स्पष्ट करने के लिए एक रिपोर्ट देने को कहा था, तब क्या

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 22.12.1998 में प्रकाशित।

बाहरी ताकतें सरकार को अध्यादेश जारी करने के लिए प्रभावित कर रहीं थीं? मुझे यह बात समझ नहीं आती कि समिति द्वारा इस मामले को स्पष्ट किए बिना नियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए, सरकार ने संसद की स्थायी समिति की उपेक्षा करके किस तरह एक अध्यादेश जारी कर दिया है। आप स्थायी समिति की उपेक्षा कर सकते थे और अगर यह जरूरी होता था स्थिति की मांग होती कि अध्यादेश जारी किया जाए तो मैं इस बात को समझ सकता था। जब एक बार किसी मामले पर सदन में चर्चा शुरू हो जाए तो आप उसी मामले पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। आपने उसी मामले पर अध्यादेश जारी किया है जो समिति के समक्ष विचारार्थ भेजा गया है। विभागों से संबंधित स्थायी समिति इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। क्या यह ढोंग है? हमने विधेयक को स्थायी समिति को भेजा है और इसी बीच सरकार ने सदन और स्थायी समिति को विश्वास में लिए बिना ही अध्यादेश जारी कर दिया है। स्थायी समिति का गठन केवल एक प्रक्रिया के तौर पर नहीं किया गया है; यह कोई ढोंग नहीं है। मेरी आपत्ति यही है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन जी, मैं समझता हूं कि आपने अपने विचार प्रकट कर दिए हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं समझता हूं कि सरकार कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपने शेयर वापिस खरीद लेने की अनुमति देने के लिए बचनबद्ध है। ...*(व्यवधान)* यह कम्पनी नियम के खिलाफ एक अपराध है जो पिछले चार दशकों से लागू है। वर्ष 1956 से, पिछले चार दशकों से यहां कम्पनी नियम लागू है। ...*(व्यवधान)* यह अध्यादेश बिल्कुल असंगत है, गलत है और इस सभा और स्थायी समिति, दोनों के अधिकारों का उल्लंघन है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री धनन्जय कुमार जी, आप क्या कर रहे हैं? आप श्री राधाकृष्णन जी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं।

डा. एम. तम्बी दुरई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने यह अध्यादेश क्यों जारी किया।

जब माननीय सदस्य ने यह कहा तो उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि अगर कोई आपात स्थिति होती तो हम अध्यादेश जारी करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की विद्यमान स्थिति को देखते हुई कई माननीय सदस्यों ने यह मामला पिछले सत्र में भी उठाया था। हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है; हमें इसे कुछ ऊपर उठाना है। यह प्रत्येक व्यक्ति की चिन्ता का विषय है। बहुत से उद्योगों ने अपनी शिकायतों से संबंधित अभ्यावेदन भी दिए हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, कई विदेशी, हमारी अच्छी कम्पनियों को अधिग्रहित कर लेना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* हम अच्छा काम कर रहे हैं, परन्तु हमारी आशंकाएं यही हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी अर्थव्यवस्था फले-फूले और उद्योग सक्रिय हों, हमने यह अध्यादेश जारी किया है। अब हम इसे अनुमोदनार्थ सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सभा पर निर्भर है कि इसे स्वीकार करे या अस्वीकार। अध्यादेश कोई स्थायी कानून नहीं होता; यह अस्थायी बात होती है। यह इस सदन पर निर्भर करता है कि इसे अनुमोदित करे या नहीं। मैं इस संबंध में सभा का अनुमोदन चाहता हूं।

स्थायी समिति के विचारार्थ कम्पनी अधिनियम में कई बातें शामिल की गई हैं। यह कोई व्यापक विधेयक नहीं है। इसमें कई अन्य मुद्दे हैं। हमने सोचा कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। इसी कारण, हमने अध्यादेश जारी किया था। हम अगले सत्र में एक व्यापक विधेयक लाने वाले हैं जिसमें अन्य सभी बातें भी शामिल होंगी। हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। हम इस विधेयक पर सदन का अनुमोदन चाहते हैं।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मुझे केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, मैंने श्री राधाकृष्णन जी को इसलिए अनुमति दी थी क्योंकि उन्होंने नोटिस दिया था।

...(व्यवधान)

डा. एम. तम्बी दुरई: यह केवल प्रारम्भिक चरण है।

श्री ई. अहमद : हम इस सत्र के अंतिम दिन के करीब हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह देश वित्तीय संकट से गुजर रहा है और इसका समाधान यही है। इस सरकार ने यह विधेयक इस सत्र के पहले ही दिन क्यों नहीं प्रस्तुत किया था? क्या उन्हें अभी पता लगा कि देश की वित्तीय अर्थव्यवस्था में गिरावट हो रही है? क्या आपका दायित्व इस सभा और इस देश के लोगों के प्रति नहीं है? जब सभा कल स्थगित हो रही है तो क्या यह करने का यही तरीका रह जाता है?...*(व्यवधान)*

डा. एम. तम्बीदुरई : महोदय, यह केवल प्रारम्भिक चरण है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बाद में मौका मिलेगा।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी (मदुरै) : देश की आर्थिक आपात स्थिति से संबंधित एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. एम. तम्बी दुरई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं।

अपराह्न 2.25 बजे

कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण**

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : मैं कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 1998 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक [illegible] (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर

अपराह्न 2.26 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

रूसी परिसंघ की सरकार के चेयरमैन द्वारा भारत की सरकारी यात्रा पर जारी भारत-रूस वक्तव्य@

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : मैं रूसी संघ की सरकार के चेयरमैन द्वारा भारत की सरकारी यात्रा पर जारी भारत-रूस प्रेस वक्तव्य की एक प्रति (केवल अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

भारत-रूस प्रेस वक्तव्य

रूसी परिसंघ की सरकार के अध्यक्ष, महामान्य श्री येवगेनी एम. प्रिमाकोव 20 से 22 दिसम्बर, 1998 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आए। इस यात्रा से भारत और रूसी परिसंघ के बीच उच्च स्तर के द्विपक्षीय आदान-प्रदान की पुरानी परम्परा का निर्वाह हुआ है।

इस यात्रा के दौरान महामान्य श्री प्रिमाकोव ने भारत के राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन, भारत के उप राष्ट्रपति श्री कृष्ण कान्त से भेंट की और भारत के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ महत्वपूर्ण बातचीत की। भारत के अन्य उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ भी बैठकें हुईं। ये बातचीत भारत और रूस के बीच विचारों के आदान-प्रदान की परम्परा के अनुसार सद्भाव और मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई।

दोनों पक्षों ने इस बात पर सन्तोष व्यक्त किया कि भारत-रूस द्विपक्षीय सहयोग सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। वे भारत और रूस में उपलब्ध वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक योग्यताओं सहित अपार क्षमताओं के संयुक्त उपयोग के नए तौर-तरीकों को निर्धारित करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों में चल रहे आर्थिक परिवर्तनों से उत्पन्न नए अवसरों का संयुक्त रूप से उपयोग करने पर भी सहमति हुई है। अपने बहु-पक्षीय संबंधों को गुणात्मक दृष्टि से नया स्वरूप देने और उन्हें दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने और उन्हें 21वीं शताब्दी में सक्रिय रूप से ले जाने के संकल्प की पुनः पुष्टि की गई है।

दोनों पक्ष ऐसी सामरिक साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ने के इच्छुक हैं जिसकी भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच "सामरिक साझेदारी पर घोषणा" पर हस्ताक्षर करके अपनी आगामी शिखर-बैठक के दौरान पुष्टि की जाएगी। यह 9 अगस्त, 1971 की शान्ति, मैत्री और सहयोग, 28 जनवरी, 1993 की मित्रता और सहयोग से सम्बद्ध द्विपक्षीय सन्धियों, 30 जून, 1994 की सहयोग में और विकास तथा वृद्धि पर घोषणा और 30 जून, 1994 की बहुवादी राज्यों के हितों की संरक्षा पर मास्को घोषणा में निहित सिद्धान्तों के विस्तार की दिशा में एक नया कदम होगा। सर्वोपरि महत्व का यह राजनैतिक दस्तावेज नए पैरामीटर्स निर्धारित करेगा और भारत और रूस के बीच घनिष्ठ साझेदारी के और विकास में मार्ग दर्शन कराएगा।

दोनों पक्षों ने 26-28 नवम्बर, 1998 तक मास्को में हुए व्यापारिक, आर्थक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अन्तर-सरकारी आयोग के पांचवें अधिवेशन के निष्कर्षों पर गहरा सन्तोष व्यक्त किया।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

**[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2142/98]

@[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2143/98]

1997-98 में भारत-रूस व्यापार में हुई प्रगति की सराहना करते हुए यह आशा की गई कि संयुक्त रूप से निर्धारित मदों में स्थायी आधार पर व्यापारिक प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा। दोनों पक्ष आगामी वर्षों में व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए संयुक्त प्रयास करने पर सहमत हुए।

दोनों पक्षों ने इस बात पर विशेष रूप से संतोष व्यक्त किया कि विद्युत, तेल और प्राकृतिक गैस, कोयला, इस्पात एवं परिवहन जैसे क्षेत्रों में सहयोग में अच्छी प्रगति हो रही है तथा परस्पर लाभ के लिए इसे और मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की गई।

इस बात पर ध्यान दिया गया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में व्यापक और बहुआयामी सहयोग से उत्कृष्ट प्रगति हुई है। दोनों पक्षों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान की सफलताओं का वाणिज्यिक उपयोग करने के प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करने पर सहमति व्यक्त की।

दोनों पक्षों ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर जारी सहयोग पर संतोष व्यक्त किया।

लोगों से लोगों के बीच संपर्कों के महत्व को स्वीकार करते हुए तथा भारत-रूस के सांस्कृतिक आदान-प्रदान के वर्तमान स्तर पर संतोष व्यक्त करते हुए दोनों पक्षों ने ऐसे सहयोग को और तीव्र करने पर सहमति व्यक्त की।

हाल के वर्षों के दौरान व्यापक, परस्पर लाभकारी सैन्य-तकनीकी सहयोग, जिसकी अच्छी संभावनाएं हैं, में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।

यात्रा के दौरान निम्नलिखित द्विपक्षीय कागजात पर हस्ताक्षर किये गये। प्रत्यर्पण संधि, आपराधिक मामलों में आपसी विधिक सहायता से संबद्ध करार, कोंसली अभिसमय, वर्ष 2010 तक के लिए सैन्य-तकनीकी सहयोग पर दीर्घावधिक करार, व्यापार, आर्थिक, औद्योगिक, वित्तीय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के विकास पर संयुक्त दस्तावेज, संचार के क्षेत्र में सहयोग पर करार, हवाई परिवहन करार। दोनों पक्षों ने यह विश्वास व्यक्त किया कि इन करारों पर हस्ताक्षर किये जाने से संबद्ध क्षेत्रों में उनके सहयोगपूर्ण संबंधों की संरचना और भी मजबूत होगी।

शांति, लोकतंत्र, विधि का शासन, अहिंसा तथा पंथ निरपेक्षवाद के आदर्शों के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए दोनों पक्षों ने यह विचार व्यक्त किया कि सभी राज्यों की संप्रभु समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं न्याय पर आधारित एक बहुपक्षीय विश्व का निर्माण आवश्यक है। वे अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करने, अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के लोकतांत्रीकरण तथा एक नई, न्यायसंगत और स्थायी विश्व व्यवस्था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र और उसके विशिष्ट अभिकरणों के लिए और समर्थ भूमिका हो, की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त रूप से योगदान देने के लिए सहमत हुए।

बातचीत के दौरान परस्पर हित के कई महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का व्यापक आदान-प्रदान भी किया गया। इन वार्ताओं में दोनों पक्षों ने नाभिकीय अप्रसार की प्रक्रिया का समर्थन किया। इन चर्चाओं में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, स्वापकों तथा हथियारों के गैरकानूनी व्यापार, अफगानिस्तान उसके इर्द-गिर्द तथा विश्व के अन्य भागों में स्थिति, मध्य-पूर्व शांति प्रक्रिया, एशिया-प्रशांत समस्याओं के बारे में दोनों पक्षों के विचारों की समानता भी प्रदर्शित हुई।

दोनों पक्षों ने यह विचार व्यक्त किया कि भारत, रूस औ एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र के अन्य प्रमुख देशों के बीच सक्रिय तथ रचनात्मक द्विपक्षीय संबंधों के विकास से स्थिरता और सुरक्षा में योगदान मिलेगा।

रूसी पक्ष ने 1972 के शिमला समझौते के आधार पर पाकिस्ता के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के भारत के प्रयासों के लि अपने समर्थन की भी पुन: पुष्टि की।

दोनों पक्षों ने हाल ही में इराक के विरुद्ध प्रक्षेपास्त्रों से हमलें की निन्दा की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में राजनयिक प्रयास पुन: शुरू करने का जोरदार ढंग से अनुरोध किया। दोनों पक्षों ने इस बात पर गौर किया कि इन कार्रवाईयों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सामूहिक और परामर्शी प्रक्रियाओं की कार्य-शैली के संबंध में गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत और रूसी परिसंघ की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, दोनों पक्ष महत्वपूर्ण विदेश नीति के मसलों तथा पहलकदमियों पर नियमित परामर्श जारी रखने पर सहमत हुए।

दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के विस्तार की आवश्यकता पर सहमत हुए ताकि इसमें और अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा सके और इसकी प्रभावकारिता में वृद्धि हो सके। रूस विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिए भारत को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में एक सशक्त तथा उपयुक्त उम्मीदवार के रूप में एक प्रभावी सदस्य मानता है।

दोनों पक्षों ने नई दिल्ली में सम्पन्न इस बातचीत का 1999 में होने वाले आगामी भारत-रूस शिखर-सम्मेलन की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक चरण के रूप में आकलन किया है।

22 दिसम्बर, 1998
नई दिल्ली।

2.27 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी।

(एक) भाखड़ा बांध और औहर तथा मातला से मांडवा के झीलों पर पांच उपरिपुलों के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर) (हि.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के मेरे लोक सभा क्षेत्र हमीरपुर के जिला बिलासपुर में मेहड़वीं विधान सभा क्षेत्र के 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक लाख से अधिक जनता निवास करती है, लेकिन भाखड़ा बांध से लेकर औहर तक 52 किलोमीटर लंबी झील तथा मातला से मांडवां तक 20 किलोमीटर लंबी झील पर पुल न होने के कारण संपूर्ण क्षेत्र जिला मुख्यालय बिलासपुर से अलग-थलग पड़ा है और वहां यातायात की 24 घंटे सुविधा उपलब्ध न होने तथा जो रास्ता मात्र पांच मिनट में तय किया जा सकता है, वह पुलों के अभाव में 80 किलोमीटर चक्कर लगाकर काटना पड़ रहा है जिसके कारण जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उपर्युक्त परेशानी से बचने के लिए यह आवश्यक है कि भाखड़ा बांध से लेकर औहर, भजवानी तक 52 किलोमीटर लंबी झील व मातला से लेकर मांडवां तक 20 किलोमीटर लंबी झील पर हर पांच किलोमीटर पर ओवरब्रिज बनाए जाएं।

पूर्वाह्न 2.28 बजे

[प्रो. रीता वर्मा *पीठासीन हुईं*]

जनता की यातायात की समस्या के तुरंत समाधान हेतु कम से कम चार पुलों का अविलंब बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। अत: मेरा आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वहां पहला पुल बिलासपुर जिला हैडक्वार्टर के पास लुहणू मैदान-बैरी दड़ोला में, दूसरा ज्योर पत्तन में, तीसरा श्रीनैना देवी के नीचे काला कुंड में और चौथा जैजवीं-नारल, नारल-देहलवी में बनाया जाए। इस प्रकार ये चार पुल निर्मित किये जाएं जिससे भाखड़ा डैम से उजड़े इस क्षेत्र की जनता को 40 वर्षों के बाद भी कठिनाइयों का सामना कर रही है, उसको कुछ राहत मिल सके। इस निमित्त राज्य सरकार को समुचित धन उपलब्ध कराया जाए।

(दो) राजकोट में गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. बल्लभभाई कथीरिया (राजकोट) : पूर्व सौराष्ट्र राज्य की राजधानी गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र का मुख्य केन्द्र है। सौराष्ट्र राज्य का एक अलग उच्च न्यायालय था। इस समय, सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र से गुजरात उच्च न्यायालय में वर्ष में चालीस प्रतिशत मामले आते हैं। इस क्षेत्र के लोग, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्त्ता तथा वाणिज्य चैम्बर काफी समय से राजकोट में गुजरात उच्च न्यायालय की 'सर्किटपीठ' स्थापित करने की मांग करते रहे हैं।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि राजकोट में गुजरात उच्च न्यायालय की सर्किटपीठ स्थापित करने के लिए कार्यवाही करें।

(तीन) उत्तर प्रदेश में कानपुर हवाई अड्डे पर और अधिक सुविधाएं प्रदान किए जाने तथा उसे वायुसेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : सभापति महोदय, कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर है जहां अनेक उद्योग हैं जो देश की प्रगति में अतुलनीय योगदान करते हैं, परंतु विदेश से आने वाले व्यापारियों की कानपुर पहुंचने

के लिए कोई हवाई मार्ग की सुविधा नहीं है। यहां पहला हवाई अड्डा बहुत पहले वर्ष 1934 के आसपास बना था तथा यहां के लिए इंडियन एयर लाइन्स/वायुदूत की नियमित उड़ानें दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद और मुम्बई के लिए होती थीं, परन्तु वर्ष 1992 से सभी उड़ानें बंद कर दी गईं। कानपुर के औद्योगिक विकास पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा तथा उद्योग बंद होने लगे। मैं पहले भी यह मुद्दा कई बार लोक सभा में उठा चुका हूं परंतु इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया।

कानपुर का हवाई अड्डा सभी सुविधाओं से युक्त है तथा वर्तमान सेवाओं में कुछ सुधार करने के पश्चात् एयरबस भी यहां पर उतर सकती है। रात्रि में उड़ानों के लिए कुछ सुधार आवश्यक हैं जो आसानी से किये जा सकते हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि कानपुर जैसे प्रमुख औद्योगिक नगर से दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद तथा मुम्बई के लिए उड़ानें आरम्भ करें जिससे इस नगर का औद्योगिक स्वरूप नष्ट होने से बचाया जा सके। यदि एक हवाई जहाज इस मार्ग पर उपलब्ध करा दिया जाये तो वह एक-एक दिन दिल्ली से कानपुर होता हुआ प्रत्येक सप्ताह में दो बार कलकत्ता, अहमदाबाद तथा मुम्बई को यात्री ले जा सकेगा। साथ ही कानपुर से कार्गो भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है जिससे निर्यातकों को सुविधा हो सकेगी, वहीं इंडियन एयरलाइन्स को भी लाभ होगा। इस मार्ग पर प्राइवेट एयरलाइन्स को भी प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देकर लाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि नागरिक उड्डयन मंत्री इसे गंभीरता से लेंगे एवं इस समस्या का समाधान करेंगे।

(चार) चंडीगढ़ की विद्युत संबंधी समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, चण्डीगढ़ को 1966 में पंजाब के विभाजन के समय पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र शासित संघ प्रदेश का दर्जा दिया गया था। यह प्रदेश पंजाब के विभाजन के बाद अस्तित्व में आया एक प्रदेश है यानी कि ''सक्सीडिंग स्टेट'' है।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक एक्सीडिंग स्टेट को भाखड़ा-व्यास मैनेजमैंट बोर्ड द्वारा पैदा की जाने वाली बिजली में एक हिस्सा मिलना तय था। सक्सीडिंग स्टेट होने के कारण उस बिजली के उत्पादन में से अपने हिस्से का तथा सस्ते भाव पर बिजली का हकदार था, परन्तु चण्डीगढ़ को यह हिस्सा नहीं दिया गया। इस कारण वहां के लोगों में आक्रोश की भावना है।

वैसे भी इस क्षेत्र में बिजली की भारी कमी है और अपनी खपत के लिए बिजली इधर-उधर से खरीदनी पड़ती है। यह बिजली काफी महंगी पड़ती है। चण्डीगढ़ में बिजली के उत्पादन का फिलहाल अपना कोई साधन भी नहीं है जिस कारण परेशानी और भी बढ़ जाती है। इससे रोजगार और उद्योग पर भी उल्टा असर पड़ता है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह चंडीगढ़ के साथ हो रहे इस भेदभाव को मिटाने के लिए तुरंत कदम उठाये तथा वहां बिजली की कमी को दूर करने की ओर तुरंत ध्यान दे। इसलिए मैं मांग करता हूं कि चंडीगढ़ को भाखड़ा मैनेजमैंट बोर्ड द्वारा पैदा की जा रही बिजली में ''सक्सीडिंग स्टेट'' होने को स्वीकार करते हुए उसे उसका उचित हिस्सा दिलवाया जाए और पिछले 30 वर्षों में इस हिस्से के न मिलने के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई भी की जाए। इसके साथ-साथ चंडीगढ़ में बिजली उत्पादन के केन्द्रों को मंजूरी देकर वहां अपने बिजली उत्पादन के साधन उपलब्ध करवाये जाएं, ताकि बिजली की कमी दूर हो सके। समस्त चण्डीगढ़वासी इसके लिए केन्द्र सरकार के सदैव आभारी रहेंगे।

(पांच) असम में तेजपुर में आकाशवाणी केन्द्र चालू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री माधव राजवंशी (मंगलदाई) : 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी किनारों के जिलों में मुख्य नगर तेजपुर में आकाशवाणी का केन्द्र स्थापित किया जाएगा। इस स्वीकृति को नवीकृत करके तेजपुर में काम शुरू किया गया आठ वर्ष पहले एक मीडियम वेव ए.आई.आर. ट्रांसमिशन टावर पर काम पूरा किया गया था। स्टूडियो के लिए जगह का चुनाव करने में कुछ समय लगा था। स्टूडियो परिसर, स्टाफ क्वार्टर, पानी की आपूर्ति और विद्युत की स्थापना का काम भी पूरा हो चुका है। हर तरह की फिटिंग्स और फिक्स्चर के साथ कई नए और प्रयोग किए गए इलैक्ट्रिकल और स्टूडियो के उपकरणों की भी स्थापना की गई है।

उत्तरी असम के नए क्षेत्रों में आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं और उनके पास अपने वायरलैस उपकरण हैं। उनकी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए अविलम्ब एक सरकारी प्रसारण प्रणाली की जरूरत है। ग्रामीण लोगों की सुविधा के लिए, जो जनजातीय लोग हैं और जिनमें घाटी के मध्य असम के जिलों में आदिवासी सुदूर पश्चिमी अरूणाचल, भूटान देश, 100 से अधिक

चाय बगाान तथा अनेक वनों में स्थित रिहायशी स्थल शामिल हैं, को लाभान्वित करने के लिए यथाशीघ्र आकाशवाणी तेजपुर केन्द्र चालू किया जाना चाहिए।

(छह) केरल में शोरानूर-कोची रेल लाइन के विद्युतीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापलम) : केरल में शोरानूर-कोच्ची रेलवे लाइन का विद्युतीकरण कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

इस कार्य को मार्च 1998 तक पूरा किया जाना था, लेकिन दुर्भाग्य से यह कार्य अभी भी चल रहा है, वह भी धीमी गति से। इस विलम्ब के कारण इस राज्य के लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

लोग चाहते हैं कि भारत सरकार कोच्ची-तिरूवनन्तपुरम रेलवे
कार्य भी शुरू करे क्योंकि वे नहीं चाहते
विद्युत रेलगाड़ी सुविधा से वंचित राज्य की राजधानी बना रहे। मैं मांग करता हूं कि शोरानूर-कोच्ची रेलवे लाइन का कार्य तेजी से पूरा किया जाए।

मैं यह अनुरोध भी करता हूं कि कोच्ची-तिरूवनन्तपुरम के विद्युतीकरण को पूरा करने के लिए अगले बजट में समुचित धनराशि का प्रावधान किया जाए।

(सात) पिछड़ा वर्ग सूची में कतिपय जातियों को शामिल करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रदीप कुमार यादव (कन्नौज) : सभापति महोदय, पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी स्थापना से अब तक पिछड़ी जातियों में शामिल करने हेतु जातियों की एक सूची भेजी थी और अपनी अनुशंसा की थी, किन्तु उनमें से अभी तक केवल तीन जातियों को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने गहन अध्ययन के बाद यह सूची भेजी है। अत: पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो अनुशंसा भेजी है उसको जल्द स्वीकृत किया जाए, जिससे पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ने का लाभ मिल सके।

(आठ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के औरंगाबाद में नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना को पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री सुशील कुमार (औरंगाबाद) (बिहार) : सभापति महोदया, मैं मध्य बिहार के अत्यन्त पिछड़े एवं उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र औरंगाबाद का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह क्षेत्र बिजली, सड़क, सिंचाई एवं कानून और व्यवस्था के मामले में चिन्ताजनक स्थिति में है। कार्य के अभाव में भुखमरी की समस्या है। लोग काम की तलाश में गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की ओर भाग रहे हैं। औसत से ज्यादा गरीबी इस क्षेत्र में है। यहां एक विद्युत परियोजना नबेनगर सुपर थर्मल पावर के निर्माण का प्रस्ताव दस वर्षों से विचाराधीन है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री से मांग करता हूं कि इस अत्यन्त पिछले इलाके के एवं बिहार के विकास के लिए प्रस्तावित नबीनगर सुपर थर्मल पॉवर परियोजना को नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ही पूर्ण कराया जाए।

(नौ) आन्ध्र प्रदेश में पेद्दापल्ली और मंतानी के बीच रेल समपार पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. सुगुण कुमारी चलामेला (पेडापल्ली) : पेडापल्ली से मंथानी की सड़क पर एक रेलवे फाटक है। जिला मुख्यालय करीमगंज से मंथानी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तक जाने वाला यही एकमात्र संपर्क मार्ग है जिसमें सात मंडल मुख्यालय हैं और जिनकी जनसंख्या लगभग 2,60,000 है।

जब फाटक बंद होता है तो लोगों को 45 मिनट से 1 घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि इतना लम्बा इंतजार करने के कारण अनेक गंभीर रोगी अपनी जान गंवा बैठे हैं।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल का यथासंभव शीघ्र निर्माण करने पर विचार करें।

(दस) मेत्तूर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं पुन: बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. मोहन (धर्मपुरी) : महोदय, हमारें संसदीय क्षेत्र के धर्मपुरी जिले में मेत्तूर रेलवे स्टेशन पर ठहरने और गाड़ियों के

ठहराव इत्यादि की सुविधा करीब 6 वर्ष पहले समाप्त कर दी गई थी। अब इस स्टेशन का उपयोग माल गाड़ियों के लिए किया जा रहा है और इस क्षेत्र के यात्रियों को इस स्टेशन के लाभ से वंचित किया जा रहा है।

मेत्तूर एक म्यूनीसिपल शहर है और इसकी जनसंख्या काफी अधिक है और यह एक औद्योगिक शहर है जिसमें विभिन्न वस्त्र, इस्पात, रसायन इकाइयां इत्यादि हैं। मेत्तूर और इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोग श्रमिक वर्ग के हैं। चूंकि मेत्तूर रेलवे पर यात्री सुविधा समाप्त कर दी गई है इसलिए इस क्षेत्र के लोगों को रेलगाड़ी से यात्रा करने हेतु करीब 45 किलोमीटर सड़क मार्ग से जाकर सलेम से अन्य स्थानों के लिए गाड़ी पकड़नी होती है। यात्रियों के लिए मेत्तूर रेलवे स्टेशन के बंद किए जाने के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अत: मैं माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि मेत्तूर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को पुन: बहाल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें।

(ग्यारह) भारत के संविधान का कश्मीरी भाषा में अनुवाद कराने के लिए आवश्यक निधियां स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामुला) : कश्मीरी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यह स्थिति दस्तावेजों में रही, परन्तु 45 लाख से अधिक लोगों के लिए क्षेत्रीय भाषा तो दूर मातृभाषा के रूप में भी कश्मीरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं।

आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में भारत के संविधान का अनुवाद किये जाने की एक योजना थी। प्रारम्भ में, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी संबंधित राज्यों को इस कार्य के लिए 1960 में एक करोड़ रुपये जारी किए गए थे। जिसके परिणामस्वरूप भारत के संविधान का अनुवाद कश्मीरी भाषा को छोड़कर अन्य सभी भाषाओं में किया जा चुका है। यहां तक कि यह कार्य नेपाली और कोंकणी भाषा में भी पूरा होने जा रहा है।

मैं विधि मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस कार्य के लिए यथाशीघ्र आवश्यक निधियां जारी करें। साहित्य अकादमी और जम्मू-कश्मीर सांस्कृतिक अकादमी इस कार्य को पूरा करने तथा सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कश्मीरी लेखकों का उचित चयन कर सकती है। अगर एक महीने के अंदर कश्मीरी भाषा के साथ होने वाला भेदभाव समाप्त नहीं किया गया तो मेरे लिए इस सभा में सकारात्मक योगदान करना कठिन होगा और इससे मुझे दुख होगा।

(बारह) पुणे रेलवे जोन में बेहतर सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़) : महोदय, रेलवे ने पुणे में एक नए रेलवे जोन की स्थापना करने का निर्णय लिया है। दक्षिण मध्य रेलवे के पुणे मिराज सेक्शन को इस जोन में अंतरित किया जाना था। तथापि, अब तक यहां न्यूनतम सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे यात्रियों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि पुणे जोन में अविलम्ब बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

अपराह्न 2.44 बजे

सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अब यह सभा मद संख्या 28 पर चर्चा करेगी। श्री यशवंत सिन्हा बोलेंगे।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

> "कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 में संशोधन किया जाएगा जिससे जहां कहीं भी किसी दावाकर्ता के देय ड्रा बैक उसे तीन माह के अंदर दावा करने की तिथि से प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे ड्रा बैक का भुगतान दावाकर्ता को ड्रा बैक राशि के अतिरिक्त धारा 27ए के अंतर्गत निर्धारित ब्याज के अंतर्गत किया जाएगा जो ऐसे ड्रा बैक के भुगतान की तारीख तक तीन महीने की उक्त अवधि की समाप्ति से होगा।

मैं सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 75क में संशोधन का प्रस्ताव करता हूं। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क (ड्यूटी ड्रा बैक)

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

नियम, 1995 के नियम 13 में कहा गया है किसी निर्यातक द्वारा दायर किया गया शिपिंग बिल ड्रा बैक दावा समझा जाएगा। उक्त नियम में उन दस्तावेजों का भी निर्धारण करता है जो दावाकर्ता को ड्रा बैक का भुगतान करने के लिए शिपिंग बिल जैसे ड्रा बैक दावे के साथ संलग्न करना होगा। तथापि, उक्त नियम 13 के उप-नियम (3)(क) में प्रावधान है कि जहां उक्त नियमों के अंतर्गत अपेक्षित शिपिंग बिलों के साथ निर्धारित दस्तावेजों/सूचना को नहीं दिया गया है। वहां सीमा शुल्क विभाग दस दिनों के अंदर एक प्रश्न ज्ञापन जारी कर सकता है। उसके बाद, निर्धारण को प्रश्न ज्ञापन में बताए गए दस्तावेज/सूचना देनी होगी और इस दावे को नया दावा प्राप्त हुआ समझा जाएगा और तीन महीने की अवधि, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 (क)(1) में बताई गई है, वह उस तारीख से मानी जाएगी जबसे संशोधित दावा प्राप्त होता है।

भुगतान के लिए तीन महीने की अवधि के तथा इस तीन महीने की अवधि की समाप्ति किए जाने वाले दावों पर दावेदारों को ब्याज का भुगतान करने के लिए निर्यातकों का यह अनुभव रहा है कि ड्रा बैक प्रोसेसिंग की पारम्परिक पद्धति के अंतर्गत ड्रा बैक दावों के भुगतान में काफी विलम्ब होता है और इसलिए विद्यमान प्रक्रिया को मजबूत बनाने की आवश्यकता है जिससे ड्रा बैक के भुगतान में लगने वाले समय को कम किया जा सके।

इसी पृष्ठभूमि में ही, मेरे सहयोगी माननीय वाणिज्य मंत्री ने 5 अगस्त, 1998 को निर्यात को बढ़ावा देने के नए उपायों के पैकेज की घोषणा करते हुए लोक सभा में एक वक्तव्य दिया था। घोषित उपायों में से एक यह था कि ड्रा बैक दावों का भुगतान करने वाली अवधि को तीन महीने से घटाकर दो महीने कर दिया जाए तथा इस अवधि में भुगतान हो जाना चाहिए, अन्यथा सरकार दावा करने वालों को ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य होगी जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75क में कहा गया है। समय सीमा को कम करने का उद्देश्य निर्यातकों को ड्रा बैक के भुगतान की प्रक्रिया को तेज करना है और साथ ही, कम से कम समय में निर्यातकों को निर्यात से संबंधित लाभ देने की जरूरत पर बल देना है।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि दावाकर्ताओं (निर्यातकों) को अगर दावा (शिपिंग बिल) दायर करने की तारीख से दो महीने के अंदर ड्रा बैक का भुगतान नहीं किया गया तो दावाकर्ताओं को ड्रा बैक के अतिरिक्त ब्याज का भी भुगतान किया जाए। इक्विटी बनाए रखने के लिए, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि जहां दावाकर्ता (निर्यातक) को गलती से धन का पुनर्भुगतान कर दिया गया है, अगर ड्रा बैक अपेक्षित तारीख के दो महीने के अंदर ही नहीं लौटाया गया, तो ऐसे दावाकर्ता को ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा।

यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय रियायत है और इसका चालू वर्ष की आय और राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा। मैं यह मांग करूंगा कि इस विधेयक पर इसी सत्र में विचार करके इसे पारित कर दिया जाए।

अब मैं इस अनुरोध के साथ यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं कि इस पर विचार करके इसे पारित किया जाए। यह बहुत ही सरल संशोधन है। हम इस अवधि को तीन महीने से घटाकर दो महीने कर रहे हैं। हम अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। और चूंकि यह एक सरल संशोधन है इसलिए मैं आशा करता हूं कि इसे बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया जाए।

सभापति महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मेजर जनरल भुवन चंद्र खण्डूडी, ए.वी.एस.एम. (गढ़वाल): इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : माननीय सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1998 का प्रस्तुतीकरण किया है।

वैसे इस बिल में, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, कुछ अधिक कहने की गुंजाइश नहीं है, जो तीन माह की अवधि थी, यह संशोधन धारा 52 का आपने किया है और तीन माह की अवधि को घटाकर दो माह किया गया, जिससे कि जो देयक हैं या उन्हें जो ब्याज की राशि मिलनी चाहिए, उसमें जो बहुत विलम्ब हुआ करता था। उस विलम्ब को कम करने की दृष्टि से माननीय वित्त मंत्री जी ने कदम उठाया है, मैं समझता हूं कि इस कदम के उठाने से जो निर्यात करने वाले लोग हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको एक सहूलियत मिलेगी, क्योंकि निर्यातकों को, जो हमारे देश से बाहर माल निर्यात होता है, उसमें काफी कमी आ रही थी और उसके बहुत से कारण थे। जो प्रकरण तीन माह तक रहते थे, उसमें विलम्ब से भुगतान का होना या उस पर ध्यान नहीं देना, यह स्थिति थी। इस बिल पर मैं समझता हूं कि देर आए-दुरुस्त

आए, वाली बात है। निर्यात में बहुत गिरावट आ रही थी, उसको सुधारने के लिए और उसे ब्याज की राशि केन्द्र ने देने का निर्णय किया है, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस संशोधन के बात निर्यातकों को सही दृष्टि से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यह संशोधन अभी किया जा रहा है, मुझे इस बात की आशा है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो प्रकरण अनसुलझे थे, उन पर भी विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : श्री माधाव राव पाटिल, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री माधव राव पाटिल (नासिक) : नहीं।

सभापति महोदया : मंत्री जी अब अपना जवाब दें।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : मुझे इस बात का संतोष है कि सदन ने इस बात को स्वीकार किया, चूंकि यह निर्यातकों के हक में एक बात हम लाने जा रहे हैं, उसके लिए यह संशोधन है। इसलिए माननीय मोती लाल वोरा ने भी इसका समर्थन किया है, मुझे पूरा विश्वास है, यह एक प्रगतिशील कदम है, इसलिए सारा सदन इसे सर्वसम्मति से पारित करेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया : अब यह सभा इस विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जाएं।"

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : देखिए, हम लोग मंत्री जी को कितना कोआपरेट करते हैं, इनसे कहिए कि बिहार के लिए भी कुछ स्कीम वगैरह लाएं।

सभापति महोदया : अच्छा है।

अपराह्न 2.53 बजे

आय-कर (दूसरा संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आय कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाए। इस विधेयक में मांग की गई है कि कुछ वित्तीय प्रोत्साहनों को बढ़ाने और स्पष्ट करने तथा आयकर अधिनियम की कुछ धाराओं में कुछ विसंगतियां हटाने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन किया जाए।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ करदाताओं में पैदा हुई आशंकाओं को दूर करने के लिए धारा 10(23छ) का संशोधन किया जाए कि 1.6.1998 से पहले किए गए निवेश पर उपबंध का लाभ उपलब्ध नहीं होगा। प्रस्तावित संशोधन में यह स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि 1 जून, 1998 से पहले किए गए निवेश से होने वाली आय के संबंध में धारा 10(23छ) के अंतर्गत

[श्री यशवंत सिन्हा]

उपलब्ध छूट, उपबंध के अंतर्गत वैसे ही जारी रहेगी जैसे यह वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 द्वारा संशोधित किए जाने से पूर्व थी।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि आय-कर अधिनियम की धारा 10क और 10ख के अंतर्गत निर्यात प्रोसेसिंग जोनों और नियातोन्मुखी इकाइयों को विद्यमान पांच वर्षों के टैक्स होलीडे लाभ को बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया जाए।

वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र में ठहराव को रोकने के उद्देश्य से मैं धारा 32 में और संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं कि करदाता द्वारा खरीदे गये वाणिज्यिक वाहन के 1 अक्तूबर, 1998 के बाद परन्तु 1 अप्रैल, 1999 से पहले मूल्यह्रास तथा व्यापार के लिए 1 अप्रैल, 1999 से पहले प्रयोग में लाये जाने को ऐसी परिसम्पत्तियों वर्ष के दौरान उपयोगकर्ता की परिसम्पत्तियों की भी हो, निर्धारित शत प्रतिशत लाभ मिलेगा।

धाराओं 44कक और 44कख के साथ कतिपय आय के संभावित कराधान के लिए जिनमें 1.4.1998 से ऐसे मामलों में अनिवार्य रख-रखाव और लेखा परीक्षा का प्रावधान है, धाराओं 44कघ और 44कङ को सामंजस्यपूर्ण बनाने के उद्देश्य से मैं धारा 44कघ और 44कङ में भी संशोधन का प्रस्ताव करता हूं जिसके द्वारा निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए इन धाराओं के अंतर्गत कम लाभ प्रदान करने के लिए विकल्प खुला रहेगा।

आयकर अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत किसी सहकारी समिति द्वारा इसके सदस्यों के कृषि उत्पादों की विपणन में प्राप्त होने वाला लाभ कर योग्य आय की गणना में पूरी तरह घटाया जाता है। यह कटौती उनके किसान सदस्यों के कृषि उत्पादों के विपणन करने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए थी। असम सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अगर इसे इस तरह नहीं समझा जाता तो कृषि उत्पादों में संलग्न व्यापारियों वाली कोई सहकारी समिति छूट की हकदार हो जाएगी। तथापि, सर्वोच्च न्यायालय ने केरल राज्य सहकारी विपणन संघ के मामले में उक्त मामले पर पुनर्विचार किया और कहा कि संगत खंड में 'इसके सदस्यों का' का अर्थ सदस्यों से संबंधित कृषि उत्पाद जो जरूरी नहीं कि उनके द्वारा उत्पादित हों, हो सकता है। उपबंध में शब्दों के प्रयोग का व्यापक व्याख्या विद्यमान उपबंध के विधायी अर्थ के अनुरूप नहीं है। अगर धारा 80पी(2)(क)(iii) में कोई संशोधन नहीं किया जाता है तो यह संभावना है कि राजस्व पर तथा व्यापार संघों को दिया जाने वाले लाभ पर गम्भीर प्रभाव डाल सकता है। इस संशोधन में यह मांग की गई है कि किसी सहकारी संघ के सदस्यों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पाद के विपणन में संलग्न सहकारी संस्था द्वारा प्राप्त लाभ में कटौती को कम किया जाए।

चूंकि इन महत्वपूर्ण वित्तीय रियायतों और स्पष्टीकरणों का चालू वर्ष की आय और राजस्व पर प्रभाव होता है, महोदया मेरी यह मांग है कि इस विधेयक पर विचार करके इसे शीघ्र पारित किया जाए।

यह भी एक बहुत सरल संशोधन है। मुझे आशा है कि यह सभा इसे ज्यादा चर्चा किए बिना पारित करेगी।

मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि आय-कर अधिनियम, 1961, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री माधवराव पाटील (नासिक) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं बिल के संबंध में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपके द्वारा वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट टैक्स, गवर्नमेंट रेवेन्यू भरने में आम आदमी को बहुत कठिनाई होती है। मार्च के अंत में सभी नेशनलाइज्ड बैंकों से गवर्नमेंट का पैसा लेने में बड़ी दिक्कत आती है और सभी नेशनलाइज्ड बैंक गवर्नमेंट रेवेन्यू जमा नहीं करते हैं, लोगों को तीन-तीन घंटे बैठना पड़ता है। इसलिए मार्च के एंड में इंकम टैक्स आफिस में स्टेट बैंक का एक्सटेंशन काउंटर खोला जाए और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में गवर्नमेंट का रेवेन्यू स्वीकार करने के लिए अलग से व्यवस्था की जाए।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

दूसरा मेरा यह कहना है कि जो परमानेंट एकाउंट नम्बर, बैंक एकाउंट खोलने के लिए कम्पलसरी किया गया है, जो उसकी 50,000 रुपए की सीमा रखी है उसे पांच लाख तय किया जाए। परमानेंट एकाउंट नम्बर लेने के लिए लोगों को बड़ी कठिनाई होती है और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कम्पनी डिपाजिट लेते वक्त पी.ए.एन. की जरूरत नहीं होती। लोग इंकम टैक्स भरने के लिए तैयार हैं लेकिन वे इंकम टैक्स के झंझट और आफिस से डरते हैं। इसलिए परमानेंट एकाउंट नम्बर लेना बंद करना चाहिए, यह मैं वित्त मंत्री जी से पी.ए.एन. हटाने पर पुनर्विचार की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : सभापति महोदया, आपके माध्यम से माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री का ध्यान असम के मैदानी इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोगों की ज्वलंत समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आश्चर्यजनक रूप से आयकर के मामले में असम के मैदानी इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोगों के प्रति एक प्रकार का गम्भीर भेदभाव बरता जा रहा है।

पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, सभी जनजातीय लोगों को आयकर का भुगतान न करने की छूट मिली हुई है। परन्तु असम के मैदानी इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोगों को आयकर का भुगतान करना पड़ता है। केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। इसीलिए मैं माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री से पर्वतीय जनजातीय लोगों को प्रदान की जा रही छूट को असम के मैदानी इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोगों को भी प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। असम में भी, छठी अनुसूची के अन्तर्गत दो स्वशासी जिला परिषदों अर्थात् कर्बी अंगलोंग और उत्तरी कछार हिल्स में रहने वाले जनजातीय लोगों को भी छूट मिल रही है। परन्तु पर्वतीय जनजातियों को मिलने वाली उक्त सुविधा से मैदानी इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोगों को वंचित रखा जा रहा है। इस प्रकार मैदानी जनजातीय लोगों और बोडो जनजाति के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसीलिए मैं इस संबंध में माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री से असम के मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोगों के साथ न्याय करने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

श्री बी.एम. मेनसिंकाई (धारवाड़ दक्षिण) : मैं माननीय वित्त मंत्री से धारा 44कख और 44कच के संबंध में अनुरोध करता रहा हूं जो चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा बही-खातों के रख-रखाव और लेखा-परीक्षा का उपबंध करता है। धारा 44कच के संशोधन को समाहित करने के मेरे अनुरोध की उपेक्षा कर दी गई।

इसलिए, इस सम्बन्ध में, मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूं और माननीय वित्त मंत्री से स्व-रोजगार में लगे तीन लाख आयकर प्रैक्टिशनरों और आयकर अधिवक्ताओं को 44 कख और 44 कच में संशोधन कर छूट प्रदान करने का अनुरोध करता हूं जिससे उन्हें फायदा हो और जिससे वे अपने व्यवसाय में अपना अस्तित्व बचाकर रख सकें। परन्तु दुर्भाग्यवश मेरे इस अनुरोध की उपेक्षा कर दी गई या इस पर विचार नहीं किया गया। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस सम्बन्ध में विचार करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : जैसा मैंने शुरू में कहा था ये जो संशोधन आए हैं वे आवश्यक थे, जिनको इसी सत्र में लाना आवश्यक था। कई सुझाव माननीय सदस्यों ने दिए हैं, उनको आगे बजट पेश करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 8 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:-

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.04 बजे

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक*

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या 23 पर विचार करेगी। श्री लाल कृष्ण आडवाणी

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, यह जो ... इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका बहुत देर से विरोध होता रहा है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ सदस्यों ने सूचना दी है। उन्हें पहले सभा की अनुमति लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मैं उसके बारे में बता दूंगा।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह अनुमति मांग रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझिए कि वह केवल सभा की अनुमति मांग रहे हैं। वह विधेयक को पुर:स्थापित नहीं कर रहे है।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहले मैं उनको बुलाऊंगा।

श्री मनोरंजन भक्त।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदय, खेद की बात है कि अभी जो बिल प्रस्तुत किया गया है, नीतिगत रूप से मैं उसका विरोधी नहीं हूं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सदन में प्राइवेट मैम्बर्स बिल लाया था। उस समय सदन के तमाम पक्ष के लोगों ने उसका समर्थन किया था। वह जब पास होने का मौका आया तो उस समय संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सरकार इस बिल को लाएगी और इस विषय पर विरोधी पक्ष के साथ चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री की अध्यक्षता में विरोधी पार्टियों के साथ इस बारे में चर्चा हुई थी। उस समय एक सहमति हुई थी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस बारे में कोई झगड़ा नहीं है। हम बिहार की बात समझ सकते हैं। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दो टुकड़े होने जा रहे हैं

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 22.12.1998 में प्रकाशित।

लेकिन जहां तक अंडमान तथा निकोबार का सवाल है, वहां एक एन.टी.टी. है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें कोई चीज निकालने की बात नहीं है। उस समय सत्ताधारी पक्ष ने उसका खुलकर और जमकर समर्थन किया था। मैंने जब इससे संबंधित प्रस्ताव रखा था तो गृह मंत्री ने कहा था कि इसे वापस ले लिया जाए, हम इस पर चर्चा करेंगे लेकिन वे चर्चा नहीं कर पाए। वह इस बीच प्रस्ताव लेकर आए। आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में कब बिल लाने जा रहे हैं, उसे कब विधान सभा देने के लिए तैयार हैं? देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मनोरंजन भक्त, यह अलग मुद्दा है।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। बड़े और छोटे प्रदेशों को बराबर का अधिकार होता है। गृह मंत्री इस बारे में कुछ बताएं। प्रधान मंत्री जी अंडमान और निकोबार जा रहे हैं। आशा है कि अंडमान और निकोबार की जनता बहुत खुल कर उनका स्वागत करेगी। हम उनके आने की तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वह इस अवसर पर पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को राज्य का दर्जा देने की घोषणा करें। यह उनके लिए अच्छा मौका होगा।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में संसदीय कार्य मंत्री श्री मदन लाल खुराना जी ने घोषणा की थी कि जिन राज्यों की विधान सभा ने उस राज्य के बंटवारे की अनुशंसा की है, उन्हीं राज्यों के बंटवारे के बारे में विधेयक लाया जाएगा। ...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा है, आप पूछ लीजिए। आप खुराना जी को स्वीकार या अस्वीकार करने दीजिए। मैं आपसे नहीं सुनना चाहता।

अध्यक्ष जी, मैं याद दिलाऊं कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने कुछ हिस्सों को इस नये राज्य से अलग रखने का प्रस्ताव किया है। उनको भी नहीं माना गया तो मैं इस बात पर विरोध कर रहा हूं कि ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जो विवादित स्थल हैं, उनको इस बिल के घेरे से बाहर रखा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं महोदय वह विधेयक, जिसको पुर:स्थापित करने की अनुमति माननीय मंत्री ने चाही है, सभा की विधायी शक्ति के बाहर है क्योंकि संविधान के प्रावधान या प्रक्रिया को शब्दश: और भावत: विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने में अपनाया नहीं जा रहा है।

मैं संविधान के अनुच्छेद 3 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जोकि नए राज्यों के निर्माण और क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। इसमें उल्लिखित हैं:

"संसद, विधि द्वारा-

(क) ...नए राज्य का निर्माण कर सकेगी;

(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी;

(घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी;

(ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी;

इसके पश्चात्, परन्तुक में उल्लिखित है:

"परन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है वहां जब तक उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस पर अपने विचार, ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद् के किसी सदन में पुर:स्थापित नहीं किया जाएगा।"

अब, यदि इस राज्य के विधान-मंडल को विधेयक आवश्यक रूप से सौंपा जाना तय है, एक दृष्टिकोण पर पहुंचने से पहले और गृह मंत्री द्वारा सभा में विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति मांगने के पूर्व सभा के सदस्यों को विधान मण्डल द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से अवगत कराया जाना चाहिए।

मैंने इस विधेयक को पढ़ा है। इससे जुड़े पत्रों में उत्तर प्रदेश की विधान सभा द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है।

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

प्रस्तावित क्षेत्र वह नहीं है जैसी कि विधान सभा द्वारा सिफारिश की गई है और जिसका पता उत्तर प्रदेश विधान सभा के कार्यवाही-वृत्तांत से चलता है। उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिया गया प्रस्ताव विधेयक में नहीं दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, विधान गम्भीर प्रकृति वाला कार्य है। इसमें बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए। पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए। यहां पर मैं आपका ध्यान उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुच्छेद 3 की ओर दिलाना चाहता हूं। यह विधेयक विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य में एक क्षेत्र को अलग कर एक नये राज्य को बनाए जाने से सम्बन्धित है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है:

> ''उत्तर प्रदेश के विद्यमान राज्य में से एक पृथक उत्तराखंड राज्य बनाने का विनिश्चय करते समय, सरकार ने यह भी विनिश्चय किया है कि उत्तराखंड राज्य की विरचना के परिणामस्वरूप बिहार के शेष भाग से संबंधित विषयों को अनन्यत: निपटाने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष के सीधे प्रभार के अधीन योजना आयोग में एक समर्पित इकाई स्थापित की जाएगी।''

अब वे ..... में से एक राज्य ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें।

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए.वी.एस.एम. (गढ़वाल): आपने अमेंडमेन्ट नहीं पढ़ा है, उसे भी पढ़िए।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हो सकता है कोई संशोधन हो, लेकिन मेरा कहना है कि ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री खां, आपको विधेयक में क्या बात आपत्तिजनक लगती है?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मेरी आपत्ति है कि राष्ट्रपति द्वारा इस मामले को आवश्यक रूप से उत्तर प्रदेश विधान सभा को सौंपा जाना था और विधानमण्डल को इस पर अपने विचार व्यक्त करने थे। अब हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। सभा को यह सूचित किया जाना चाहिए कि विधानमण्डल द्वारा क्या विचार व्यक्त किये गए। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री को इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना चाहिए ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : स्पीकर सर, आपने कमिटमेंट किया है कि बिल के इन्ट्रोडक्शन के बाद बोलने देंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके बारे में मंत्री जी ने कहा है कि आपकी बात सुनेंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्दूमाजरा, ऐसा मत कीजिए। जो कोई भी सुबह दस बजे के पहले सूचना देता है केवल उसी को बोलने का मौका दिया जाता है। आप अब सूचना दे रहे हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाजरा : सर, पहले हम बात करेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कैसे बात करेंगे?

प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाजरा : सर, आपने चेयर से कहा था कि बिल इन्ट्रोड्यूस कर लेने दीजिए ...*(व्यवधान)* यह आप ज्यादती कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए स्थापित नियम और प्रक्रिया हैं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : सर, आपने कहा था कि इन्ट्रोडक्शन कर लेने दीजिए फिर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने के पहले हम स्पष्टीकरण चाहते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति चाहते हैं। आपको प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए। आप प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं जा सकते।

...(व्यवधान)

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : महोदय, आपने हमें आश्वासन दिया था कि विधेयक की पुर:स्थापना के बाद हम स्पष्टीकरण मांग सकते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले बात समझिए। एक प्रक्रिया है और आपको प्रक्रिया का पालन करना है। आप प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं जा सकते।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : हम दो मिनट के लिए क्लैरिफिकेशन चाहते हैं *...(व्यवधान)* सर, यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील कर रहा हूं। यह तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : ठीक है। महोदय, आप बहुत सारे सदस्यों को बोलने की अनुमति मत दीजिए परन्तु कम से कम एक सदस्य को तो बोलने की अनुमति दीजिए। हम आपसे अपील करते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों नहीं समझते? वह विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति मांग रहे हैं।

...(व्यवधान)

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : महोदय, आपको किसी को भी बुलाने का अधिकार है *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, क्या मैं आपसे अपील कर सकती हूं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मंत्री जी द्वारा विधेयक पुर: स्थापित करने से पूर्व हम कुछ कहना चाहते हैं। हमने सूचना भी दी है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रक्रिया का पालन करना होगा।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हम इस बात को दर्ज करना चाहते हैं कि हमें विधेयक को पुर:स्थापित करने से पूर्व आपत्ति है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : अभी प्रोसीजर एडॉप्ट कर रहे हैं बाद में आपको बोलने देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, विहित नियमों के अनुसार आपने उन लोगों को अनुमति दी है जिन्होंने विधेयक को पुर:स्थापित करने पर आपत्तियों की सूचना दी है। श्री मनोरंजन भक्त ने वह मुद्दा उठाया है और भूमिका में भी उन्होंने कहा है कि उन्हें इस विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं है। किंतु उन्होंने इस अवसर का उपयोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को राज्य का दर्जा देने के बारे में बोलने के लिए किया है। यह मांग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित अनेक संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाई जा रही है।

मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि यदि पांडिचेरी द्वारा मांग की जा रही है, यदि दिल्ली द्वारा यह मांग की जा रही है और मैंने यहां तक सुना है कि लक्षद्वीप में भी यह मांग धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है *...(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : महोदय, चंडीगढ़ भी।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : जी हां, चंडीगढ़ भी।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : अध्यक्ष महोदय, बोडोलैंड की क्या स्थिति है? ऐसा कोई विधेयक क्यों नहीं लाया जा रहा है? यह उस क्षेत्र के लोगों की वास्तविक वैध मांग है। यह राष्ट्रविरोधी लोगों के हित में नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह नहीं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : यह अलग मामला है और मैं उनके संपर्क में हूं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जा रहे हैं।

हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेता, श्री आरिफ मोहम्मद खां ने एक बात कही है जिसमें उन्होंने उद्घृत किया है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत पुर:स्थापित किया जा रहा है। उस अनुच्छेद में प्रावधान है कि जब संसद विधि द्वारा किसी नए राज्य का निर्माण करती है या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करती है या किसी राज्य के क्षेत्र को घटाती है या किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाती है तो ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की [illegible] संसद की किसी भी सभा में पुर:स्थापित नहीं [illegible] उन्होंने सही कहा है। जब इस प्रकृति का [illegible] पुर:स्थापित किया जाता है तो सरकार पर यह बंदिश लगाई गई है। यही नहीं वह अनुच्छेद राष्ट्रपति पर भी एक सीमा लगाता है और इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति ऐसे किसी विधेयक की सिफारिश नहीं कर सकता है जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र. सीमाओं या नाम पर पड़ता है, उस विधेयक को संसद द्वारा उस राज्य के विधानमंडल को ऐसी अवधि के भीतर उस पर राय व्यक्त करने के लिए भेजा जाता है जो विनिर्दिष्ट की जाए।

इस विशेष अनुच्छेद के अन्तर्गत किसी विधेयक के पुर:स्थापन को शासित करने वाली दो सीमाएं हैं। मैं केवल यह कह सकता हूं कि जब पिछले सत्र में सरकार ने विधेयक पर विचार किया तो इन दो सीमाओं को ध्यान में रखा गया था। सत्र के बाद हमने राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त की राष्ट्रपति ने कहा कि मैं इसकी सिफारिश नहीं कर सकता हूं। मैं पहले विधि के अधीन इसे विधान सभा को भेजूंगा और उसकी राय प्राप्त करूंगा? उन्होंने विधान सभा की राय ली और फिर हमें सिफारिश के बारे में औपचारिक रूप से सूचित किया जो मैंने आपको दी है। इसलिए सभी आवश्यक अपेक्षाएं पूरी की गई हैं। इसलिए किसी व्यक्ति द्वारा यह सुझाव देना कि इस विधेयक को अधिनियमित करना इस सभा की विधायी क्षमता के भीतर नहीं है, सही नहीं है।

प्रक्रिया नियमों में ही कहा गया है कि जिस वास्तविक बिंदु पर किसी विधेयक के पुर:स्थापना का विरोध किया जा सकता है वह यह है कि यह सभा की विधायी क्षमता के भीतर नहीं है। जहां तक संशोधन आदि का संबंध है संसद विचार कर सकती है हम सभी विचार कर सकते हैं और विधान सभी की राय पर भी विचार किया जा सकता है। किंतु जहां तक किसी विधेयक के पुर:स्थान की मूल शर्तों का संबंध है उन्हें सम्यक रूप से पूरा किया जाना चाहिए। मैंने उनके बारे में आपको पहले ही बता दिया है। इसलिए मुझे आशा है कि यह सभा मुझे इस विधेयक को पेश करने की अनुमति देगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ, को एक टिप्पणी करनी है। प्रो. चन्दूमाजरा हालांकि आपने 10 बजे से पहले सूचना नहीं दी है किंतु अध्यक्षपीठ से विशेष अनुमति के रूप में मैं आपको एक मिनट की अनुमति दे रहा हूं। मैं कुमारी ममता बनर्जी को भी एक मिनट बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : स्पीकर सर, गृह मंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के लिए सदन में जो बिल प्रस्तुत किया जा रहा है उस पर यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि उत्तराखंड में ऊधमसिंह नगर को रखे जाने का हमारी पार्टी ने पहले भी विरोध किया है और मैं आज भी विरोध कर रहा हूं। ऊधमसिंह नगर की भाषा, संस्कृति और भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि वह उत्तराखंड से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। इसलिए उसे उत्तराखंड में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसके बारे में हमने प्रधान मंत्री से मिल कर अपना विरोध जताया था। उन्होंने माननीय जार्ज फर्नान्डीज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। उस समिति की अभी तक केवल एक बैठक हुई है। ऊधमसिंह नगर के लोगों को अभी तक नहीं सुना गया है। उनकी भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। उस समिति की मीटिंगें चल रही हैं। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब तक वह कमेटी है और उसकी मीटिंग चल रही है तब तक इस बिल को इंट्रोड्यूस न करें। अगर इस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो फिर इस कमेटी का क्या लाभ होगा और उसकी मीटिंगों का क्या फायदा होगा। बिल के इंट्रोडक्शन के बाद उस कमेटी के होने या न होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक इस बिल पर आगे डिसकशन नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट से पहले इस बिल पर हाउस में चर्चा नहीं होनी चाहिए।

यदि चर्चा होगी, तो हम उसका विरोध करेंगे और उत्तराखंड में ऊधमसिंह नगर नहीं जाने देंगे।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमें नए राज्यों के निर्माण या किसी अन्य बात पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हम इस देश के लोगों की भावनाएं समझते हैं। एकमात्र समस्या ऊधमसिंह नगर के बारे में है। ये कुछ समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि विभाजन के बाद शरणार्थी विशेष रूप से बंगाली और सिक्ख व कुछ अन्य लोग देश में आए। 225 पंचायतों में से हमने 200 पंचायतों की सिफारिशें प्राप्त कर ली हैं वे उत्तर प्रदेश के मैदानी लोगों के साथ रहना चाहते हैं। इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। किंतु हम माननीय गृह मंत्री से अपील करते हैं कि कोई निर्णय लेने से पूर्व हमें उन लोगों को किसी विशेष राज्य में रहने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। हमें मानवीय आधार और स्थानीय लोगों की भावनाओं पर भी विचार करना होगा। यदि वे उत्तर प्रदेश में रहने के लिए सहमत हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु जब समिति की स्थापना की गई तो समिति ने उस क्षेत्र का दौरा नहीं किया और वहां के लोगों से बात नहीं की। क्या मैं गृह मंत्री जी से जिन्हें मैं एक समझदार व्यक्ति मानती हूं और प्रधानमंत्री जी से जो यहां उपस्थित हैं, अनुरोध कर सकती हूं कि अंतिम निर्णय लेने से पूर्व वे वहां के लोगों की इच्छा पर विचार करें ताकि दूसरे पक्ष के लोगों में भी विद्वेष भावना पैदा न हो कि वे इस राज्य में रहना नहीं चाहते हैं।

इसलिए, मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे इस बारे में कुछ कहें।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : अध्यक्ष महोदय, और इस सभा के सम्मानित सदस्यों मेरा हृदय दुख से फट रहा है क्योंकि वर्तमान केन्द्रीय सरकार ने असम की बोडोलैंड अलग राज्य की मांग के वास्तविक उद्देश्य के साथ धोखा किया है।

मैं देश में तीन अलग नए राज्यों का उचित न्याय और न्याय के साम्य वितरण और सुशासन के अनुसार निर्माण का तहेदिल से समर्थन करता है। किंतु मैं यहां एक बात को देख रहा हूं कि बोडोलैंड के मूल निवासियों की वास्तविक व वैध मांग की अक्सर उपेक्षा की जाती है। आज सरकार केवल तीन विधेयक पुरःस्थापित करने जा रही है जो उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ अलग राज्यों के निर्माण से संबंधित है।

1987 में बोडोलैंड आन्दोलन के आरंभ से आज तक 2000 से अधिक लोगों की हत्याएं की गई हैं या मारे गए हैं। यह हमारी वास्तविक मांग है और यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वर्तमान स्थिति में हम मूल बोडो लोग असम के साथ ही रह सकते हैं। इसलिए हम असम के साथ नहीं रहना चाहते हैं और इसीलिए हम अलग बोडोलैंड की मांग कर रहे हैं। यह हमारी वास्तविक मांग व जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्हीं कारणों ने हमारे नागा भाइयों, मिजो भाइयों, अरूणाचलवासी भाइयों और मेघालय के लोगों को असम से अलग होने के लिए बाध्य किया है, इसलिए वर्तमान स्थिति में भारत सरकार को हमारी मांग पर विचार करना चाहिए और इसीलिए, मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि राष्ट्रहित में हमारी मांग पर विचार करें और अविलम्ब अलग बोडोलैंड राज्य के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक लाएं। अन्यथा हम यह नहीं मान सकते कि हम भारतीय हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अब बैठ जाइए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : अन्यथा भारत की स्वतंत्रता का बोडो लोगों के लिए कोई अर्थ नहीं होगा। मैं सभी संसद सदस्यों से अपील करता हूं और चाहता हूं कि वे मेरे संवैधानिक अनुरोध पर विचार करें और हमारी भावनाओं को समझें। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी व प्रधानमंत्री जी इस संबंध में सकारात्मक आश्वासन दें।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री मनोरंजन भक्त, आप पहले ही बोल चुके हैं। अब कृपया मंत्री जी।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदय, अभी गृह मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, उससे मुझे निराशा हुई है। *...(व्यवधान)* मैं सातवीं दफा इस सदन में चुनकर आया हूं और मैं कभी भी शिष्टाचार से बाहर नहीं गया। *...(व्यवधान)* आज भी मैं शिष्टाचार को भंग नहीं करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि देश में

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मनोरंजन भक्त]

एक परम्परा बन गयी है कि जब लोग हथियार उठा लेते हैं तब उनकी बात सुनी जाती है। ...*(व्यवधान)* जो लोग शिष्टाचार से बात करते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है और उनको हमेशा धक्का दिया जाता है। ...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी, सारे देश में आपको ...*(व्यवधान)* एक सज्जन व्यक्ति के रूप में मानते हैं। ...*(व्यवधान)* आप इस बारे में मेहरबानी करके बताइये ...*(व्यवधान)* ताकि मैं आपके व्यूज भी सुन लूं। ...*(व्यवधान)* मुझे इस बात का तो अहसास हो जायेगा कि इस देश का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वह इस बात पर ध्यान दे रहा है। ...*(व्यवधान)* अगर आप इस पर कुछ कहेंगे ...*(व्यवधान)* मैं हमेशा शिष्टाचार के साथ बोला ...*(व्यवधान)* इसलिए आज भी शिष्टाचार के बाहर नहीं जाऊंगा। ...*(व्यवधान)* मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला इसलिए मैं वाकआउट कर रहा हूं।

[अनुवाद]

— : कृपया बैठ जाइए।

अपराह्न 3.30 बजे

तत्पश्चात् श्री मनोरंजन भक्त सभा भवन से बाहर चले गए

कुमारी ममता बनर्जी : सरकार ने यह आश्वासन दिया था। हां, मैं भी समिति में थी। प्रधानमंत्री आपके क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तरांचल के बारे में मैं अपनी कुछ बात रखना चाहती हूं, क्योंकि अभी माननीय गृह मंत्री जी ने नियमों के बारे में कोट करके यह अवगत कराया है कि हमने नियमों का पालन किया है। मैं यह समझती हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है और ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश का जहां तक मामला है, जब उत्तरांचल को अलग स्टेट बनाने के लिए मामला यू.पी. असेम्बली को रैफर किया गया तो यू.पी. असेम्बली ने स्पेशल सैशन बुलाया था और उस स्पेशल सैशन में हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर, दोनों जिलों का मामला आया। यू.पी. की असेम्बली ने यह फैसला लिया था कि हरिद्वार जिले को उत्तरांचल में शामिल नहीं किया जायेगा और ऊधमसिंह नगर का मामला हम सैंटर के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन आज जो ये बिल इण्ट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसमें असेम्बली में जो कुछ फैसला लिया ...*(व्यवधान)*

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : फैसला नहीं है, सुझाव है।

कुमारी मायावती : उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, उसको स्पष्ट करना चाहिए। मेरा यह कहना है कि सत्ता पक्ष के लोग जल्दबाजी में राजनैतिक फायदा लेने के लिए हरिद्वार जिले के लोगों को और ऊधमसिंह नगर के लोगों की राय जाने बिना इस बिल को जो इण्ट्रोड्यूस कर रहे हैं, यह गलत है। अगर जबरदस्ती इण्ट्रोड्यूस किया जायेगा तो हम इसका विरोध करेंगे। हम बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हैं कि दोनों जिलों के लोगों की राय जाने बिना यदि जबरदस्ती बिल इण्ट्रोड्यूस किया जायेगा तो यह एक गलत परम्परा कायम होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, कृपया मंत्री जी बोलेंगे।

श्री आर.एस. गवई (अमरावती) : कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए मैं इस मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। मैं एक मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने उन्हें इसलिए बोलने की अनुमति दी क्योंकि वे उस राज्य के हैं। कृपया यह समझने की कोशिश करें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, जो बातें चन्दूमाजरा जी ने, ममता जी और मायावती जी ने कही हैं, मुझे विश्वास है कि जिस समय इस बिल पर संसद विचार करेगी या अगर यह विधेयक स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, उसमें विचार होगा तो इन बातों को ध्यान में रख कर ही निर्णय किया जायेगा। बिना उसके जबरदस्ती इसको पारित करने का सवाल नहीं है।

वर्षों से इस सदन में अगर परम्परा रही है कि इण्ट्रोडक्शन की स्टेज पर विरोध न करो तो उसका कारण है कि इण्ट्रोडक्शन

की स्टेज पर वास्तव में जो चर्चा होती है, वह उसी पर होती है, जिस पर श्री आरिफ मोहम्मद खान ने सही रूप से उठाई कि क्या इस पार्लियामेंट को इस प्रकार का विधेयक पारित करने का अधिकार भी है? क्या उसके लिए जितनी सारी प्रक्रियाएं करनी चाहिए थीं, वे की हैं कि नहीं की हैं? उसकी चर्चा के अलावा बाकी जितनी बातें हैं, जैसे ऊधमसिंह नगर के लोगों की इच्छा या हरिद्वार के लोगों की इच्छा, इस इच्छा को ध्यान में रखे बिना कोई निर्णय नहीं होगा। यही कारण है कि जिसका इस संसद् से सम्बन्ध नहीं, लेकिन हमारी अपनी जो कोआर्डीनेशन कमेटी है, उस कोआर्डीनेशन कमेटी में जब कुछ आशंकाएं प्रकट की गईं, ममता जी द्वारा हों या और किसी सदस्य के द्वारा हों तो तुरन्त प्रधान मंत्री जी ने तीन वरिष्ठ नेताओं को यह कार्य सुपुर्द किया कि आप इस मामले को देखकर, हरिद्वार की बात को देखकर, ऊधमसिंह नगर की जनता की इच्छाओं को भी देखकर एक रिपोर्ट दें और कोशिश करो कि सर्व-सम्मत रिपोर्ट दे। वह रिपोर्ट आयेगी, उसके बाद ही बिल पास होगा, इतना मैं आपको कहना चाहता हूं। वह रिपोर्ट जो भी आयेगी, उसको सरकार बहुत वजन देगी, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : डिस्कशन भी उसके बाद ही होगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, उसके बाद होगा। अभी तो डिस्कशन हो ही नहीं रहा।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : उतनी देर तक यह बिल स्टेडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.36 बजे

मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन का और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन का और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न $3.36^{1}/_{2}$ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं उत्तर प्रदेश@ और मध्य प्रदेश@@ राज्यों के पुनर्गठन के बारे में संबंधित विधानमंडलों के सुझावों को भी सभा पटल पर रखता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 22.12.98 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

@[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2145/98]

@@[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2146/98]

अपराह्न 3.37 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, जैसा कि विभिन्न दलों के साथ इस संबंध में बात की गई है मद संख्या 25 पर बाद में चर्चा की जाएगी ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : आइटम नम्बर 25 को क्यों नहीं लिया जा रहा है ...(व्यवधान) आज इस बिल को नहीं लेने का क्या कारण है ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अब अध्यक्षपीठ सभा की राय जानना
बजे नियम 193 के अधीन विदेश संबंधी मामलों पर चर्चा करनी है। यदि सभा सहमत होती है, तो हम वह चर्चा अब कर सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां। ...(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र के साथ द्विपक्षीय बातचीत के संबंध में अपने वक्तव्य में कुछ मुख्य विषयों का हवाला दिया है ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गहलोत : नियम 376 के तहत मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज की कार्यसूची में मद 31 में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने की बात है। अभी जो विषय लिया जा रहा है, वह सबसे आखिर में है और इसके बारे में लिखा है कि अपराह्न 4 बजे अथवा कार्यसूची की पूर्ववर्ती मदों के निपटान के तुरन्त बाद, जो भी पहले हो, लिया जाएगा। कार्यसूची की 31वीं मद अभी बाकी है। 1981-1991 की सात-आठ साल पहले की अनुसूचित जाति और जनजाति की रिपोर्ट है, उस पर चर्चा होनी है, अगर यह नहीं हुई तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ अन्याय होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया बात को समझिए कि मंत्री महोदय की ओर से विदेश संबंधी मामलों पर चर्चा के संबंध में अनुरोध किया गया है। मैंने सभा की राय भी ली है। इसलिए, कृपया समझिए। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुंडा : मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रूपचन्द पाल : इतने पाइंट आफ आर्डर में हमारा तो डिसआर्डर हो जाएगा।

[अनुवाद]

महोदय, प्रधानमंत्री जी ने बातचीत के अनेक दौरों में हुई चर्चा के मुख्य विषयों का उल्लेख किया है। इस संसद को वार्ता के अनेक दौरों में चल रही बातचीत के संबंध में अंधेरे में रखा गया है।

अपराह्न 3.40 बजे

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

महोदय, राष्ट्र बातचीत के संबंध में जानने के लिए उत्सुक है क्योंकि ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थी कि बातचीत के अन्तर्गत ही भारत धीरे-धीरे अमरीकी प्रतिनिधि और अन्य बातचीत करने वालों के दबाव में आ रहा है।

पोखरण-पूर्व अवधि में विदेश नीति के एक भाग के रूप में भारत की परमाणु नीति ही एक ऐसी नीति थी जिस पर राष्ट्रीय आम सहमति थी लेकिन पोखरण परिदृश्य के पश्चात् की परिस्थितियों में, हमने कहा था कि यह दुस्साहस भारत को इन दबावों, विशेषकर कि अमरीका और अनन्य परमाणु क्लब के दबावों के प्रति अधिक कमजोर बना देगा और इससे भारत अलग-थलग हो जाएगा।

पिछले कुछ महीनों के दौरान हमारी आशंका सही सिद्ध हुई है। यह कहा गया है कि बातचीत के दौरान कुछ प्रगति हुई है और यह वार्ता अभी तक चल रही है। स्वयं माननीय विदेश मंत्री इस वार्ता से जुड़े हुए हैं और वह इस बात की पुष्टि कर सकते है कि वार्ता छः दौरों की थी या सात दौरों की। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वक्तव्य में बातचीत के छः दौरों का उल्लेख किया गया है लेकिन हम जानते हैं कि 19 नवम्बर को रोम में बातचीत का एक अन्य दौर चला था।

बातचीत के सातवें दौर में अमरीका ने अपने पत्ते खोले। 12 नवम्बर को राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक अधिसूचना में यह सुझाव दिया था कि भारत को न केवल सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने चाहिएं बल्कि एन.पी.टी. में भी शामिल होना चाहिए। तैनाती के प्रश्न पर, यह उल्लेख किया गया था कि भारत को परमाणु शस्त्रों की तैनाती की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी। 12 नवम्बर की उस अधिसूचना के अनुपालन के रूप में अमरीकी प्रतिनिधि स्ट्रोब टालबॉट जो कि वार्ता से जुड़े हुए थे, ने टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक लेख में और इससे पहले ब्रुकिंग संस्थान में दिए गए एक वक्तव्य में यह स्पष्ट किया था कि भारत को न केवल सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने चाहिए बल्कि विखंडनीय पदार्थों के प्रसार को भी रोकना चाहिए और विखंडनीय पदार्थ समापन संधि में भी शामिल होना चाहिए और तत्पश्चात् डिलवरी सिस्टम तथा परमाणु शस्त्रीकरण की तैनाती से भी बचना चाहिए।

अमरीकी प्रतिनिधि द्वारा इस बात को स्पष्ट करने से पहले राष्ट्र को अंधेरे में रखा गया था। हालांकि पाकिस्तान को भी इसी तरह की बातचीत में शामिल किया गया था फिर भी उन्होंने सब कुछ पारदर्शी रखा कि क्या वार्ता चल रही है और बातचीत में किन-किन मुद्दों को शामिल किया गया है, किन मुद्दों पर सहमति हुई है और किन मुद्दों पर सहमति नहीं हुई है।

महोदय, दुर्भाग्यवश, जब भी हमने यह प्रश्न पूछा तो हमें यह बताया गया था कि यह 'गुप्त बातचीत' थी। लेकिन इस रहस्य से स्वयं अमरीकी प्रतिनिधि ने परदा उठाया और वह भी भारतीय राष्ट्रीय दैनिक में छपे एक लेख द्वारा। उन्होंने खुले रूप से अमरीकी शर्तों को सामने रखा।

पोखरण-II परीक्षणों के बाद मेरे प्रश्न के उत्तर में 4 जून को यह कहा गया था कि "11 तथा 13 मई, 1998 को पोखरन में हुए परमाणु परीक्षणों के बाद सरकार ने राजनीतिक दायरे में नहीं बल्कि पारस्परिक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करते हुए सी.टी.बी.टी. की कुछ बातों का समर्थन करने पर विचार करने के लिए अपनी इच्छा का संकेत दिया था। विस्फोटों के तत्काल बाद यही वक्तव्य श्री ब्रजेश मिश्र द्वारा दिया गया था, प्रधान मंत्री के कार्यालय की ओर से श्री प्रमोद महाजन द्वारा स्थिति का यही जायजा दिया गया था। यह 'पारस्परिक प्रतिक्रिया क्या है'?

बातचीत के सात दौरों के बीच अमरीकी पक्ष की क्या प्रतिक्रिया थी? प्रधानमंत्री जी ने भारत की स्थिति को दोहराया कि हम पूर्ण निरस्त्रीकरण और परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व के अपने लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध है। क्या वह इससे सहमत हुए? हमारा अनुभव यह है कि आज तक निरस्त्रीकरण के बारे में जो भी और जहां भी बातचीत हुई है वह उससे सहमत नहीं हुए हैं। उन्होंने एक अलग परमाणु क्लब गठित करना चाहा और अब उन्होंने एन.पी.टी. का भी विस्तार कर दिया है।

सी.टी.बी.टी. के संबंध में अमरीकियों की बड़ी-बड़ी शर्तें थी लेकिन एक समय, वे अपनी स्थिति में बदलाव लाए और अपने हितों के अनुरूप उसमें कतिपय ऐसी बातें शामिल कर दी जिससे उन्हें सीधे प्रसार (वर्टिकल-प्रोलिफरेशन) 'सब क्रीटिकल' परीक्षणों, कम्प्यूटर सिंमूलेशन इत्यादि की अनुमति मिल जाती है। कम से कम तीन परीक्षण-शालाएं विशुद्ध संलयन शस्त्र प्रणालियां विकसित करने में लगी हुई हैं। वह सी.टी.बी.टी. के बाहर हैं। वह अपने तरीके से इनकी व्याख्या कर रहे हैं। अपने उत्तकृष्ट राष्ट्र हित में वे अपनी परीक्षणशालाओं में जन संहार के बहुत ही अत्याधुनिक और परिष्कृत किस्म के शस्त्रों का परीक्षण करने जा रहे हैं और इस प्रकार उन्हें भूमिगत परीक्षणों की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी क्योंकि इस क्षेत्र में उन्होंने काफी कुछ हासिल कर लिया है। इस समय तक 2000 से अधिक ऐसे परीक्षण हो चुके हैं और इसमें से आधे से थोड़े ज्यादा परीक्षण स्वयं अमरीकियों द्वारा ही किए गए हैं।

महोदय, हम अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, अपने परमाणु सिद्धांत, पहले इन शस्त्रों का इस्तेमाल न करने संबंधी संकल्पना की बात कर रहे हैं कि हम गैर-परमाणु शक्तियों पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हमने विश्वसनीय न्यूनतम सुरक्षापायों के बारे में भी बोला। उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? इस विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु निवारक संकल्पना का अभिप्राय क्या है?

यह केवल मेरा प्रश्न नहीं हैं, यह केवल संसद का प्रश्न नहीं है। यह वही प्रश्न है जो कि अनेक बातचीतों के दौरान अमरीकी प्रतिनिधि द्वारा पूछा गया था। अमरीकियों की परमाणु निवारक संकल्पना अपनी होगी। एक पुस्तक में इस बात का अमरीकी विशेषज्ञ द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उन्हें न्यूनतम परमाणु निवारक क्षमता विश्वसनीय सुरक्षोपाय के रूप में भारत की ओर

[श्री रूपचन्द पाल]

से व्यक्त किए गए विचारों पर कोई विश्वास नहीं है। इसका क्या अर्थ है? शस्त्रीकरण। विस्फोट के बाद सरकार को शस्त्रीकरण की ओर अग्रसर होगी। हमें इस पर कड़ी आपत्ति है। इस राष्ट्र, वैज्ञानिकों और अन्य लोगों को इस संबंध में गंभीर आपत्ति है। वे कहते हैं कि यह दुस्साहस पूरे राष्ट्र को गंभीर कठिनाई में डाल देगा।

अब, 12 नवम्बर की स्थिति के पश्चात् सारी बातें सामने आ रही हैं मिजाइल नहीं छोड़ी जाएगी, हालांकि हम अपने बक्तव्य में बहादुरी का दिखावा कर सकते हैं। समस्या की जड़ यह है कि वे एक के बाद एक पेच कसते जा रहे हैं। यदि इसका कोई परिणाम निकला है तो वह यह है कि उन्होंने अपने प्रतिबन्ध और कड़े कर दिए है। वक्तव्य में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ब्रुकिंग संस्थान के अभिभाषण टाइण्स ऑफ इण्डिया के लेख और 200 भारतीय निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की वस्तु सूची के संबंध में अमरीकी राष्ट्रपति की अधिसूचना जो कि ... चार दिन पहले आई थी। ये कम्पनियां क्या ... वस्तु-सूची में खाद्य प्रसंस्करण एकक लार्सन एण्ड टबो भी शामिल हैं जिन्होंने पांच वर्ष पहले परमाणु शक्ति के लिए कुछ किया था और गॉदरेज तथा बॉयस कम्पनी जो कि जनसाधारण की वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। वह भी इस सूची में शामिल हैं। उन्हें परमाणु अनुसंधान अथवा इस तरह की किसी भी चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन उनको क्या हो गया है? क्या बातचीत के बीच में इस संबंध कोई आपत्ति उठाई गई थी? ऐसा नहीं हुआ था। हम उनकी इस स्थिति के आगे झुक रहे हैं जिससे कि वह चिपके हुए हैं।

वक्तव्य में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चार मुख्य मुद्दों पर बातचीत की गई है, और उनका उल्लेख किया गया है। उनमें से एक है सी.टी.बी.टी.। हम सी.टी.बी.टी. के संबंध में अपनी स्थिति जानते हैं। वर्ष 1996 में जब यह संधि सामने आई थी तो भारतीय प्रतिनिधि ने सी.टी.बी.टी. का विरोध किया था कि निरस्त्रीकरण के प्रति इसमें कोई वचनबद्धता नहीं है जो कि हमारा लक्ष्य है और जिसके प्रति हम वचनबद्ध हैं और जिसका हम पंडित नेहरू के समय से पिछले पांच दशकों से अनुसरण कर रहे हैं। यहां तक कि जब हमने इस सी.टी.बी.टी. के प्रति अपनी सहमति जाहिर की थी, तो हमें उम्मीद थी कि धीरे-धीरे यह निरस्त्रीकरण, नरसंहार के हथियारों की पूर्ण समाप्ति की ओर अग्रसर होगा। यहां तक कि जब श्री राजीव गांधी ने अपने समयबद्ध कार्यक्रम का ऐतिहासिक फार्मूला प्रस्तुत किया, तब क्या प्रतिक्रिया हुई? चाहे वह अमरीका हो अथवा परमाणु क्लब, वह भिन्न तरीके से, भिन्न स्तर पर अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं जिसमें उन्हें इस क्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति हो जबकि अन्य अर्थात् विकासशील देशों को इस बात की अनुमति न दी जाए। विकासशील देश सहमत हो गए थे लेकिन अब सी.टी.बी.टी. के लक्ष्य तीन मुख्य देश भारत, पाकिस्तान और ईज़रायल हैं।

पाकिस्तान के संबंध में अमरीकी कूटनीति का पूरा इतिहास यह बताता है, विशेषकर कि वर्तमान परिस्थितियों में, उनकी भौगोलिक राजनीतिक नीति में पाकिस्तान महत्वपूर्ण है। यह उन्हें इन सभी क्षेत्रों के तेल को नियंत्रित करने के लिए सी.आई.ए. देशों तक पहुंचायेगा। आप देख रहे हैं कि यहां तक कि अफगानिस्तान के तालीबनों की भी आलोचना नहीं की जा रही है। उनका पाकिस्तान के प्रति नम्र रवैया है। हालांकि वह समानता का दिखावा करने की कोशिश कर सकते हैं। यहां तक कि पिछली मंजूरियों में, जिन्हें उछाला गया था, आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि यह चयनात्मक और पक्षपात-पूर्ण है और यह हमारे विरुद्ध है। हो सकता है कि हम भी यह चाहें कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाया जाना चाहिए और यह कि भारतीयों और पाकिस्तानियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिएं जो कि और बढ़ना चाहिए। हम पाकिस्तान, बंगलादेश और चीन जैसे मित्र देशों के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं जो कि संयुक्त मोर्चा सरकार के समय के दौरान विकसित और मजबूत किए गए थे। लेकिन अमरीका की रणनीति यह है कि भारत और पाकिस्तान को समान स्तर पर रखा जाए और फिर उनकी रणनीति का अनुसरण किया जाए। इस तरह की बातचीत साथ-साथ चल रही है। इसका अर्थ यह है कि वह बारी-बारी से भारत और पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं। वह सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत व पाकिस्तान दोनों पर दबाव डाल रहे हैं और हम प्रभावी न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता की बात कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं इसकी विस्तृत चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं उस पर बाद में आऊंगा। क्या इस प्रभावी न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता की अनुमति पाकिस्तान को भी नहीं दी जाएगी? मित्रता की उनकी संकल्पना के साथ क्या हमें एक कदम आगे नहीं चलना चाहिए? यदि हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो क्या हम इससे हथियारों की दौड़ की ओर अग्रसर नहीं होंगे? इस उप-महाद्वीप में, हमने अपने आपको सुरक्षापायों के प्रति वचनबद्ध किया है और हम अपने आपको मजबूती से हथियारों की दौड़ में भी शामिल कर रहे है। लागत के प्रश्न को छोड़िए। कितनी आवश्यकता है? पिछली गणना के अनुसार केवल पहले चरण में इस शस्त्रीकरण के लिए 50,000 करोड़ से कम की आवश्यकता नहीं होगी। यह कम करके लगाया हुआ अनुमान हो सकता है। उनकी योजना यह है कि वह हमें मजबूर करेंगे, सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने के लिए हम पर दबाव डालेंगे और इसके साथ ही शस्त्रीकरण कार्यक्रम

के संबंध में जो कुछ हम सोचेंगे, वह उसका निरीक्षण और उसकी निगरानी के लिए सबसे ऊपर रहेंगे। अमरीकी निगरानी और अमरीकी निरीक्षण के अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान इन दोनों मुद्दों से जूझते रहेंगे। जहां भी आवश्यकता होगी, वह हमें रोक देंगे। अन्यथा, यह कहा जा सकता है कि श्री स्ट्रोब टॉलबोट की बुकिंग संस्थान के भाषण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह केवल सी.टी.बी.टी. अथवा एन.पी.टी. नहीं है। अमरीका चाहता है कि भारत एन.पी.टी. में शामिल हो। हम चाहते हैं कि वे परमाणु अस्त्रों की तैनाती पर रोक लगाएं। हमें बताया गया है कि और विखंडनीय पदार्थों का उत्पादन न किया जाए और उस पर रोक लगा दी जाए। वह हमें एन.टी.सी.आर. में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। वह हमें न्यूक्लीयर सप्लायर ग्रुप के साथ निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि कुछ सप्ताह पहले अमरीकी विशेषज्ञ पेंटागॉन लोग आए थे। वाणिज्य मंत्रालय के विदेश विभाग के अधिकारियों और अमेरिका की सरकार ने भारत के साथ अनेक चर्चाएं की। लेकिन अमरीकी विशेषज्ञों के इस दौरे के बारे में संसद को अंधेरे में रखा गया।

अपराह्न 4.00 बजे

संसद को कभी भी सूचित नहीं किया गया कि अमरीकी विशेषज्ञ हमारे निर्यात नियंत्रण व्यवस्था की जांच करने के लिए किस प्रकार आए हैं। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

डिएगो गर्सिया में अमरीकी परमाणु जहाज विद्यमान है। जब इसे उठाया गया तो माननीय रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हैं। उन्हें डिएगो गर्सिया में अमरीकी परमाणु हथियार की उपस्थिति के बारे में कोई जानकारी है।

प्रसंगवश, मैं याद दिलाना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस प्रश्न का उत्तर देगी - कि प्रतिबंधों को आंशिक रूप से उठाया जा रहा है। यह प्रतिबन्धों को आंशिक रूप से उठाना मात्र एक प्रतीक है। क्या आपको वे क्षेत्र मालूम है जिन पर से प्रतिबन्ध हटाए गए हैं? यह अमरीकी स्वरक्षा विभाग और भारतीय रक्षा मंत्रालय के बीच संयुक्त सैनिक शिक्षण और प्रशिक्षण हैं। यह उन क्षेत्रों में से एक है जिन से प्रतिबन्ध हटाया गया है। यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था में किसी विशेष परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुछ धन उधार लेना चाहते है तो हमें भारत को इसकी अनुमति हीं है लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर सकता है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय विदेश मंत्री से जो स्वयं अत्यन्त ज्ञानवान व्यक्ति है जिन्होंने इन सभी चर्चाओं एवं वार्ताओं वार्तालापों चाहे किसी भी देश - चाहे वह अमरीका, इंग्लैण्ड अथवा फ्रांस अथवा कोई अन्य देश - जो वह पी-5 या जी-7 से सम्बद्ध हो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने भारत को परमाणु शस्त्र सम्पन्न राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया है। यह विशेष प्रश्न है क्या आज तक किसी देश ने भारत को परमाणु शस्त्र सम्पन्न राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है? मैं और आप यह कह सकते हैं और सरकार भी यह कह सकती है कि भारत एक परमाणु शस्त्र सम्पन्न राष्ट्र है लेकिन किसी अन्य देश ने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने हमारा मजाक उठाया है और हमें गैर परमाणु राष्ट्र के रूप में एन.पी.टी. में शामिल होने के लिए कहा है। इस संबंध में 1 जनवरी, 1967 की अंतिम तिथि सर्वविदित है।

सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने की समर्थता है क्या यह भेदभावपूर्णता को रोकेगा? क्या सी.टी.बी.टी. हमारे निशस्त्रीकरण के लक्ष्य में कोई अन्य वचनबद्धता को जोड़ेगा? क्या यह हमारे सुरक्षा मामलों को हल करेगा?

मैं चाहता हूं कि सरकार रोम वार्ता के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। रोमवार्ताओं से पहले सूची में विद्यमान देशों के माध्यम से दबाव बनाया गया था। मैं जानना चाहता हूं क्या यह प्रश्न बैठकों में उठाया गया था क्या जवाब दिया गया था? प्रतिक्रिया उदण्डतापूर्ण थी। जवाब था मैंने आपके लोगों को बता दिया है लेकिन आपने उन्हें नहीं बताया कि हम प्रतिबंध लगा रहे हैं और आप हमारी शर्तों को एक-एक करके स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें मान रहे हैं और उनका अभ्यपर्ण कर रहे है। यह उनका स्वर और भाषा का तरीका था और "दी टाइम्स आफ इण्डिया" में लेख भी था।

मुझे बताया गया कि इस नए घटक के बारे में वार्ता में प्रश्न भी उठाया गया था। मैं 19 नवम्बर की बैठक की बात कर रहा हूं। यह वितरण प्रणाली तैनात करने, मिसाइलों और सभी अन्य चीजों के बारे में थी। क्या यह नए घटक हैं? यदि आज अमरीका के भारत के प्रति दृष्टिकोण के पूरे इतिहास को देखें तो समझे नया कुछ भी नहीं है।

सरकार को इसका पता होना चाहिए। लेकिन थोड़े से राजनीतिक लाभ के लिए उनकी परमाणु कार्यक्रम के प्रति इतनी आसक्ति है। उन्होंने पूरे राष्ट्र को फुसला लिया है और इस राष्ट्र को कमजोर बना दिया है अब ऐसा दबाव डालना कैसे सम्भव है जो पहले संभव नहीं था? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अलग-थलग पड़ गए हैं। राष्ट्रों के समुदाय में, हमारे दूरस्थ पड़ोसियों,

[श्री रुपचन्द पाल]

गुट निर्पेक्ष आन्दोलन से सम्बन्ध रखने वाले देशों का हममें विश्वास था और वे हमारे नेतृत्व में विश्वास रखते थे। अब वे हम पर विश्वास नहीं रखते है। हम उस उच्चासन अथवा नैतिक अधिकार को खो चुके है कि उन्हें कुछ करे अथवा नेतृत्व प्रदान करे। यदि इस राष्ट्र को बचाना है तो हमें उसी स्थिति को पुन: प्राप्त करना होगा। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए दो बातें हैं यदि सरकार असफल रहती है तो संसद से यह संदेश दिया जाना चाहिए कि यह देश सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर नहीं करेगा और यह देश हथियार की दौड़ में भी शामिल नहीं होगा। हम जो आज कर रहे है उसके बजाय ऐसा करने से हम अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त कर सकेंगे।

संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन काल के दौरान चीन, पाकिस्तान और बहुत से अन्य पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधरे थे। लेकिन परमाणु विस्फोट के पश्चात् अचानक हमारे प्रधान मंत्री अमरीका के राष्ट्रपति को यह कहते हुए पत्र लिखते हैं कि चीन हमारा [illegible] अचानक इसका पता किस प्रकार लगाया गया? इस [illegible] जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार सहयोगियों और महत्वपूर्ण नेताओं ने स्थिति को बाद में बदतर कर दिया और हमें अलग-थलग कर दिया। इसी अकेले पत्र के परिणामस्वरूप ही यह बढ़ता हुआ दबाव है।

मैं अपनी बात 10-15 मिनट में समाप्त करूंगा। मैं इसे आरम्भ कर रहा हूं। मेरे कहे गए मुद्दों पर ही कई चर्चाएं होंगी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करे। समय की सीमा है। अनलिमिटेड टाइम नहीं दिया जा सकता है। इस पर अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं। अत: कृपया अब कनक्लूड करें।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : नहीं, मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं समाप्त कर रहा हूं।

अब एक विचार किया जा रहा है जिसे कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नही है। वह क्या है? वे अदला-बदली की बात करे रहे है। हम सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करेंगे बशर्ते हमें उच्च प्रौद्योगिकी अथवा द्वि प्रयोग प्रौद्योगिकी दी जाए और प्रतिबन्ध हटा दिये जाए। अमरीकी सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? उन्होंने उसी भाषा में 'न'' कहा है जिसके वह आदी हैं। लेकिन अभी भी हम द्वि प्रयोग प्रौद्योगिकी और सभी अन्य चीजों के बारे में बोल रहे हैं।

इस समय अमरीका ने भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोल दिया है। वार्ताओं के माध्यम से वे हमें धीरे-धीरे एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। अब सी.टी.बी.टी. की प्रविष्टि खण्ड के कारण ऐसी स्थिति आ गई है जिसका हमने विरोध किया है। जैसाकि मैंने पहले कहा है कि तीन प्रवेशद्वार देश है। इजराइल को छोड़ दीजिए। पाकिस्तान हमारे रणनीति योजना में ही होगा। अत: भारत पूरे खेल योजना का केन्द्र हैं अमरीका इसे दबाएगा और यदि भारत मान जाता है तो अन्य राष्ट्र भी इसे मान जाएंगे। आज तक 78 देशों में से कितने देशों ने सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर किये हैं। कितनों ने अनुसमर्थन किया है। लेकिन हम इस पर हस्ताक्षर करने को आतुर है। लगातार हम इस पर हस्ताक्षर करने की अपनी मंशा जाहिर कर रहे है। वक्तव्य में भी बताया गया है कि सितम्बर 1999 से अधिक समय नहीं लिया जाएगा और वार्ताओं के माध्यम से ही सब कुछ सरल बना लिया जाएगा। केवल 10 देशों ने ही इस पर हस्ताक्षर किये हैं और पी-5 देशों में से केवल दो देशों अर्थात् इंग्लैंड और फ्रांस ने सी.टी.बी.टी. का अनुसमर्थन किया है।

फ्रांस ने सी.टी.बी.टी. की अपने तरह के व्याख्या की है। रूस और चीन ने नहीं किया हैं। भारत सहित 44 देशों में से केवल 10 देशों ने इसे किया है। आपको जल्दी क्यों हैं? मजबूरी क्या हैं? अमरीका जानता है कि यदि भारत के माध्यम से एक बार वे इसे मनवा लेता है तो दूसरे भी इसका अनुसरण करेंगे और विभिन्न स्तर पर रूस और चीन के साथ वह इसे निपट लेगा। अमरीका के इसके अनुसरण करने पर क्या हुआ था? मेरे पास दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि विदेश मामले सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष रिपब्लिकन सीनेटर श्री हेलमट की प्रतिक्रिया क्या थी। क्या वे इसे यथाशीघ्र पारित कराने में समर्थ होंगे जैसाकि बताया गया है?

दुर्भाग्य से भारत ने अमरीका और इंग्लैण्ड द्वारा हाल के इराक आक्रमण की निन्दा नहीं की है सरकार ने इसकी केवल निन्दा की है रूस ने अपनी समस्याओं के बावजूद इसकी भर्त्सना की है। चीन ने भर्त्सना की है और कुछ छोटे देशों ने भी इसकी भर्त्सना की है। अमरीका के लोगों और विश्व की राय ने उन्हें बम्ब बरसाने को रोकने के लिए मजबूर कर दिया हैं हम अमरीका की आलोचना करने में असफल रहे है जब वह सूडान और अफगानिस्तान पर बम बरसा रहा था।

इसके अनुसमर्थन का क्या होगा? कोई नहीं जानता। लेकिन हम जल्दी में है। भूतपूर्व वित्त मंत्री के भाषणों से मुझे लगता है

कि कांग्रेस दल के सितम्बर, 1999 तक इन्तजार करो और देखते रहो'' की नीति अपनाई है। लेकिन हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है हमने स्पष्ट रूप से सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर न करने के लिए कहा है। यह सरकार देश की सम्प्रभुता और स्वतंत्रता को गिरवी रख रही है। आप शस्त्र निर्माण नहीं कीजिए। तभी हम अपनी आत्मनिर्भरता की स्थिति पर वापस पहुंच पाएंगे। बहुत लोग होंगे जो नए विश्व आदेश का विरोध करने में हमारा साथ देंगे। हमारी स्वतंत्रता पर कुठाराघात करके अमरीका और उसके कुछ सहयोगी व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते है।

जहां तक विखण्डनीय सामग्री का सम्बन्ध है हमारे देश को परमाणु शक्ति सम्पन्न 5 देशों में से किसी के भी सबसे कम भण्डार का 50% रखने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। हमारे मिसाइल कार्यक्रम की क्या स्थिति है? माननीय प्रधानमंत्री इस पर राष्ट्रीय सहमति के बारे में कह रहे है। उन्होंने कई राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठकें बुलाई हैं। राष्ट्रीय आम सहमति किस बारे में? हमारी स्वतंत्र स्थिति को समर्पित करने के मुद्दे के बारे में। पोखरण के दुस्साहसिक कार्य के माध्यम से सरकार ने हमारी स्थिति कमजोर बना दी है। जिसका लाभ अमेरिका और अन्य देश हमें अपनी चालों के समक्ष झुकाने के लिए दबाब डालने के लिए उठा रहे हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें परमाणु कार्यक्रमों और रक्षा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने का अधिकार भी मिले। संयुक्त मोर्चा सरकार के कार्यकाल के दौरान ऐसा नहीं हुआ। मैं पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा लिखे एक पत्र को पढ़ रहा था। 1996 के दौरान भी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का प्रश्न उठा था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री चन्द्रशेखर से परामर्श किया गया था, किंतु इस बार आप जिस गंभीर कठिन स्थिति में फंस चुके हैं उससे निकलने के लिए राष्ट्रीय आम सहमति बनाना चाहते है।

राष्ट्रीय आम सहमति थी, लेकिन भा.ज.पा. के नेतृत्व वाली सरकार ने उसे भंग कर दिया। एक राष्ट्रीय नीति थी, यदि यह राष्ट्रीय आम सहमति की बहाली करती हो तो ऐसा किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि अमेरिकी चालों का शिकार न बने, स्वयं को इस जाल से मुक्त करो, शस्त्रीकरण मत करें और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर मत करें। इससे हम अपनी स्थिति को पुन: प्राप्त कर लेंगे और जिन लोगों से हम अलग हो गए हैं, उनका हम में नया विश्वास पैदा हो जायेगा।

अन्त में, प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में द्विपक्षीय वार्ता के बारे में बहुत कुछ कहा है। किंतु फ्रांस, ब्रिटेन और कई अन्य देशों

के साथ वार्ता की गई थी, उनके प्रतिनिधि आए थे और अन्त में इसका उल्लेख किया गया था किंतु हमारी स्थिति के बारे में उनकी प्रतिक्रिया का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि उन्होंने इसे सराहा है या वे अपने रवैये पर कायम हैं? दक्षिण अफ्रीका की सरकार का क्या रूख है? श्री नेल्सन मंडेला ने इसे किस रूप में लिया है? विकासशील देशों जिनका हम पर विश्वास है, जिन्होंने हमारा नेतृत्व स्वीकार किया है, जिनके हमारे साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिनके साथ हमारी दीर्घकालीन मैत्री है, वे इसे किस दृष्टि से देखते हैं? उनकी प्रतिक्रिया के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब समाप्त किया जाए।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि भा.ज.पा. ने अपने उत्साह या यूं कहें, उग्रराष्ट्रवाद में देश को गंभीर कठिनाइयों में फंसा दिया है और संसद का कर्त्तव्य है कि वह राष्ट्र को बचाए। यदि सरकार अमेरिकी सरकार या उनके सहयोगियों को सही संदेश भेजने में विफल रहती है और यह कहती है कि हम व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्तक्षर नहीं करेंगे और हम परमाणु शस्त्रीकरण नहीं करेंगे तो संसद को ऐसा संदेश देने का अधिकार है।

अपराह्न 4.17 बजे

मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा उपचार तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम के प्रारूप का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

[हिन्दी]

सभापति महोदय : बीच में स्टेचुटरी रेजोल्यूशन लेंगे। आइटम नम्बर 32, माननीय गृह मंत्री जी।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

''कि यह सभा मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 8 और

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत बनाए गए तथा 15 दिसम्बर, 1998 को सभा पटल पर रखे गए मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा उपचार तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1998 के प्रारूप का अनुमोदन करती है।''

यह एक साधारण संकल्प है जिसका आशय इस विशेष अधिनियम के नियम 31 में संशोधन करना है और यह कार अग्रिम भत्ते से संबंधित है। संसद सदस्यों के मामले में ऐसा पहले ही कर दिया गया है। पहले अग्रिम 50,000 रुपये दिया जाता था अब इसे बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया गया है। यह 1987 में किया गया था। उसी के अनुरूप मंत्रियों के लिए भी अग्रिम 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये किया जा रहा है। इस संकल्प का एकमात्र उद्देश्य यही है। इसलिए मैं इसे सभा द्वारा स्वीकृत किए जाने की सिफारिश करता हूं।

सभापति **महोदय** : प्रस्ताव है:

यह सभा मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 8 और धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत बनाए गए तथा 15 दिसम्बर, 1998 को सभा पटल पर रखे गए मंत्रियों के (भत्ते) चिकित्सा उपचार तथा अन्य विशेषाधिकार संशोधन नियम, 1998 के प्रारूप का अनुमोदन करती है।''

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : इस पर सुझाव है।

सभापति महोदय : इस पर आपका कोई नोटिस नहीं है।

श्री मोहन सिंह : नोटिस नहीं है, केवल सुझाव है। आप जो कार एडवांस देते है, उस पर 15 परसेंट सूद लेते है, जो किसी भी बैंक के मुकाबले जरूरत से बहुत ज्यादा है तो आपके इस एडवांस देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब तो एक लाख रुपया एक साल के लिए बैंकों से कर्जा बिना सूद के मिल रहा है।

सभापति महोदय ठीक है, श्री मोहन सिंह। कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए।

श्री मोहन सिंह : आप यदि इतने जिज्ञासु हैं कि संसद् सदस्य और मंत्रियों को एक लाख रुपया दिया जाये तो आप

ब्याज की दर के बारे में भी पुनर्विचार करिये और उसको कम कराइये।

[अनुवाद]

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली) : सभापति महोदय, मैं एक तथ्य को माननीय गृह मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। अनेक पूर्व संसद सदस्य हमसे मिले हैं। वे इस मुद्दे पर चिन्तित हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे इसकी जानकारी है।

श्री पी. शिवशंकर : कृपया क्या आप इस बारे में गौर करेंगे और किन्हीं नियमों के अन्तर्गत उनकी सहायता करने का प्रयास करेंगे ताकि उनकी शिकायतें दूर हो सकें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सरकार इस बारे में जागरूक है। अब जब आप इस मामले को हमारे ध्यान में लाए है तो मैं निश्चित रूप से इस बात से सरकार को अवगत कराऊंगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि यह सभा मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 8 और धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत बनाए गए तथा 15 दिसम्बर, 1998 को सभा पटल पर रखे गए मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा उपचार तथा अन्य विशेषाधिकार नियम, 1998 के प्रारुप का अनुमोदन करती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : 15 प्रतिशत ब्याज जो लिया जाता है, उसके बारे में भी कुछ कह दें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अभी जो मोहन सिंह जी ने बात कही है, मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। वास्तव में हमारे यहां इसके लिए संसद की संयुक्त समिति है। यह बात संसद सदस्यों पर लागू है और मंत्रियों पर भी लागू होगी। अगर कमेटी ध्यान में लाती तो हम अध्यक्ष जी से सलाह करते, सरकार को करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने ध्यान दिलाया है इसके लिए मैं आभारी हूं, इसको देखा जाएगा।

अपराह्न 4.21 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता – *जारी*

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह एक ऐतिहासिक बात है कि पचास के दशक में हमारे देश ने सभी प्रकार के परमाणु हथियारों के परीक्षणों को बंद करने का पुरजोर आह्वान किया था। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से दो टूक शब्दों में विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण के प्रति हमारी विशुद्ध प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने विश्व शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराया है, उन्होंने इस बात के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराया है कि जनसंहार के सभी हथियारों को नष्ट किया जाए।

मुझे अपने माननीय सहयोगियों का ध्यान इस ओर दिलाने की अनुमति दी जाएगी कि हमारी विदेश नीति के निर्माता स्व. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अप्रैल को इस सभा में कहा था कि परमाणु, रासायनिक और जैविक शक्ति का उपयोग जनसंहार के हथियारों के निर्माण के लिए नहीं किया जाएगा। पुन: 1965 में हमारे देश ने गुट-निरपेक्ष देशों के साथ मिलकर यह नीति अपनाई थी कि विश्व के देशों को एक परमाणु अप्रसार समझौता करना चाहिए ताकि परमाणु हथियार संपन्न देश परमाणु हथियार से मुक्ति पा सकें।

स्थिति में बदलाव आया। हमारी सुरक्षा संबंधी चिन्ताएं गहरी हो गयीं, सुरक्षा संबंधी वातावरण में पूर्ण बदलाव आया और 1968 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 5 अप्रैल, 1958 को इस सभा में जोर देकर कहा था कि हम अपने ज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार से मार्गनिर्देशित होंगे। जी हां निश्चित तौर पर 1988 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस धरती से परमाणु हथियारों को समाप्त करने के लिए एक व्यापक फार्मूला बनाने का भरसक प्रयास किया था, किंतु महोदय, श्री रूपचन्द पाल जिन्होंने यह चर्चा उठाई है, ने आरोप लगाया है कि अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व ने देश में अपने संप्रभुता-अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के समक्ष त्याग दिया है।

किंतु हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि 1962 में देश को चीन द्वारा दिए गए कटु धोखे का सामना करना पड़ा था जब हमारी पीठ पर छुरा घोंपा गया था। उसी दिन से हमारा दूसरा पड़ोसी देश जिसके साथ हमने तीन लड़ाइयां लड़ी हैं, निरन्तर परमाणु प्रौद्योगिकी और परमाणु प्रक्षेपास्त्र प्राप्त कर हमारी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है।

स्थायी समिति, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने दलगत राजनीति से उठकर भाग लिया, इस निष्कर्ष तक पहुंची कि चीन भारत के लिए मुख्य सुरक्षा चुनौती है, मैं इसे दूसरे रूप में रखता हूं। इन परिस्थितियों में इस महान देश भारत के संप्रभुता को प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता की रक्षा, बल प्रयोग के विरुद्ध या बल प्रयोग की धमकी के विरुद्ध रक्षा के लिए हमें परमाणु सुरक्षोपाय के विकल्प को अपनाना पड़ा। शब्दों को बड़ी सावधानीपूर्वक गढ़ा गया – 'न्यूनतम परमाणु सुरक्षोपाय', 'विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु सुरक्षोपाय', इन परिस्थितियों में जब तथाकथित पांच परमाणु शक्तियां, परमाणु छतरी के स्वयंभू एकाधिकारी परमाणु पार्थक्यवाद घृणित की इमारतें खड़ी कर रहे थे हमारे देश ने उस इमारत को ध्वस्त करने के लिए कदम उठाया था।

मेरे मित्र बता रहे थें कि किसी भी देश ने स्वीकार नहीं किया कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। कोई देश स्वीकार करे या न करे, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका स्वीकार करे या न करें, चाहे रूस, चीन, ब्रिटेन या फ्रांस स्वीकार करें या न करें, आप चाहे किसी भी नाम से पुकारें सच तो सच ही है। भारत आज एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। यही तथ्य है, यही वास्तविकता है। जब 11 मई व 13 मई को हमने पोखरण परीक्षण किए थे तो बहुत शोरगुल किया गया था। प्रतिबंध लगाए गए थे क्योकि वे यह उपदेश देते हुए परमाणु पार्थक्यवाद की नीति चलाना चाहते हैं कि, "आपको परमाणु हथियारों का उत्पादन नहीं करना चाहिए, आपको परमाणु विस्फोट नहीं करने चाहिए।" इन देशों ने 2000 से अधिक परमाणु परीक्षण किए हैं।

भारत ने सही कदम उठाया है। इसीलिए इसे इस देश के इतिहास का निर्णायक क्षण कहा गया था। इतिहास श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिए गए कदम को नमन करेगा। मेरे कांग्रेसी मित्रों की राय अलग हो सकती है, उनके अन्य राजनीतिक मतभेद हो सकते है किंतु व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के मुद्दे पर सरकार ने उन्हें विश्वास में लिया था और आम सहमति बनाने की प्रक्रिया जारी है, जैसाकि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि

[श्री वैको]

के मुद्दे पर इस सभा में वाद-विवाद किया गया और आम सहमति से एक निर्णय पर पहुंचे थे, हमें व्यापक परमाणु परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए।

निश्चित तौर पर आंरभिक चरणों में परमाणु अप्रसार संधि और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि दोनों ही असमान, भेदभावपरक थी और व्यापक व सार्वभौमिक न थी। किंतु एक समय हमने भी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर सहयोग का रूख अपनाया है। क्या हुआ? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुच्छेद 14 का भारत के विरुद्ध प्रयोग किया गया था। भारत में 319 निगरानी केन्द्र होंगे। तब जब उन्हें हमें अपने जाल में फंसाना कठिन लगा तो उन्होंने उस अनुच्छेद में संशोधन किया। इसलिए अनुच्छेद 14 में संशोधन किया गया और इसमें 44 देशों के अनसमर्थन लगा दी गयी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस बात चाहता हूं। 44 देशों द्वारा अनुसमर्थन करने की शर्त

सभापति महोदय : कृपया, समाप्त करें।

श्री वैको : महोदय सरकार की ओर से मैं पहला वक्ता हूं। मैंने अभी अपना भाषण शुरू नहीं किया हैं। मुझे आलोचनाओं का एक-एक कर उत्तर देना है क्योंकि सरकार के विरुद्ध अनेक आरोप लगाए गए हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इस पूरे सत्र में यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिए और अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री वैको : इस मामले में गंदी राजनीति करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं इसे संक्षेप में रख रहा हूं। अन्यथा इस पर कई घंटे लग सकते है।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात पर आता हूं जब व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि में परिवर्तन किया गया तो इसमें शर्त रखी गई। अन्तर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी द्वारा अभिहित 44 देशों के अनुसमर्थन करने पर इसे सशर्त बना दिया गया। जो वियना कन्वेंशन की अवधारणा के बिल्कुल विरुद्ध है। हमें व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का हस्ताक्षरकर्ता बनाने के लिए बाध्य किया गया है। किंतु भारत सरकार टस से मस नहीं हुई। क्या हुआ? फिर इस मामले को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ले जाया गया। आस्ट्रेलिया ने आम सहमति विहीन प्रारूप संधि को स्वीकृत करने के लिए एक संकल्प पेश किया जिसके पक्ष में 158 देशों ने मत दिया, भारत, भूटान और लिबिया ने इसका विरोध किया, क्यूबा, लेबनान, तंजानिया, सीरिया और मारिशस ने मतदान में भाग नहीं लिया। यह पूछा गया था कि इस संधि का कितने देशों ने अनुसमर्थन किया। श्री रूपचन्द पाल ने इस प्रश्न को उठाया। निश्चित तौर पर केवल दस देशों ने इस संधि का अनुसमर्थन किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे। उनकी प्रणाली वह है कि राष्ट्रपति को व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने होंगे। फिर यह अनुसमर्थन के लिए सीनेट के पास जाएगी। यह एक विरोधाभास है, महाभियोग प्रस्ताव भी अनुसमर्थन के लिए सीनेट के पास भेजा जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी समय इसका अनुसमर्थन कर देगा। कुछ अन्य देश परमाणु छतरी के तथाकथित एकाधिकारी भी इसका अनुसमर्थन कर देंगे।

मैं इस सरकार के निर्णय की प्रशंसा करता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की इच्छा है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सितम्बर, 1999 में प्रवृत्त हो। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की वह इच्छा है। हम अलग-थलग बने नहीं रह सकते हैं। आज स्थिति 1996 की तुलना में बिलकुल भिन्न है; आज स्थिति उस समय से बिलकुल भिन्न है जब 1996 में इस विषय पर सभा में वाद-विवाद हुआ था, अत: एक नई स्थिति पैदा हुई है और नई स्थिति समुचित निर्णय की मांग करती है। 24 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस संसद में अपनाए गए हमारे रुख को दोहराया, माननीय प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा:-

> "भारत वर्तमान में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सहित विभिन्न मुद्दों पर अपने प्रमुख वार्ताकारों के साथ चर्चा कर रहा है। हम इन चर्चाओं को एक स्पष्ट निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं ताकि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के प्रवृत्त होने में सितम्बर, 1999 के बाद विलम्ब न हो। हमें आशा है कि अन्य देश, जैसाकि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुच्छेद चौदह में सुझाया गया है, बिना किसी शर्त के इस संधि का पालन करेंगे।" क्या मैं अपने माननीय मित्रों से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? हम अपने संप्रभु अधिकारों को कहां त्याग रहे है? हमने सावधानीपूर्वक शब्दों को गढ़ा है, "अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की इच्छा है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सितम्बर, 1999 में प्रवृत्त हो।" व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के प्रवृत्त होने में सितम्बर, 1999 के बाद विलम्ब न हो। हमें आशा है कि अन्य देश, जैसा कि व्यापक परमाणु परीक्षण संधि के अनुच्छेद चौदह में सुझाया गया है, बिना किसी शर्त के इस संधि का पालन करेंगे।

हमने कोई समझौता नहीं किया है। हमने कोई वचन नहीं दिया है। साथ ही, हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि शर्त यह है कि इस संधि का अनुसमर्थन अन्तर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी द्वारा अभिहित 44 देशों द्वारा किया जाए। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? यदि भारत छोड़ दिया जाता है और यदि अन्य 43 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो फिर क्या होगा? साथ ही हमें अपनी संप्रभुता की रक्षा भी करनी है। हमें संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से चिंता भी करनी चाहिए किंतु हमें इस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा विभिन्न रूपों में प्रतिबंध लगाए जा सकते है, बाधाएं और अड़चनें पैदा की जा सकती है। हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं। यदि हमने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो हम पोखरण परीक्षण नहीं कर सकते थे।

1987 में ही पाकिस्तान अपने पास परमाणु हथियार होने की शेखी बघार रहा था ...*(व्यवधान)* सभापति महोदय सरकार की ओर से मैं पहला वक्ता हूं कृपया मुझे अपना भाषण जारी रखने की अनुमति दीजिए। मैं आपके हस्तक्षेप की मांग करता हूं।

सभापति महोदय : कृपया दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री वैको : मैंने दो या तीन बातें कहनी हैं। मुझे अपने मित्र द्वारा की गई आलोचना का उत्तर देना है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हमारे पास उन सदस्यों की लम्बी सूची है जो बोलना चाहते हैं।

श्री वैको : भारत ने पोखरण परीक्षण कर प्रशंसनीय निर्णय लिया है। आज सर्वोच्च राष्ट्रीय हित की सुरक्षा, सुरक्षा की रक्षा करने का सवाल है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुच्छेद चौदह में भी इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि यह संधि अनिश्चित काल के लिए होगी। प्रत्येक देश को अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता का प्रयोग करते हुए यदि वह निर्णय करता है कि इस संधि की विषयवस्तु से संबंधित असाधारण घटनाओं से उसके सर्वोच्च हितों को खतरा हो सकता है, उस संधि को न मानने का अधिकार है। यह विकल्प प्रत्येक देश के पास है। 11 और 13 मई को किए गए परीक्षणों से हमें विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न क्षमताओं के परमाणु हथियारों के डिजाइन में हमारी क्षमता की पुष्टि के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हैं।

वैज्ञानिक डा. अब्दुल कलाम और डा. चिदम्बरम्, जिनके प्रति हमारा पूरा देश आभारी है, ने कहा था:

"सम्पूर्ण परमाणु शस्त्र प्रौद्योगिकी में हमें पूरी विद्वता हासिल है और वह विभिन्न डिलीवरी प्रणालियां के लिए उदिष्ट हैं। हम भविष्य में गौण महत्व के प्रयोगों के कम्प्यूटर अनुकरण भी कर सकते हैं।"

यह आज विश्व में हो रहे हैं।

महोदय, परमाणु ऊर्जा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष डा. पी.के. आयंगार, जो कि मई, 1974 में जबकि श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथ में पूरी बागडोर थी पोखरन में हुए शान्तिपूर्ण परमाणु विस्फोट से जुड़े हुए, ने कहा था:

"भारत को भविष्य की ओर भी देखना चाहिए। शस्त्रों के लिए और अधिक आधुनिक परमाणु उपकरणों को प्राप्त करने की कोशिश राष्ट्रीय शस्त्र परीक्षण-शालाओं में सतत् हो रहे अनुसंधान का ही हिस्सा है।

विश्वभर में परीक्षण-शालाएं इस पर कार्य कर रही हैं और विकास के चौथे चरण के परमाणु शस्त्रों का उत्पादन करने की ओर अग्रसर हैं। चौथे चरण के इन शस्त्रों की विशेषता यह है कि उनमें यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा, और इसलिए वह एन.पी.टी. अथवा सी.टी.बी.टी. के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आएंगे। यह अत्यधिक राजनीतिक महत्व का मामला है, और भारत को इन क्षेत्रों में गंभीरता से अनुसंधान करना चाहिए। यह अनुसंधान विखंडनीय ऊर्जा को नियंत्रित तरीके से मुक्त करने की नई संकल्पना को जन्म दे सकते हैं।"

अब, हम ऐसा करने में सक्षम हैं। हम उप-क्रांतिक परीक्षणों को करने के लिए सक्षम हैं जैसा कि अन्य परमाणु शस्त्र संपन्न देश कर रहे हैं।

महोदय, हमारे अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम के संबंध में प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि यह हमें अपने अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यक्रमों को जारी रखने से नहीं रोक सकते हैं न ही वह आने वाले वर्षों में हमारी परमाणु सुरक्षापायों की सुरक्षा और प्रभाव को ही किसी तरह से समाप्त कर सकते हैं। इसलिए भारत अनुसंधान तथा विकास संबंधी क्षमताओं के संबंध में किसी प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करेगा।

[श्री वैको]

जहां तक कि विखंडनीय सामग्री व्यवधान संधि का संबंध है मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत रासायनिक शस्त्र सम्मेलन अथवा जैवीय शस्त्र सम्मेलन जैसे भेदभाव मुक्त संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला एक देश है। लेकिन संधि भेदभावमुक्त, सार्वभौमिक और व्यापक होनी चाहिए। हमने पक्षपात रहित संधि पर हस्ताक्षर करने की अपनी सहमति व्यक्त की है जिससे संयुक्त राष्ट्र महा-सभा में वर्ष 1993 के सर्वसम्मति संकल्प के अनुसार हथियारों के उद्देश्य से भविष्य में विखंडनीय पदार्थों का उत्पादन बंद हो जाएगा।

महोदय, मेरे मित्र बता रहे थे कि अमरीका के दबावों के परिणाम सामने आ गए हैं। दबाव कहां है? हम उनके दबाव के आगे कहां पर झुके हैं? प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हमें यह सुझाव दिया गया था कि हम विखंडनीय पदार्थों के उत्पादन पर कुछ समय के लिए रोक लगाने की घोषणा की जांच कर सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से यह बात कह दी है कि इस समय ऐसे कदम उठाना संभव नहीं है [illegible] का प्रभाव पूर्वव्यापी नहीं हो सकता है। हमने [illegible] दिया है कि यह भावी तिथि से, लागू हो सकती है किन्तु भूतलक्षी रूप से नहीं।

सभापति महोदय : अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्री वैको : महोदय, मैं बात समाप्त कर रहा हूं। कृपया मुझे कुछ मिनट का समय और दें। कई चर्चाओं में काफी समय बर्बाद कर दिया जाता है।

सभापति महोदय : यहां बोलने वाले बहुत से लोग हैं।

श्री वैको : यह एक महत्वपूर्ण चर्चा है और हम रात को देर तक भी बैठने वाले हैं। कृपया मुझे कुछ समय और बोलने की अनुमति दें।

जहां तक कि संवेदनशील पदार्थों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के नियंत्रण का संबंध है, हम इस संबंध में अपने कानून और कड़े बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। इसी तरह से हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि सी.टी.बी.टी. को कश्मीर के प्रश्न से नहीं जोड़ा जा सकता है। हमने भी कहा है कि कश्मीर मुद्दे के संबंध में अन्य पार्टी की मध्यस्थता का प्रश्न ही नहीं है और यह कि कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है।

महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार ने यह महान परीक्षण करने का सही निर्णय लिया था और भविष्य इस बात की गवाही देगा। आज सी.टी.बी.टी. के संबंध में भी हमारी बेहतर स्थिति है। हम अधिक सुरक्षित स्थान पर हैं। हम अपक्रांतिक परीक्षण भी कर सकते हैं। हम परमाणु क्षेत्र के उन तथाकथित एकाधिकारियों के समकक्ष हैं। हम बहुत गर्व के साथ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सम्पूर्ण विश्व को जन संहार के इन हथियारों से छुटकारा दिलाना चाहिए। इसलिए, जब अमरीका द्वारा शोर मचाया गया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी योग्यताओं और गुणों से युक्त एक सक्षम व्यक्ति, श्री जसवंत सिंह को चुना। उन्होंने श्री जसवंत को नियुक्त किया और उन्होंने अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से किया है। बातचीत के छः दौर चले। हम कभी भी नहीं झुके। हमने कभी समझौता नहीं किया। हमने इस देश के हितों का ध्यान रखा है। हमने देश के सबसे बड़े हित की रक्षा की है, अर्थात् देश की सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसीलिए उन्होंने 'नाभिकीय सुरक्षोपाय' शब्द गढ़े है। इसलिए, इस देश के अतीत, सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और इस संबंध में अब तक उठाए गए कदमों की सराहना की जाएगी। मैं सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों और श्री जसवंत सिंह जिन्हें प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त किया गया था, द्वारा की गई बातचीत की सराहना करता हूं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य किया है।

इन शब्दों के साथ, मैं सरकार द्वारा की गई कोशिशों की सराहना करता हूं। मैं उस दल के अपने मित्रों से भी अपील करता हूं। यह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह हिमायतदारी का भी मुद्दा नहीं है। यह देश के हितों तथा भविष्य के संरक्षण का मुद्दा है। इसलिए मैं इस विशिष्ट मुद्दे के संबंध में अपील करना चाहूंगा। सर्वसम्मति बनाई जा रही है। मैं इन बैंचों पर बैठे लोगों से सहयोग की उम्मीद करता हूं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल (जालंधर) : सभापति महोदय, मैं यह अवश्य कहूंगा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए दो वक्तव्यों के कारण आज की चर्चा को बहुत अधिक समय चाहिए। मैं, 'बहुत अधिक' इसलिए कहूंगा क्योंकि जब से यह दो वक्तव्य दिए गए हैं, कुछ और घटनाएं भी घटित हुई हैं। लेकिन, मेरे विचार में, इससे पहले कि मैं इन घटनाओं और इनके अतीत का उल्लेख करूं मुझे सबसे पहले श्री जसवंत सिंह को बधाई देते हुए अपना वक्तव्य आरम्भ करना चाहिए।

मुझे खुशी है कि इस संकटपूर्ण समय में उनको यह कार्यभार सौंपा गया है। मैं उनको केवल इसलिए बधाई नहीं देना चाहता

कि वे मेरे व्यक्तिगत मित्र और संसद के दोनों सदनों के काफी पुराने सदस्य है बल्कि उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा तथा अपनी संसदीय शैली और स्पष्टवादिता का सबूत दिया है। मैं उनके लिए शुभकामना करता हूं।

मैंने अभी कहा है कि यह बहुत असामान्य बात है कि इससे पहले कि श्री जसवंत सिंह जैसा व्यक्ति विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाले, वह वास्तव में पहले से ही विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। मेरे विचार में यह एक अच्छा निर्णय था क्योंकि अपनी स्पष्टवादिता और अमरीकियों के साथ अपने बातचीत के ढंग से उन्होंने इस तथ्य का सबूत दिया है कि जो पद उनको दिया गया है वह उसके पात्र हैं। श्री जसवन्त सिंह, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

मैंने कुछ समय पहले कहा था कि हमारे क्षेत्र, एशिया और सम्पूर्ण विश्व में जो हो रहा है उनकी पृष्ठिभूमि में प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए दो वक्तव्य है। प्रतिदिन हम एक नई बात सुनते हैं। एक घटना अभी पिछले सप्ताह ही हुई है, बगदाद विस्फोट, वह भी उनके द्वारा जो कि अपने आपको विश्व का रक्षक कहते हैं। हमें उनके रक्षक कहलाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि रक्षक अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह सही तरीके से करे। यह बात दिलचस्प तो है किंतु चिन्ता की भी है कि जहां संयुक्त राष्ट्र संघ देखता और महसूस करता है कि सुरक्षा परिषद् के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य, एक स्थायी सदस्य, वह सदस्य जिसके पास वीटो पॉवर भी हैं वह सुरक्षा परिषद् के नियमों का उल्लंघन करने का निर्णय लेता है और इस तथ्य को नजरअन्दाज करने का निर्णय लेता है कि एक दशक पहले संयुक्त राष्ट्र ने ईराक पर जो प्रतिबंध लगाए थे वे संयुक्त राष्ट्र के आदेश के अनुसार थे न कि किसी एक देश अथवा दो देशों के आदेश पर लगाए गए थे।

जैसा कि मैंने अभी कहा है, जब यह दोनों देश स्वयं ही संयुक्त राष्ट्र के ढांचे को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो मेरे विचार में इस सदन को स्वयं यह देखना होगा क्योंकि जब से संयुक्त राष्ट्र बना है, हमने उसमें काफी रुचि ली है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिनों से विश्व के इतिहास में शायद ही कोई समय ऐसा आया होगा जबकि विश्व को कुछ करने के लिए कहा गया हो और जिस पर भारत ने अमल न किया हो। पिछले पचास वर्षों में, विश्व के इतिहास में मुझे कोई घटना याद नहीं आती, चाहे वह कोरिया हो अथवा भारत-चीन हो और मैं अनेक नाम गिनवा सकता हूं जबकि भारत से संयुक्त राष्ट्र संघ के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाने की उम्मीद की गयी थी, लेकिन भारत ने आगे बढ़कर एक भूमिका निभाई। इसलिए, जब कभी हम यह महसूस करते हैं कि एक अथवा दो सीटें सुरक्षा परिषद् में खाली हुई हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि इसके पुनर्गठन की आवश्यकता हैं और इसे पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। हम अपने व्यापक हित में यह महसूस करते हैं कि हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम यह देखें और मानें कि संयुक्त राष्ट्र की कोई भी कमजोरी हमारे हित में नहीं है। इसकी कोई भी कमजोरी सम्पूर्ण विश्व शान्ति के हित में नहीं है।

अपराह्न 4.52 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि पिछले सप्ताह की घटना ने स्वयं संयुक्त राष्ट्र में हमारे विश्वास को कमजोर कर दिया है। ऐसा संयुक्त राष्ट्र के ढांचे, उसकी अफसरशाही, उसके महासचिव अथवा किसी अन्य द्वारा नहीं हुआ है बल्कि उनके कारण हुआ है जिनसे वास्तव में अधिक जिम्मेदार भूमिका निभाने की उम्मीद थी।

अमरीका ने जो कुछ किया है और जो कुछ इंग्लैंड ने किया है उसकी आलोचना में काफी कुछ कहा जा चुका है। मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। मेरे विचार में यहां प्रधानमंत्री के दोनों वक्तव्यों और दूसरी सभा में चर्चा के कारण यह बात स्पष्ट हो गई है। इसलिए, मैं केवल यही कहूंगा, कि इस तथ्य के अतिरिक्त कि ईराक को नुकसान पहुंचाया गया है, हमारे लिए अधिक चिंता का विषय यह है कि हम बैठें और देखें कि स्वयं संयुक्त राष्ट्र का भविष्य क्या है।

कुछ समय से, यहां और बाहर, दोनों जगह सभा में सभी दल, चाहे वह सत्ता में हों अथवा सभा के इस ओर बैठे हों, हम संयुक्त राष्ट्र के नियमों में सुधार करना चाह रहे थे। मेरे विचार में, उसकी यदि कोई अत्यावश्यक है तो वह अभी है क्योंकि हम महसूस करते है कि संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व उन लोगों के हाथों में सुरक्षित नहीं हैं जिन्हें उसका नेतृत्व सौंपा गया है।

मैं यह भी कहूंगा, हमारे समक्ष नई परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। कुछ अरब देशों में भी अमरीका के अपने सैनिक अड्डे हैं। हममें से वह लोग जो विश्व में घटित हो रही घटनाओं पर नज़र रखे हुए हैं, वह यह देख सकते हैं कि

[श्री इन्द्र कुमार गुजराल]

मध्यपूर्व में उनके सैनिक अड्डे साऊदी-अरेबिया में थे। लेकिन जब समय आया तो अमरीकी साउदी अरेबिया से अपने हवाई-जहाज वहां से उड़ाने का साहस नहीं कर सके। उन अड्डों का इस्तेमाल नहीं किया जा सका क्योंकि वे जानते हैं कि इस संबंध में अरब की भावनाएं वह जो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे उससे पूर्णत: विपरीत हैं।

पिछले सप्ताह मैं यूनाइटेड अरब अमीरात में था और मैंने स्वयं रक्षा मंत्री तथा अन्यों के साथ चर्चा करते हुए उस स्थिति को समझा जिसकी उन्हें आशंका था। ऐसा नहीं है कि वह इस बारे में जानते थे कि ऐसा होने जा रहा है लेकिन उनकी भावना, उनका दृष्टिकोण पूर्णत: दृष्टिगोचर था। वह बात भी पूर्ण स्पष्ट थी जब हमने देखा कि यूनाइटेड अरब अमीरात के अड्डों का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

अत: मैं महसूस करता हूं और मेरे विचार में प्रधानमंत्री का वक्तव्य सही है और मैं उसका समर्थन करता हूं, हम सभी यह [illegible] रूप से भारत में हम सभी के लिए यह [illegible] है क्योंकि जब भी हम अड्डों पर हथियार रखने के बारे में सोचते है तो धमकाने वाली कूटनीति हमारे मस्तिष्क में आती है तो हम भारत में और मेरे विचार में दक्षिण एशिया में हम सभी इस बारे में चिन्तित हो जाते हैं।

इसका अर्थ है कि वह दिन आ सकता है, भगवान ऐसा न करे लेकिन यदि ऐसा होता है कि भारत सत्ता की इच्छा-शक्ति के सामने नहीं झुकता है तो इस 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी की धमकाने वाली कूटनीति का पुर्नजीवित किया जा सकता है। मैंने यहां कहा था और मैं दोहराता हूं कि यह कार्य बहुत निन्दनीय है और मैं यह उम्मीद करता हूं कि ऐसी गैर-जिम्मेदारी और सत्ता की उदंडता का अंत होगा।

यह एक सुखद संयोग था कि उस समय रूस के प्रधानमंत्री भारत का दौरा कर रहे थे। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में विदेश मंत्री तथा माननीय प्रधान मंत्री इस सभा को विश्वास में लेंगे और हमें मीडिया से अधिक जानकारी देंगे।

भारत-रूस संबंध काफी लम्बे समय से चले आ रहे हैं। इस सभा में और सभा के बाहर देश में रूस के साथ मैत्री के संबंधों में सर्वसम्मति है। यह ऐसी मित्रता है जो कि परीक्षा की घड़ी में खरी उतरी है यह ऐसी मित्रता है जो कि कठिनाई के क्षणों में दोनों तरफ के लिए उपयोगी साबित हुई है। इसलिए जब श्री प्रीमाकोव यहां आए और उन्होंने यहां माननीय प्रधानमंत्री और उनके साथियों से बात की मुझे विश्वास है कि उन्होंने उनके सहयोग के लिए कुछ और क्षेत्रों का पता लगा लिया होगा। समाचार पत्रों में किसी ने कुछ भी पढ़ा होगा, इस भावना को बढ़ाता ही है। यह भावना किसी भी व्यक्ति को यह महसूस करवाती है कि हालांकि इस समय रूस शक्तिशाली नहीं है, हम निकट मित्रता की बात कर रहे हैं, हम नीतिगत भागीदारी की बात कर रहे हैं। हम उस घोषणा की दृष्टि से बात कर रहे हैं जिस पर हस्ताक्षर होने थे। राष्ट्रपति येल्तिसिन नहीं आ सके, लेकिन जब वह आयेंगे इस पर हस्ताक्षर हो जायेंगे।

समाचार-पत्रों में भी कहा गया था कि श्री प्रीमकोव ने भारत, चीन और रूस के बीच सहयोग के संबंध में अकस्मात् ही एक टिप्पणी की थी। मुझे खुशी है कि उसे सही कर दिया गया है। हम चीन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते है। कुछ समय से हमारी नीति यही रही है। मेरे विचार में, अच्छे और मित्रतापूर्ण संबंध चीन और भारत दोनों के हित में है। लेकिन मैं नहीं समझता और मेरे विचार में प्रधानमंत्री जी और श्री प्रीमकोव ने यह बात ठीक ही स्पष्ट कर दी कि यह कैम्प गठित करने का समय नहीं है। हम तीनों के बीच कोई जुट नहीं बनाना चाहते हैं लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम तीनों करीबी मित्र नहीं बन सकते हैं और न ही हमें इसकी आवश्यकता है। विश्व आर्थिक प्रणाली ऐसी है कि पड़ोसियों को एक दूसरे के साथ सहयोग देना पड़ता है। यह विश्व एक ऐसी दिशा की ओर बढ़ रहा है जहां पड़ोसी देशों से मित्रता करने का बहुत महत्व है।

अक्सर बहुत से लोग बाहर भी यह कहते रहे हैं कि क्या कोइं चीन का पत्ता खोलने का प्रयास नहीं कर रहा है? मैं समझता हूं अभी नहीं। परन्तु जब मैं सत्ता पक्ष में भी था तब भी मैंने स्पष्ट किया था और मुझे खुशी है कि भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने भी वही बात कही है कि भारत का किसी भी देश के विरुद्ध ऐसा इरादा नहीं है। हम अमेरीका के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं परन्तु उससे भी महत्वपूर्ण बात है हम दक्षिण एशिया के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। कुछ समय से हम अपनी शक्ति को सार्क क्षेत्र को मजबूत बनाने में लगा रहे हैं। आखिर, इस क्षेत्र की मुक्ति एक मजबूत सार्क क्षेत्र बनाने में है। इस समय क्षेत्रीय सहयोग अधिक व्यवहार्य अपेक्षित और संभव भी है। मैं इस तथ्य को देखकर प्रोत्साहित होता हूं कि मई के महीने में भारत और पाकिस्तान में परीक्षण हुए थे, भारत और पाकिस्तान के बीच चर्चा और बातचीत काफी उत्साहवर्धक रही है। कौन सोच सकता था कि तीन महीने बाद ऐसे परीक्षण और कटुता के बाद हम दिल्ली से लाहौर तथा लाहौर से दिल्ली तक बस सेवा शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। कौन सोच सकता था कि इसके तीन महीने के बाद हम पाकिस्तान जाकर एक मिलियन टन चीनी खरीद सकते है। यह बहुत ही रोचक बात है।

कुछ पाकिस्तानी मित्र पिछले हफ्ते मुझसे बात कर रहे थे। मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था की जरूरतें काफी रोचक हैं। जब भी हम इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार क्षेत्र की बात करते हैं तो पाकिस्तान को हमेशा यह आशंका रहती है कि भारत उसकी अर्थव्यवस्था पर छा जाएगा।

अपराह्न 5.00 बजे

यह भी आशंका की जाती है कि हमारे उद्योगपति वहां जाएंगे और पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को सचमुच संभाल लेंगे। और अब जब मैं यह सुनता हूं कि कुछ भारतीय चीनी उद्योगों के हितों से मेरे मित्र कृषि और खाद्य मंत्री प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें उस पर कुछ प्रतिबंध लगाने के लिए कह रहे हैं—मैं इसके गुणों और अवगुणों पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं - परन्तु मैं सोचता हूं कि वे इसके आगे झुकेंगे नहीं। बाजार खोलना दोनों तरह से भारत के हित में है और जहां कहीं भी हम बाजार खोलते हैं हमें यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि कभी न कभी किसी न किसी पक्ष को हमेशा दुख होगा। इसलिए ऐसी बातों से हमारी नीतियों का निर्धारण नहीं होना चाहिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के संबंध में हम जो कुछ भी व्यापक दृष्टिकोण दिखाने की कोशिश करते रहे हैं खुला बाजार मुक्त बाजार का युग आखिरकार हमारी राजनैतिक और आर्थिक दोनों ही समस्याओं का समाधान होगा।

इसलिए, मैं यह महसूस करता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिसके लिए हमें काफी संतोष होगा कि हम जो नीतियां अपना रहे हैं वह विभिन्न सरकारों, सत्ता पक्ष, उन्हें चलाने वाले विभिन्न दलों की हैं जिन्होंने इन्हें कायम रखा है और इसी कारण भी मुझे काफी संतोष होता है और जब मैं यह कहता हूं तो मेरा तत्पर्य मेरे साथी श्री जसवंत सिंह जी से है।

अमेरिका से संबंध काफी महत्वपूर्ण है। तब भी जब हम क्षण भर के लिए यह महसूस करते हैं कि हमने कठिनाइयां पैदा कर ली हैं उसी समय हम यह समझते हैं कि जो कुछ पश्चिम एशिया में हुआ है वह नहीं होना चाहिए था। कभी-कभी हम महसूस करती है कि जिम्मेदार शक्तियों को अलग तरह से व्यवहार करना चाहिए परन्तु मैं समझता हूं, मैं सुझाव देता हूं और मैं यह संस्तुत करता हूं कि यह स्थिति अमेरिका के साथ हमारे संबंधों को सुधारने की राह में नहीं आनी चाहिए।

जो वार्ता श्री टालबोट और श्री जसवंत सिंह के बीच चल रही है उसका निश्चित रूप से ही कोई अवलंब था क्योंकि मैं समझता हूं कि जो लोग श्री जसवंत सिंह के साथ वार्ता कर रहे है उन्हें काफी जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की प्रेस कन्फ्रेंस की गई या जैसा वक्तव्य दिया गया या जो कुछ भाषण में कहा गया था वह उससे अलग संदेश देता है जो श्री जसवंत सिंह देने की कोशिश कर रहे थे और मैं समझता हूं कियह एक ऐसा संदेश है जो विशेष रूप से दोस्ती बनाने में मदद नहीं करता।

रोम की बैठक के एक दिन पहले द *टाइम्स आफ इंडिया* में लंबे वक्तव्य, लम्बे सकारात्मक लेख और पहले पैराग्राफ में ही यह कहा गया है कि "हम भारतीय लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं।" मैंने उस देश के एक राजनयिक से बात की और मैंने उससे पूछा कि उसमें उनका उद्देश्य क्या है क्या वे भारत सरकार के नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह उनके लिए आवश्यक था, कि भारत सरकार के प्रमुख के ऊपर भारतीय लोगों और भारत की संसद से बात करे, क्या वे इस प्रभाव में थे कि भारत सरकार भारतीय लोगों को यह सच्चाई नहीं बता रही है जो इसे बतानी चाहिए थी। अन्यथा, मैं इसकी कभी पुष्टि नहीं कर सकता और मैं समझता हूं कि हमें उस लेख की पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है जो स्वयं टालबोट के हस्ताक्षर से भेजा गया था। विश्वसनीय स्रोत का सहारा भी नहीं लिया गया। उनके नाम का प्रयोग किया गया है।

मैंने श्री जसवंत सिंह का वक्तव्य दूसरे सदन में देखा था जहां वे उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। मैं समझता हूं 'बचाव' सही शब्द नहीं होगा। परन्तु सम्भवत: उन्हें एक बचाव मार्ग देने की कोशिश है और मैं समझता हूं यही ऐसी बात है जिसे हमें पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि हमारे आंतरिक विचार चाहे कुछ भी हों जब यह तीसरे देश या किसी दूसरे देश या देश के बाहर की बात हो उसे भारत के लोगों का विश्वास प्राप्त है। इसलिए जब वार्ताएं चल रही हैं तो यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसी पद्धतियों से भारत पर कठिनाइयां न आएं, भारत विभाजित न हो और हमारी आवाज एक संगठित रूप में उठे।

मैं नाभिकीय हथियारों और नाभिकीय शक्ति के मुद्दे पर आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं समझता हूं कि इस बहस पर यहां काफी चर्चा हो चुकी है और मैं समझता हूं कि जो धारणा श्री जसवंत सिंह जी बना रहे हैं और प्रधान मंत्री जी न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता की बात कर रहे है और जो तर्क उन्होंने दूसरे सदन में दिया है वह वास्तव में यही बताता है कि इसका क्या अर्थ है। मैं उनसे दुहराने के लिए नहीं कहूंगा और न ही मैं उनसे वे प्रश्न पूछने की कोशिश करूंगा। परन्तु मैं समझता हूं कि एक बात सामने आ गई है, जिस पर मुझे गौर करना चाहिए, क्योंकि हमें स्वयं इस पर गौर करना चाहिए कि सी.टी.बी.टी.

[श्री इन्द्र कुमार गुजराल]

परमाणु अप्रसार संधि की ओर एक पहल है। और यह एक लक्ष्मण रेखा है जिसे हमें अत्यंत सावधानीपूर्वक लांघना है और यह समझना है कि यह हमें कहां ले जाएगा। मैं आशा करता हूं जब भी वह स्थिति आएगी, तब विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री हमें विश्वास में लेंगे। हम इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ मार्ग सुझा सकेंगे।

अपराह्न 5.05 बजे

[श्री के. येरननायडू *पीठासीन* हुए]

शुरू में मैंने आर्थिक संकट की बात की थी। आर्थिक संकट एक ऐसी बात है जिसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। गत कुछ महीनों में मैंने कुछ देशों, विशेषकर पूर्वी एशियाई देशों, की यात्राएं की हैं। मैं जापान गया था। मैं कोरिया गया और मैं हांगकांग गया मैंने इस बात का काफी गौर से अध्ययन किया कि ये देश किस प्रकार के संकट का सामना कर रहे हैं। सिओल में, [illegible] डी.पी. ने 32 देशों का सम्मेलन बुलाया था। [illegible] ओर से योजना आयोग के सचिव और [illegible] यह सौभाग्य भी मिला था कि मुझे प्रमुख वक्ता के रूप में यू.एन.डी.पी. ने बोलने के लिए बुलाया था। वहां क्या हो रहा था? हम वहां क्या देखते हैं? हम अपने लिए एक ऐसी स्थिति देखते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति निराश होता है। हम देखते हैं कि जैसे नई शताब्दी आ रही है हमारे सामने एक ऐसी स्थिति है जिससे सभी को निराशा होती है।

उदाहरण के लिए, आप सियोल जाते हैं। आप देखते हैं कि एक राष्ट्र जो 20 वर्षों में विकासशील देश से एक विकसित देश में बदल जाता है जिसका सकल घरेलू उत्पाद और भंडार काफी अधिक है वह रातों रात गरीब देश बन जाता है। मैं स्वयं यह देखता हूं कि दक्षिण कोरिया का पूरा मध्य वर्ग इस तरह से साफ हो गया जिसका हर व्यक्ति को भी दुख होता है।

थाइलैंड की स्थिति भी उतनी ही निराशाजनक रही है। थाइलैंड में तेजी से संकट आने के कुछ सप्ताह पहले विश्व बैंक और अन्य ऐसे ही संगठन इस देश की अर्थव्यवस्था की अच्छाइयों के बारे कह रहे थे। वे हमसे उनका अनुसरण करने की बात कर रहे थे। दिए गए भाषणों में से एक भाषण विश्व की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के बारे में भी कहा गया था। जब मैं उनसे मिला तो मैंने एक प्रश्न पूछा कि उन्हें क्या हुआ था। यह कैसे हुआ था? जिन संगठनों ने हमें हमेशा गुरूमंत्र दिए हैं वे यह नहीं जानते कि कोरिया में क्या होने वाला था। वे नहीं जानते थे कि मलेशिया में क्या होने वाला था। उन्हें यही पता चला कि इन्डोनेशिया का नेता भ्रष्ट था? उदाहरण के लिए उन्हें कब पता चला कि अचल एस्टेट सम्पत्ति में जितना पैसा लगाया जाना चाहिए था। मलेशिया उससे अधिक धन लगा रहा है? उन्होंने कब निर्णय लिया और कब यह पता लगाया? आई.एम.एफ. को कब पता चला कि दक्षिणी कोरिया अल्पावधि ऋण ले रहा है? दक्षिण कोरिया, में संकट के कुछ सप्ताह पहले दक्षिण कोरिया को ओ.सी.ई.डी. में आमंत्रित किया गया था जो विकसित राष्ट्रों का एक प्रबुद्ध संगठन है। इसके अलावा, कुछ सप्ताहों में आप इसे वैसा ही पाएंगे जैसा मैंने आपको अभी-अभी बताया है। मैंने यह प्रश्न आई.एम.एफ. और विश्व बैंक के पंडितों के साथ उठाया था और उन्हें यहां और वहां दोनों ही जगह पूछा था कि क्या हुआ है। यह क्यों हुआ था? आप हमें यह जरूर बताएं ताकि हम भी अपनी देखभाल कर सके। उदाहरण के लिए, अकेले इस वर्ष भी इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था 16 प्रतिशत तक कम हो जाएंगी। आप इसका लोगों और उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की कल्पना करें आप यह कल्पना करें कि कोरिया की अर्थव्यवस्था में और छह प्रतिशत की कमी आएगी। इसलिए, वे अभी भी घाटे की तरफ हैं। अगर यह पतन रूक जाता हैं तो इसमें समय लगेगा। हम नहीं जानते कि यह कब होगा। इस अंधेरे में अगर कोई अपने चारों तरफ देखता है तो मुझे यू.एन.डी.पी. को बधाई देनी चाहिए। यू.एन.डी.पी. ने सोचने को नया रूप और नई राह दी है। मैं नहीं जानता कि कितने माननीय सदस्यों को मानव विकास की उनकी वार्षिक रिपोर्ट देखने का मौका मिला है। अब मानव विकास की एक नए तरीके से व्याख्या की जाती है। अब तक हमें यह विश्वास दिलाया गया था कि विकास दर का अर्थ है केवल सकल घरेलू उत्पाद।

हमें हमेशा यही मानने के लिए कहा गया कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पद्धति के अनुसार उदारीकरण करते गए तो विकास होगा। आप कृपया याद कीजिए कि हर बार भारत को यही कहा गया कि चीतों को देखों वे कहां जा रहे हैं और जब चीते अचानक नीचे कूदते हैं तो हमसे कोई नहीं कहता कि क्या हुआ और क्यों हुआ। मैं कह रहा था कि मैं यू.एन.डी.पी. को बधाई दे रहा था और हमारे एक दक्षिण एशियाई मित्र जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, श्री महबूब-अल-हक का धन्यवाद करता हूं - दुर्भाग्यवश उनका कुछ महीने पहले निधन हो गया। वे एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने पुन: व्याख्या की कि आखिर विकास का अर्थ है निरक्षरता दूर करना, गरीबी उन्मूलन, उन बच्चों की वैसी स्थिति को दूर करना जो उनके स्कूल जाने की राह में रूकावट पैदा करती है। इसका यह भी अर्थ है कि कितना पेय जल दिया गया, प्रति व्यक्ति कितने खानें की खपत हुई। मैं अपने माननीय मित्र से कहता हूं कि इस रिपोर्ट को हमारे कुछ साथियों द्वारा जरूर देखा जाना चाहिए। हाल ही में यू.एन.डी.पी. ने दक्षिण एशिया पर एक

रिपोर्ट तैयार की थी और हमारे सभी देशों की एक-एक करके जांच की गई है।

दो तीन बातें बहुत स्पष्ट रूप से सामने आई हैं जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। यह बताती हैं कि जब भी आप जनसंख्या वृद्धि की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो इसका सबसे छोटा और आजमाया हुआ तरीका निरक्षरता दूर करना है और वह हमने किया। उन्होंने हमसे कहा उदाहरण के लिए केरल को देखो। जब साक्षरता 100 प्रतिशत पहुंच जाती है तो जनसंख्या वृद्धि रूक जाती है। महिलाओं की साक्षरता को ही देख लो जब भी महिलाओं को साक्षर बनाया गया है, चाहे यह गोवा, तमिलनाडु में हो या अब केरल या आंध्र प्रदेश में और चाहे मिजोरम में ही हो आप एक नई बात ही देखेंगे। रिपोर्ट में दूसरी बात यह कही गई है कि यह संसाधनों पर निर्भर नहीं है। उदाहरण के लिए पंजाब की प्रति व्यक्ति आय केरल से काफी अधिक है। परन्तु दुर्भाग्यवश, मुझे यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है क्योंकि मैं उस राज्य का हूं और मेरे मित्र श्री बरनाला जी यहां बैठे हुए हैं - मैं नहीं समझता कि हम अपना सिर गर्व से उठा सकते हैं क्योंकि पंजाब की औसत साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 50 के बराबर है और महिला साक्षरता दर लगभग 26-27 प्रतिशत है। इस रिपोर्ट में एक और रोचक बात कही गई है। यह संसाधनों पर निर्भर नहीं है, यह धार्मिक आस्था पर निर्भर नहीं है, हमारे पड़ोस में, मालदीव नामक एक छोटा सा गौरवपूर्ण देश है। वहां 100 प्रतिशत मुसलमान रहते हैं, 100 प्रतिशत साक्षरता है। पुरुष और महिलाएं सभी साक्षर हैं। इसलिए आज जब हम विदेश नीति तैयार करते हैं, हम अपनी विदेश नीति को अपनी आर्थिक नीति से अलग नहीं कर सकते क्योंकि हमें हर रोज यही कहा जाता है। हमें क्या चीज है जो भारत में खींचती है, दुर्भाग्यवश और दुख के तथा माफी मांगते हुए मुझे यह कहना होगा कि यह हमारी हिन्दी पट्टी है। और मैं आशा करता हूं कि जिन लोगों ने हमारे मित्रों को चुना, चाहे वह बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, वे इस बात पर काफी गौर करेंगे। इसी प्रकार, इसी तरह की सोच पर एक अन्य भारतीय, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार इसलिए दिया गया हैं क्योंकि अमर्त्य सेन का विचार यह है कि उन्होंने अपना जीवन यही तर्क देने में लगा दिया कि आर्थिक विकास और परिवर्तन वृहत स्तर पर आर्थिक सांख्यिकी के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए मैं अपने दक्षिण एशिया की दो महान हस्तियों महबूब-अल-हक और अमर्त्य सेन को अपना सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं। समस्या यह है कि जब तक खपत नहीं बढ़ती और जब तक गरीब लोगों की खपत नहीं बढ़ती और जब तक गरीबी समाप्त नहीं होगी तब तक आठ प्रतिशत वृद्धि या पांच प्रतिशत वृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता। इससे हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। यहां बार-बार कई सम्मेलन होते हैं। एक सम्मेलन दो सप्ताह पहले भी हुआ था। और इन सम्मेलनों से हमें यही पता चलता है कि हम 8 प्रतिशत, सात प्रतिशत की वृद्धि दर तक पहुंचने वाले हैं जिसके अंतर्गत उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण शामिल होता है। उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण की भारत के संदर्भ में व्याख्या करनी होगी। और जब तक हम इसकी व्याख्या नहीं करते हमारी कठिनाई जारी रहेगी। आज भी मैं *हेराल्ड ट्रिब्यून* में देख रहा था कि ब्राजील से 1.2 बिलियन डालर हर रोज बाहर जाते हैं। यही हालत दक्षिण कोरिया की हैं। यहां से एक ट्रिलियन डालर हर रोज बाहर जाते हैं। इसलिए आप जब भी सुधारों के संदर्भ में सोचते हैं जब भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के अनुसार चलने का सोचते हैं तो हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो निर्देश वे देते हैं वह हमेशा हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं होता।

इसके साथ ही, भारत में हम सुरक्षा परिषद् और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार चाहते रहे हैं। यह महत्वपूर्ण बात है परंतु हमारे लिए इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह कि ब्रिटेनवुड संगठनों का सुधार किया जाए। हमारे लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सुधार होना अधिक महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश, ये दो संगठन, जो विश्व की अर्थव्यवस्था नियंत्रित करते हैं, स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रणाधीन नहीं है। उन्हें केवल अमेरिका ही नियंत्रित करता है और उसका परिणाम यह है कि कोई भी देश रातों रात निर्धन हो सकता है। उदाहरण के लिए, भारत का ही उदाहरण लें। हमने विदेशों से ऋण ऐसे समय लिया था जब डालर का मूल्य 8 रुपए या 9 रुपए था। मैं नहीं जानता कि आज इसका मूल्य कितना है परन्तु मेरा अनुमान है कि इसका मूल्य 42 रुपए और 43 रुपए के बीच होगा। इसका अर्थ है कि आपका ऋण भार पांच गुणा बढ़ गया है क्योंकि आपको डालर में भुगतान करना है।

महबूब-उल-हक ने अपने प्रतिपादनों में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात प्रतिपादित की है। उन्होंने कहा है कि विकासशील देश एक ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे है जोकि इस क्षेत्र के गांवों में व्याप्त है कि जितनी आपकी देनदारी होती है उससे ज्यादा का भुगतान आपको करना पड़ता है। एक बार आप ऋण ले लेते है तो आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं क्योंकि इसमें हेर-फेर हो जाती है।

मैं कुछ वर्षों पूर्व जी-15 की बैठक में भाग लेने के लिए मलेशिया गया था। उस राष्ट्र के अति निन्दित नेता, महातिर, ने पहली बार अपनी आवाज उठाई थी। उन्होंने जी-15 के सम्मेलन में उस समय हम से कहा था कि कुछ वर्षों पूर्व मलेशिया ने जापान से कुछ धनराशि ऋण के रूप में ली थी। उन्होंने इसमें एक

[श्री इन्द्र कुमार गुजराल]

पैसा भी नहीं जोड़ा परन्तु करेंसी में इतना हेर-फेर हुआ था कि मलेशिया के ऋण भार कई गुणा बढ़ गया है। क्योंकि उन्होंने बोलने का साहस किया था, आप देख सकते है कि उनके विरुद्ध किस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे है। वे हमेशा ऐसे नेता को दबाने का प्रयास करते है जो उनका विरोध करते है। विरोध कई प्रकार का हो सकता है। एक विरोध महातिर के प्रकार का हो सकता है दूसरे प्रकार का विरोध सहयोग के द्वारा हो सकता है और यह दक्षिण कोरिया जैसे देश का विरोध।

कुछ समय से जब कभी हम अगली सहस्राब्दी की बात करते है तो हम उस शताब्दी की बात एशिया की शताब्दी के रूप में कर रहे है। मेरे विचार से अब हमें यह बात समझनी चाहिए कि यह गर्व चकनाचूर हो गया है। जब हम अगली शताब्दी की ओर जा रहे हैं तो मुझे विश्व में कहीं भी उत्साह नहीं दिखाई देता है। जैसाकि मैंने अभी उल्लेख किया है कि मैंने पिछले तीन या चार महीनों में बहुत ज्यादा भ्रमण किया हैं। लोग अगली सहस्राब्दी की ओर आशा की दृष्टि से नहीं देख रहे है, वे सहस्राब्दी का स्वागत उत्साह से नहीं कर रहे हैं, वे अगली सहस्राब्दी की ओर लोगों रहे है।

तीन सप्ताह पूर्व मुझे फ्रांस में एक सेमिनार में हिस्सा लेने का अवसर मिला था और वह सेमिनार 'मानवाधिकार और गरीबी' पर था। अब हम मानवाधिकार के घोषणापत्र को स्वीकार किए जाने के पचासवें वर्ष को मना रहे हैं और हर बार जब हम इसे मनाते हैं तो हम इसे मेले में बदल देते हैं जैसे राज्य बनाम लोग और पुलिस बनाम अपराधी। यद्यपि और भी आयाम हैं, मैंने अपने मानवाधिकार आयोग को यह सलाह दी थी कि अब हमें विशेष रूप से विचार करना चाहिए, मानवाधिकारों और महिलाओं के बारे में विचार करना चाहिए। हम महिलाओं को अधिकार-सम्पन्न कैसे बनाएंगे? क्या महिलाओं को अधिकार प्रदान किए बिना कोई देश प्रगति कर सकता है? यही बात मानव विकास रिपोर्ट में कही गई है। इसमें कहा गया है महिलाओं की प्रगति के बिना कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए जब हम इस सभा में इस बात पर विचार करते हैं महिलाओं को 30 प्रतिशत या 35 प्रतिशत स्थानों को देना चाहिए या नहीं तो इस मुद्दे को केवल राजनीतिक दृष्टि नहीं देखा जाना चाहिए। इसे विकास और भविष्य की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यदि आप रिपोर्ट का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं को अधिकार-सम्पन्न बनाए बिना, निरक्षरता को दूर किए बिना और अपनी समस्याओं को अपने ढंग से निपटाए बिना हम समस्याओं का हल नहीं कर सकते हैं। उस सेमिनार में चर्चा का मुख्य मुद्दा यह था - मैं एक बार फिर इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने ढंग से, अपनी विचारधारा के अनुरूप और आचार-विचार के अनुसार विकास की अवधारणा बनानी चाहिए।

समस्याओं का समाधान कही और मत ढूंढ़िए। मेरे विचार से, इस सभा में विशेष रूप से, हम हर विषय पर चर्चा करते हैं। कभी हम पेटेण्ट अधिकारों पर विचार करते हैं, कभी बीमा पर विचार करते हैं और विचार-विमर्श चलता ही रहता है। हम उन पर सामूहिक रूप से विचार नहीं करते है। हम एक-एक मुद्दे पर विचार करते है और फिर पार्टियां अपना दृष्टिकोण अपनाती है।

अगली सहस्राब्दी आ रही है। मैं सरकार से जोर देकर आग्रह करता हूं कि हमें एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित होकर अगली सहस्राब्दी के लिए अपना दृष्टिकोण बनाना चाहिए। ''उदारीकरण'' जैसे भ्रामक शब्दों से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी। हमें अपने पड़ोसियों से सीख लेनी चाहिए। एक प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। एशिया के सिंह जैसे राष्ट्रों का क्या हाल हुआ, उनकी अर्थव्यवस्था डूब क्यों गई और क्या हमें भी उस दिशा में ले जाया या ढकेला नहीं जा रहा है?

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, महोदय। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। परन्तु मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस समय की विदेश नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है। हम राष्ट्रों से व्यवहार कर रहे हैं, हम पड़ोसियों से व्यवहार कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं, श्री जसवंत सिंह दोहरी भूमिका निभा रहे हैं - एक ओर तो वे योजना मंत्री है और दूसरी ओर वे विदेश मंत्री है - वे इन दोनों क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे। हम जानते हैं कि वो ऐसे मुद्दों पर क्या कहना चाहते है। हम अगली सहस्राब्दी के बारे में उनके विचार जानना चाहते हैं। वे राष्ट्र को किस दिशा में ले जाना चाहते है? हमारे सम्मुख उपस्थित चुनौतियों का सामना राष्ट्र किस प्रकार करे, इस सम्बन्ध में उनके क्या विचार हैं।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : धन्यवाद, सभापति महोदय। श्री इन्द्र कुमार गुजराल जैसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व के बेहतरीन भाषण के बाद, मैं नहीं समझता हूं कि विदेश नीति पर चर्चा में और मुद्दे उठाए जा सकते हैं।

सबसे पहले मैं भी श्री गुजराल महोदय के साथ श्री जसवंत सिंह को विदेश मंत्री के पद पर नियुक्त किए जाने पर बधाई देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री विदेशी मामलों के विशेषज्ञ भी हैं। परन्तु

विदेशी मामलों के लिए एक अलग से मंत्री बनाए जाने की सभा के सदस्यों की काफी अर्से से मांग थी। इससे उन्हें विदेशी मामलों के प्रभारी मंत्री से मिलने में आसानी होगी। इस सम्बन्ध में भी मैं श्री गुजराल की आवाज से आवाज मिलाते हुए भारत के विदेश मंत्री को अपना काम-काज बेहतर ढंग से चलाने की शुभकामनाएं देता हूं।

महोदय, विश्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों को स्वीकार किए जाने की स्वर्ण जयंती मना रहा है। इस शताब्दी के दौरान, मैं कह सकता हूं कि अमेरिका ने मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन किया है। सभा में, पिछले दिनों, हम सभी ने, उन्होंने इराक में जो कुछ किया था, उन मुद्दों को उठाया था। हमसे इस चर्चा के दौरान भी फिर से उन्हें उठाने के लिए कहा गया है। अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा इराक के असहाय लोगों पर निर्दयता से हमले किए जा रहे है। ब्रिटेन राष्ट्रमण्डल का अध्यक्ष भी है जिसके हम भी सदस्य है। हम यह अनुभव कर चुके है कि इस शताब्दी में अमेरिका क्या करता रहा है। 1945 में उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे जिससे 2,00,000 लोग मारे गए थे। वे फिर से अपनी सुरक्षा में असमर्थ राष्ट्र इराक के साथ यही बात दोहरा रहा है।

हम सबने, कुछ वर्ष पहले जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था, इराक की आलोचना की थी। जहां तक इतिहास का सम्बन्ध है यह भूतकाल की घटना है। लेकिन अमेरिका, बिना किसी कारण के, जैसाकि श्री गुजराल ने कहा, विश्व के पुलिसमैन का कार्य कर रहा है। अमेरिका ने इराक के भीतर जासूसी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की आड़ का भी इस्तेमाल किया है। संयुक्त राष्ट्र आयोग के अधिकारी जो संयुक्त राष्ट्र की छत्रछाया में है, सम्भवत: संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के तहत कार्य करते हुए, इराक के रक्षा और सैनिक प्रतिष्ठानों को नाप लिया और इसे न केवल कोफी अन्नान और संयुक्त राष्ट्र को सौंपा अपितु अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और पेंटागन को भी सौंपा जिससे अमेरिका इराक के प्रत्येक प्रतिष्ठान पर हमला करने में सक्षम हो पाया।

महोदय, संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में यह दुखद स्थिति है, जिस पर लोग विश्वास करते हैं, कि वह भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपनी रक्षा करने में असमर्थ देश पर अकारण आक्रमण में सहायता कर रहा है और वह भी रमजान की पूर्व संध्या पर जोकि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए पवित्र महीना है। इसलिए उनके द्वारा प्रतिबंधों को जारी रखे जाने के कारण इराक के लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दवाइयों के अभाव में उस देश में 20 मिलियन लोग मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में विश्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों को अंगीकृत किए जाने की स्वर्ण-जयंती मना रहा है। ऐसी स्थिति है।

महोदय, इन मामलों में भारत को महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना है। श्री गुजराल द्वारा उचित उल्लेख किया गया है कि भारत गुटनिरपेक्ष देशों का नेता है। देश के महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रदान की गई भारत के पास इसकी अपनी राजनीतिक दृष्टि और अवधारणा है। कभी भी भारत ने शिखर शक्तियों द्वारा असहाय राष्ट्रों पर इस प्रकार के अकारण हमलों की निन्दा करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा है। परन्तु इस समय भारत ने एक असहाय राष्ट्र पर अकारण हमले की निन्दा करने के बजाय इन हमलों पर अफसोस जताने के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग किया है।

महोदय इराक के उप प्रधानमंत्री द्वारा बताया गया है कि सैकड़ों निर्दोष लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और सैकड़ों लोग अभी भी अस्पताल में हैं। केवल एक बात के कारण इतना सब कुछ हो रहा है। वह यह है कि अमेरिका इराक से बहुत ज्यादा डरता है, ऐसा नहीं है कि इराक अपने पड़ोसी देशों पर हमला करेगा। वास्तव में अमेरिका इराक की शक्ति से बहुत ज्यादा डरता है कि वह कभी-भी इजरायल के विरूद्ध आक्रमण कर सकता है।

भारत के प्रधानमंत्री, श्री वाजपेयी जी इजरायल के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अति आतुर थे। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री को किसी भी देश के प्रधानमंत्री से मिलने दीजिए। परन्तु इजरायल के प्रधानमंत्री मि. नेतान्याहू से मिलने में हमारे प्रधानमंत्री ने जो आतुरता दिखाई इससे अरब देशों को गलत संदेश जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से मिलने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु इजरायल के साथ मैत्री करने की हमारी सरकार की आतुरता हमारी उस नीति से मेल नहीं खाती है जो हम पंडित जवाहर लाल नेहरू के जमाने से अपना रहे हैं।

महोदय, अमेरिका द्वारा की गई बमबारी छिपा वरदान सिद्ध हो रही है। अरब राष्ट्र कुछ मामलों में अलग-अलग राय रखते थे। परन्तु अमेरिकी बमबारी के कारण अरब ऐक्य और अरब राष्ट्रवाद की भावना को पुनर्जीवित करने का अवसर प्राप्त हुआ है जोकि

[श्री शिवराज वी. पाटील]

जहां तक एफ.एम.सी.टी. का सम्बन्ध है, वक्तव्य एकदम स्पष्ट है और उस पर बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण मुझे पूरा विश्वास है, सभी को मान्य होगा। इस मामले में भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी प्रकार का पक्षपातपूर्ण व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस चर्चा से निकलने वाला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि और वर्तमान स्थिति यह है कि भारत के विरूद्ध भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। भारत को अन्तर्राष्ट्रीय संधियों को मानने के लिए तैयार करने के लिए यदि भारत को अन्य परमाणु अस्त्र सम्पन्न राष्ट्रों का दर्जा प्रदान किया जाता है तो यह स्वीकार्य होगा। परन्तु यहां भी, यदि भारत के प्रति भेदभाव बरता जाता है तो इसे स्वीकार करना हमारे लिए सम्भव नहीं होगा।

मैं अब निर्यात नियंत्रणों पर आऊंगा। हमारे पास कुछ प्रौद्योगिकियां है; अत्यधिक आधुनिक प्रौद्योगिकियां और बेजोड़ प्रौद्योगिकियां भी भारत में उपलब्ध है। हमने सावधानी बरती है और हम खतरनाक प्रौद्योगिकियों को अन्य राष्ट्रों को उपलब्ध नहीं [illegible] हम भविष्य में भी जिम्मेदारी की भावना का पालन [illegible] इसके साथ ही हम यह भी कहना चाहेंगे कि ऐसी भी प्रौद्योगिकियां है जिनका उपयोग दो तरह से हो सकता है। उन्होंने एक सूत्र ढूंढ़ निकाला है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग हथियारों के निर्माण के लिए भी हो सकता है और अन्य उद्देश्यों के लिए भी हो सकता है। इस प्रकार प्रौद्योगिकियां दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियां होती है। परन्तु मेरे विचार से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है उसका उपयोग कई प्रकार से हो सकता है। इसका उपयोग मानव जाति की भलाई के लिए हो सकता है या इसका उपयोग किसी भी चीज के निर्माण में हो सकता है या इसका उपयोग विध्वंस के लिए भी हो सकता है।

विनाश के लिए प्रयोग में लाई जा सकने वाली प्रौद्योगिकियों और मानव जाति की भलाई के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली प्रौद्योगिकियों के बीच का अन्तर बहुत कम हो गया है। आप चाहे किसी भी प्रौद्योगिकी को लीजिए जैसे इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी। किसी भी प्रौद्योगिकी को दोहरे प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। अन्तर बहुत कम है। इसीलिए दोहरे प्रयोजन का यह फार्मूला या सिद्धान्त प्रासंगिक नहीं है। इस फार्मूले का प्रयोग किसी भी देश को किसी विशेष प्रौद्योगिकी से वंचित रखने के लिए किया जा सकता है। अब भारत यह रवैया अपना सकता है कि इस दोहरे प्रयोजन के सिद्धान्त को इसके प्रभावों को समझे बिना और यह समझे बिना कि किस प्रौद्योगिकी का उपयोग दोहरे प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता है, आंख मूंद कर लागू नहीं किया जाना चाहिए। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस बिंदु को विदेश मंत्री और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच हुई चर्चा में उठाया गया है अथवा नहीं। इस बिंदु पर बोलने की बहुत गुंजाइश है। कोई भारत को इस आधार पर किसी प्रौद्योगिकी से वंचित नहीं रख सकता है कि इसे रक्षा प्रयोजनों या हथियार बनाने के लिए प्रयोग कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम विदेश मंत्री से इस मुद्दे पर कुछ और सावधानी से चर्चा करने और उन प्रौद्योगिकियों पर से प्रतिबंध कम करने का प्रयास करने का आग्रह करते हैं जिन्हें भारत को दिया जा सकता है। यह अन्तर करने की बहुत कम गुंजाइश है कि किस प्रौद्योगिकी को दोहरे प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है और किस प्रौद्योगिकी का दोहरे प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि भारतीय प्रतिनिधि पूर्ण सावधानी बरते और इस बिंदु पर कुछ लाभ प्राप्त करने का प्रयास करें।

अब मैं रक्षा संबंधी रूख पर आता है। भारत ने अहिंसा का मार्ग अपनाकर स्वतंत्रता प्राप्त की। भारत ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। किंतु भारत को पांच बार युद्धों में झोंका गया। मैं चार बार नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं कच्छ के रन के संघर्ष को भी शामिल कर रहा हूं। भारत को बलात् अपनी रक्षा करनी पड़ी। भारत विश्व को यह वचन दे सकता है कि वह किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं करेगा किंतु भारत आत्म रक्षा अवश्य करेगा। भारत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल नहीं रहेगा।

परमाणु हथियारों के बारे में बात करते हुए यह कहा गया कि भारत किसी देश के विरुद्ध पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। मैं नहीं जानता कि यह वक्तव्य देना आवश्यक था या नहीं। यह वक्तव्य दिए बिना भी हम इस सिद्धान्त का पालन कर सकते हैं। इस वक्तव्य में कोई बुराई नहीं है। इस वक्तव्य को दिए बिना भी हम वही बात कर सकते थे। यदि हम यह वक्तव्य नहीं देते तो हमें कुछ रक्षा संबंधी लाभ मिल जाता।

भारत ने यह वक्तव्य देकर सही किया है कि भारत परमाणु हथियार विहीन देशों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। भारत परमाणु हथियार प्राप्त करने का प्रयास क्यों कर रहा है? यह स्पष्ट किया गया है कि हमारा लक्ष्य बहुत सीमित अर्थात् आत्म रक्षा है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य परमाणु संपन्न देशों के साथ प्रतियोगिता करना नहीं चाहते हैं।

हमें अन्य देशों की पंक्ति में खड़ा नहीं किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में हम अग्रणी है। हमारा उद्देश्य सीमित है और उस सीमित उद्देश्य के लिए हमें सतर्क रहने और स्वयं को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने का अधिकार है। हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार रखेंगे। हमारा रक्षा संबंधी रुख सही है।

जहां तक प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी का संबंध है इसमें कोई मतभेद नहीं है इस संबंध में हम काफी हद तक उस बात से सहमत है जो इस बारे में रक्षा प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के बारे में कही गयी है।

यह कहने के उपरान्त मैं कहना चाहता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने के प्रयास करते हुए हमें केवल परमाणु प्रौद्योगिकी, परमाणु हथियार या इस प्रकार की किसी अन्य बात पर ही ध्यान केन्द्रित नहीं करना चाहिए। ऐसे कई क्षेत्र हैं। जहां पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एक-दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। उन सभी क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना और उनके साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने का उपाय ढूंढ़ने का प्रयास करना उपयोगी होगा। व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में सहयोग की बहुत गुंजाइश है। व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में भारत सहयोग कर सकता है अपने कार्यकलापों को समन्वित कर सकता है तथा इस पर गौर किया जाना चाहिए।

भारत, अमेरिका और तीसरी दुनिया के देशों में भी उद्योग जगत की सहायता करने की गुंजाइश है। आजकल हम सेवा क्षेत्र के मामलों के संबंध में एक-दूसरे की सहायता कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भी हम यह कार्य इस ढंग से करेंगे कि हमारे हितों की रक्षा हो। तीसरा क्षेत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दोहरे उपयोग प्रौद्योगिकी के सिद्धान्त के कारण सहयोग की गुंजाइश सीमित है। इस सिद्धान्त को त्यागना होगा और हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग की काफी गुंजाइश है। यदि अन्य देश हार्डवेयर तैयार कर सकते हैं तो हम सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते है आनुवंशिकी के क्षेत्र में सहयोग की काफी गुंजाइश है। आनुवंशिकी के क्षेत्र में जहां तक आनुवंशिकी संसाधनों का संबंध है भारत विश्व में सर्वाधिक समृद्ध देश है और अमेरिका ऐसा देश है जहां पर आनुवंशिकी संसाधन नहीं हैं किंतु आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी है। यदि आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी और आनुवंशिकी संसाधन मिल जाएं तो इससे न केवल भारत या अमेरिका का भला होगा अपितु संपूर्ण विश्व का भला होगा, सूचना विज्ञान और संचार अन्य ऐसे क्षेत्र है जहां पर हम सहयोग कर सकते हैं। हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग किया है। हमारे कुछ उपग्रह अमेरिका से प्रक्षेपित किए गए हैं और इस क्षेत्र में भी सहयोग की गुंजाइश है। एक सबसे बड़ा क्षेत्र जिसमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन सहयोग किया जा सकता है वह ज्ञान का क्षेत्र है, यदि हम इस क्षेत्र पर ध्यान देते है तो भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही उपयोगी सहयोग होगा। हमें इन क्षेत्रों को खोजना होगा। हमें सहयोग के लिए सावधानीपूर्वक तैयार रहना होगा। हमारा एक दृष्टिकोण होना चाहिए कि किस प्रकार सहयोग किया जाए। हमें सहयोग की योजना बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और फिर हमें इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए अपेक्षित साधन प्राप्त करने चाहिए।

यह अच्छी बात है कि भारत ने इन महत्वपूर्ण मामलों पर रूस, फ्रांस, जापान और अन्य देशों के साथ कुछ चर्चा की है। मेरे विचार से ब्रिटेन और भारत के बीच पर्याप्त वार्ता नहीं हुई है।

यदि ऐसा है तो हमें उनको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। इससे हमें यह पता लगाने में सहायता मिलेगी कि हम किस क्षेत्र में सहमत हैं और किस क्षेत्र में सहमत नहीं हैं। जहां हम एक दूसरे से सहमत है, वहां हम एक-दूसरे को सहयोग देते है, जहां हम सहमत नहीं है वहां अपनी सहायता के लिए हमारी अपनी योजनाएं है अपनी रणनीतियां हैं। यह बहुत आवश्यक है।

आज हम भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों पर चर्चा कर रहे है और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे देश में रूस के प्रधानमंत्री आए हुए हैं। हमने टेलीविजन में देखा और समाचार पत्रों में भी पढ़ा है कि भारत और रूस ने लगभग सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इस तरह का सहयोग निश्चित तौर पर उपयोगी होगा। पूर्व सोवियत संघ और भारत एक दूसरे के सहयोग दे रहे थे और अब भी दोनों में सहयोग विद्यमान है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्वतंत्रता पूर्व सहयोग विद्यमान था। स्वतंत्रता के बाद यदि गलतफहमियों दूर करने के लिए बातचीत की गुंजाइश थी तो हमने वह किया और अब भी गुंजाइश है। अब भारत इन देशों से बात कर रहा है। यह अच्छा है। मेरे विचार से जापान के साथ हमें कुछ विस्तार से वार्ता करनी होगी क्योंकि जापान द्वारा कुछ कड़े वक्तव्य दिए गए हैं मेरे विचार से इस मामले पर जापान से भी वार्ता करने की गुंजाइश है। अब हमें ब्रिटेन से भी वार्ता करनी होगी।

यह कहा गया है कि वर्तमान सरकार इन मामलों पर अन्य लोगों से चर्चा करनी चाहती है। मेरे विचार से सरकार ने इन मामलों पर अन्य दलों से चर्चा की है अभी भी चर्चा कर रही है। किंतु क्या मैं एक बात कह सकता हूं। यदि आपने किसी मामले पर अन्य दलों से चर्चा की है और आप कुछ निष्कर्षों तक पहुंचे है तथा आप उसी मामले का उपयोग चुनावों में यह कहने के लिए करते है कि यह आपकी नीति है व यह नीति सफल रही है। क्या यह सही है? इससे बचा जाना चाहिए। यदि यह देश की, संसद की और जनता की नीति है तो इसका श्रेय एक दल द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए। यदि किसी एक दल द्वारा श्रेय लिया जाता है तो अन्य दल आपके प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करने में

[श्री शिवराज वी. पाटील]

अधिक सावधानी बरतेंगे और इस पर वास्तविक चर्चा करने में अड़चन होगी। क्या सरकार ने जो कुछ हुआ उसका उपयोग चुनाव में सत्ता में आने के लिए किया? यदि सरकार ने उस बात का उपयोग किया है तो शायद यह रक्षा व विदेश संबंधी मामलों पर आम सहमति को बाधित करने के लिए पर्याप्त है। रक्षा नीति को सभी दलों में सहमति के आधार पर बनाया जाना चाहिए। यदि एक दल इसका लाभ लेने का प्रयास कर रहा है तो सहमति तक पहुंचने की गुंजाइश सीमित है। विदेश नीति का निर्माण सभी दलों के बीच आम सहमति के आधार पर होना चाहिए। यदा-कदा अलग राय व्यक्त की जा सकती हैं। किंतु सहमति होनी चाहिए। यदि इस सहमति का उपयोग पक्षपात, राजनीतिक उद्देश्य और चुनावों के लिए नहीं किया जाता है तो अच्छा रहेगा, मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए।

कांग्रेस पार्टी की ओर से हम मोटे तौर पर रक्षा, विदेश और योजना से संबंधित मामलों में सहयोग करना चाहते है, हां जहां पर हमारे विचार सरकार के विचारों से भिन्न हों वहां पर हम सरकार की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र है यह हमारा कर्त्तव्य है। उन बातों पर हम चुप रहने वाले नहीं हैं। एक ओर हम आलोचना के लिए सरकार की आलोचना नहीं करें। किंतु दूसरी ओर जहां आलोचना आवश्यक हो, जहां हमारे विचार बिलकुल भिन्न हों हम सरकार को नहीं बख्शेंगे। मोटे तौर पर सहमति की गुंजाइश है और हमें सहमति बनानी चाहिए। किंतु हमें सोचना होगा कि सहमति बनाने के लिए सरकार ने अपने विचार व्यक्त कर दिए है फिर भी कुछ बिंदुओं पर सरकार ने कुछ गलतियां की है जिनके कारण सरकार के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत होना संभव नहीं है।

सायं 6.00 बजे

मैं यह भी सोचता हूं कि इस तरह के दृष्टिकोण के रहते हमारी ऐसी रक्षा नीति होनी चाहिए जो हमारे देश की रक्षा कर सके, हमारी एक ऐसी विदेश नीति होनी चाहिए जो हमारे हितों, विश्व में लोगों के हितों की रक्षा और संपूर्ण विश्व में शांति, सुख और समृद्धि की रक्षा करें।

श्री सी. गोपाल (अर्कोनम) : माननीय सभापति महोदय, मैं अमरीका के साथ हुई द्विपक्षीय बातचीत के संबंध में सभा में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के संबंध में अपने दल और अपनी नेता डा. पुरातच्छी थैल्लवी की ओर से अपने विचार व्यक्त करूंगा।

जैसा कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष, हमारे माननीय मंत्री जी ने हमारी विदेश नीति के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है और उन्होंने अनेक राष्ट्रों का दौरा किया है। इस सही समय के दौरान उन्हें विदेश मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। इसलिए अपने दल की ओर से, मैं उन्हें इस मौके पर बधाई देता हूं।

अभी एक दल ने हमारी विदेश नीति की आलोचना की और सत्तारूढ़ दल ने इसकी प्रशंसा की है। मैं वर्ष 1947 से अपनी बात का आरम्भ करना चाहूंगा। हमारा राष्ट्र पिछले पचास वर्षों से विदेशियों के विरुद्ध अपनी नीतियों को अपना रहा है। वर्ष 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के प्रति अपने एक रेडियो प्रसारण द्वारा विदेश नीति के संबंध में हमारे राष्ट्र के विचारों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था और जिसे मैं उद्धरित कर रहा हूं:

> "हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारी अपनी नीति के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पूरा हिस्सा लेंगे न कि किसी अन्य राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में। हम उम्मीद करते हैं कि हम अन्य राष्ट्रों के साथ निकटतम और प्रत्यक्ष संपर्क विकसित करने और विश्व शान्ति तथा स्वतंत्रता में उन्हें सहयोग देंगे। जहां तक सम्भव होगा, हम एक-दूसरे के विरुद्ध एक हुए दलों की राजनीति से अपने आपको दूर रखेंगे जिससे विगत में विश्व युद्ध हुए हैं और जिससे फिर बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है।"

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि आज हमारी नीति क्या है। मैं अमरीका के साथ द्विपक्षीय बातचीत के संबंध में कुछ मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं। सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति भारत की वचनबद्धता कम नहीं हुई है। परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व न केवल हमारी सुरक्षा बढ़ाएगा। बल्कि सभी राष्ट्रों की सुरक्षा को सुरक्षा प्रदान करेगा। विशेषकर संबंधों में इनके आर्थिक क्षेत्र में भारत-अमरीका संबंधों में विस्तार हुआ है और उनमें विविधता आई है। अमरीका व्यापार और निवेश में भारत का सबसे अधिक साझेदार भी रहा है।

सायं 6.04 बजे

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

हमारी सरकार ने मई, 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे। उस समय भी कांग्रेस दल ने उसकी आलोचना की थी। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि मई 1998 में किया गया परमाणु परीक्षण 25 वर्ष पहले लिए गए निर्णय के क्रम में किया गया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने भी इसमें पूरी रुचि ली थी। श्री राजीव गांधी जी भी इन परीक्षणों को करने में रुचि रखते थे। लेकिन जब इस बात का श्रेय केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को गया तो कांग्रेस के लोगों के मस्तिष्क में यह विचार उत्पन्न हुआ। केवल भारत द्वारा मई 1998 में किए गए परमाणु परीक्षणों के द्वारा ही भारत-अमरीका के संबंधों को नया मोड़ नहीं मिला। उस समय अमरीका की प्रतिक्रिया कुछ आलोचनात्मक और कठोर थी। भारत तथा पाकिस्तान द्वारा किए गए परीक्षणों के संबंध में श्री क्लिंटन के चीन के दौरे के दौरान चीन तथा अमरीका द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था। उस समय भी, हमारी विदेश नीति की आलोचना की गई थी। इसलिए, मैं अब यह मुद्दा प्रस्तुत कर रहा हूं। उस समय भी भारत ने स्पष्ट रूप से वक्तव्य का खंडन किया और पूर्णत: अस्वीकार्य विचार व्यक्त किए।

इस समय इराक पर आक्रमण के संबंध में भारत की विदेश नीति का उल्लेख करना बहुत आवश्यक है। सभी यह देख रहे हैं कि इस नीति के संबंध में भारत का विकल्प क्या है। मैं इस सभा के समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं भी और किसी भी उद्देश्य से लोगों की हत्या करना गलत है। ऐसे कार्य को उचित ठहराने के लिए कोई व्यक्ति कुछ भी कारण दे सकता है लेकिन अमरीका और ब्रिटेन द्वारा सैन्य हमले गलत हैं। निश्चय ही, अब हमने रोक दिए गए हैं। अमरीका और ब्रिटेन के हमलों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मानदंडों का उल्लंघन हुआ है और इन्होंने स्थिति से निपटने के लिए विश्व समुदाय के प्रयत्नों की खुले तौर पर उपेक्षा की है।

उस घटना के समय इस राष्ट्र का क्या विचार है? उस समय, हमारे माननीय विदेश मंत्री ने कहा था कि इराक पर हवाई हमले होना दुख की बात थी और गंभीर चिन्ता का विषय था; इराक द्वारा सुरक्षा परिषद् के संकल्पों के कार्यान्वयन संबंधी मतभेद को वार्ताओं और बातचीत द्वारा दूर किया जाना चाहिए था और भारत सैन्य कार्यवाही को तत्काल रोकना चाहता था। इसलिए, मेरा विनम्र निवेदन यह है कि उस घटना के संबंध में हमारी नेता डा. पुरातच्छी थैल्लवी ने यह कहते हुए एक वक्तव्य दिया था कि पवित्र रमजान के महीने की पूर्व संध्या पर इराक के लोगों को उनकी कठिनाईयों से राहत मिलने की बजाय उन पर बम्बों की वर्षा हो रही है। उन्होंने निम्न प्रकार कहते हुए एक वक्तव्य भी दिया :

> "अमरीका और इंग्लैंड द्वारा इराक पर बम्ब विस्फोट मानवता के विरुद्ध अपराध है, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए।' मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वह तत्काल बम्बारी और ईराक के विरुद्ध सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महा-सभा में एक संकल्प प्रस्तुत करें।"

लेकिन, फिर भी मेरा नम्र निवेदन यह है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने सही समय पर उपयुक्त वक्तव्य जारी किया है।

महोदय, मैं भारत-पाक संबंधों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद है। मैं 1947 की घटना को इस सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। सभी जानते हैं और हमारे सुविख्यात नेता जानते हैं कि वर्ष 1947 में जम्मू और कश्मीर राज्य ने पाकिस्तान में शामिल होने से मना कर दिया था और उन्होंने केवल भारत को ही विकल्प के रूप में चुना था। उस समय पाकिस्तान के नेताओं ने यह तर्क दिया था कि यदि अधिक क्षेत्र भारत का हिस्सा रह जाता है तो पाकिस्तान का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। यह उनका दृष्टिकोण है और यह उनकी विचार धारा हैं। लेकिन जहां तक कि भारतीय नेतृत्व का संबंध है, हम मानते हैं कि भारत में एक मात्र मुस्लिम बाहुल्य राज्य होने के नाते कश्मीर निरपेक्ष राष्ट्रवाद की भारतीय दार्शनिकता का केन्द्र-बिन्दु है। इसलिए, दो राष्ट्रों के बीच यह टकराव आज तक जारी है।

यह माना जाता है कि विदेश-नीति व्यापक राष्ट्रीय सहमति पर आधारित होनी चाहिए। जहां तक कि अमरीका के साथ हमारे संबंधों की बात है, भारत बड़े पैमाने पर निरस्त्रीकरण, अप्रसार मामले, एकपक्षीय छूट, इसे विधि अनुसार बाध्यताओं में बदलने के लिए चर्चा करने की इच्छा, ठोस वार्ताएं करने की हमारी पेशकश और संवेदनशील प्रौद्योगिकी के निर्यात संबंधी कड़े नियंत्रण पर हमारी नीतियों के संबंध में बातचीत कर रहा है।

मैं भारत-पाकिस्तान संबंधों पर कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। विदेश सचिवों के स्तर पर भारत और पाकिस्तान के बीच सहकारी बातचीत तथा, राजनीतिक स्तर पर आपसी बातचीत केवल वर्ष 1997 में ही आरम्भ हुई। हमारे सम्माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री गुजराल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से चार बार मिले। इन बैठकों में पाकिस्तानी गतिविधियों के संबंध में भारत की चिन्ता के बारे में उन्हें बताया गया था जिसका भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित तथा पाकिस्तान के साथ उसके विश्वसनीय संबंध, मित्रता और सहयोग स्थापित करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

[श्री सी. गोपालन]

परमाणु परीक्षण करने के बाद पुनः एक बार पाकिस्तान के साथ हमारे विचारों में असहमति पैदा हुई है। 14 जून, 1998 को हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज़ शरीफ को एक पत्र लिखा कि सार्क सम्मेलन के लिए कोलम्बो में उनकी उपस्थिति से उन्हें द्विपक्षीय बातचीत करने और यह निर्णय लेने में सहायता मिलेगी कि बातचीत की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि भारत दो देशों के बीच शान्तिपूर्ण और मित्रतापूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने और सहयोग के एक स्थायी ढांचे को विकसित करने के लिए वचनबद्ध है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज़ शरीफ ने कोलम्बो में बातचीत करने के भारतीय प्रधानमंत्री के सुझाव पर सहमति प्रकट करते हुए 23 जून 1998 को जवाब दिया। पाकिस्तान के [illegible] इस वक्तव्य के बावजूद भारत के प्रति पाकिस्तान [illegible] है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस बात को मानता [illegible] और पाकिस्तान के बीच सभी मामलों को द्विपक्षीय बातचीत द्वारा शान्तिपूर्ण तरीके से निपटाया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान के हमले जारी हैं और इस वर्ष सितम्बर से उन्होंने हमारी चौकियों पर कब्जा करने के लिए 11 बार हमले किए हैं। भारत ने विश्व की एक सबसे ऊंची चौकी बीला टॉप पर कब्जा करने के एक अन्य प्रयत्न को भी असफल कर दिया है। भारत और पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में नई दिल्ली और इस्लामाबाद में अपने-अपने उच्चायोगों के स्टाफ के एक-एक सदस्य को भी निकाल दिया। पाकिस्तान का भारत के प्रति यह रवैया है। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री ने यह दोहराया है कि कश्मीर के संबंध में किसी तीसरी पार्टी की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम बातचीत के लिए किसी तीसरे दल को बीच में नहीं आने देंगे। विश्व स्तर पर आतंकवाद के नमूनों संबंधी 30 अप्रैल, 1998 को जारी अमरीका राज्य विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि लगातार इस बात की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान से सरकारी समर्थन प्राप्त है। जहां तक कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों की बात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र की अखंडता से समझौता किए बिना सही राह पर चल रहे हैं। यह मेरा नम्र निवेदन है।

जहां तक कि कच्छाथीवु का संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि एक समय में यह भारत का ही हिस्सा था। सेतुपथी राजा नाम का एक तमिल इस पर शासन करता था। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री करूणानिधि ने इसे श्रीलंका को दे दिया।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : माननीय सभापति महोदय, यह केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री सी. गोपाल : महोदय, वह इससे संबंधित पुरानी बातें नहीं जानते हैं। ...*(व्यवधान)* जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, तो यह मामला तमिलनाडु के मुख्य मंत्री को भेजा गया था। लेकिन तमिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा इस पर कोई आपत्ति नहीं की गई थी जबकि वह यह कहते हुए हमेशा तमिलों की बात करते रहते है कि वह तमिलों के लिए ही जिंदा है। अब, तमिलनाडु के मछुआरे काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और यहां तक कि परसों, 16 मछुआरों को जाफना में नजरबंद कर लिया गया था। इसलिए, कच्छाथीतु को हमारे देश का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिएं। हमारे नेता भी इस विषय पर आवाज उठा रहे हैं।

अतः, अन्त में, मैं प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की प्रशंसा करना चाहूंगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचुर) : माननीय सभापति महोदय, एक सप्ताह के भीतर विश्व में काफी घटनाएं घटित हुई हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी परिवर्तन हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के पांच सदस्यों में से दो महाशक्तियों अमरीका और ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के नियमों का उल्लंघन किया है और अमरीका तथा ब्रिटेन द्वारा इराक पर किया गया हमला केवल इराक पर ही नहीं किया गया है।

यह हमला संयुक्त राष्ट्र के नियमों के विरुद्ध किया गया है। यह हमला विशेषकर तीसरी दुनिया के देशों के विरुद्ध किया गया है। सुरक्षा परिषद् के पांच स्थायी सदस्यों में से तीन, जनवादी गणराज्य चीन, रूस और फ्रांस ने इस हमले के विरुद्ध चेतावनी दी है। तभी भी सिविल लोगों पर मिसाइल द्वारा हमले और क्रूर गोलाबारी चार रातों तक चलती रही। हमले रुक जाने के बाद भी कल अमरीका के राज्य सचिव अर्थात् उनके विदेश मंत्री दूरदर्शन पर आए और कहा: "हम किसी भी समय हमला करने के लिए

मुक्त हैं।'' यह चुनौती मानवता के विरुद्ध है। इसलिए, स्थिति काफी बदल गई है। हम केवल अपने सम्माननीय प्रधानमंत्री के दो वक्तव्यों पर ही चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमें इस नई स्थिति का भी जायजा लेना है। लेकिन दो भूतपूर्व साम्राज्यवादी शक्तियों के रूप में अमरीका और ब्रिटेन ने शब्दों को चुनौती दी है कि उनके अपने हितों के लिए उनकी भौतिक शक्ति को उन पर थोपा जाएगा। श्री बिल क्लिंटन ने काफी खुले तौर पर यह कह दिया था, ''अमरीका के हितों की रक्षा करने के लिए हम ऐसा करेंगे।'' वह संयुक्त राष्ट्र के नियमों के विरुद्ध जायेंगे। वह सुरक्षा परिषद् के विरुद्ध जायेंगे। वह मानवता के विरुद्ध जायेंगे। श्री बिल क्लिंटन द्वारा साफ-साफ शब्दों में ऐसा कहा गया था। कल अमरीका के सचिव द्वारा इस बात को दोहराया गया था। हम इसका सामना कैसे करेंगे? यह भारत सरकार और राष्ट्र के समक्ष एक निर्णायक प्रश्न है।

भूतपूर्व साम्राज्यवादी ताकतों की इराक के प्रति शत्रुता का मुख्य कारण यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन्होंने अपने तेल क्षेत्रों को राष्ट्रीयकृत करने का साहस दिखाया जो कि अन्य अरब राष्ट्र नहीं कर पाए? क्या किसी राष्ट्र को ऐसा करने का अधिकार नहीं है? यह इस शत्रुता का मुख्य कारण हैं?

इस स्वतंत्र देश की आलोचना करने के उनके दावे बिलकुल झूठे हैं। मैं उस मुद्दे पर विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे डर है कि सभापति महोदय बीच में ही अपनी बात समाप्त करने के लिए घंटी बजा देंगे।

जब हम अमेरिका की बात करते है तो हम देखते हैं कि वे हमारे साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं? उन्होंने अभी तक प्रक्षेपास्त्र नहीं छोड़े हैं। उन्होंने उस समय नौसेना को चेतावनी नहीं दी जब नाभिकीय हथियारों से लैस उनके समुद्री जहाज डियगो गरसीया से खाड़ी देशों की ओर गए थे। बल्कि प्रतिबंधों के नाम पर वे हम पर दबाव डाल रहे हैं। मैं ऐसा कहने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि भारत सरकार उनके दबाव के आगे झुक रही है।

कल न्यूयार्क अंतर्राष्ट्रीय बीमा कम्पनी के चेयरमैन ने दिल्ली में एक प्रेस वक्तव्य दिया था। वे हमारे आई.आर.ए. विधेयक के परिणाम का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। वे दिल्ली में हैं।

महोदय, भारत में अपने अच्छे उत्पादों के लिए वे विशेष विपणन अधिकार किसके लिए चाहते हैं? वे 98 करोड़ लोगों के लिए बाजार पाना चाहते है। क्या हम उनके आगे झुकने जा रहे हैं? अगर हम अपना पेटेंट विधेयक, माडल पेटेंट विधेयक को संशोधित करना चाहते हैं और विशेष विपणन अधिकार के लिए अपना बाजार खोलना चाहते हैं तो इस देश की निर्यात क्या होगी?

हां, हमारी अर्थव्यवस्था हमारी विदेश नीति से जुड़ी है। हम इन पूर्ववर्ती साम्राज्यवादी ताकतों के साथ कैसे निपटें यही एक गंभीर बात है। अगर इराक अपने तेलकूप खोल देता तो कोई प्रक्षेपास्त्र या बम्बबारी नहीं होती। सद्दाम एक अच्छे राजनयिक और सज्जन व्यक्ति हैं। हमें आर्थिक क्षेत्र में पूर्ववर्ती आर्थिक शक्तियों का सामना करना पड़ता है। हमारी विदेश नीति आर्थिक नीति से जुड़ी है।

महोदय, वे इस देश को लूटने में लगे हैं। वे हमारी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं। अगर हम उनकी बात मानते हैं तो हमारा देश प्रगति नहीं करेगा। हम इसके कारणों का पता लगा सकते है। अर्थ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम निर्यात भी कर सकते हैं। सच है कि हमें अपने उत्पादों का निर्यात करना होगा, हमें अपनी निर्यात आयात नीति को संतुलित करना होगा। अगर हम संयुक्त राष्ट्र से प्रभावित नहीं होते तो वे यूरोपीय बाजार में, संयुक्त राष्ट्र के बाजार में और जापानी बाजार में भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं।

भारत में हमारी जनसंख्या 98.84 करोड़ है। यह एक बड़ा बाजार है। हम यूरोप व अन्य कहीं नहीं जाते। अगर आप कृषि क्षेत्र में सुधार करते है, अगर आप मौलिक भूमि सुधार नियम बनाते हो और ग्रामीण गरीब लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ाते हैं तो सबसे गरीब किसान, 98 करोड़ लोगों की खरीदने की शक्ति से औद्योगिक आंदोलन, औद्योगिक विकास होगा और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। स्वदेशी से मैं यही समझता हूं। अब हम स्वदेशी और विश्वव्यापीकरण का सामना कर रहे हैं। विश्वव्यापीकरण कहने को बहुत अच्छा है परन्तु आप एक बड़े राष्ट्र को अपने अंदर ले रहे हैं। आप अपनी आर्थिक नीति की पुनर्संरचना कर रहे हैं।

मैं कांग्रेस दल की इस भूल के लिए खेद व्यक्त करता हूं। पंचमढ़ी के बाद हमने सोचा था कि वे कुछ हद तक कुछ

[श्री वी.वी. राघवन]

परिवर्तन कर सकते हैं। जहां तक कांग्रेस का संबंध है हमारे लिए पंचमढ़ी आशा की बात थी। परन्तु पंचमढ़ी के बाद, आज भी अब हम क्या देखते हैं? कांग्रेस पार्टी भी उन्हीं पद चिह्नों पर चल रही है और इस देश को लूटने के लिए उतनी ही गिर गई है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और भा.ज.पा. को एक साथ संरक्षण दिया है। इससे इस देश का बुनियादी ढांचा अस्थायी रूप से बिगड़ सकता है। परन्तु मैं उन्हें यह स्मरण करवाना चाहता हूं कि लोग उन्हें भूलेंगे नहीं।

पंचमढ़ी सत्र के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश की जीत आती है। उन्होंने कुछ आशा दी कि वे बदल रहे हैं, परन्तु आज वे बदल नहीं रहे हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, हमारे आर्थिक क्षेत्रों में पूर्ववर्ती उपनिवेशवादी शक्तियों के पुन:प्रवेश और इस देश को लूटने में वे भा.ज.पा. से काफी आगे हैं। मैं उनके ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि जब वे अमरीका से बातें करते हैं तो उन्हें हमारी विदेश नीति को ध्यान में रखना

सी.टी.बी.टी. के संबंध में हमारा अधिक मतभेद नहीं है।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : हमें खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है।

श्री वी.वी. राघवन : हम अपनी सुरक्षा को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं? मेरा मत यही है कि इस आधुनिक विश्व में नाभिकीय हथियारों से हमारी सुरक्षा मजबूत नहीं हो सकती। इस आधुनिक विश्व में नाभिकीय हथियार कुछ नहीं है। हमारी सुरक्षा हमारे मित्र राष्ट्रों, चीन और रूस, तीसरी दुनिया के देशों से मजबूत संबंध स्थापित करके मजबूत हो सकती है। अगर हम एक साथ बैठकर समझौता करते हैं जैसा कि हमने विगत में रूस के साथ किया था तथा तीसरी दुनिया के देशों के लोगों के साथ किया था तो हमारी सुरक्षा की केवल यही गारन्टी होगी। नाभिकीय हथियारों का सहारा लेना कोई समाधान नहीं है।

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : सभापति महोदय, इस वाद-विवाद में भाग लेते समय मैं अपने आपको बहुत जिम्मेदारी की भावना से उद्वेलित महसूस कर रही हूं।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आज एक बहुत कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हम सभी को पर्याप्त सूझबूझ वाला और संतुलित होना होगा। संभवत: संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री कोफी अन्नान ने ठीक ही कहा था जब उन्होंने यह कहा कि अच्छे राजनयिक संबंध समय की मांग है। मैं यह आशा करती हूं और प्रार्थना करती हूं कि इस समय की मांग को लागू करने में मेरा देश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

महोदय, हम माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा इस सदन में दिए गए वक्तव्य पर बहस कर रहे है। परन्तु हमारे सामने कई घटनाएं घट चुकी हैं और हमें पिछले कुछ दिनों में घटी घटनाओं का उल्लेख करना होगा। पिछले कुछ दिनों में घटी घटनाओं को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य की जांच करनी होगी। हमने अमेरिका का रुख देखा कि उसने किस प्रकार हमें आतंकित कर रखा है। भारत-अमेरिका वार्ताएं चल रही हैं। हमारे यहां श्री जसवंत सिंह जैसे विद्वान हैं परन्तु जो कुछ हमने पिछले कुछ दिनों में देखा उससे हमें बहुत सावधान होना चाहिए।

इस सदन में, हमने एक मत से अमेरिका द्वारा इराकी लोगों पर किए गए हमले की निन्दा की थी। अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय कानून को बचाने के नाम पर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। पिछले आठ वर्षों से इराकियों पर लगाए गए बहुत कड़े प्रतिबंधों के कारण इराकी लोग पहले ही दुख उठा रहे थे। दवाओं की कमी और कुपोषण के कारण बच्चे मर रहे हैं। उसके बाद बमबारी हुई। मैं नहीं जानती कि उनके अधिनायक की गलती की सज़ा इराकी लोगों को क्यों दी जा रही है। मुझे इस संबंध में ब्रिटेन की भूमिका से काफी धक्का लगा है और वह भी टोनी ब्लेयर के रहते ब्रिटेन से। मैं यह मान ही नहीं सकती कि हूज गटेस्केल की पार्टी एक तरह से अमेरिका को दूसरे रूप की भूमिका अदा कर रही है जो अमेरिका के पक्ष में है, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो वे अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के पक्ष में हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कि जब स्वेज नहर विवाद के समय एन्टनी इद्रम की टोरी सरकार ने मिस्र पर हमला किया था तो हूज गटेस्केल ही था जिसने उस समय विपक्ष के नेता के रूप में विरोध में अपनी आवाज उठाई थी। किंतु अब, विश्व की अलग राय है और अमेरिका और ब्रिटेन को अलग कर दिया है। हमने रूसी प्रधानमंत्री के विचार सुने हैं जो इस समय हमारे साथ उपस्थित है। हमने चीन और फ्रांस के विचार भी सुने।

दिल को छू लेने वाली बात यह है कि आम अमेरिकी जनता और बुद्धिजीवियों ने इस युद्ध का समर्थन नहीं किया है। उनके विचार कुछ इस तरह से हैं: कि एक "दगाबाज देश" कहलाने के रूप में उन्होंने जो काम किया है उस प्रवृत्ति को वहां के लोग पसंद नहीं करते।

यह लड़ाई स्पष्ट रूप से प्रति उत्पादकतावादी है। इससे ईराक के लोगों को नुकसान और दुख हुआ है। परन्तु इससे सद्दाम को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वह इसे पसन्द करता है, उसने एक तरह से यह युद्ध जीत लिया है। वह एक निरंकुश शासक है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो लोगों को उसके आगे रैली करनी चाहिए।

मुझे एक बात कहनी है कि हमारे पास एक ऐसी पद्धति होनी चाहिए जिससे हम सद्दाम के ईराक जैसे संकटपूर्ण देश को नियंत्रित कर सकें। परन्तु यह किसी विश्व मत या सहमति पर आधारित होना चाहिए और एकतरफा हमला ही इसका उत्तर नहीं हो सकता। परन्तु कुछ समय पहले श्री गुजराल ने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र जो एक ऐसा संगठन था उसे इसमें तरजीह नहीं दी गई है और ईराक के लोगों के अलावा एकमात्र आपद संयुक्त राष्ट्र ही है। चूंकि संयुक्त राष्ट्र, जो कि एक निरीक्षण आयोग, के रूप में वहां काम कर रहा था, को अपना काम रोकना पड़ा और वे वहां जाकर कुछ भी नहीं कर सके।

प्रधान मंत्री जी ने हमसे कहा था कि हमें हथियारों से मुक्त विश्व बनाना चाहिए जिसके अंतर्गत सभी देशों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा।

अब हमने यह सुना अथवा पढ़ा है कि श्री रिचर्ड बटलर और आयोग के इन्सपेक्टर ने कहा था कि ईराक ने व्यापक मारक हथियार इकट्ठे कर लिए हैं यह काम हिरोशिमा, नागासाकी, वियतनाम, कोरिया से लेकर बगदाद तक होता रहा है और जब हम नाभिकीय हथियार रखते हैं तो हमें संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की टिप्पणियां सुननी पड़ती है। हमें यह जानकारी है कि हमारी सरकार और संयुक्त राज्य सरकार के बीच बड़ा ही नाजुक समझौता हुआ है।

जैसा कि मैं कह चुकी हूं, हमारी तरह एक अच्छे मध्यस्थ हैं। समझौता बड़े ही नाजुक दौर में है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें कठिनाई हो। समझौतों के मामले में हमें काफी सावधान होना चाहिए। हमने अपने नाभिकीय विकल्पों को 1998 तक खुला रखा है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने अपने विकल्पों को मई में प्रयोग किया है और इसका अंत नाभिकीय अस्पष्टता में हुआ है। परन्तु इसके साथ ही हमने दुनिया को यह बता दिया है कि हमारी नाभिकीय क्षमताएं रक्षात्मक प्रकृति की हैं। हमने विश्व को बता दिया है, जैसा कि हमने कहा ही है, कि हम केवल न्यूनतम विश्वसनीय निरोधक चाहते हैं। हमने स्वेच्छा से छूट की अवधि की घोषणा की है। यह सोचना आपका काम है कि क्या हमारी स्वैच्छिक छूट की अवधि आपके लिए कानूनी होनी चाहिए या नहीं। मैं यह सोचता हूं कि इस बात का फैसला करने के लिए इसे मैं अपने वैज्ञानिकों पर छोड़ देती हूं। अगर उन्हें लगता है कि हमारे पास पर्याप्त डाटा है, अगर उन्हें लगता है कि हमें और परीक्षण करने की जरूरत नहीं है तो हम उस पर विचार कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने चार बातों पर ध्यान केन्द्रित किया है। उनमें से सी.टी.बी.टी. भी एक है। डेनमार्क के राजकुमार हैमलेट ने कहा था, "हो या न हो" सवाल यही है। हस्ताक्षर किए जाए या नहीं, प्रश्न यह है। मैं यह नहीं समझती कि विपक्ष ने क्या कहा है कि अगर हम सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करते हैं तो हम एक तरह से समर्पण करेंगे मानो यह हमारी सम्प्रभुता का समर्पण हो। या उन्हें हर बात में षड्यंत्र दिखता है। मैं यह नहीं कहता।

संधि को प्रभावी बनाने के लिए हमारे हस्ताक्षर जरूरी हैं। हम ऐसी पहचान नहीं बनाना चाहते कि हम इस संधि में रूकावट पैदा कर रहे हैं। परन्तु हम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार चलेंगे। जैसा कि मैंने कहा है, जो कुछ हमारे वैज्ञानिक कहते हैं हम उसका अनुपालन करेंगे। एक रिपब्लिकन सिनेटर - मैं उसका नाम भूल रहा हूं - ने भारत के बारे में एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अब भारत को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना वैसा ही है कि जैसे घोड़ों के भाग जाने के बाद अस्तबल के दरवाजे बन्द करना। यह ऐसा हो सकता है। परन्तु हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा।

अन्य तीन बातों के बारे में, विशेषकर एफ.एम.सी.टी. के बारे में हमने कहा है कि परमाणु विखण्डन सामग्री का उत्पादन जारी रहेगा। निर्यात नियंत्रित करने के संबंध में हमने स्वयं को नियंत्रित रखा है। रक्षा क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में हमने कहा है कि हम मानते हैं कि संधि को बिना किसी को भेदभाव लागू किया जा पाना संभव होगा।

महोदय, इन सभी बातों के पीछे मेरा यह विचार भी है कि भारत को अब गुट निरपेक्ष के नेता के रूप में अपनी परम्परागत भूमिका का दावा करने का मौका मिल गया है। अरब जगत और

[श्रीमती कृष्णा बोस]

तीसरी दुनिया के देशों के मित्र के रूप में हम अपने परम्परागत मित्र देशों, जैसे रूस, पर विश्वास करते हैं।

मेरे सहित इस सदन में हममें से अधिकांश लोग नाभिकीय हथियार रखने के बारे में काफी गंभीर थे। परन्तु मैं यही कहना चाहूंगी कि समझौता करते वक्त आज हम उसकी वजह से काफी अच्छी स्थिति पर हैं। मैं विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री का साथ दें जिससे उनकी स्थिति मजबूत हो।

मैं आपको यह याद दिलाकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी कि जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो रविन्द्रनाथ ठाकूर ने विश्व मैत्री की बात की थी। मैं आशा करता हूं कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति भारत को विश्व मैत्री की ओर ले जाएगा।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : जैसाकि हमारे दल के रूपचन्द पाल ने इस विषय पर हमारे मत को ...है इस चर्चा का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। अत: म सभा उन बातों की विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि जैसाकि मुझे बताया गया है कि मेरा समय सीमित है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। सबसे पहले मैं सी.टी.बी.टी. पर स्पष्टीकरण चाहता हूं जहां उन्होंने कहा है कि भारत अपने स्वैच्छिक स्थगन को कानूनी दायित्व में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं अपने मित्र और मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि हमारे स्वैच्छिक स्थगन को कानूनी दायित्व की घोषणा करने के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका की प्रतिक्रिया क्या है क्योंकि वह नौ दौरों में हुई लम्बी वार्ताओं में उपस्थित थे मैं उनसे यह जानना चाहता हूं।

मैं कुछ प्रश्न उठाना चाहता हूं मेरे पास 10 प्रश्न है। इसी वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम सफल निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए चर्चा करने को तैयार है क्योंकि आपकी धारणा भिन्न हैं। मैं नहीं जानता क्या आपका भिन्न पक्ष है 150 वर्षों से हमारा संयुक्त राज्य अमरीका से भिन्न अवधारणा रही है। अत: उस सन्दर्भ में जब आप कहते है कि आप सफल निष्कर्ष के लिए चर्चा करने को तैयार हैं वास्तव में 'सफल चर्चा' में इसका मतलब क्या है? आप किस राय पर एकमत होने जा रहे हैं? हम किस स्थान पर भिन्न हैं? उन मतवैभिज्य पर हम कहां एकमत होने जा रहे हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चर्चा को गुप्त रखा गया है। अत: हम जानना चाहते हैं कि उन दूरियों को आपने किस प्रकार पाटा है। हम उन चर्चाओं के बारे में स्पष्ट विश्लेषण चाहते हैं। इससे हमें बेहतर परिप्रेक्ष्य में वक्तव्य को समझने में मदद मिलेगी।

अन्य बात यह है कि हमने अधिक रेंज के अग्नि के नए रूप की घोषणा की है। मैं जानना चाहता हूं कि श्री टालबोट के साथ चर्चा के दौरान भारतीय मिसाइल विकास कार्यक्रम विशेषकर इसके अधिक रेंज के नए रूप के प्रश्न पर क्या उन्होंने कोई आपत्ति उठाई थी। यदि उन्होंने कोई आपत्ति उठाई थी तो हमारी प्रतिक्रिया क्या थी क्योंकि अब वे अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस भी हैं बल्कि वे अब अन्तर्राष्ट्रीय दस्यु हैं। अब शीत युद्ध के उपरान्त वे सोचते हैं कि वे किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अत: इस परिस्थिति में मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं इस मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी और उस पर आपका जवाब क्या था।

इस वक्तव्य में आपने एक अन्य बात कही है ''यह सरकार ऐसे उस हर सुझाव का स्पष्ट रूप से विरोध करती रही है जो घुसपैठ या प्रभुसत्ता के उल्लंघन के द्वारा भारत की प्रौद्योगिकी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है।'' मैं जानना चाहता हूं क्या रोम की सातवीं बैठक के दौरान अमरीका ने कोई सुझाव दिये थे जिससे भारत की प्रौद्योगिकी को नुकसान पहुंचता अथवा हमारी प्रभुसत्ता का उल्लंघन होता। यदि हां तो उस पर हमारी सरकार की स्थिति क्या है?

वक्तव्य का अगला मुद्दा है कि वह चर्चा इंग्लैंड और चीन के साथ आपके स्तर पर हुई थी। मैं जानना चाहता हूं इन दोनों देशों अर्थात् इंग्लैंड और चीन की भारत सरकार द्वारा घोषित की गई नई परमाणु नीति के बारे में क्या प्रतिक्रिया थी और उस घोषित नीति पर अमरीका की प्रतिक्रिया क्या है। वे उन स्थितियों को स्पष्ट कर सकते है जिससे उनकी नीति समझने में हमें सहायता मिलेगी।

उसके अलावा उन्होंने चार अन्य देशों फ्रांस, रूस, जर्मनी और जापान के नाम भी लिए हैं इन देशों के साथ भी उनकी चर्चा हुई है उनकी इस सरकार द्वारा घोषित परमाणु नीति पर प्रतिक्रिया क्या है मैं उसे भी जानना चाहता हूं क्योंकि इससे हमारी नीति के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को समझने में सहायता मिलेगी।

यह भी बताया गया है कि भारत दोहरे प्रयोजन के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग की प्रत्याशा कर रहा है। इस संबंध में अमरीका और फ्रांस की प्रतिक्रिया क्या है जिसके साथ हम राजनीतिक स्तर पर बातचीत कर रहे थे? मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि दोहरे प्रयोजन से प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी और क्या हम उनकी प्रतिक्रिया को स्वीकार करेंगे अथवा इस सम्बन्ध में हम अपनी स्वतंत्र नीति अपनाएंगे।

मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं क्या प्रधान मंत्री ने 12 नवम्बर को एक अमरीकी वार्तालाप करने वाले श्री टालबोट की "बुकिंग संस्थान" में दक्षिण एशिया सम्बन्धी प्रमुख विदेश नीति के भाषण से बातचीत को जारी रखने में उत्पन्न हुई बाधा के खिलाफ विरोध प्रकट किया है। यदि हां तो हमारे प्रधानमंत्री को अमरीका के राष्ट्रपति से क्या उत्तर आया है क्योंकि हमारे प्रधान मंत्री ने उस पर एक पत्र लिखा था? हम उस पत्र पर श्री क्लिंटन का उत्तर जानना चाहते है।

अन्य प्रश्न है क्या आपने सी.टी.बी.टी. और अन्य परमाणु मुद्दों के सम्बन्ध में गैर परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों के साथ चर्चा की है। यदि हां तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या वे विश्वस्त हुए हैं अथवा नहीं हुए हैं? यदि उन्हें विश्वास हुआ है तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमारे खिलाफ मतदान क्यों किया था? हम उन्हें विश्वास दिलाने में असफल क्यों हुए अथवा इसके क्या कारण हैं? हम उस पर भी स्पष्टीकरण चाहते हैं?

तत्पश्चात् एक अन्य प्रश्न है। हमारे पड़ोसी देशों और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भी अच्छे द्विपक्षीय सम्बन्ध हैं। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री ने परमाणु परीक्षण करने के पश्चात् क्लिंटन को पत्र लिखा था। मैं जानना चाहता हूं क्या क्लिंटन हमारे मुख्याध्यापक (कर्त्ता धर्ता) हैं। हमारे आपके साथ मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम इसे यहीं सुलझा लेंगे। इसी प्रकार मैं उनके क्लिंटन को हाथ जोड़ कर पत्र लिखने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह हमारे मुख्याध्यापक (नेता) नहीं हैं उन्हें पत्र लिखने और परीक्षण की सूचना देने की क्या आवश्यकता थी? अब वह अपने चरित्र को बचाने के लिए दूसरे देश पर हमला कर रहे हैं हम उनसे उनकी सलाह लेना नहीं चाहते। उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मैं इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण चाहता हूं।

ईराक के सम्बन्ध में भी मैं कहता हूं कि वे डाका डाल रहे हैं और जिस प्रकार की डाकाजनी कर रहे हैं। हम उसकी भर्त्सना करते हैं। पूरे विश्व ने इसकी आलोचना की है सरकार ने केवल इस पर खेद व्यक्त किया है। हम चाहते हैं कि हम इस सरकार को इस हमले की निन्दा करनी चाहिए। हमें इसे केवल अमरीका को प्रसन्न करने के लिए नहीं करना चाहिए। यदि वह गलत हैं तो हमें उन्हें सही स्थिति बतानी चाहिए। हमारे देश की निष्पक्ष स्थिति यह है।

अन्त में, महोदय, श्री प्रिमाकोव यहां आए थे और उनका भाषण बहुत प्रोत्साहन देने वाला था उन्होंने कहा कि हमारे चीन सहित पड़ोसी देशों से मधुर सम्बन्ध स्थापित हो सकते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं लेकिन हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध होने के पश्चात् ही हम अमरीका नियंत्रित विश्व को ठीक करने में समर्थ होंगे। विश्व नियंत्रण अर्थ यहां अमरीका का अधिपत्य है। वे सभी पर अधिपत्य जमाना चाहता है हमें इसका विरोध करना चाहिए! यदि हम श्री प्रिमाकोव के दिये वक्तव्य को ध्यान में रखे तो हम इस क्षेत्र में अर्थपूर्ण भूमिका निभाने में समर्थ हो सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं मुझे इनका जवाब मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार (कांगड़ा) : सभापति जी, पोखरण के बाद की चर्चा और आज की चर्चा में एक बुनियादी अंतर है। उस समय पोखरण के परीक्षण की गर्मी थी, चर्चा में तलखी थी और कई बार लगा कि आलोचना के लिए आलोचना हुई। लेकिन आज विपक्ष के अधिकतर माननीय सदस्यों की तरफ से एक सुखद, रचनात्मक, सुझावात्मक भावना से परिपूर्ण चर्चा के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

सभापति जी, अमरीका के साथ जो बातचीत हो रही है और इस संदर्भ में हमारी जो विदेश-नीति है, मैं समझता हूं मुख्य रूप से देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा गया है, देश की सुरक्षा के बारे में मुख्य रूप से विचार किया गया है, चिंतन किया गया है और शस्त्र-रहित एक शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण हो, उसके प्रति प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। इस दिशा में भारत का जो प्रयत्न हैं, हमारा जो कमिटमेंट है, एक ऐसे विश्व का निर्माण जिसमें शस्त्र न हो, शांति हो। लेकिन हम केवल ख्यालों और ख्वाबों में ही न रहे बल्कि जमीनी सच्चाई के प्रति भी जागरुक रहें। इसलिए मिनिमम क्रैडिबल डिटेरेंट की बात को भी कहा गया है। आदर्श और यथार्थ को मिलाने की कोशिश इसमें की गयी है और उसका कारण हमारे चारों तरफ की मौजूदा परिस्थितियां हैं। मैं यह समझता हूं कि इस बात की बहुत चर्चा हो चुकी

[श्री शान्ता कुमार]

है, पाकिस्तान जिस तरीके से हमारे खिलाफ काम करता रहा है, जिस तरीके से उग्रवाद को बढ़ावा देकर हमारे देश में फैलाता रहा है, वह सब जानते हैं। कश्मीर में, पंजाब में सारी की सारी परिस्थितियां इसकी गवाह हैं जिसमें न जाने कितना खर्च भारत का हुआ है और 40-50 हजार बेगुनाहों की जाने गयी हैं। एक बात जिसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि अफगानिस्तान में कई वर्षों से जो घटनाएं घट रही हैं, वहां धार्मिक जुनून से सम्बद्ध तालिबान को पाकिस्तान ने बढ़ाया, उकसाया और हर प्रकार की मदद की। यदि तालिबान का पूरे का पूरा शिकंजा अफगानिस्तान पर कस जाता है तो वह और पाकिस्तान मिल कर हिन्दुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। वैसे जिस तरीके से पाकिस्तान व्यवहार करता रहा है और फिर चीन भी एक महाशक्ति के रूप में अणु बम लेकर खड़ा था, इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख कर जहां विश्व शांति के प्रति हम अपने कमिटमैंट को जाहिर करें, वहीं जमीन की सच्चाइयों के प्रति आंखें बंद न ... रूप से भारत की विदेश नीति में रहा ... बातें विशेष रूप से हुईं - एक पोखरण का परीक्षण करके हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। यह बात बिल्कुल ठीक कही गई कि आज हमारा देश विश्व के देशों के साथ बातचीत करता है तो उसमें पहले से अन्तर दिखाई देता है। अब यह देश कमजोर नहीं है। अब यह देश एटॉमिक न्यूक्लियर पावर के रूप में खड़ा है। एक बड़ी बात यह है कि पहले जब यह समाचार आते थे कि पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया है और पाकिस्तान के लोग खुले आम इसकी घोषणा करते थे तो देश के लोगों और सुरक्षा बलों में हीन भावना आती थी कि वह देश जो प्रतिदिन हमारे साथ प्रॉक्सी वार कर रहा हैं, शक्तिशाली हो रहा है, उसके पास एटम बम और न्यूक्लियर शक्ति है और हमारे देश के पास नहीं है। यह हीन भावना, निराशा और हताशा की भावना उनमें आती थी लेकिन पोखरण परीक्षण के बाद वह भावना समाप्त हुई है। देश के लोगों में आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भरता की भावना आई है। इस देश ने पोखरण परीक्षण करके बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की लेकिन यह काफी नहीं था। पाकिस्तान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद हो चुकी थी। ढाका में बातचीत की कड़ी टूटी तो दुबारा जुड़ न सकी। इस सरकार के आने के बाद आदरणीय प्रधान मंत्री जी और श्री जसवंत सिंह जी के प्रयत्नों के कारण जो प्रगति हुई, मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

महोदय, इसमें विशेष बात यह है कि शिमला समझौते के बाद यह पहला मौका है कि कम्पोजिट डॉयलॉग पर, प्री-नैगोशिएटिड एजेंडा पर पाकिस्तान से बातचीत हो रही है। यह विदेश नीति की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने न्यूक्लियर शक्ति बन कर आत्मनिर्भरता प्राप्त की और पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर भी शुरू किया। विदेश नीति के प्रति सरकार का जो दृष्टिकोण रहा, उसका परिणाम है कि आज कश्मीर की स्थिति सम्भली है। पोखरण का परीक्षण, पाकिस्तान के साथ बातचीत, हिन्दुस्तान का शक्तिशाली होना, उसके कारण कश्मीर में परिस्थिति अच्छी हुई है।

महोदय, जब पोखरण परीक्षण किया था तो इकोनमिक सैंक्शन्स का बहुत बड़ा भय देश में व्याप्त करने की कोशिश की गई लेकिन यह साबित हो गया है कि भारत ने उन सारे आर्थिक प्रतिबंधों को सहन किया, भारत की इकोनौमी को सरवाइव किया। यह भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता है।

सार्क सम्मेलन में पाकिस्तान की कोशिश के बावजूद कश्मीर का विषय नहीं उठाया गया। परोक्ष रूप से बहुत से देशों ने भारत का समर्थन किया। अफ्रीका में, डरबन में, गुट निरपेक्ष देशों की सभा में बहुत से छोटे देशों ने भारत का समर्थन किया।

मैं अंत में दो बातें और कहना चाहता हूं। यहां कहा गया कि 50 हजार करोड़ रुपए वेपनाइजेशन पर खर्च होंगे। मैं समझता हूं कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। देश की सुरक्षा के लिए मुझे मालूम नहीं कितना खर्चा होगा लेकिन खर्चे की बात हमारे सामने नहीं है। मुख्य बात यह है कि भारत की सुरक्षा को न गिरवी रखा जा सकता है, न भारत की सुरक्षा पर किसी किस्म की इस प्रकार की अनिश्चय की स्थिति को रखा जा सकता है। यहां पहले भी इस पर चर्चा हुई थी।

सायं 7.00 बजे

सभापति महोदय, हमने 1962 में देखा है। कई बार धोखा खाया है। एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान खड़े हैं और अफगानिस्तान में तालिबान का शिकंजा कसा जा रहा है। इन सारी स्थितियों में इस बात पर विचार नहीं करना चाहिये कि देश की सुरक्षा पर कितना खर्चा होता है। हमारे सामने एक बात और आई

कि उन्होंने हमें आणविक शक्ति स्वीकार नहीं किया। हमने मैट्रिक की परीक्षा तो दी नहीं कि हमें उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई माने या न माने, भारत अब आणविक शक्ति बन गया है। अमरीका ने सैंक्शन्स इसलिये लगाई क्योंकि वह भारत को आणविक शक्ति समझता है। इसलिये मैं समझता हूं कि भारत की विदेश नीति और अमरीका के साथ जो बातचीत हुई है, वह सफलता के साथ चल रही है। मुझे प्रसन्नता है कि विपक्ष के नेताओं ने श्री जसवंत सिंह जी की सफलता पर उनको बधाई दी है और हम भी सरकार को बधाई देते हैं।

सभापति महोदय, मैं श्री शिवराज पाटिल की इस बात से सहमत हूं कि देश की विदेश नीति और सुरक्षा किसी पार्टी की नहीं होती, किसी सरकार की नहीं होती बल्कि पूरे राष्ट्र की होती है और पूरे राष्ट्र की होनी चाहिये। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार के मुख्य विषयों पर सलाह की है और मुझे विश्वास है कि वे इस प्रकार के मुख्य विषयों पर सलाह करते रहेंगे लेकिन सलाह करते समय हम सभी अपनी पार्टी का ध्यान न रखकर देश और राष्ट्र का ध्यान रखें।

श्री पूर्णो ए. संगमा (तुरा) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं विदेश मंत्री का कार्यभार संभालने पर श्री जसवंत सिंह जी को बधाई देता हूं। यद्यपि इसमें बहुत देर हो गई है फिर भी यहां 'देर आए दुरुस्त आए' उक्ति सही प्रतीत होती है।

श्री हन्नान मोल्लाह : आपने इसका प्रस्ताव किया था।

श्री पूर्णो ए. संगमा : विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति की बैठक में मैंने विदेश मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के न रहने पर अपनी चिन्ता व्यक्त की थी। जब हम पोखरण-II पर चर्चा कर रहे थे, जब हम यहां विदेश नीति पर चर्चा कर रहे थे तब मैंने प्रश्न किया था, ''इतने महत्वपूर्ण समय में भारत का कोई विदेश मंत्री क्यों नहीं है?'' मैं प्रधानमंत्री जी को आखिरकार हमें एक सक्षम विदेश मंत्री देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

इन बातों के बाद, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहता हूं। भारत के प्रधानमंत्री ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री जसवंत सिंह को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वार्ता करने के लिए नियुक्त किया था। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपनी ओर से डिप्टी सेक्रेट्री ऑफ स्टेट श्री टॉलबोट को श्री जसवंत सिंह के साथ वार्ता करने के लिए नियुक्त किया था। अब श्री जसवंत सिंह केवल योजना आयोग के उपाध्यक्ष मात्र ही नहीं है। श्री जसवंत सिंह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के विदेश मंत्री है। मैं आशा करता हूं कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से वार्त्ता के स्तर को उच्चस्तरीय करने का अनुरोध करेगा। मैं नहीं चाहूंगा कि श्री जसवंत सिंह, मि. टॉलबोट से वार्त्ता जारी रखे जोकि डिप्टी सेक्रेट्री आफ स्टेट हैं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वार्त्ता श्री जसवंत सिंह और मिसेज अलब्राइट के बीच होगी।

मैंने प्रधान मंत्री का वक्तव्य पढ़ा है। वक्तव्य में कहा गया है कि पोखरण में मई में जो हुआ वह भारत सरकार द्वारा 25 वर्ष पूर्व अपनायी गई नीति के अनुसरण में हुआ है। मैं इस बात से अपनी असहमति जताता हूं। वास्तव में, पिछले वाद-विवादों में मैंने पहले ही यह बात कही थी कि 1974 के पश्चात् भारत सरकार द्वारा अपनायी जा रही नीति अपने विकल्पों को सुरक्षित रखने, अपने विकल्पों को खुला रखने कि स्वयं को संयमित रखने या परीक्षण किये जाने की थी।

सायं 7.05 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

25 वर्षों तक हमने संयम से काम लिया। मई में वर्तमान सरकार ने परीक्षण करने के विकल्प को कार्य रूप प्रदान करने का निर्णय किया। इसीलिए यह कांग्रेस सरकार और उसके बाद आने वाली सरकारों द्वारा अपनायी जा रही नीति के अनुरूप कि विकल्पों को खुला रखा जाए के समान नहीं है। यह एक अन्तर है।

दूसरा अन्तर, जैसाकि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं, वह यह था कि जब कभी भी एक नया परीक्षण होता है तो यह विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए कतिपय सिद्धान्तों के आधार पर होता था। 1974 में जो विकल्प हमने अपनाया था वह स्पष्ट रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए था, कि हम इसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। परन्तु वर्तमान सरकार का परीक्षण का विकल्प शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नहीं था। यह पड़ोसी देशों से उत्पन्न सुरक्षा के प्रति खतरे को ध्यान में रखकर किया गया था। वास्तव में, बिल क्लिंटन को लिखे गए प्रधानमंत्री के पत्र में जिन देशों के नामों का उल्लेख किया गया, ऐसा कभी भी कूटनीति के क्षेत्र में नहीं हुआ था। इसीलिए प्रधानमंत्री द्वारा संसद में आकर यह कहना कि जो कुछ भी किया गया वह भारत सरकार द्वारा 24 वर्ष पूर्व लिए गए निर्णय के अनुसरण में था, इस बात को मैं नहीं मानता हूं।

[श्री पूर्णो ए. संगमा]

इसका क्या परिणाम हुआ? हम सब जानते हैं कि आज भारत विश्व के राष्ट्र समुदाय में अकेला पड़ गया है। चाहे हम इसे पसन्द करे या नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारे देश को अधिनायकवादी राष्ट्र के रूप में देखा जाने लगा है।

पिछले वाद-विवाद में, हमने उल्लेख किया था कि परमाणु नीति और हमारे देश की विदेश नीति राष्ट्रीय सर्वसम्मति पर आधारित रही है और दूसरे परीक्षण को करने का भारत सरकार का निर्णय राष्ट्रीय सर्वसम्मति के विरुद्ध था।

मैंने आशा की थी कि इस प्रकार की गलती करने के पश्चात् सरकार कम से कम अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को परीक्षण करने के औचित्य को समझाने की रणनीति पर एक सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करेगी। ऐसी मैंने अपेक्षा की थी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। हमने इस विषय पर वाद-विवाद किया और मामला वहीं पर समाप्त हो गया। मैं विश्व के विभिन्न भागों का भ्रमण करता रहा विभिन्न हिस्सों के संसद सदस्यों के सम्पर्क में विभिन्न भागों में तैनात राजनयिकों के भी सम्पर्क में रहा हूं। मुझे यह संकेत मिले हैं कि हमने अपनी रणनीति को स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं।'' यह सर्वथा उचित है कि सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करे।

मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि प्रधानमंत्री द्वारा विपक्ष के नेताओं और अन्य महत्वपूर्ण दलों के नेताओं की बैठक बुलाकर उन्हें विश्वास में लेने में क्या कठिनाई आ रही है। अन्य विषयों पर जिन पर मैं कुछ समय बाद बोलूंगा, उन पर भी विपक्ष के नेताओं का विश्वास प्राप्त करने में आने वाली कठिनाई को मैं नहीं जानता हूं। उदाहरण के लिए, सी.टी.बी.टी. के मामले पर, श्री जसवंत सिंह और श्री स्ट्रोब टॉलबोट के बीच क्या वार्त्ता हो रही है?

प्रधानमंत्री ने, अपने वक्तव्य के अनुच्छेद 6 में उल्लेख किया है कि श्री जसवंत सिंह और श्री स्ट्रोब टॉलबोट के बीच वार्त्ता भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यापक प्रस्तावों के आधार पर हो रही है। इन प्रस्तावों को भारत द्वारा रखा गया है। हम नहीं जानते कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भी इन प्रस्तावों के विरुद्ध कोई अन्य प्रस्ताव रखे गए हैं या नहीं। परन्तु प्रधान मंत्री के वक्तव्य में यह उल्लिखित है कि ''भारत द्वारा इन प्रस्तावों को रखा गया है और वक्तव्य में इन प्रस्तावों को विस्तारपूर्वक दिया गया है जिसमें आगे परीक्षणों पर स्वैच्छिक प्रतिबन्ध, स्वैच्छिक परीक्षणों पर रोक को विधिवत् रूप से प्रतिबद्धता में परिवर्तित करने की इच्छा भविष्य में विखण्डनीय पदार्थों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने संबंधी संधि पर चल रही वार्ता से जुड़ना, संवेदनशील पदार्थों और प्रौद्योगिकी पर और अधिक कड़े नियंत्रण को कार्यान्वित करना शामिल है।''

इन प्रस्तावों के निहितार्थ क्या हैं? हम नहीं जानते हैं। देश भी इनके बारे में नहीं जानता है। इन प्रस्तावों के पूर्ण निहितार्थों के बारे में राष्ट्र को सूचित नहीं किया गया है। जिस प्रकार से भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के समक्ष इन प्रस्तावों को रखा गया है, उससे मुझे लगता है कि जो कुछ हमने 11 और 13 मई को किया उसके लिए आप क्षमाप्रार्थी बन गए हैं। आप पश्चाताप करने वाले बन गए और आपने कहा हमने जो कुछ भी किया उसके लिए हमें खेद है। मैंने पूर्ववर्ती वाद-विवाद में कहा था कि भारत सरकार का दूसरे परीक्षणों को करने का उद्देश्य स्वयं को संयुक्त राज्य अमेरिका के समकक्ष लाने का था। यदि आज संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत परमाणु शक्तियां हैं तो भारत द्वारा अमेरिका के समक्ष जाकर यह कहने का प्रश्न ही नहीं उठता कि ये मेरे प्रस्ताव हैं और हमने ऐसा किया है और अब हम क्या कर सकते है और कृपया हम पर दया कीजिए? मैं समझता हूं कि हम सामर्थ्यवानों की भाषा नहीं बोल रहे हैं। हमें सामर्थ्यवानों की भाषा बोलनी चाहिए। मैं उन तथ्यों का भी पक्ष लेता हूं जिन्हें माननीय महिला सदस्य श्रीमती कृष्णा बोस ने कहा है। कुछ दिनों पहले इराक के साथ जो हुआ मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं केवल यही कहूंगा कि भारत को और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। भारत को और ज्यादा आग्रही होना चाहिए। वार्ता तो चल रही है। वार्त्ता के छह दौर पहले ही हो चुके हैं। वार्ता के छह दौरों के पश्चात् प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को यह बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के दृष्टिकोण और चिन्ताओं को समझ रहा है। क्या इसमें और भी कुछ बात है या इतनी ही बात है? हम कुछ और बातें विस्तार में जानना चाहते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हमारे दृष्टिकोण को समझने की सहमति व्यक्त किए जाने के बाद की क्या स्थिति है। प्रतिबन्ध अभी भी जारी हैं। दो सौ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कम्पनियां अमेरिका की प्रतिबन्ध सूची में सम्मिलित हैं। बड़ी संख्या में भारतीय संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वैज्ञानिक संस्थाओं इत्यादि की इस सूची में सम्मिलित किया गया है। यहां तक कि उप-संविदाकारी फर्मों को भी इस सूची में सम्मिलित किया गया

है और इन निकायों पर निर्यात प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्हें व्यापार करने से रोका जाएगा, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी निर्यात के मामले में उन्हें व्यापार करने से रोका जाएगा। यह ठीक है कि मैं सरकार के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता सम्बन्धी दृष्टिकोण से अवगत हूं परन्तु मैं समझता हूं कि वास्तविकताएं इन सबसे अलग हैं।

हम सब भलीभांति जानते हैं कि भारत को विश्व बैंक की सहायता पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह भेदभावपूर्ण है। वह क्या दृष्टिकोण है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो दृष्टिकोण अपनाया वह ये है कि पाकिस्तान विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए भारत की तुलना में अधिक मृदु व्यवहार का हकदार है। वार्ता के छह दौरों के पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाया गया सरकारी दृष्टिकोण यह है।

मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं सीधे व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर आऊंगा। आरम्भ में, पोखरण परीक्षणों के बाद - मैं इसके बारे में नहीं जानता था परन्तु श्री जसवंत सिंह उत्तर देंगे - प्रचार-माध्यमों द्वारा यह व्यापक रूप से सूचित किया जा रहा है कि भारत कतिपय शर्तों के साथ अन्ततः व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर कर देगा। वह शर्तें कौन सी हैं? इस बात को प्रचार-माध्यमों द्वारा व्यापक रूप से सूचित किया जा रहा है। मेरे विचार से कुछ मंत्रियों ने इस पर कुछ कहा भी है परन्तु मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। पहली शर्त यह थी कि अमेरिका भारत पर दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों को दिए जाने पर आरोपित प्रतिबन्धों को हटाएगा। दूसरी शर्त थी स्वदेश में निर्मित रिएक्टरों को अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रणाली की जांच से छूट। तीसरी शर्त थी कि मिसाइलों की तैनाती की भविष्य की योजनाओं या भारत की परमाणु क्षमताओं का उपयोग हथियार बनाने के लिए किए जाने पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं लगाए जाएं। मैं वास्तव में नहीं जानता हूं क्या कोई भी शर्त लगाई जा सकती है।

मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उरूग्वे दौर की वार्ता से जुड़ा रहा हूं। मैं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से विश्व व्यापार संगठन से संबंधित वार्त्ताओं से जुड़ा रहा हूं। वास्तव में, जब सामाजिक खण्ड का प्रश्न सामने आया था, तब मुझे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव द्वारा सामाजिक खण्ड के प्रवेश का विरोध करने के लिए निर्गुट और विकासशील देशों से जनमत को प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया था। श्रम मंत्रियों की एक बैठक बुलायी गई थी और विचार-विनिमय के दौरान मैं एक सप्ताह तक सो नहीं पाया था। मैं इस विषय से भलीभांति परिचित हूं। मेरे मतानुसार, या तो आप इसे स्वीकार कर सकते हैं या फिर आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि किसी शर्त को लगाने की बात कहां से आ जाती है।

मैं माननीय विदेश मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या इन मानदण्डों को उनकी श्री टॉलबोट के साथ हुई वार्त्ताओं में अपनाया गया था। प्रधानमंत्री के वक्तव्य, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, से कुछ भी स्पष्ट नहीं है।

वास्तव में, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। उदाहरण के लिए दोहरे प्रयोग वाली प्रौद्योगिकी के निर्बाध हस्तांतरण पर प्रतिबंध का व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि से कोई संबंध नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसे एक शर्त के रूप में किस प्रकार रखा गया है। यह परमाणु अप्रसार संधि से संबंधित है। व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के मामले पर, मेरे साथी और भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री शिवराज पाटिल ने हमारे दृष्टिकोण को एकदम स्पष्ट कर दिया है। पंचमढ़ी सम्मेलन में हमारी नीति को निर्धारित किया गया था। हमने सरकार को जल्दबाजी नहीं करने के लिए सावधान किया था। हमारे पास इस पर सोच-विचार करने तथा भलीभांति विचार-विमर्श करने का समय है। अगर उनकी ऐसी इच्छा हो तो संभवत श्री जसवंत सिंह हममें से कुछ लोगों को अर्थात् राजनैतिक दलों के कुछ नेताओं को विश्वास में ले सकते हैं। हमारी एक ही बात है कि वे जल्दी न करें।

एफ.एम.सी.टी. एक दूसरा क्षेत्र है। सच तो यह है कि मैं प्रधानमंत्री के अभिभाषण से इस बारे में अधिक नहीं समझ सका हूं। अभिभाषण भी अस्पष्ट है। यहां पुनः मेरी इच्छा है कि सरकार, जब तक वह रहस्य के रूप में इसे हमसे दूर नहीं रखना चाहती तब तक कम से कम चर्चा के मानदण्डों के आधार पर राजनैतिक दलों के कुछ नेताओं को विश्वास में लेती।

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : मैं आपकी बात में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। लेकिन मैं यहां कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि यह मुद्दा तीन-चार बार उठाया जा चुका है। मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। वास्तव में, संसदीय वाद-विवाद के अतिरिक्त प्रधानमंत्री के पहल करने पर राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श के तीन दौर हुए थे जिनमें कांग्रेस दल के नेता भी शामिल थे। उन्होंने पूरे ब्यौरे के साथ संतोष व्यक्त किया था; उन्हें सारी प्रक्रिया और अन्य सूचना उपलब्ध करवायी गयी थी। नेताओं में इस सदन के विपक्ष के नेता तथा दूसरे सदन के नेता भी शामिल थे। अन्य दलों के नेता भी थे। इसलिए यह कहना

[श्री जसवंत सिंह]

कि कोई सुझाव नहीं दिया गया संभवत: शुरू की गई प्रक्रिया से न्याय न करने जैसा होगा। यह बात [illegible] कि प्रत्येक व्यक्ति से विचार-विमर्श नहीं किया गया परन्तु नेताओं से निश्चित रूप से विचार-विमर्श किया गया था।

श्री पूर्णो ए. संगमा : आपका मंत्रालय में आना अलग बात है।

अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने अपने अभिभाषण में यह टिप्पणी की थी, इसे उद्धृत करता हूं:

> "जेनेवा में हुए एफ.एम.सी.टी. की वार्ताओं का उद्देश्य हथियारों के लिए विखंडनीय सामग्री का भावी उत्पादन समाप्त करना है।"

इस संबंध में मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। पी-5 देशों द्वारा पहले ही प्राप्त किए गए विखंडनीय सामग्री की गुणवत्ता तक [illegible] पहुंच पाएंगे? रूस और अमेरिका में 10,000 [illegible]नाने का भंडार है। हम उक्त सर्वोच्चता तक [illegible]? मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि हम किस प्रकार की वचनबद्धता से सहमत होंगे। तीसरा प्रश्न यह है कि हम अपनी विखंडनीय सामग्री क्षमता उत्पादन के सत्यापन के किस स्तर पर सहमत होंगे। क्या भारत विभिन्न देशों के वतर्मान विखंडनीय सामग्री भंडारों पर रोक लगाने में कामयाब हो पाएगा? मैं चाहता हूं कि आपके जेनेवा जाने से पहले सरकार यह संसद को बता दे।

मैं दो बातें और कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री के अभिभाषण में उन वार्ताओं का उल्लेख किया गया है जो जर्मनी, फ्रांस, चीन, रूस और जापान के साथ चल रही हैं। अभिभाषण में इन देशों का नाम लिया गया है। परन्तु पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैं चीन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने चीन का उल्लेख किया था। क्या विदेश मंत्री अपने उत्तर में हमें यह बताएंगे कि भारत और चीन के बीच वार्ता की क्या प्रगति है। देश जानता है कि हमारे संबंध किस प्रकार बिगड़े हैं और दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने की प्रक्रिया पर पोखरण परीक्षणों का किस तरह प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हम भारत और चीन के बीच फिर से वही विश्वास कायम करने के लिए क्या कर रहे हैं? इस काम में कितनी प्रगति हुई है? मुझे खुशी है कि रूस के साथ हमारे संबंध बढ़ रहे हैं और यह कि रूस के प्रधान मंत्री श्री प्रीमाकोव भारत में आए हुए हैं। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि वे रूस के साथ संबंध मजबूत कर रहे हैं। मुझे चिन्ता पाकिस्तान और अन्य सार्क देशों के साथ अपने देश के संबंधों के बारे में है। मुझे विशेष रूप से चिन्ता इसलिए है कि क्योंकि सार्क देशों का सीधा प्रभाव पूर्वोत्तर के लोगों पर पड़ता है। मैं नहीं जानता कि सार्क का भविष्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत अपनी अर्थव्यवस्था को पड़ोसी देशों, विशेषकर बंगलादेश के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी उद्देश्य के साथ 'साप्टा' और 'साफ्टा' दो समझौते हुए थे। साप्टा तो लागू है और साफ्टा 2001 से लागू होगा। यह पूर्वोत्तर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या आपने यह मामला पाकिस्तान के साथ उठाया है? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान 'साफ्टा' पर हस्ताक्षर करेगा या नहीं विशेषकर परमाणु क्लब विस्फोटों के बाद। आप यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं कि 'सार्क' सफल हो और साफ्टा 2001 ई. तक लागू हो जाए?

आज हम विदेश नीति पर बहस नहीं कर रहे हैं। आज की चर्चा भारत-अमेरिका संबंधों के बारे में है। हमारी विदेश नीति बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम युवा कांग्रेस में थे तो हम नेतृत्व प्रशिक्षण और सेमिनार के लिए दिल्ली आया करते थे। इसे अन्य लोगों के अलावा, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री संबोधित किया करते थे। वित्त मंत्री जी हमें आर्थिक नीतियों के बारे में बताया करते थे और विदेश मंत्री विदेश नीति के बारे में। मुझे याद है, एक सेमिनार में, तत्कालीन विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह, हमसे कह रहे थे कि राष्ट्रमंडल में भारत की स्थिति इतनी अच्छी है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में भारत को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती।

यह जरूरी नहीं है कि भारत बहस में भाग ले और बहस में बोले। कान्फ्रेंस हाल में भारत की उपस्थिति ही काफी है। भारत का दर्जा ऐसा है। भारत ऐसा था। मैं नहीं जानता कि क्या हम उसी देश में हैं। दुनिया हमें इस तरह की मान्यता क्यों देती है? मैं समझता हूं कि जहां तक विदेश नीति का संबंध था, हम राष्ट्रीय सहमति लिया करते थे। पूरा विश्व जानता था कि जहां तक भारत का संबंध है, विदेश नीति के बारे में उनका एक मत है। दुर्भाग्यवश, अब यह बात नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूरा विश्व जानता था कि भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। यह न केवल सबसे बड़ा प्रजातंत्र है बल्कि भारत में गतिशील प्रजातंत्र, एक स्थाई प्रजातंत्र, एक अबाध प्रजातंत्र है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत का सम्मान किया जाता था। और आज हमें इस बारे में प्रश्न पूछना पड़ता है।

मैं श्री जसवंत सिंह या श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार को संबोधित नहीं कर रहा हूं। मैं यह पूरे सदन को सम्बोधित कर रहा हूं। आज हमारी संसद जिस तरह काम कर रही है क्या हम उससे पूरे विश्व को यह बता रहे हैं कि हमारा एक

गतिशील प्रजातंत्र है एक स्थायी प्रजातंत्र है? मेरा ख्याल है यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका हमारी विदेश नीति से गहरा संबंध है। पूरा विश्व जानता था कि हमने कई राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमति बनाई थी। उन मामलों पर समूचा देश एक हो जाता जो इस देश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होते। मैं नहीं जानता कि क्या हम आज वही छवि प्रस्तुत कर रहे हैं।

यह संसद कई दिनों तक लगातार काम नहीं कर सकती क्योंकि हम अपने आपको एक ऐसे देश के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जहां काफी मतांतर हैं मानों हमारे देश में कोई सहमति या एकमत न हो। यह बात हमें कमजोर करती है। इसलिए अगर हम श्री जसवंत सिंह, जो अगली बार श्री टालबोट से मिलने नहीं जा रहे हैं बल्कि श्रीमती अल्ब्राइट से मिलने जा रहे हैं, का सहयोग करते हैं तो उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। मैं न केवल इन वार्ताओं में उनकी सफलता बल्कि इस महान देश के विदेश मंत्री के रूप में भी उनकी सफलता की कामना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी इस बहस का उत्तर कल देंगे।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प.बं.) : महोदय, मेरा नाम भी हो सकता है। मैं जानता हूं कि समय तेजी से बीत रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास अब समय नहीं बचा। हमें एक और विधेयक पर भी चर्चा करनी है।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं एक छोटे से दल से संबंधित हूं और मेरे दल का कोई भी व्यक्ति इस विषय पर नहीं बोला है। मुझे अपने दल का मत व्यक्त करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिए। यद्यपि आप एक छोटे से दल से संबंधित हो फिर भी आप एक सक्षम नेता हो।

[हिन्दी]

श्री हीरा लाल राय (छपरा) : हमारी पार्टी आर.जे.डी. से किसी को नहीं बोलने दिया गया है जबकि छोटी-छोटी पार्टियों के सदस्यों को बुलवाया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी : मैं अपनी बात पांच मिनट के अंदर समाप्त कर दूंगा।

श्री जसवंत सिंह : मैं केवल एक यही स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आप मुझसे कल किस समय उक्त प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं और आज यह चर्चा और कितनी देर और चलेगी। मैं पूरी तरह सभा के अधीन हूं और इसके साथ-साथ दूसरे सदन के प्रति भी मेरा उत्तरदायित्व है जहां मुझे कुछ ही मिनट बाद बोलना है। मैं निश्चय ही आपके निर्देशों तथा सभा की इच्छा से दिशानिर्दिष्ट होऊंगा। साथ ही मुझे आपके निदेश से यह भी पता चलेगा कि मुझे कल किस समय उत्तर देना है?

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, कृपया मुझे पांच मिनट का समय दीजिए नहीं तो मैं दो मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप पांच मिनट नहीं बल्कि दो मिनट ही बोल सकते है।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, यह आपकी कृपा है।

महोदय मैंने इस विषय पर कई अच्छे भाषण सुने हैं। मैं इस सभा का अधिक समय बरबाद नहीं करूंगा। महोदय, आपकी अनुमति से, मैं एक प्रश्न का उल्लेख करना चाहता हूं जिसका सरकार ने उत्तर दिया था। वह प्रश्न श्री एस.एस. ओवेसी ने 10 मार्च, 1997 को पूछा था प्रश्न यह था:

> "क्या सक्षम यू.एस. कांग्रेसियों ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर भारत के पक्ष का समर्थन किया है?"

उत्तर था:

> "सरकार को कुछ यू.एस. कांग्रेसियों द्वारा व्यापक परमाणु निषेध संधि क संबंध में भारत की स्थिति पर किये गए समर्थन और पक्ष की जानकारी है जिसमें श्री बेंजामिन गिलमन, अंतरराष्ट्रीय संबंध समिति के चेयरमैन भी शामिल हैं। संयुक्त राज्य में प्रेस और अकादमी समुदाय के बीच सी.टी.बी.टी. के संबंध में भारत की स्थिति पर एक व्यापक सूझबूझ कायम हुई है।"

क्या मैं सरकार से एक बहुत सामान्य सा प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या सरकार पूरी स्थिति से अवगत है या क्या सरकार को भारत की विदेश नीति के पक्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका में पारस्परि[illegible] भाव और जन सहानुभूति की स्थिति की पूरी जानकारी है?

[श्री प्रमथेस मुखर्जी]

महोदय, हमने भारत यू.एस. द्विपक्षीय वार्ता और बातचीत पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वत: दिए गए वक्तव्य को देखा है। इसकी अपनी परम्परा है और भारत का अपना गौरवपूर्ण इतिहास है। हम सुख-शांति के लिए वचनबद्ध हैं। हम समूचे विश्व में नाभीकीय नि:शस्त्रीकरण और नाभीकीय शस्त्र अप्रसार के प्रति भी वचनबद्ध हैं। परन्तु मुझे यह देखकर हैरानी हुई है कि पोखरण में नाभीकीय परीक्षणों के तुरंत बाद सरकार को क्या हो गया है। सरकार के लिए ऐसी क्या मजबूरी थी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वार्ता के लिए आगे आई। क्या भारत पर वे प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए थे या भारत सरकार पर कोई और ही दबाव था जिससे सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर हो सके या यह भारत और पाकिस्तान पर से प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटा लिए जाने के कारण था? ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिससे भारत सरकार को पोखरण परीक्षणों के बाद भी भारत यू.एस. द्विपक्षीय वार्ता

महोदय, भारत अभी भी गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का नेता है। हम जानते है कि सोवियत संघ के पतन या सोवियत संघ के विघटन के बाद द्विध्रुवीय विश्व एक ध्रुवीय विश्व में बदल गया फिर भी गुट निरपेक्ष आंदोलन का अपना महत्व है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के नेता के रूप में भारत को आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। किंतु भारत ऐसा करने में विफल रहा है। आज हम देखते हैं कि भारत अमेरिकी साम्राज्यवाद के आदेशों का आज्ञापालक बना है। इसीलिए भारत सरकार ने खतरे के आभास के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका से वार्ता शुरू कर दी है। यह वांछनीय नहीं था। पोखरण में परमाणु परीक्षणों के तुरंत बाद भारत सरकार ने परमाणु हथियार संपन्न राज्य होने का दावा किया और यह भी दावा किय' कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के संबंध में यह एक साहसिक और सर्वोत्तम कदम था। आज वह निर्णय कहां हैं?

अब, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या यह सत्य है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को भारत की सहमति के बिना लागू नहीं किया जा सकता है? महोदय किसी भी नीति की व्याख्या करने का आधार अर्थव्यवस्था है। यह आन्तरिक नीति या विदेश नीति हो सकती है।

आर्थिक नीति और आन्तरिक नीति के संबंध में भारत आज तक दिवालिया देश है। कल हमने अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा की थी। आज विश्व बैंक का ऋण जाल भारत के लिए मृत्यु का जाल बन गया है। आज हम ऋण के जाल में फंसे हैं, इंडोनेशिया ऋण जाल में फंस गया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री इन्द्रकुमार गुजराल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक स्थिति की आर्थिक व्याख्या और भारत की विदेश नीति से हमें पता चला है कि यह सरकार विफल हो गई है। यह भारत सरकार की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका से नए सिरे से वार्ता करे। विदेश नीति के संबंध में हमारे यहां आम सहमति है। यह हमारे देश की शानदार विरासत है। हमें व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। हमें अपने, अपनी संप्रभुता और अपने लोकतंत्र का पक्षधर होना चाहिए।

श्री आर.एस. गवई (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं श्री जसवन्त सिंह को विदेश मंत्री बनने पर हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इस बारे में पूरी सभा की पहले ही आम राय थी। मैं संक्षेप में बोलूंगा। मैं दो मिनट में अपना भाषण पूरा करूंगा। सभा के समक्ष विषय है क्या अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिए। उत्तर सकारात्मक है। द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिए, और वार्ता का उद्देश्य चर्चा के बाद निर्णय तक पहुंचने का होना चाहिए।

मैंने प्रधानमंत्री का वक्तव्य पढ़ा है। मैं अपने भाषण को लम्बा नहीं खीचूंगा। आज तक वार्ता के छह दौर हो चुके हैं वक्तव्य में कहा गया है कि समस्याएं घटा दी गई हैं। एक आम आदमी के रूप में मैं यह समझना चाहता हूं कि समस्याएं क्या थी, वे कैसे कम हुई या उनका समाधान कैसे हुआ? फिर वक्तव्य में यह कहा गया है कि सातवें दौर की वार्ता जनवरी के मध्य में होगी जिसमें विषय व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और संबद्ध मामले होंगे। एक मायने में मैं कह सकता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का सिद्धान्त और विशेष रूप से एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के बीच संबंधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई विदेश नीति में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे तो उन्होंने स्वयं इस विदेश नीति की वकालत की थी। उस दायरे के भीतर मैं एक वाक्य में अपनी बात समाप्त करूंगा। हमें उन समस्याओं के बारे में सोचना होगा जिन पर सातवें दौर में बात की जानी है। मेरा मानना है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करना तार्किक व संगत होना चाहिए यह नहीं लगना चाहिए कि हम व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्सुक हैं, परन्तु पूर्व शर्त यह है कि हमें अपनी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता के हितों की रक्षा करनी है।

मुझे एक आशंका है कि यह वक्तव्य स्वत: स्पष्ट नहीं है इसमें कुछ दुरूहता है। मैं उसका उल्लेख करना नहीं चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं कि सच क्या है। यह कहना कठिन है कि क्या पोखरण परीक्षण उचित थे या नहीं।

मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। किंतु हम जो भी प्रदर्शन करते हैं पाकिस्तान उसका प्रत्युत्तर देता है। वह भी बहुत चिंता का विषय है कम से कम हम संयम से काम लेते। वहां बैठे किसी भी जिम्मेदार मंत्री को अवश्य सोचना चाहिए कि हमें पाकिस्तान को आमंत्रित करने के लिए स्थान, तिथि और समय निश्चित करनी चाहिए। कुछ लोगों ने यही बात चीन के बारे में भी कही है।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले कही गई बातों की पुनरावृत्ति है।

श्री आर.एस. गवई : अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि यह गहन चिन्ता का विषय है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। हमें परिस्थिति का सामना करना होगा। रुपये के अवमूल्यन को देखते हुए देश पर क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेंगे? हमें उस पहलू की जांच करनी होगी। मोटे तौर पर सद्भाव के साथ मैं इसे शर्त के साथ अपना समर्थन देता हूं कि अपने उत्तर में माननीय मंत्री महोदय एक स्वत: स्पष्ट वक्तव्य देंगे।

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : अध्यक्ष महोदय, यदि श्री जसवन्त सिंह यहां नहीं रहेंगे तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। मेरी पार्टी को केवल चार या पांच मिनट मिले हैं। किंतु मैं तभी बोलूंगा जब माननीय विदेश मंत्री यहां हों ...*(व्यवधान)* यदि उन्हें जाना है, यदि यह उनके लिए नियमित बात है तो फिर मैं नहीं बोलूंगा। मेरा कहना है कि छोटी पार्टियों को अन्त में कहने का मौका दिया जाता है। यह सभा दो घंटे शून्यकाल में बर्बाद करती है। मैं एक भी शब्द को नहीं दोहराऊंगा। किंतु मुझे कुछ कहना है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. सोज राज्य मंत्री पहले ही यहां उपस्थित हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : नहीं महोदय, मैंने श्री जसवन्त सिंह का स्वागत किया है क्योंकि आज हमें राहत मिली है कि देश का एक विदेश मंत्री है। नौ माह तक कोई विदेश मंत्री नहीं था। इसलिए मैं केवल पांच मिनट बोलना चाहता हूं। किंतु माननीय मंत्री श्री जसवन्त सिंह को यहां उपस्थित रहना होगा। यदि वे यहां नहीं रहेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं अपना नाम वापस लेता हूं ...*(व्यवधान)* जैसा मैंने पहले कहा है मैं एक भी शब्द को नहीं दोहराऊंगा। किंतु मेरी भावना आहत हुई है कि सत्र समाप्ति की ओर है और हमें केवल चार मिनट बोलना है। मुझे कुछ कहना है।

पहली बात यह है कि मुझे इस बात से काफी राहत मिली है कि श्री जसवन्त सिंह उस पद पर विराजनाम हुए हैं जिसके वे हकदार हैं। मुझे बेहद खुशी है कि हम बहुत सुरक्षित हैं। एक बात पर मुझे श्री संगमा का समर्थन करना होगा। मैं उन सदस्यों में से एक हूं जिन्होंने यहां यह प्रश्न उठाया है कि विदेश मंत्री को श्री टालबोट से बातचीत नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे विदेश मंत्री इस महान देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब मैं श्री संगमा की इस बात का समर्थन करता हूं कि श्री जसवंत सिंह को केवल संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश मंत्री सुश्री मेडेलाइन अलब्राइट से बातचीत करनी चाहिए।

चूंकि मैंने कहा है कि मैं किसी बात को दोहराऊंगा नहीं अत: मैं व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर नहीं बोलूंगा। मेरा मानना है कि सरकार समझदारी से अन्य लोगों से परामर्श कर राष्ट्र के लिए अच्छा व सही निर्णय लेगी। किंतु विगत समय में यह एक नियमित बात बन गई है और हमारी प्रणाली में इसे संस्थागत बनना चाहिए कि विपक्षी नेताओं से अवश्य परामर्श किया जाए। कभी-कभी छोटी-छोटी पार्टियां भी होती हैं। आप हमें बड़ी पार्टियों का साथ देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते भविष्य गठबंधन सरकारों का है1 इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि हमें अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया जाए।

मेरे विचार से खाड़ी के बारे में प्रधानमंत्री का वक्तव्य अपर्याप्त है। मैं ऐसा ईराक के कारण नहीं कह रहा हूं। अतीत में कश्मीर मसले पर ईराक ने हमारा साथ दिया। भारत के लिए ईराक एक अलग देश, एक विशेष देश है। कश्मीर मसले पर ईराक ने सदैव हमारा साथ दिया। जब मैंने कहा कि यह अपर्याप्त है तो मैंने यह केवल ईराक के कारण नहीं कहा है। मैंने यह इसलिए कहा कि हमारा एक विशाल देश है, विशाल राष्ट्र है। अत: यह वक्तव्य राष्ट्र की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री इसकी निंदा करे। मैं यह मुख्यतया इसलिए कह रहा हूं

[श्री सैफुद्दीन सोज]

क्योंकि सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है। संपूर्ण विश्व के लिए भारत एक बड़ी स्थिति में उभर रहा है। आज मेरे मन में इस बात को लेकर कोई चिन्ता नहीं है कि आज हम सुरक्षा परिषद् के सदस्य नहीं है। भारत को उससे वंचित नहीं रखा जा सकता है। भारत सुरक्षा परिषद् का सदस्य बन जाएगा। किंतु जिस बात के बारे में मैं बहुत चिंतित हूं वह यह है कि इस बार भारत बहुध्रुवीयता की स्थिति में प्रवेश करने के लिए कोई भूमिका नहीं निभा रहा है।

मैं माननीय मंत्री श्री जसवंत सिंह को याद दिलाना चाहता हूं कि जब पीछे 1991 में अमेरिका ने बगदाद पर हमला किया था तो मुझ सहित अनेक भारतीय चाहते थे कि रूस अपना बल प्रदर्शन करे हालांकि वह बल प्रदर्शन थोथा होता क्योंकि उस समय रूस कठिनाई में था। मेरे जैसे लोग सोचते हैं कि विश्व के राष्ट्र सशस्त्र बलों के आधार पर कार्य या प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। अनेक अन्य कारण होते है जैसे सांस्कृतिक कारक, क्षेत्रीय कारक, विचारधाराएं। अत: अब एक बहुध्रुवीय विश्व को इसके बारे में निर्णय करना होगा श्री जसवन्त सिंह सक्षम व्यक्ति है। इस बारे में हमें खुशी है। भारत को अपना योगदान करने का निर्णय करना चाहिए और श्री प्राइमाकोव के आने तथा हमें यह बताने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि हम बहुध्रुवीय विश्व में प्रवेश कर रहे हैं।

भारत को आगे आना चाहिए। बम के मामले पर मैं उनके साथ हूं। उस समय मैं इसके विरुद्ध था, आज भी मैं कह सकता हूं कि मैंने अनेक देशों को यात्रा की है, जवाहरलाल नेहरू का नाम और महात्मा गांधी का नाम पोखरण से अधिक शक्तिशाली है। किंतु आज मैं भा.ज.पा., कांग्रेस और पूरी सभा के साथ हूं कि हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमारा राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र है और हमने परमाणु परीक्षण किए है। यह ठीक है। किंतु जहां तक बहुध्रुवीय विश्व में प्रवेश करने का संबंध है हम कुछ भी नहीं कर रहे है। भारत को नेतृत्व करना चाहिए।

चूंकि समय नहीं है। इसलिए मैं रूस के बारे में नहीं बोलूंगा। मैंने रूसी प्रधाननंत्री को बधाई दी है क्योंकि मैंने महसूस किया कि जब खाड़ी में संकट के बादल मंडरा रहे थे। जब रूस ने दो देशों से अपने राजदूत वापस बुला दिए तो रूसी प्रधानमंत्री यहां क्यों आए? क्योंकि रूस भारत को महत्वपूर्ण समझता है, चीन भारत को महत्वपूर्ण समझता है, मैं कुछ लोगों द्वारा पहले चीन के बारे में दिए गए वक्तव्यों से खुश नहीं हूं। किंतु मैं कहना चाहता हूं कि जब 1997 में क्योटो में मैंने पर्यावरण के बारे में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया तो चीनी मंत्री से अपनी पहली मुलाकात में मैंने लगा कि मौसम परिवर्तन के मुद्दे पर वे निकट आना चाहते है। किंतु यह एक कठिन निर्णय था, मैंने अपने अधिकारियों से परामर्श किया और फिर स्वयं विचार किया। क्योटो में कैबिनेट मंत्री के रूप में मैंने महसूस किया जहां पर जापान और ब्रिटेन, अमेरिका के बारे में कह रहे थे, कि अमेरिका गलत था कि वह चीन या भारत को जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए कह रहा था। अमेरिका विश्व में सबसे बड़ा प्रदूषक है। विश्व की पांच प्रतिशत जनसंख्या वाला देश अमेरिका विश्व के कुल उत्सर्जन का 25 प्रतिशत प्रदूषण उत्सर्जित कर रहा है। फिर भी उस समय वह चीन पर दबाव डालना चाहता था, भारत पर दबाव डालता चाहता था और हमारे माध्यम से जी-7 पर दबाव डालना चाहता था, किंतु चीन के पर्यावरण मंत्री के साथ अपनी पहली मुलाकात में मैंने पाया कि वे हमारे साथ सहयोग करना चाहते थे और फिर परामर्श करने के बाद चीन और भारत ने समान रुख अपनाया। हम निकट आए और हमने अमेरिकी चाल को विफल किया था। यह एक बड़ा मुद्दा था। पर्यावरण अब विश्व भर में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि पर्यावरण के मुद्दे पर भारत और चीन निकट आ सकते हैं तो अन्य मुद्दों पर भी उनमें नजदीकी हो सकती है। इस समय व्यूनस आर्यस में भी अमेरिका से अपेक्षा है कि वह 1990 के स्तर पर उत्सर्जन से पांच प्रतिशत की कमी लायेगा। ऐसा वहां पर हुई चर्चा के कारण नहीं अपितु इस मुद्दे पर भारत और चीन निकट आने पर ही हुआ। श्री गुजराल ने कहा कि वे रूस-भारत-चीन गुट नहीं चाहते हैं और उनकी किसी गुट में कोई रुचि नहीं है। किंतु हम चीन के साथ घनिष्ठ मित्रता के इच्छुक है। हमने अनेक बयान सुने हैं। इस देश के नागरिक के रूप में मुझे विश्वास है कि हम चीन के साथ संबंध सुधार सकते हैं। चीन, भारत के साथ संबंध बनाने के लिए बहुत उत्सुक है। इसलिए कल जब आप इस सभा में इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे कृपया कुछ चीन-भारत संबंधों के बारे में भी बताएं।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ कल प्रश्नकाल के बाद मंत्री द्वारा उत्तर लिए जाने के बारे में सभा की राय जानना चाहती है। क्या सभा सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : जब कल बाढ़ के बारे में चर्चा चल रही थी तो मैं अपराह्न 7.00 बजे तक बैठा रहा। मेरा

नाम सूची में था लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। तीन घंटे बैठने के पश्चात् मैं चला गया। आज मुझे बताया गया कि मेरा नाम वहां है। महोदय क्या आपका यह तात्पर्य है कि यह चर्चा केवल वरिष्ठ सदस्यों के लिए है? क्या आप समझते है कि हम कनिष्ठ सदस्यों और मेरे जैसे नए सदस्यों के पास इसमें योगदान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नहीं हैं? कृपया हमें बताए। इसके पश्चात् हम ना तो यहां बैठेंगे और न ही कुछ कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपको समय देने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हमें दो विधेयकों को पारित करना है।

श्री खारबेल स्वाईं : मेरे जैसे नए सदस्यों के साथ पहले ही अन्याय किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपको भी स्थिति को समझना चाहिए। हमें आज ही एक या दो विधेयकों को पारित करना है।

श्री खारबेल स्वाईं : हम यहां घंटों बैठते है। हम ढेर सारे पत्रों का अध्ययन करते हैं उसके बाद आप कहते है कि आपके पास हमारे लिए कोई समय नहीं है। महोदय मैंने आपके सन्मुख अपनी हताशा व्यक्त कर दी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाईं, आप दो मिनट बोल सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और सरकार ने अपने मंतव्य को व्यक्त कर दिया है कि भारत परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व चाहता है। भारत निशस्त्रीकरण चाहता हैं। भारत परमाणु अप्रसार चाहता है। महोदय मेरा कहने का तात्पर्य है कि क्या हमारा ही देश ऐसा नहीं है जो परमाणु हथियारों के होते हुए भी परमाणु हथियारों की पूर्ण समाप्ति के लिए कह रहा है?

कोई अन्य परमाणु शस्त्रों वाला देश ने ऐसा नहीं करता। क्या हमारा देश अकेला ऐसा नहीं है जिसने पहले प्रयोग न करने की और परमाणु हथियार रहित देशों के विरुद्ध हथियारों को प्रयोग बिल्कुल न करने की वस्तुतः घोषणा की है? हम इसे विधिसम्भव पाबन्दी बनाना चाहते हैं। क्या यह सच नहीं है कि विगत में भारत से किसी तीसरे देश को नाभिकीय अथवा विखंडनीय सामग्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण नहीं किया गया था? क्या इससे भारत की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती है कि भारत जो कहता है वही करता है। मैं आपको बता सकता हूं कि अमरीका, इंग्लैड, रूस और चीन जैसे अन्य नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न देशों ने दूसरे देशों को इस प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किया है। अब वे कहते हैं कि विश्व में ईराक, ईरान, सूडान और लीबिया जैसे कुछ धूर्त राज्य है जिससे उन्होंने यह प्रौद्योगिकी हासिल की हैं? इन धूर्त देशों ने अमरीका, रूस, इंग्लैंड और अन्य देशों से इसे प्राप्त किया है जिनके पास नाभिकीय शस्त्र प्रौद्योगिकी है।

महोदय, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर समझौता नहीं किया जा सकता है कोई हमें आदेश नहीं दे सकता कि हमें कौन से सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए विश्वसनीय नाभिकीय बाधाएं रखनी चाहिए। तत्पश्चात् सरकार को विश्वसनीय डिलीवरी व्यवस्था और विस्तृत नाभिकीय कमांड, नियंत्रण और संचार श्रृंखला विकसित करनी चाहिए।

महोदय इस चर्चा को आरम्भ करते हुए श्री रूपचन्द पाल ने कहा था कि हमें परमाणु बम्ब की आवश्यकता नहीं है। यह अत्यन्त आश्चर्यजनक बात है जब चीन ने 1960 के आरम्भ में परमाणु बम्ब का विस्फोट किया था तो वही वामपंथी चिल्ला रहे थे और कहा था कि यह श्रमिकों का बम्ब है और आज वही कहते है कि इसकी आवश्यकता नहीं है जब चीन ने किया तो यह बहुत अच्छा था लेकिन जब भारत ने किया तो यह बहुत खराब है। वे यह भी कहते हैं कि हमें अलग-थगल किया गया है। क्या 'नाम' में हमें अलग-थलग किया है? क्या 'सार्क' द्वारा हमें अलग-थलग किया गया है? क्या ए.एस.ई.ए.एन. द्वारा हमें अलग-थलग किया गया है? किस देश ने हमें अलग-थलग किया हैं? रूस जो परमाणु हथियार सम्पन्न देश है के प्रधानमंत्री अभी हमारे देश के दौरे पर आये है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, मैं अपनी बात एक मिनट के अन्दर समाप्त करूंगा।

अतः हमें अलग-थलग नहीं किया गया है। तत्पश्चात् वे कहते है कि हमारे ऊपर पाबन्दियां लगाई गई हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बल्कि अमरीका को ही हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने के कारण अलग-थलग कर दिया गया है। किसी अन्य देश ने हमारे खिलाफ पाबन्दी लगाई है? केवल अमरीका ने ही हमारे खिलाफ

[श्री खारबेल स्वाईं]

प्रतिबंध लगाए हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के अन्य देशों को भी हमारे खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया है और इस प्रकार हम अलग-थलग नहीं किए जा सके।

महोदय वे कहते हैं कि हमें हथियारों की आवश्यकता नहीं है जब तक हमारे पास हथियार नहीं होंगे तो इसका परीक्षण करने की आवश्यकता क्या है? हमने 1974 में इसका परीक्षण किया था लेकिन यह सिद्ध नहीं हुआ था कि यह किसी भी प्रकार से हमारे लिए लाभदायक था क्योंकि हमने तब तक हथियार नहीं बनाए थे।

महोदय जब श्री संगमा बोले थे तो उन्होंने प्रत्येक चीज के लिए इस सरकार में दोष नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि हम नेतृत्व करना चाहते है। लेकिन क्या अमरीका की तरह हमने ईराक पर आक्रमण किया है? क्या हमने बंगलादेश पर [illegible] किया? क्या हमने पाकिस्तान पर आक्रमण किया है। [illegible] नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि [illegible]क्षण के पीछे के तर्क को स्पष्ट नहीं किया गया है। उन्हें किस प्रकार के तर्क की आवश्यकता है? तर्क यह है कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विश्वसनीय परमाणु निवारक रखना चाहते हैं। क्या उन्हें यह ठोस तर्क नहीं लगता है?

महोदय, वामपंथी हमेशा अमरीका की आलोचना करते रहते हैं और उन्हें प्रत्येक मुद्दे पर अमरीका में गलतियां नजर आती हैं। यह तो कि[illegible] को बदनाम करने और उसकी हत्या करने जैसा है। अमरीका हमारा शत्रु नहीं है। अमरीका दादा हो सकता है अमरीका धौंस जमा सकता है लेकिन वह विश्व में विशालतम प्रजातंत्र देशों में से एक है और हमें उसके साथ व्यवहार रखना चाहिए। यह हमारे खिलाफ नहीं है।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत को विजय दिलाने वाले और भारत को परम वैभव दिलाने वाले व्यक्ति के रूप में चुने गए हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वह भारत को अंधेरे से रोशनी की ओर, अप्रतिष्ठा से प्रतिष्ठा की ओर ले जाएंगे और वह भारत को 21वीं शताब्दी में सर्वोत्तम देश बनाएंगे। अत: मैं उन्हें उनके कृत्य के लिए बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

रात्रि 8.00 बजे

सभा के कार्य के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री डा. एम. तम्बी दुरई ने मुझसे अनुरोध किया है कि आज कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाए और पारित किया जाए। यह विधेयक आज लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया है और यह कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश 1998 का स्थान लेगा। यदि यह विधेयक इस सत्र के दौरान दोनों सदनों में पारित नहीं किया जाता है तो निर्धारित सांविधिक अवधि के पश्चात् अध्यादेश निरस्त हो जाएगा।

यदि सदन सहमत है तो सदन द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण (अनुशासनिक शक्तियों का विधिमान्यकरण) विधेयक, 1998 को निपटाने के पश्चात् हम कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार कर सकते है और इसे पारित कर सकते है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, दिल्ली विकास प्राधिकरण (अनुशासनिक शक्तियों का विधिमान्यकरण) विधेयक, 1998 के बारे में सब ठीक है हमें कोई आपत्ति नहीं है।

लेकिन कम्पनी (संशोधन) विधेयक के बारे में अत्यन्त गम्भीर चर्चा करना अपेक्षित है। सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। हमारी इस विधेयक के बारे में गम्भीर आपत्ति है।

रात्रि 8.01 बजे

दिल्ली विकास प्राधिकरण (अनुशासनिक शक्तियों का विधिमान्यकरण) विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब शहरी कार्य और रोजगार मंत्री श्री राम जेठमलानी विधेयक पर विचार के प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस-चेयरमैन और अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त अनुशासनिक शक्तियों के विधिमान्यकरण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान भी लाया गया था और आज मैं इसे पेश कर रहा हूं। मैं उनके विवेक और इसकी उपयोगिता से पूर्णत: सहमत हूं।

अधिसूचना जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन जारी किया गया था में कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण इस त्रुटि की जानकारी 11 वर्ष के बाद उच्च न्यायालय के निर्णय से मिली, इसमें पाया गया कि अधिकारियों, जिन्हें भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों के लिए बरखास्त किया गया है, को भारी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। अत: उक्त स्थिति से बचने के लिए इस विधिमान्यकरण अधिनियम को लाया गया है। यह विधायी पद्धति के अनुरूप है। इस प्रकार के कई विधिमान्यकरण अधिनियम पारित किये जा चुके हैं।

विधि मंत्रालय ने इसकी जांच की है। राज्य सभा ने बिना विम्मत के सर्वसम्मति में इसे पारित किया है। अत: मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर और चर्चा के बिना इस विधेयक पर विचार किया जाए और पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि इस विधेयक पर कोई वक्ता नहीं है मैं इसे प्रस्तुत करता हूं:

प्रश्न यह है:

"कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन और अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त अनुशासनिक शक्तियों के विधिमान्यकरण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

श्री राम जेठमलानी : क्या मैं अग्रिम में सभा को अपना आभार व्यक्त कर सकता हूं?

मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब डा. एम. तम्बी दुरई बोलेंगे।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, अभी-अभी हमें अनुपूरक कार्य सूची और उसके साथ सांविधिक संकल्प और विधायी कार्य की सूची विचार और पारित हेतु विधेयक भी प्राप्त हुआ है। यह आज के संशोधित कार्य सूची में नहीं है।

अभी 8 बजकर 5 मिनट हुए हैं। नियम 193 के अधीन चर्चा के अलावा हमने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सीमाशुल्क (संशोधन) विधेयक, आयकर (दूसरा संशोधन) विधेयक और दिल्ली विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक के बारे में चर्चा की थी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, आप विधेयक पर कल चर्चा कर सकते हैं।

श्री रूपचन्द पाल : हमें इसके बारे में अभी-अभी सूचित किया गया है।

रात्रि 8.05 बजे

कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 1998 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और कम्पनी (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय के अनुरोध को समझिए।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, कृपया उन्हें कल इसे ... ... दीजिए ...*(व्यवधान)*

... महोदय : इसे पहले ही पुर:स्थापित किया जा चुका है।

...*(व्यवधान)*

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री और जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : महोदय, कल यह विधेयक राज्य सभा में भेजा जाएगा इसीलिए हम इस पर अभी विचार करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : हमें विधायी क्षमता और सभी इन चीजों के बारे में अपने तर्क देने का अवसर दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत है तो मैं उन सदस्यों के नाम पुकारता हूं जिन्होंने सांविधिक संकल्प दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : वह अलग बात है। वह इस विधेयक की पुर:स्थापना के बाद आएगा इसे कल पुर:स्थापित किया जा सकता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे पहले ही पुर:स्थापित किया जा चुका है। अब इस पर केवल विचार किया जाना है और इसे पारित किया जाना है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. सैफुद्दीन सोज - अनुपस्थित। श्री चिन्ता मोहन - अनुपस्थित। श्रीमती गीता मुखर्जी - अनुपस्थित। डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी - अनुपस्थित। डा. सुब्रहमण्यम स्वामी - अनुपस्थित। श्री राम नारायण मीणा, कृपया आप बोलें।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय उन लोगों का क्या होगा जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है। उन्होंने सूचनाएं दी हुई हैं। अभी-अभी हमें यह संशोधित कार्यवाही सूची मिली हैं। इसे कल लिया जा सकता है और हम इसे जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं ताकि इसे राज्य सभा में भेजा जा सके। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : सदस्यों को सभा में उपस्थित होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कल हमारे पास काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : हम कल पूरा सहयोग देंगे। उस निर्धारित समय के भीतर भी इसे लिया जा सकता है ताकि सदस्य अत्यंत संक्षेप में अपने विचार व्यक्त कर सकें। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन : महोदय सांविधिक संकल्प पर केवल एक सदस्य को बोलने की अनुमति दी गयी है और वह सदन में उपस्थित है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पाल, कृपया सहयोग दीजिए।

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> **"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 अक्तूबर, 1998 को प्रख्यापित कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 19) का निरनुमोदन करती है।"**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, जिन मैम्बर्स ने इसके निरनुमोदन के लिए नोटिस दिया था, उसमें मेरे अलावा सभी मैम्बर्स जा चुके हैं। यह बात सही है कि माननीय सदस्यों को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि कम्पनी अमेंडमैंट बिल को आज टेकअप किया जायेगा। मैं भी बाई चान्स यहां था और मुझे इसका ज्ञान हुआ।

अध्यक्ष महोदय, जो बिल लाया गया है, इसके पहले जो आर्डीनेन्स जारी किया गया था उसकी इमीडिएट आवश्यकता नहीं थी। हिन्दुस्तान में आज सिक इंडस्ट्रीज की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जिस ढंग से बिल लाया गया है, उससे इंडस्ट्रीज के और सिक होने के अवसर बढ़ जायेंगे। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी एक इंडस्ट्री को बचाने के लिए दूसरी इंडस्ट्री के शेयर नहीं खरीद सकेगा। ऐसी स्थिति में सब्सिडियरीज या कॉरपोरेट बॉडीज अपने को सेव करने की स्थिति में नहीं आयेगी। सरकार जिस ढंग मे जल्दबाजी में बिल लाई है, चूंकि आज देश में जिस ढंग के हालात बन रहे हैं, उन पर सोचे बिना जल्दबाजी में यह बिल आया हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री हैं जो सिक नहीं हैं। आप कोटा में जाइये, जिस तरह से वहां जे.के. और डी.सी.एम. वगैरह इंडस्ट्रीज खत्म होती जा रही हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि उनको इस तरह से अलाऊ नहीं किया जायेगा, जिस तरह से 30 परसेन्ट अलाऊ किये जाने का प्रावधान था। उस पर बैन नहीं होना चाहिए। आपने 60 परसेंट तक प्रावधान किया है, लेकिन जो आपकी फंडिग एजेन्सीज हैं, जिनके माध्यम से वे लोन लेना चाहते हैं, उन एजेन्सीज की क्या प्रक्रिया होगी, कितने दिन में वे उस फाइल को क्लियर करेंगी?

अध्यक्ष महोदय, इस तरह का बैन इंडस्ट्रीज के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और इस प्रकार से इस आर्डीनेंस की भी कोई जरूरत नहीं थी। अत: मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करूंगा कि इस आर्डीनेंस को ही निरनुमोदित कर दिया जाए।

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

> "कि कम्पनी अधिनियम 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह कम्पनी (संशोधन) विधेयक 1998 पर विचार करे जिसे राष्ट्रपति द्वारा 31 अक्तूबर, 1998 को प्रख्यापित किये गए कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया क्योंकि उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था।

कम्पनी अधिनियम, 1956 पिछले 40 वर्षों से प्रभावी है। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति में कई परिवर्तन हुए। अत: महसूस किया गया है कि कम्पनी अधिनियम 1956 को सरकार की उदारीकरण और अविनियमन की चालू नीतियों के अनुरूप बनाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 में विस्तृत परिवर्तन करना अपेक्षित है। तदनुरुप सरकार ने 14.8.1997 को राज्य सभा में कम्पनी अधिनियम, 1956 के स्थान पर विस्तृत कम्पनी विधेयक, 1997 पुर:स्थापित किया। यह विधेयक अभी गृह कार्यों सम्बन्धी स्थायी समिति को भेजा गया हैं।

निगमित क्षेत्र कठिन समय से गुजर रहा है और पूंजी बाजार नीचे चल रहा है। इस परिस्थिति में सरकार की ओर से प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि पूंजी बाजार को बढ़ावा दिया जा सके और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाया जा सके। अर्थव्यवस्था में पूंजी के नए मामलों द्वारा धनराशि के धीमे आगम को ध्यान में रखते हुए अन्तर निगमित निवेशों को बढ़ाने के लिए कुछ तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता भी है। परिस्थिति से निपटने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कम्पनी अधिनियम 1956 में अविलम्ब कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता को महसूस किया और इसके अनुरूप राष्ट्रपति महोदय ने 31 अक्तूबर, 1998 को कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश (1998 की संख्या 19) प्रख्यापित किया क्योंकि उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था।

अध्यादेश पूंजी बाजार में निवेशकों में विश्वास को बढ़ाएगा और निगमित निवेशों को प्रोत्साहित करेगा। इससे कम्पनियों को अपनी पूंजी का पुनर्विनियोजित करने के लिए अपने स्वयं के शेयर पुन: खरीदने की अनुमति मिलेगी और वे केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना निवेश करने अथवा ऋण देने में समर्थ हो पायेंगे। इसको किसी व्यक्ति को नामित करने प्रावधान भी किया जाएगा

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[डा. एम. तम्बी दुरई]

जो शेयरों और डिबेन्चरों के धारकों की मृत्यु के बाद शेयर अथवा डिबेन्चरों के स्वामी बनेंगे और निवेशकों की शिक्षा और संरक्षा निधि की स्थापना के लिये कानून बनाने हेतु प्रावधान भी किया जाएगा।

अब मैं कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार करने और उसे पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगता हूं, जो 31 अक्तूबर, 1998 को प्रख्यापित किये कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 की संख्या 19) में उपयुक्त संशोधन करते हुए उसका स्थान लेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:

> ''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 अक्तूबर, 1998 को प्रख्यापित कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 19) का निरनुमोदन करती है कि कम्पनी अधिनियम और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, यह सरकार विद्यमान वित्तीय और आर्थिक विधियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की जल्दी में है। मुझे वित्तीय क्षेत्र में लाये जाने वाले परिवर्तनों के सम्बन्ध में सरकार में महत्वपूर्ण व्यक्तियों से बातचीत करने का अवसर मिला। उदाहरण के लिए विदेशी विनिमय प्रबन्धन 'फेरा' के स्थान पर 'फीमा' और उस प्रयोजनार्थ वित्तीय संस्थाओं उनके ढांचे, उनके प्राधिकारियों और कई अन्य चीजों में किए जाने वाले परिवर्तन। लेकिन क्या इन परिवर्तनों में हमारी बीमार अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार से सुधार होगा? मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि वही लोग जो हमारे उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापी कार्यक्रमों के बारे में जोरदार आलोचना करते थे ने उन्हीं बातों को कहना शुरू कर दिया है।

उस समय हमने जो कहा था वह यह था कि सुधारों का लाया जाना और उनका क्रम और दिशा ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे विशाल बाजार आत्मनिर्भर सार्वजनिक क्षेत्र वाले भारत जैसे बड़े देश के लिए हमें उदारीकरण को उपयुक्त दिशा दे सकें। हम सुधारों के विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन सुधार वहीं किये जाने चाहिए जहां उनकी अत्यन्त आवश्यकता हो। लेकिन हम देखते हैं कि दिशा में ही विकृति है और हाल ही में अधिक लोग, निगमित क्षेत्र के लोग विशेष चीजों की मांग कर रहे थे। अब ये निगमित निवेशों और शेयरों को इन चीजों का अंग बन गए है। मैं उस पर बाद में आऊंगा।

जब मैं बम्बई समिति की बैठक के सम्बन्ध में उद्योगों के उन्हीं प्रमुखों से मिला तो उनसे उद्योग की धीमी गति के बारे में तीखे प्रश्न किये गए; क्या सरकारी नीतियां औद्योगिक उत्पादन मैं इस सारी गड़बड़ी और गिरावट के स्तर के लिए जिम्मेदार थी अथवा यह उनके निगमित क्षेत्र को चलाने, पारदर्शिता के अभाव और जवाबदेही के अभाव के कारण है। हमने कोई शिक्षा नहीं ली है।

बैंकिंग क्षेत्र, निगमित क्षेत्र और शेयर बाजार में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। हम कानून पारित करते हैं छोटे निवेशक जो पूंजी बाजार में आए उन्हें वित्तीय नुकसान हुआ और अब केवल चूककर्त्ताओं, धन निर्यातकों की रक्षा करने के लिए नए विधेयक लाए जा रहे हैं निर्यात करने वाले निर्यातकों को रियायत दी गई है और उन्होंने निर्यात किया और बीजकों की अनियमितताओं के माध्यम से धन इकट्ठा किया गया है और अब वह धन नियमित किया जा रहा है।

फिलोरिडा में दो अनुसंधान कार्यकर्ताओं ने जो मशहूर अर्थशास्त्री हैं ने निष्कर्ष निकाला है कि केवल अनियमित बीजकों के माध्यम से थोड़े समय के भीतर केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में आठ बिलियन डालर भारतीय धन इकट्ठा किया गया है।

अब मैं शेयरों को दोबारा खरीदे जाने पर आता हूं। इससे क्या होगा? मुझे निगमित क्षेत्र के कुछ लोगों की बातें सुनने का मौका मिला है कि उन्होंने इसे दुबारा खरीदने के बारे में भी आपत्ति व्यक्त की हैं। निगमित क्षेत्र के अनुभव के आधार पर गहराई से इसका अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है। बैंकों से धन लिया जाता है और बैंक इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। निवेशकों को लूटा जा रहा है। शेयर बाजार में हेराफेरी हो रही हैं और हेराफेरी निर्यात और अन्य कई चीजों के परिणामस्वरूप हम पूंजी बाजार और निगमित क्षेत्र में ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां आज योजना में पारदर्शिता का अभाव है। हम विश्वव्यापीकरण कर रहे हैं। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड, कास्ट एकाउन्टेन्ड हस्ताक्षरविहीन वक्तव्य में कह रहे हैं कि हमें अपनी लेखा प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिए लेकिन फिर यदि हम बी.आई.एफ.आर. रिपोर्ट का अध्ययन करते है तो 80 प्रतिशत - जी हां 80 प्रतिशत उद्योगों को बी.आई.एफ.आर. के पास रुग्ण उद्योगों के रूप में प्रेषित किया

जाता है यह धन की उद्दिष्ट स्थान पर न लगा कर अन्यत्र लगाने के परिणामस्वरूप हुआ है।

अत: इस विधेयक के कई प्रावधानों पर मुझे गम्भीर आपत्तियां हैं। मैं ढांचागत निधियों के खिलाफ नहीं हूं। मैं इसके विरोध में नहीं हूं। अवसंरचना को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है और माननीय प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर हमारी अवसंरचना की आवश्यकता के बारे में और इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाना चाहिए यह भी बताया है। इस बात पर मेरे गम्भीर मतभेद हो सकते है। लेकिन कम्पनी अधिनियम में भारी परिवर्तन द्वारा क्या किया जा रहा है? उनका कहना है कि यह परिवर्तन औद्योगिक अधिनियमों हमारी औद्योगिक नीति और हमारी उदारीकरण की नीति के अनुरूप किये जाएंगे। क्या इससे सहायता मिलेगी? मैं ऐसा नहीं समझता क्योंकि हाल में प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में अर्थशास्त्रियों, राजनीतिक नेताओं और निगमित क्षेत्र के लोगों के बीच में गंभीर आशंकाएं हैं। अत: मैं समझता हूं कि इस विधेयक को विस्तृत अध्ययन के लिए स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। मुझे कुछ समय पहले प्रख्यापित अध्यादेश पर कोई आपत्ति नहीं हैं। इस विधेयक को राज्य सभा में भी भेजे जाने की आवश्यकता है।

श्री मुकुल वासनिक (बुलढ़ाना) : यह विधेयक स्थायी समिति के पास भेजा हुआ है। प्रतिवेदन का इन्तजार है। कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

श्री रूपचन्द पाल : हो सकता है वहां कई अन्य नई चीजें हों। इसलिए इसके निहितार्थ का पर्याप्त रूप से उचित प्रकार से और गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। मुझे आपत्ति इसलिए नहीं है कि इसे भा.ज.पा. लाई है। यदि इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मदद मिलती है तो इसका समर्थन करने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। लेकिन किये जा रहे परिवर्तनों का अध्ययन करने के पश्चात् मेरी कई शंकाएं हैं। ये वही लोग है मैंने उन्हें देखा हुआ हैं मैंने उनमें से कुछ लोगों से पूछा आप वही लोग हैं जिन्होंने 1991 में ज्ञापन प्रस्तुत किया था। वे परिवर्तनों का स्वागत कर रहे थे। यह कैसे हैं कि आप क्षेत्र और सभी इन बातों से खिलवाड़ करते हुए एक अन्य ज्ञापन प्रस्तुत करने जा रहे हैं? आप वही लोग हैं जो अर्थव्यवस्था में धीमी गति, निगमित क्षेत्र और शेयर बाजारों में अव्यवस्था लाने के लिए जिम्मेदार हैं? यदि हम भारत की कई बड़ी कम्पनियों के रिकार्डों का अध्ययन करते हैं तो यह तस्वीर उभर कर आती है। हम सार्वजनिक क्षेत्र को विघटित करने और निवेश न करने की बात करते हैं। धन और सभी इन चीजों की हेराफेरी के परिणामस्वरूप भारत में कितनी निजी कम्पनियां रुग्ण हुई हैं? अत: मेरा अनुरोध है कि ऐसे बुनियादी और महत्वपूर्ण परिवर्तनों को नहीं किया जाना चाहिए। इसका इस संसद की प्रतिष्ठा और छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अन्त में, आप हमें कार्यवाही की संशोधित अनुपूरक सूची दे रहे हैं और इसे कहा गया है कि हमें मिनटों में पारित कर दो। मैं इस संसद का सदस्य होने के नाते इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं हमारी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे इससे आपत्ति है। मैं तो यही सुझाव दे सकता हूं कि इसे उपयुक्त अध्ययन के लिए स्थायी समिति के पास भेज देना चाहिए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प. बगाल) : महोदय, मैं अत्यन्त संक्षेप में बोलूंगा। मुझे इसके बारे में कोई आपत्ति नहीं है बल्कि मैं इस विधेयक को पारित करने से पहले सरकार के विचारार्थ अपना सुझाव देना चाहता हूं।

इस विधेयक का उद्देश्य अध्यादेश का स्थान लेना है। यह अत्यन्त स्पष्ट है। लेकिन हम अत्यन्त परिष्कृत पूंजीवाद के जमाने में रह रहे हैं और इस पूंजीवाद की मुख्य विशेषता बाजार अर्थव्यवस्था है। इस बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र में हमें निगमित क्षेत्र और कम्पनियों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में अत्यन्त सजग होना चाहिए। यह कम्पनी (संशोधन) विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं आपका ध्यान इनके उद्देश्यों और कारणों के विवरण के पृष्ठ 12 की एक पंक्ति की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। ''कम्पनी विधेयक 1997 विभागों से सम्बन्धित गृह कार्य सम्बन्धी स्थायी समिति को भेजा गया है और स्थायी समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा हैं।'' जब तक हम स्थायी समिति के प्रतिवेदन की समीक्षा नहीं कर लेते इस विधेयक के पारित होने के सम्बन्ध में हम सुझाव किस प्रकार दे सकते हैं? अत: मैं आपसे अपील करूंगा कि आप हमें पर्याप्त समय दीजिए अथवा विधेयक को स्थायी समिति के पास इसकी सिफारिशों और निष्कर्षों के लिए पुन: भेज दीजिए। इस मामले पर स्थायी समिति के निष्कर्षों को प्राप्त होने दीजिए और उसके बाद हम इस विधेयक को पारित करने के बारे में निर्णय कर सकेंगे।

श्री मुकुल वासनिक (बुलढ़ाना) : महोदय, जिस तरह से विचारार्थ इस विधेयक को सभा में लाया गया है साधारणत: ऐसा

[श्री मुकुल वासनिक]

नहीं किया जाता है। यह विशेष विधेयक कार्यवाही की संशोधित सूची में नहीं दिया गया था।

दूसरा सांविधिक संकल्प केवल 15-20 मिनट पहले ही परिचालित किया गया था जब लगभग सभी सदस्य, जिनके नाम से सांविधिक संकल्प था, सदन से जा चुके थे। कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1997 स्थायी समिति को भेजा गया था और इसकी रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। हमें नहीं पता कि इसकी रिपोर्ट सभा पटल पर अभी तक क्यों नहीं रखी गई है। समिति से इसे शीघ्र तैयार करने और शीघ्र से शीघ्र सभापटल पर रखने के लिए कहा जा सकता है। अध्यादेश 31 अक्तूबर 1998 को प्रख्यापित किया गया था। साधारणत: अध्यादेश जब भी प्रख्यापित किया जाता है तो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रयास किया जाता है कि अध्यादेशों को पहले कार्य सूची में प्रकाशित किया जाए ताकि उन पर कार्यवाही की जा सके और जैसे ही सदन की बैठक हो यथाशीघ्र उन्हें पारित कराया जा सके। लेकिन यह नहीं किया [illegible] सभा में कल ही आया है। कल सदन की [illegible] जा रही है और हमसे कहा जा रहा है कि [illegible] विधेयक को लिया जाए क्योंकि इसे राज्य सभा भेजना है। यह साधारण विधान नहीं है। इसका दूरगामी प्रभाव होगा। यह व्यापक विधान है और हमें जिस तरीके से इसे विचारार्थ और पारित करने हेतु लेने को कहा जा रहा है उस तरीके से हम अपने आप को इसमें शरीक नहीं करना चाहते। इसे मैं बताना चाहता हूं और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह स्थायी समिति से अपनी कार्यवाही शीघ्र करने को कहे और शीघ्र अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने को कहे। लेकिन दूरगामी प्रभाव वाले विधानों को लिये जाने का यह तरीका नहीं है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कम्पनी (संशोधन) विधेयक अभी भी स्थायी समिति के समक्ष लम्बित पड़ा हुआ है। हमें उसकी जानकारी है। हमने स्थायी समिति को अनुरोध भी किया है कि वे इस विधेयक को लें और यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी करें कि जो संशोधन वह उस विधेयक में कराना चाहते हैं उन्हें व्यापक विधेयक में किया जा सकता है।

इस विधेयक को लाने के लिए जल्दबाजी के सम्बन्ध में, उद्देश्यों और कारणों के विवरण में मैंने स्पष्ट रूप से सब कुछ बता दिया है कि हमें अध्यादेश क्यों लाना पड़ा। यदि सभा अभी इस विधेयक को पारित भी करती है और यदि स्थायी समिति उसमें कोई संशोधन करना चाहती है तो उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता है। अत: हम किसी भी तरीके से स्थायी समिति की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं और ऐसा करने का हमारा इरादा भी नहीं है। जब देश इस प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना कर रहा हो तो हम इसका समाधान करना चाहते है। इसीलिए केबिनेट ने इस पर विचार भी किया है। इस विधेयक का उद्देश्य पूंजीबाजार में निवेश करने के लिए निवेशकों के बीच विश्वास पैदा करना है। यह विधेयक कम्पनियों को शेयरों की पुन: खरीद के माध्यम से अपनी पूंजी को पुनर्गठित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यदि शेयरधारकों के पास अतिरिक्त धनराशि है तो उनकी अनुमति से निवेश करने अथवा कम्पनियों को ऋण देने का निर्णय लेने की स्वतंत्रता के लिए विधेयक निवेशकों को उनकी मृत्यु होने की स्थिति में कम्पनियों के शेयरों और जमा के बारे में अपने उत्तराधिकारी के नामांकन की सुविधा भी प्रदान करता है। मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह विधेयक किसी भी प्रकार से इन कम्पनियों अथवा उनके बाद स्थापित होने वाली कम्पनियों को प्रभावित नहीं करने जा रही है। हम यह केवल निवेशकों के बीच आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं। उद्योग रुग्ण हो रहे हैं उन्हें पूंजी की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में कुछ इस प्रकार का वातावरण पनपता जा रहा है जिससे मन्दी हो रही है और मुद्रा स्फीति बढ़ रही है। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में उन्हें इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अत: हमें किसी न किसी प्रकार से इस समस्या से निपटना होगा। जिसमें निवेशकों के बीच आत्मविश्वास पैदा हो और केवल उसी के लिए हमने यह सब किया है। पुन: खरीद एक प्रयोग है जिसे हम भारत में कर रहे हैं। यह अवधारणा इस सरकार द्वारा लागू नहीं की गयी बल्कि यह अवधारणा संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा लाई गयी थी जब वह सत्ता में थी। वे ही इन सभी संशोधनों को लाए थे और उन्हें स्थायी समिति को भेजा था ऐसा नहीं है कि इन्हें इस सरकार द्वारा लाया गया है और संसद पर थोपा गया है। यह हमारी अवधारणा नही है। पुन: खरीद का विचार, धारा 370 का संशोधन आदि वास्तव में पूर्व सरकार द्वारा लाया गया था। कांग्रेस सरकार ने उस समय इसका समर्थन किया था।

यहां तक कि वामपंथी भी उस सरकार में थे। ...*(व्यवधान)* वे उस सरकार का हिस्सा थे, क्या उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया?

श्री रूपचन्द पाल : हमने कई बातों का विरोध किया था। हमने विशेषकर ऐसे विधेयकों का सभा में विरोध किया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम नारायण मीणा।

...(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : सुबह भी इस पर आपत्ति की गई थी। मैंने भी अपनी आपत्ति उठाई थी।

डा. एम. तम्बी दुरई उन्होंने आपत्ति उठाई थी। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह विचारधारा अथवा अवधारणा पिछली सरकार द्वारा ही लाई गई थी।

श्री रूपचन्द पाल : हम ऐसी बातों से सहमत नहीं हो सकते। जब कोई विधेयक स्थायी समिति को भेज दिया गया है और स्थायी समिति की रिपोर्ट अभी आयी नहीं है और इधर हम विधेयक पारित कर देते हैं तो इससे गलत प्रथा स्थापित होगी। हम इससे सहमत नहीं हो सकते हैं *...(व्यवधान)* यदि वे विधेयक वापस ले लेते है तब क्या होगा? वे कुछ भी कर सकते हैं। यदि वे इसे पारित करवाना चाहते हैं तो वे इसे पारित करवा के ही रहेंगे। यदि यह पारित होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हम इसे कार्यवाही वृत्तान्त में दर्ज कराना चाहते हैं कि हमें, अपने अनुभव के आधार पर अन्तर निगमित निवेश, शेयरों की पुन: खरीद और पूर्व अनुमोदन के बिना स्वतंत्रता में निवेश करने अथवा ऋण देने के सम्बन्ध में, गम्भीर आपत्ति है। हमें इन तीन मुद्दों पर भारी आपत्ति है *...(व्यवधान)*

डा. एम. तम्बी दुरई : महोदय, मैं अंतर-निगमित निवेश के सम्बन्ध में उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। यदि वे उस खण्ड का गहराई से अध्ययन करें तो उन्हें पता चलेगा कि वास्तव में कुछ भी संशोधन नहीं किया गया है। इसमें पहले ही यह उपबन्ध किया गया है कि वे अनुरक्षित धनराशि में से 30 प्रतिशत धनराशि और ऋण के रूप में 30 प्रतिशत धनराशि (अनुषंगी) कार्यों में निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार यह राशि 60 प्रतिशत बैठती है। हमने तो केवल यही बात कही है और उसमें कुछ भी नया नहीं है। पहले भी उन्हें किन्हीं अन्य उद्योगों में धनराशि लगाने के लिए बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी।

श्री रूपचन्द पाल : यह उतना आसान नहीं है।

डा. एम. तम्बी दुरई : इसलिए, मैंने उसमें परिवर्तन नहीं किया है। विद्यमान कानून अभी जारी है। हम तो केवल कुछ स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि इसे किस प्रकार किया जा सकता हैं। बस इतनी सी बात है। जहां तक पुन: खरीद का सम्बन्ध है मैं स्वीकार करता हूं कि यह नया पहलू है यह भी उसी सरकार का कार्य है। यह भी कोई नयी चीज नहीं है। हम इसका परीक्षण करना चाहते हैं और यदि कोई कमियां पाई जाती हैं तो बजट सत्र के दौरान जब हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, उस समय उक्त उपबंधों में संशोधन कर सकते हैं उस समय हम परिवर्तन कर सकते हैं। अत: इस नई अवधारणा को जिससे हम प्रायोगिक तौर पर अपनाना चाहते हैं, सभा का प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

जहां उक्त उद्योग के प्रतिनिधियों का सम्बन्ध हैं वे कह रहे हैं कि ऐसा उपबन्ध होने से हम देख सकेंगे कि विदेशी कम्पनियां हमारे उद्योगों पर कब्जा करने की स्थिति में न आ सके। माननीय सदस्यों को पता है कि कई अच्छे उद्योगों का विकास हो रहा है और बहुराष्ट्रिक कम्पनियां आगे आकर उन्हें हथियाने की कोशिश करेंगी। यदि वे आगे आती हैं और उनका अधिग्रहण कर लेती हैं तो क्या होगा? केवल अपने उद्योगों को बचाने के लिए हमने यह उपबन्ध किया है। इस उपबन्ध की मदद से वे शेयर खरीद सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उद्योग का प्रबन्धन उन्हीं लोगों अर्थात् भारतीयों के हाथ में ही रहे इससे वहां किसी प्रकार का उतार-चढ़ाव नहीं होना होगा और वे भी किसी अन्य बाजार प्रक्रिया द्वारा वहां प्रवेश नहीं करेंगे। इसका बाजार पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अत: मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को पारित करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामनारायण मीणा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मंत्री जी कानून के विशेषज्ञ हैं और प्रधानमंत्री जो संसदीय परम्परा के विशेषज्ञ हैं। यह बिल स्टैंडिंग कमेटी में लंबित है। *...(व्यवधान)* ऐसे में प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि इस बिल को नियमित रूप से पास करने के लिए कहें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा हो चुकी है। श्री राम नारायण मीणा।

[हिन्दी]

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से इसमें अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं ...*(व्यवधान)* मैं नियमों के उल्लंघन की बात नहीं करता, यहां पर कितने माननीय सदस्य हैं कोरम की आवश्यकता है या नहीं है उस पर भी मैं जाना नहीं चाहता लेकिन जो बात अभी मंत्री जी ने बताई वह इसमें खरी साबित नहीं होती। जिस तरह से आपने फौरन इनवेस्टर्स के बारे में बताया इससे तो फौरन इनवेस्टर्स को बढ़ावा मिलेगा। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं वह यह है कि मैंने जो अमेंडमेंट दिया है आप इसको देखें, यह बहुत वाजिब है और गवर्नमेंट को बिना किसी हिच के उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

> ''और धारा 4क में वर्णित लोक वित्तीय संस्थान के पूर्व अनुमोदन से पारित नहीं कर दिया जाता है, जहां कोई सावधि उधार अस्तित्व में है:''

इसका पहले भी आपके यहां प्रोविजन था। अपनी सब्सिडरीज को अपनी इनकोरपोरेट बॉडी को यदि वह स्टेट नहीं कर सकेगा, [illegible] ड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। इससे साफ जाहिर [illegible] स्टर्स यहां फंडिंग करना चाहते हैं। मैं स्वदेशी की बात करना नहीं चाहता हूं लेकिन जिस तरह से सरकार नेशनल इन्ट्रेस्ट के नाम पर अपना रोल प्ले कर रही है। मैं उसको कन्डेम्न करनें की बात भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि बिना सोचे-समझे इस तरह से बिल लाया जाए। जो तरीका सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है वह तरीका कतई सही नहीं है, देश के हित में नहीं है। स्वदेशी के हित में है या नहीं, उस बारे में मैं बात करना नहीं चाहता हूं। लेकिन इससे विदेशी इन्वेस्टर्स को बढ़ावा मिलेगा और देश के उद्योग धंधे अस्थिर होंगे। इसमें देश के उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की बात नहीं है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो मैने अमेंडमेट दिए है ...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना सांविधिक संकल्प वापस ले रहे हैं अथवा नहीं ले रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री रामनारायण मीणा : मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूं। प्रश्न 10 की पंक्ति 34, 35 और 36 में जो मेरा संशोधन हैं,

> ''और धारा 4क में वर्णित लोक वित्तीय संस्थान के पूर्व अनुमोदन से पारित नहीं कर दिया जाता है, जहां कोई सावधि उभार अस्तित्व में है:'' के *स्थान पर* ''पारित नहीं कर दिया जाता है'' *प्रतिस्थापित किया जाए।*

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, मैं इसे एक्सटेंड करता हूं। मैं अपना ऑब्जेक्शन, अपनी भावना इस सदन के रिकार्ड में इंगित करना चाहता हूं। यह कोई बात नहीं हुई कि बजट-सत्र में इसको बदल देंगे। यह लगातार कानून बनाने और बिगाड़ने की बात है। वे कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप उनके नाम बताएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना सांविधिक संकल्प वापस ले रहे हैं अथवा नहीं?

[हिन्दी]

श्री रामनारायण मीणा : मैं अपनी बात सदन के रिकार्ड में लाना चाहता हूं। आप इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम बताएं। देश के अधिकतर नामी इंडस्ट्रियलिस्ट्स इसके खिलाफ हैं। ऐसी स्थिति में मैं अपनी बात पर एक्सटेड करता हूं और जो संशोधन मैंने दिए हैं उन पर मैं कायम हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राम नारायण मीणा क्या आप अपना सांविधिक संकल्प वापस ले रहे हैं अथवा नहीं?

[हिन्दी]

श्री रामनारायण मीणा : नो, नहीं मैं उल्टा करूंगा।

[अनुवाद]

डा. एम. तम्बी दुरई : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ आशंकाएं व्यक्त की है और मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहता हूं कि वित्तीय संस्थाओं के पूर्वानुमति लेने का उपबंध विद्यमान विधेयक में पहले से ही है। जब यह 60 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो उन्हें वित्तीय संस्थानों से पूर्वानुमति प्राप्त करनी पड़ती है। वह उपबंध वहां विद्यमान हैं। किसी भी तरह से यह प्रभावित नहीं होगा। अतः मैं माननीय सदस्य से सांविधिक संकल्प वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम नारायण मीणा क्या आप अपना सांविधिक संकल्प वापस ले रहे हैं अथवा नहीं?

श्री राम नारायण मीणा : मैं इसे वापस नहीं ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"क्या यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 अक्तूबर, 1998 को प्रख्यापित कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 19) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 18 विधेयक का अंग बने।" जो इसके पक्ष में है वे कृपया "हां" कहें।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : जो इसके पक्ष में नहीं है वे "न" कहें।

कई माननीय सदस्य : 'नहीं'।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं इस पर 'हां' अधिक है इस पर 'हां ' है।

कई माननीय सदस्य : इस पर 'नहीं' की संख्या अधिक है हम मत विभाजन चाहते हैं।

श्री सत्य पाल जैन : महोदय, यह ठीक नहीं है।

श्री रूपचन्द पाल : आप इस प्रकार से इसे डरा धमकाकर पारित नहीं करा सकते हैं। क्या यह ठीक है? हमने गणपूर्ति के लिए भी नहीं कहा है हमें तो केवल मतविभाजन की मांग की है। हम इसे कार्यवाही वृत्तान्त में लाना चाहते हैं।

पूर्व में भी हमने कई बार ऐसा किया है। हम मतविभाजन की मांग करते हैं।

डा. एम. तम्बी दुरई : फिर भी यह विधेयक राज्य सभा में जा रहा है और वे इस पर विचार-विमर्श करेंगे। आप इसे अभी पारित क्यों नहीं होने देना चाहते?

श्री रूपचन्द पाल : यह इस सभा का विशेषाधिकार है।

श्री वारकला राधाकृष्णन : यह उनका कार्य है। आप किस प्रकार से तर्क दे सकते हैं कि इसे राज्य सभा में भेजा जाएगा?

श्री रूपचन्द पाल : सरकार को इसे पहले लाना चाहिए था। हमें इस पर विचार करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए था।

श्री वारकला राधाकृष्णन : केवल यही मौका मिला है जब इस मामले पर चर्चा की जा रही है। यह सदस्यों का मौलिक अधिकार है कि वह इस पर अपनी राय व्यक्त करें। आपने हमें मौका नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव : यह बिल इंट्रोड्यूस करते समय बताया नहीं गया था कि आज ही इसे पास कराना है। इस कारण हम तैयार होकर नहीं आए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : यह विधेयक स्थायी समिति के विचाराधीन है। वक्तव्य में कहा गया है कि समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है। संसदीय समिति के विचाराधीन किसी मामले पर चर्चा करना और उस पर निर्णय लेना प्रक्रिया के खिलाफ है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे अत्यन्त गलत

[श्री वारकला राधाकृष्णन]

प्रथा कायम होती है। यदि हम इस पर कल चर्चा करें तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव : अध्यक्ष महोदय, आपके रहते इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सदस्य अपने हाथ उठा सकते हैं।

श्री रूपचन्द पाल : नहीं, महोदय हम मत विभाजन चाहते हैं। इससे गलत प्रथा स्थापित होगी। सभा ने इसे स्थायी समिति के पास भेजा है और उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले ही सरकार इसे, वह भी आज के दिन की समाप्ति पर पारित करवाने का प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त, इस विधेयक ...नि है।

डा. एम. तम्बी दुरई : सभा सर्वोच्च है। इसे विचार करने और पारित करने का पूरा अधिकार है।

श्री रूपचन्द पाल : मैंने मत विभाजन की मांग की है। कृपया इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाए।

श्री वारकला राधाकृष्णन : हम गणपूर्ति की मांग नहीं कर रहे हैं। हमें मत विभाजन के लिए कहने का पूरा हक है। हम तो केवल अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

अध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति के अभाव में, सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.46 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 23 दिसम्बर, 1998/2 पौष, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।